लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खण्ड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—5, गुरुवार, 21 नवम्बर, 1969/30 कार्तिक, 1891 (शक)
No.—5, Thursday, November 21, 1969/Kartika 30, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
121. दिल्ली पुलिस	Delhi Police	1—8
122. दिल्ली से आगरा होकर बम्बई तक का राष्ट्रीय राजपथ वर्षा के कारण बन्द रहना	Blockade of National Highway from Bombay to Delhi via Agra due to Rains	8—9
123. गोआ की विधान सभा के लिये अधिक शक्तियों की मांग	Demand for more powers for Legislative Assembly of Goa	9—12
24. पश्चिम बंगाल में न्याय-पालिका को कार्यपालिका से अलग करना	Separation of judiciary from Executive in West Bengal	12—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
91. कोयला खानों में ठेका प्रणाली का समाप्त किया जाना	Abolition of Contract System in Collieries	17
92. छोटा नागपुर (बिहार) में श्रमिकों में असन्तोष	Labour unrest in Chotanagpur (Bihar)	17—18

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was ctually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
93. घेराओं की घटनाओं को रोकने के लिये कानून बनाना	Legislation to check incidents of Gheraoes	18
94. कृषि विपणन अनुसंधान संस्था की स्थापना	Setting up of Agricultural Marketing Research Institute	18
95. राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन	Report of the National Commission on Labour	18—19
96. बड़े शहरों में दूध की सप्लाई में वृद्धि	Increase in supply of Milk in big cities	19
97. पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में कोयला खानों में कम मजदूरी का भुगतान	Underpayments in colleries in West Bengal and Bihar	19—20
98. ग्रामीण युवकों के लिये रोलगार के अवसर	Employment opportunities for Rural Youth	20
99. खाद्यान्नों की कमी	Deficit in Foodgrains	21
100. आकाशवाणी को एक निगम का रूप देना	Conversion of AIR into a Corporation	21
101. चीनी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry	21—22
102. खाद्यान्नों का आयात	Import of foodgrains	22
103. दूध के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता के लिये अन्तरराष्ट्रीय डेयरी विकास योजना	International dairy development scheme for self sufficiency in milk	22 23
104. दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazars in Delhi	23—24
105. आकाशवाणी में प्रोग्राम तथा ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिवों के पदों के लिये अर्हतायें	Qualifications for posts of programme and transmission Executives in AIR	24
106. अखिल भारतीय डाक व तार पेंशनर संस्था से ज्ञापन	Memorandum from All India posts and Telegraphs pensioners Association	24—25
107. नई दिल्ली से भेजे गये मनीआर्डरों की जालसाजी	Forgery of Money Orders sent from New Delhi	25

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
108. कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें	Recommendations of the Agricultural price Commission	25—26
109. समाचार अभिकरणों के लिये निगम	Corporations for News Agencies	26
110. अपना टेलीफोन लगाओ योजना	Own your telephone system	26—27
111. ताइवान को भारतीय कृषि प्रतिनिधि मंडल	Indian Agricultural Delegation to Taiwan	27
112. इंजीनियरिंग उद्योग में मजूरी ढांचा	Wage Structure in Engineering Industry	28
113. केन्द्रीय मत्स्य निगम	Central Fisheries Corporation	28—29
114. बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को मैसूर मे बसाना	Rehabilitation of Repatriates from Burma in Mysore	29
115. खाद्य नियंत्रण आदेश	Food Control Orders	29—30
116. बिहार में राजकीय कृषि फार्म	Government Agricultural Farms in Bihar	30
117. समस्तीपुर सेन्ट्रल शुगर कम्पनी लिमिटेड	Samastipur Central Sugar Co. Ltd.	30—31
118. थाइलैंड के साथ चावल के बारे में करार	Rice agreement with Thailand	31
119. विज्ञापनों से होने वाली आय में आकाशवाणी के कर्मचारियों का हिस्सा	AIR Employees share in income from commercial Advertisements	31—32
120. राजस्थान में सूखा तथा अकाल की स्थिति	Drought and famine in Rajasthan	32
125. राजस्थान के मावानोली गांव के निकट अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की हत्या	Scheduled Tribe persons killed near Mavanoli Village of Rajasthan	32—33
126. सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement age of Government Employees	33
127. हिन्दी भाषी राज्यों में उच्च न्यायालयों में राष्ट्र भाषा	National Language in High court of Hindi Speaking states	33—34

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
128	हिमालय क्षेत्र का विकास / Development of Himalayan Region	34
129.	राष्ट्रीय एकता परिषद् / National Integration Council	34—35
130.	शेख अब्दुल्ला की भारतीय नागरिकता / Indian Citizenship of Sheikh Abdullah	35
131.	पालम हवाई अड्डे पर एक रूसी विमान से यात्रियों को उतारना / Off loading of passengers from a Russian Plane at Palam Airport	35—36
132.	अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगे / Communal disturbances in Ahmedabad	36
133.	ब्रिटेन के मंत्री मंडल स्तर के मंत्रियों का गुरु नानक देव की 500 वीं जन्म शताब्दी में शामिल होने से इंकार करना / Refusal by British cabinet Ministers to attend the 500th birth Anniversry of Guru Nanak Dev	36—37
134.	राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति की बैठक / Meeting of a Standing committee of National Integration council	37
135.	अहमदाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगे / Communal Riots in Ahmedabad	38
136.	साम्प्रदायिक दंगों में पाकिस्तान का हाथ / Pak. Hand in Communal Riots	39
137.	कामेक्स युवा समारोह के दौरान रवीन्द्र रंगशाला, नई दिल्ली में विद्यार्थियों द्वारा दंगा / Rowdyism by students at Ravindra Rangashala, New Delhi during Commex Youth Festival	39—40
138.	केन्द्रीय सरकार में हिन्दी जानने वाले राजपत्रित अधिकारी / Hindi knowing Gazetted Officers in Central Government	40
139.	माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का दिल्ली नगर निगम से दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरण / Transfer of Middle and Higher Secondary schools from Delhi Municipal Corporation to Delhi Administration	40—41
140.	पश्चिम बंगाल में राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्या / Murder of political workers in West Bengal	41

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
141. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता संबंधी झा समिति का प्रतिवेदन	Report of Jha Committee on National Library, Calcutta	41
142. केन्द्रीय स्कूलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये प्रवेश का आरक्षश	Reservation of seats for Scheduled castes and scheduled tribes in Central schools	42
143. तूतीकोरन बन्दरगाह परियोजना का विकास कार्य	Development Work of Tuticorin Harbour Project	42—43
144. आसाम के दंगों में सेन्ट्रल इंटेलीजेंस एजेन्सी का हाथ	CIA Hand in Assam Troubles	43
145. जहाज निर्माण में सहयोग के बारे में बातचीत	Talks regarding Collaboration in Shipbuilding	43
146. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक विमान का एक पाकिस्तानी जैट विमान द्वारा पीछा किया जाना	IAC plane chased by Pakistani Jet Plane	43
147. त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का धावन पथ	Runway of Trivandrum Airport	44
148. इण्डियन एयरलाइन्स के लिये डी० सी० 9-40 विमान खरीदने के लिये लाल समिति की सिफारिशें	Recommendations of Lal Committee for purchase of DC 9.40 Aircraft for Indian Airlines	44
149. संघ लोक-सेवा आयोग के माध्यम से हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Hindi Officers through UPSC	45
150. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किये गये परीक्षा संबंधी सुधार	Examination Reforms undertaken by the National Council of Educational Research and Training	45—46

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

601. दिल्ली में बिना लाइसेंस चल रहे अनधिकृत कारखाने	Unauthorised factories running without licence in Delhi	46

तारांकित प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय / Subject	पृष्ठ / Pages
602. आन्ध्र प्रदेश में अनकपल्ले से टेलीफोन राजस्व	Telephone revenue from Anakapalle, Andhra Pradesh	47
605. गंगा नगर जिला, राजस्थान में शरणार्थियों के लिये भूमि का आवंटन	Allotment land to refugees in Ganganagar District, Rajasthan	47—48
606. चावल का निर्यात	Export of Rice	48
607. नागपुर में टेलैक्स सेवा	Telex service at Nagpur	48—49
608. शीतल पेय की कीमतों में कमी	Cut in the prices of cold drinks	49
609. आधुनिक कृषि उपकरण सम्बंधी प्रशिक्षण	Training in modern Agricultural equip ment	49—50
611. गुप्त मतदान द्वारा मजदूर संघों को मान्यता देना	Recognition of Union through secret ballot	51
612. पूर्वी पाकिस्तान से मछली का आयात	Import of fish from East Pakistan	51—52
613. भारत सेवक समाज की कार्य प्रणाली के बारे में जांच	Enquiry into the working of Bharat Sewak Samaj	52—53
614. मन्नम शूगर मिल्स को-आपरेटिव लिमिटेड को दिये गये ऋण पर ब्याज	Interest on loan given to Mannam sugar mills cooperative Ltd.	53
615. कांगापुर खान में विषैली गैस के कारण मृत्यु	Deaths due to Gas poisoning at Kangapur Mine	53—54
616. उर्वरकों की खपत कमी	Fall in consumption of fertilizers	54
617. कृषि आयोग की नियुक्ति	Setting up of Agricultural Commission	54—55
618. ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	55—56
619. चीनी मिलों के राष्ट्रीय-करण के बारे में महान्याय-वादी की राय	Opinion of Attorney General on Nationa-lisation of Sugar mills	56
620. डा० जाकिर हुसैन के निधन पर डाक तथा तार कर्म-चारियों के लिये सवेतन अवकाश	Paid Holiday for P and T Employees on on the death of Dr. Zakir Hussain	57

तारांकित प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय / Subject	पृष्ठ / Pages
621. संसद् सदस्यों के निवास स्थान पर टेलीफोन की सुविधायें	Telephone facilities at the Residence of M.Ps.	57
622 कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of Coal Wage Board	57—58
623. कोयला खान श्रमिकों को दी गई चिकित्सा सुविधायें	Medical Facilities given to Colliery Workers	59
624. कोयला खान श्रमिकों के लिये उपदान	Gratuity for colliery workers	60
625. समाचार एजेंसियों आदि पर समाचार पत्र पंजीयक का प्रतिवेदन	Report of Ragistrar of News papers on the News Agencies, Etc.	60—61
626. दिल्ली दुग्ध योजना के एक दुग्ध केन्द्र से दूध प्राप्त करने वाले लोगों की औसत संख्या	Average Population served by a DMS Milk Booth	61
627. फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme	61—62
628. श्रम कल्याण समिति का प्रतिवेदन	Report of Labour Welfare Committee	62
629. रैली राउण्ड दी लीडर का विज्ञापन	Rally Round the leader Advertisement	62—63
630. सूरतगढ़ फार्म का समाप्त किया जाना	Winding up of Suratgarh farm	63—64
631. केरल में छापामार युद्ध सम्बन्धी फिल्मों का प्रदर्शन	Gureilla Warefare Films shown in Kerala	64
632. भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों को बेकार पड़ी भूमि का आवंटन	Allotment of unused land to landless Agricultural Labour	65—66
633. मंत्रियों के कार्यालयों तथा निवास स्थानों के बारे में ट्रंक कालों के बिल	Trunk Call Bills in respect of officers and residence of Ministers	66
634. देहातों में टेलीफोन लगाना	Installation of Telephones in Villages	66—67
635. टेलीफोन शुल्क में वृद्धि	Increase in Telephone Charges	67—68

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U. S. Q. Nos	Subject	Pages
636. देश में ट्रैक्टरों की मांग	Requirement of Tractors in the Country	68—69
637. समाचार एजेंसियों के लिये निगम	Corporation for News Agencies	69
638. समाचार-पत्र वित्त निगम बनाना	Formation of Newspaper Finance Corporation	69—70
639. आकाशवाणी, दिल्ली के कार्यक्रम का गिरता हुआ स्तर	Falling standard of Programme of AIR Delhi	70
640. आकाशवाणी, दिल्ली द्वारा अनाउंसरों आदि की नियुक्ति	Appointment of Announcers, etc. by AIR Delhi	70—71
641. आकाशवाणी दिल्ली के वार्धक्य प्राप्त कर्मचारी	Superannuated Staff of AIR, Delhi	71
642. आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किये जाने वाले समाचारों का संपादन	Editing of news items Broadcasted by AIR	72
643. उत्तर प्रदेश में कृषि क्रान्ति का असफल होना	Failure of Green Revolution in U. P.	72
644. किसानों को गेहूं के अधिक उपज वाले किस्मों के बीज बेचना	Release of High Yielding variety of Wheat Seed to farmers	72—73
645. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खरीदे जाने के कारण बीकानेर में दूध की कमी	Scarcity of Milk in Bikaner due to purchase by Delhi Milk Scheme	73
646. कर्मचारी भविष्य निधि को बकाया राशि	Arrears of Employees' Provident Fund	73—74
647. भारत में चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	Fourth International Films Festival in India	74—75
648. पौसारा, बुलन्दशहर के पोस्ट मास्टर के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Post Master of Pawsara, Bulandshahar	75
649. भारतीय चलचित्र में नग्नता और चुम्बन	Introduction of Nudity and kissing in Indian Films	75—76

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
650. टेलीफोन प्रयोक्ताओं की टेलीफोन शुल्क मुक्त श्रेणियां	Exempted categories of telephone subscribers	76
651. पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान	Payment of Unemployment Allowance in West Bengal	76—77
652. आकाशवाणी के नियमित कलाकारों द्वारा कार्य मूल्यांकन समिति की नियुक्ति की मांग	Demand for job Evaluation Committee by AIR Staff Artistes	77
653. आकाशवाणी में संचार प्रबन्धकों की संख्या	Number of Transmission Executives on AIR	77
654. आकाशवाणी में हिन्दी के स्टेनोग्राफरों को अग्रिम वार्षिक वृद्धियां देना	Grant of Advance increments to Hindi Stenographers in AIR	77—78
655. कोयला खानों के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी दिये जाने का तरीका	Mode of Granting Earned Leave to Collieries Workers	78—79
656. केरल में मालामपुजा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का परिणाम प्रसारित न करना	Non-broadcast of Bye-election Result of Malampuzha Constituency in Kerala	79
657. कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें	Recommendations of the Agricultural prices Commission	79—80
658. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा खाद्य स्थिति का मूल्यांकन	Assessment of food situation by National Advisory Council	80
659. कृषि-स्नातक	Agricultural Graduates	80—81
660. पश्चिम बंगाल में हड़तालों ताला बंदी तथा घेराव की घटनायें	Incidents of Strikes, Lockouts and Gheraoes in West Bengal	81
662. श्रमिक संघ गृह निर्माण सहकारी संस्था, उज्जैन	Labour Union House Building Cooperative Society, Ujjain	81
663. पश्चिम बंगाल में घेराव की घटनायें	Incidents of Gheraoes in West Bengal	81—82

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
664. हड़तालों के कारण जन-घंटों की हानि	Loss of Man-hours due to strikes	82—83
665. नागालैंड में डाक और दूर संचार की सुविधायें	Postal and Tele-communication facilities in Nagaland	83—85
666. बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment insurance scheme	85
667. राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन	Report of National Commission on Labour	85—86
668. दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि अंशदान की राशि जमा न करना	Failure of Delhi Municipal Corporation to deposit provident fund contributions of its employees	86
669. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विकास कर्मचारियों का अध्ययन	Study of Development staff of the Community Development Programme	87
670. लोबिया (काउ पी) की नई किस्म का विकास	Development of new Variety of Cow Pea	87—88
671. खाद्यान्नों का आयात	Import of foodgrains	88—89
672. भारतीय खाद्य निगम की भाण्डागार क्षमता	Storage capacity of food corporation of India	89
673. भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाने वाला खर्च	Expenditure on food corporation of India	89—90
674. मैसूर में भारतीय खाद्य निगम के माल गोदाम	Warehouses owned by Food corporation in Mysore	90
675. कोयला खानों के कर्मचारियों के विरुद्ध किये गये दमनकारी उपाय	Repressive Measures adopted against the Employees of Coal Mines	90
676. बसुमति के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI probe into Basumati Affair	91
677. कोयला खान श्रमिकों को कोयला खान कल्याण द्वारा दी गई सुविधायें	Facilities given to coal workers by CMWB	91—92

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
678. खाद्य उत्पादन	Food production	92
679. चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर में मछली पालन का विकास	Development of fisheries in Mysore during Fourth Five Year Plan	92—93
680. खाद्य नीति पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' conference on Food Policies	93—94
681. सामान्य विकास स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शनों के लिये संसद् सदस्यों से आवेदन पत्र	Applications from M. Ps. for Telephone connections at their usual places of Residence	94—95
682. हरिजनों के लिये आवास भूमि	Homestead lands for Harijan	95
684. बल्लीमारान (दिल्ली) में एक सहकारी भण्डार का दिवाला	Insolvency of a Co-operative store in Ballimaran, Delhi	95—96
685. भूमि सेना बनाना	Creation of land Army	96
686. चावल और मोटे अनाज की वसूली	Procurement of Rice and Coarse Grains	96—97
687. राज्यों में वर्षा के कारण हानि	Loss due to Rains in States	97
688. दिल्ली में 9 सितम्बर, 1969 को प्रधान मन्त्री के भाषण के अवसर पर चल-चित्र बनाया जाना	Filming of Prime Minister's Address in Delhi on 9-9-69	97
689. कपास तथा मूंगफली जैसी औद्योगिक फसलों का उत्पादन	Production of Industrial Crops like cotton and Groundnut	97—98
690. डाक तथा तार विभाग के सेवानिवृत अधिकारियों की गैर-सरकारी फर्मों में नियुक्ति	Employment of Retired officers of P and T Deptt. in Private Firms	98
691. समाचार पत्रों में साम्प्रदायिक लेख	Communal Writing in Newspapers	98—99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
692. देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का अध्ययन	Study of Drought Areas in the country	99—100
693. खाद्यान्नों और चीनी के बारे में नीति	Policy regarding foodgrains and sugar	100
694. छोटे किसानों की समस्याओं से निपटने के लिये विशेष अधिकरण की स्थापना	Special Agency to deal with problems of small Farmers	101—102
695. जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा में विस्थापित व्यक्तियों सम्बन्धी विधेयक पारित करना	Passing of Bill on Displaced persons in Jammu and Kashmir Assembly	103
696. खाद्यान के व्यापार में से बिचौलियों को हटाना	Elimination of Intermediaries in Food Trade	103—104
697. उड़ीसा में तांबे के तार की चोरी	Theft of Copper wire in Orissa	104
698. तेल कम्पनियों में रोजगार सुरक्षा सम्बन्धी गोखले आयोग का प्रतिवेदन	Report of Gokhale Commission on job security in Oil Companies	105
699. 1 मई को सवेतन छुट्टी	May 1st as paid holiday	105
700. गांधी जी के चित्र वाले पोस्टकार्ड और अन्तर्देशीय पत्र	Gandhi Postcards and Inland Letters	106
701. मजूरी बोर्ड की नियुक्ति	Appointment of Wage Board	106
702. उर्वरक नियन्त्रण आदेश	Fertiliser control order	107
703. भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Provident Fund Organisation Employees	107
704. राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की आलोचना	Criticism of the Recommendations of the National Commission on Labour	108
705. कपड़ा मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन की कार्यान्विति	Implementation of the report of the Textile wage board	108

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
706. तेल कम्पनियों के कर्मचारियों के लिये समय से पूर्व स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की योजनाएं	Early voluntary retirement plans for the Employees of oil Companies	109
707. दालों तथा खाद्य फसलों के नये बीजों का विकास	Development of new seeds of pulses and non-food crops	109—110
708. अधिक उपज देने वाले बीजों और खाद्य के वितरण में त्रुटियां	Defects in the Distribution of High Yielding seeds and Manures	110
709. रक्षा बन्धन के अवसर पर डाक व तार के कर्मचारियों द्वारा डिलीवरी से पूर्व लिफाफों का खोला जाना	Opening of envelopes containing Rakhis before Delivery by P and T Employees	110—111
710. ग्वालियर आगरा दिल्ली के बीच माइक्रोवेव	Micro wave link between Gwalior Agra Delhi	111
711. बिहार में कृषि योग्य बंजर तथा पड़ती भूमि का बन्दोबस्त	Settlement on Cultivable Waste and Fallow land in Bihar	111—112
712. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कारखाने के स्थायी आदेशों के उपबन्ध	Provisions of the works standing orders of Tata Iron and Steel Company	112
713 कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये खरीफ फसल के मूल्य	Price of Kharif Crop as Recommended by Agricultural price Commission	112
714. अरबी भाषा के प्रसारण में समाचार पढ़ने वाले का नाम न होना	Omission of news Readers name in Arabic Service	113
715. डोलोमाइट लाइन स्टोन कवेरी के कर्मचारी संघ को मान्यता	Recognition of Union of the Employees of the Dolomite lime stone Quary	113
716. स्टेट्समैन (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा अखबारी कागज के कोटे का दुरुपयोग	Misuse of newsprint quota by the Statesman (P) Ltd.	114

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
717. भूमि सुधार कार्यान्विति समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति	Implementation of the Recommendation of Land Reforms implementation Committee	114—115
718. रोजगार के इच्छुक लोगों से प्रमाणपत्र मांगना	Requirement of certificate from employment seekers	115
719. ग्रामीण श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रमिक ब्यूरो के अध्ययन का प्रतिवेदन	Report of the study made by the labour Burea in regard to rural labour	115—116
720. गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्र	Drought affected areas in Gujarat	116—117
721. पौड़ी (जिला गढ़वाल) में आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station at Pauri (Garhwal Distt)	117
722. उच्च शक्ति युक्त संचारण उपकरण	High Power Transmission sets	117—118
723. खाद्य के विकास के लिये तटीय क्षेत्र का उपयोग	Exploitation of coastal lines for food Development	118—119
724. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में टेलीफोन केन्द्र	Telephone exchanges in Punjab, Haryana and Chandigarh	119
725. काश्मीर में इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक यूनिट की स्थापना	Setting up a Unit of Indian Telephone Industries Limited in Kashmir	119—120
726. मध्य प्रदेश में नागदा रेयन कारखाने में तालाबन्दी	Lock out in Naga Rayon Factory Madhya Pradesh	120
727. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था से दुर्लभ किस्मों के बीजों की चोरी	Theft of rare voriety seeds from Indian Agrieultural Research Institute	120—121
728. नया टेलीफोन लगाना	New Telephone Connections	121—122
729. नारियल अनुसंधान केन्द्र, कायामकुलम द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य	Research work done by Coconut search Centre at Kayamkulam	122—123
730. इस्पात उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण	Revision of wages in Steel Industries	123
731. इन्जीनियरिंग के कारखानों के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड पंचाट की क्रियान्विति	Implementation of the wage Board Award on Engineering Concerns	123—124

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
732. चीनी मिलों की स्थापना	Setting up of Sugar Mills	124—125
733. कृषि उद्योग निगम	Agro Industrial Corporations	125—126
734. पोटाश उर्वरक	Potash Fertiliser	126—127
735. एक ही फसल के अधीन भूमि	Acreage under single crop	127
736. तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of oilseeds	127—128
737. टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Outstanding telephone bill arrears	128—129
738. विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा के बारे में खोसला आयोग की रिपोर्ट	Report of Khosla Commission on the job security in foreign oil companies	129
739. सिंचाई तथा कृषि विकास कार्य के लिये धनराशि का नियतन	Allocation of funds for Irrigation and Agricultural development work	129—130
740. बिहार में सूखा	Drought in Bihar	130
741. बिहार में सूचना केन्द्र	Information centre in Bihar	130
742. दरभंगा के बेल्हावार डाकखाने का बन्द किया जाना	Closure of Belha war post Office Darbhanga	131
743. पश्चिम बंगाल में कोयले की खानों के कर्मचारियों का काम छोड़ कर जाना	Leaving of jobs by the Colliery Workers in West Bengal	131
744. दिल्ली में टेलीविजन पर तमिल चलचित्र दिखाया जाना	Telecasting of Tamil Firm in Delhi	131
745. बिहार तथा राजस्थान में खाद्यान्न की कमी	Food shortage in Bihar and Rajasthan	132
746. बिहार में धान शुल्क की वसूली	Collection of Paddy levy in Bihar	132
747. भावनात्मक एकता के लिये समृद्ध आदिम जातिय संस्कृति को प्रकाश में लाना	Highlights of rich Tribal Culture for Emotional Integration	132—133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
748. पुसो, रांची में डाकघर खोलना	Opening of a Post Office at Puso-Ranchi	13
749. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के शिल्प प्रशिक्षुओं द्वारा टूल डाउन हड़ताल	Tool down strike by Artisan trainess of Heavy Engineering Corporation	133—134
750. चीनी का वर्गीकरण	Grading of Sugar	134
751. आकाशवाणी द्वारा चीनी प्रचार सामग्री का प्रसारण	Broadcasting by AIR of Propaganda Stuff of China	135
752. भागलपुर बिहार में टेलीफोन तथा तार सम्बन्धी प्रबन्ध	Telephone and Telegraph arrangements in Bhagalpur, Bihar	135—136
753. आसरगंज तथा संग्रामपुर बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Public Call Offices at Asarganj and Sangrampur, Bihar	136
754. बहुत सी फसलें उगाने तथा शुल्क कृषि क्षेत्रों में कृषि श्रमिक सर्वेक्षण	Survey of Agricultural Labour in Multiple Cropping and dry farming areas	136—137
755. हिमाचल प्रदेश के लिये कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University for Himachal Pradesh	137
756. राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा श्रम नीति के सम्बन्ध में सिफारिशें	Recommendations regarding labour Policy by National Commission on Labour	137—138
757. आकाशवाणी के उन कर्मचारियों का स्थानान्तरण जो 5 वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में रह रहे हैं	Transfer of AIR officials who have stayed in Delhi for more than 5 Years	138
758. आकाशवाणी के प्रोड्यूसरों का स्थानान्तरण	Transfer of producers of AIR	138
759. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आशुलिपि शिक्षकों का तबादला	Transfer of Stenography Instructors in Industrial Training Institute	138—139

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
760. श्रमिकों की स्थिति और बच्चों को श्रमिकों के रूप में रखना	Conditions of workers and use of Child labour	139—140
761. भारतीय खाद्य निगम पर मुनाफाखोरी करने के आरोप	Charge against food corporation of India for Profiteering	140
762. डाक बचत बैंक खातों से कृषकों को ऋण	Loans to Farmers from Postal Savings Bank Accounts	140—141
763. चावल के विकास के बारे में अनुसंधान	Research in Rice Breeding	141
764. आकाशवाणी के कार्यक्रम संचालकों, सहायक केन्द्र निदेशकों और केन्द्र निदेशकों की कार्यविधि	Tenure of Programme Executives Asstt. Station Directors and Station Directors of AIR	142
765. उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन उद्योग का विकास	Development of Fisheries Industry in U. P.	142
766. आकाशवाणी, दिल्ली द्वारा अनाउंसरों का चयन	Selection of Announcers by AIR Delhi	143
767. विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों के लिए सहायक प्रोड्यूसरों का चयन	Selection of Assistant Producer for University Programmes	143
768. नारियल बोर्ड की स्थापना	Establishment of a Coconut Board	144
769. कोचीन के लिये आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station for Cochin	144
770. उत्तर प्रदेश में चकबन्दी	Consolidation of Holding in U. P.	145
771. संसद सदस्यों की सिफारिशों पर दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टोकनों का जारी करना	Issue of Milk Tokens by Delhi Milk Scheme on Recommendation of M. Ps.	145
772. उत्तर प्रदेश में भू संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि अर्जन	Acquisition of land under Soil conservation programme in U. P.	145—146
773. उत्तर प्रदेश में डाक घर	Post Offices in U. P.	146—147

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
774. कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) में डाकघर	Post Offices in Kangra District (H. P.)	147
775. उत्तर प्रदेश में भूमिहीन हरिजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों को ग्राम समाज की भूमि का आवंटन	Allotment of land of Gram Samaj to Landless Harijans and Ex-servicemen in Uttar Pradesh	147—148
776. शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेरोजगारी	Increasing unemployment among educated persons	148—149
777. उत्तर प्रदेश में अकाल सहायता के लिये धन	Funds for famine relief in U. P.	149
778. कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Employees provident Fund	150
779. उड़ीसा सरकार के जनरल इलैक्ट्रिकल डिवीजन के कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न किया जाना	Non-deposit of Employees Provident Fund of the Employees of General Electrical Divisions of Orissa	154—151
780. प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों का योगदान	Workers' Participation in Management	151
781. नए टेलीफोन केन्द्रों के लिये इमारतें	Building for New Telephone Exchanges	151—152
782. आकाशवाणी से पाकिस्तानी भाषाओं में समाचारों का प्रसारण	Broadcasting of news in Pakistani languages from AIR	152
784. राष्ट्रीय एकता के सिद्धान्तों का प्रचार	Propagation of themes of National Integration	152—153
785. अखबारी कागज का नियतन	Allocation of News Print	153—154
786. खरीफ की फसल की उपज का अनुमान	Estimates of the Production of Khariff crop	154
787. रेलवे में संगणक और स्वचालित यन्त्रों को लगाना	Installation of Computers and Automatic Devices in Railways	154—155
788. केरल में मछली पालन के विकास की वृहत योजना	Master Plan for Development of Fisheries in Kerala	155

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
789. दूर संचार सेवाओं का विस्तार	Expansion of Telecommunication Services	155—156
790. पूर्वी उत्तर प्रदेश में फुल्सा से धान की फसल को क्षति	Loss of Paddy Crop by Phulsa in Eastern U. P.	156
791. बीड़ी कर्मचारियों पर बोनस अधिनियम का लागू होना	Application of Bonus Act to Beedi Workers	
792. खाद्यान्नों का रक्षित भंडार	Buffer stock for Foodgrains	157
793. खाद्यान्नों की जमाखोरी	Hoarding of Foodgrains	157—158
794. बेकारी की समस्या	Unemployment problem	158—159
795. मंगलौर में डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वाटरों का निर्माण	Construction of Quarters for P and T Staff at Manglore	159
796. मछली पालन के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank aid for the Development of Fisheries	159—160
797. पश्चिम जर्मन चलचित्र का जब्त करना	Proscription of West German Film	160
798. मूल्य नीति पर कृषि मूल्य आयोग सिफारिशें	Recommendations of the Agricultural prices Commission on price policy	160
799. टेलीविजन पर विज्ञापनों का प्रसारण	Advertisements over Television	161
800. बिहार में बाढ़ के कारण कृषि उत्पादन में कमी	Fall in Agricultural Production in Bihar due to floods	161
801. राज्य लाटरियां	State Lotteries	162
802. तकनीकी संस्थाओं में दाखले में कमी	Reduction in Admission in Technical Institutions	162—163
803. विद्रोही मिजो लोगों का चिट्टागांव में प्रवेश	Mizo Rebels Entering Chittagongs	163—164
804. गुजरात में हवाई अड्डे तथा हवाई पट्टियां	Airport and Air Strips in Gujarat	164
805. गुजरात उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले	Cases pending in Gujarat High Court	164—165

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
806. विदेशों में जाने वाली भारतीय सर्कस कम्पनियों को शर्त रहित ऋण।	Open loan to Indian Circus companies going Abroad	165—166
807. दिल्ली प्रशासन के लिये योजना में निर्धारित धनराशि	Amount earmarked in plan for Delhi Administration	166
808. पहलगांव विश्रामालय	Pahalgam Rest House	166
809. भारतीय सर्कस का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Indian Circus	167
810. राज्यों की लाटरियां	State Lotteries	167
811. भारतीय हाकी के स्तर का गिरना	Deterioration in Standard of Indian Hockey	168
812. भारतीय हाकी टीम	Indian Hockey Team	168
813. मैसूर सीमेंट लिमिटेड को हवाई पट्टी के लिए भूमि का नियतन	Allotment of land for Airstrip to Mysore Cements Ltd.	168—169
814. उत्तर प्रदेश की जनेसथा तहसील में स्थित नगला मुबारकपुर गांव में हरिजनों की हत्या	Harijans killed in Nagla Mubarakpur Village of Janasatha in U. P.	169
815. न्यायिक आयुक्त के न्यायालय का दर्जा बढ़ाना	Raising of Status of Judicial Commissioner's Court	169—170
816. जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना	Setting up of a Bench of Rajasthan High Court, at Jaipur	170
817. औद्योगिक सुरक्षा दल	Industrial Security Force	170
818 फिलिपीन्स के साथ सांस्कृतिक करार	Cultural Agreement with Philippines	171
819. पाकिस्तानियों का भारत में गैर कानूनी रूप से टहरना	Illegal Stay of Pakistanis in India	171
820. सामान्य शिक्षा अकादमी मैसूर पर कदाचार का आरोप	Allegation of corrupt practices against Academy of General Education Mysore	171—172

तार० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
821.	हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित निर्णयों का कार्यान्वित न किया जाना — Non-implementation of decision regarding use of Hindi	172—173
822.	कर्मचारी संघों को मान्यता देना और वेतन आयोग का गठन — Recognition of Employees Union and Constitution of Pay Commission	173
823.	छुट्टियों की घोषणा के लिये राष्ट्रीय नीति बनाना — Evolving Nationanal Policy for declaration of Holidays	173
824.	राजस्थान के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोपों की न्यायिक जांच — Judicial enquiry into charges against Chief Minister of Rajasthan	173—174
825.	बिहार के साम्प्रदायिक दंगे — Communal riots in Bihar	174—175
826.	पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त मिजो छापामारों को पड़ना — Rounding up of Pak trained Mizo Guerillas	175
827.	श्रीनगर में सैनिक कर्मचारियों पर आक्रमण करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्व — Anti-national elements attacking Military personnel in Srinagar	175—176
828.	भारत में पाकिस्तान तथा चीन के एजेन्ट — Pakistani and Chinese agents in India	176
829.	प्रधान मन्त्री का आसाम का दौरा — Prime Minister's tour of Assam	176
830.	खान अब्दुल गफ्फारखां की भारत यात्रा — Khan Abdul Ghaffar Khan's visit to India	176—177
831.	भारतीय नागरिकों को विदेश भेजने में धोखाधड़ी — Racketeering in sending Indians abroad	177
832.	पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा का निर्धारण — Demarcation of Boundary between Punjab and Haryana	178
833.	बम्बई पतन न्यास रेलवे कर्मचारी संघ — Bombay Port Trust Railway Workers' Union	178—179
834.	रेलवे बोर्ड की तरह एक सड़क बोर्ड बनाना — Creation of Road Board on pattern of Railway Board	179

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
835. विश्वविद्यालयों के अहातों में पुलिस के प्रवेश के बारे में पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में की गई सिफारिशें	Recommendations of the I. G. P's. regarding Police entry into University Campus	179
836. साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots	179—180
837. गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में जांच	Enquiry into Communal Riots in Gujarat	180—181
838. श्रीलंका, नेपाल तथा ईरान में भारतीय होटल खोलना	Opening of Indian Hotels in Ceylon Nepal and Iran	181
839. राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक के चयन पर विवाद	Row over Selection of Director National Museum	181—182
840. विद्यार्थियों तथा दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों के बीच झगड़े	Clashes between Students and D. T. U. Staff	182—183
841. महात्मा गांधी की हत्या की जांच	Probe into Mahatma Gandhi's Assassination	183
842. शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी स्टेनोग्राफर तथा हिन्दी-स्टेनो-टाइपिस्ट	Hindi Stenographers and Hindi Steno-Typists in Education Ministry	183—184
843. भारतीय विमान निगम के लिये विमानों की खरीद	Purchase of Aircrafts of IAC	184
844. राज्य सरकारों का भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर अधिक नियंत्रण	Greater Control by State Governments over I. P. S. Officers	185
845. उत्तरी भारत में एक जासूसी गिरोह के सक्रिय होने का पता लगाया जाना	Discovery about operation of a spy-ring in Northern India	185
846. त्रिचूर नगर में माओ के पोस्टर	Mao posters in Trichur Town	186
847. भारतीय विमान निगम के किरायों में वृद्धि	Increase in IAC Fares	18

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
848. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर औपचारिकताओं का सरलीकरण	Simplification of Formalitiers at International Airports	187—188
849. कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना	Second Shipyard at Cochin	188
850. नई दिल्ली में खुदाई करने पर भगवान शिव की एक मूर्ति का मिलना	Excavation of Statue of Lord Siva in New Delhi	189
851. पर्यटक चार्टर उड़ानों की अधिकतम सीमा समाप्त करना	Abolition of Celling on Tourist Charter Flights	189—190
852. गैर-सरकारी नौवहन उद्योग को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना	Taking over of private shipping by Government	190
853. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें	Education problems of Scheduled castes/ Scheduled Tribes and other Backward Classes	190
854. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के वैज्ञानिकों के पदों का आरक्षण	Resolution on Scheduled Caste and Scheduled tribe scientist in Council of Scientific and Industrial Research	191
855. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को सुविधायें	Facilities to Scheduled Castes and Scheduled Tribes students regarding admission to graduate and post graduate courses by Delhi University	191—192
856. राज्यों में न्यायिक पदों की संख्या	Strength of Judicial posts in States	192
857. रामकृष्णपुरम में भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी की हत्या	Murder of IAF Officer in Ramakrishnapuram	192—193

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
858. गत सामान्य निर्वाचनों में प्रयोग में लाया गया विदेशी धन	Foreign money used in last General Elections	193
859. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य करण के विरुद्ध आरोप	Allegations, against working of University Grants Commission	193—194
860. बंगलौर विश्वविद्यालय के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Bangalore University	194
861. दिल्ली पुलिस में भ्रष्ट अधिकारी	Corrupt officers in Delhi Police Force	194—195
862. श्री जे० बी० एक्स० डीक्रुज की मृत्यु की जांच	Enquiry into Death of Mr. J. B. X. D'oruz	195
863. अमरीकी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सस्ते किराये वाले चार्टर विमान चलाना	Introduction of cheap chartered planes to attract American Tourists	195—196
864. ग्राम युवक कल्याण योजना	Rural Youth Welfare Scheme	196
865. चौथी योजना के अन्त में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र	Students Receiving Technical Education at the end of Fourth Plan	196
866. काश्मीर में जनमत संग्रह मोर्चे द्वारा अलगाव का प्रचार	Preaching of cessation in Kashmir by Plebiscite Front	197
867. आनन्द मार्ग संस्था को विदेशी सहायता	Foreign Aid to Anand Marg	197
868. चंडीगढ़ का वर्तमान दर्जा बनाये रखना	Retention of present status of Chandigarh	198
869. श्री बलराज मधोक, संसद् सदस्य पर मुकदमा चलाया जाना	Prosecution of Shri Bal Raj Madhok M. P.	198
870. कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Calicut Airport	199

अ० प्रा० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	Subject	Pages
871. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये अनिवार्य मध्यस्थता के लिये व्यवस्था	Machinery for compulsory arbitration for central Government Employees	199
872. युवक सेवा के लिये राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड गठित करने की योजना	Scheme for constituting of National Advisory Board on Youth Services	200
873. पश्चिम बंगाल में लोक न्यायालयों (पीपल्स कोर्टस) की गतिविधियां	Activities of People's Courts	200
874. राजकोट में चीनी मोटार रॉकेटों का पाया जाना	Chinese made mortar rockets found in Rajkot	200—201
875. पश्चिम बंगाल में साम्यवादी दल द्वारा सेना की स्थापना किया जाना	Raising of army by Communist Party in West Bengal	201
876. हरियाणा के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोप	Allegation against Chief Minister, Haryana	201
877. विवेकानन्द शिला स्मारक के उद्घाटन समारोह के सम्बन्ध में आने वाले पर्यटकों के लिये प्रबन्ध	Arrangement for tourists coming in connection with inauguration of Vivekananda Rock Memorial	202
878. आनन्द मार्ग तथा अन्य संगठनों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना	Participation by Government servants in Anand Marg and other Organisations	202—203
879. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा नये विमानों की खरीद	Purchase of new planes by AIC	203
880. इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की कुछ सेवाओं का घाटे पर चलना	Running at a loss of certain services of IAC	203
881. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शरारती तत्वों की गतिविधियां	Activites of mischievous elements in Banaras Hindu University	204

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
882. शिक्षा मन्त्रालय में लिपिकों की वरिष्ठता सूची	Seniority list of Clerks in Education Ministry	204
883. शिक्षा मन्त्रालय द्वारा ली गई हिन्दी आशुलिपिकों की परीक्षा	Hindi Stenography test conducted by Education Ministry	204—205
884. गवाहों तथा अपराधी व्यक्तियों के साथ पुलिस का व्यवहार	Police behaviour towards witnesses and Accused persons in Delhi	205
885. राज्यों में लाटरियों को आरम्भ करने का औचित्य	Propriety of running of State lotteries	206
886. काश्मीर में जनमत संग्रह मोर्चे की गतिविधियां	Activities of plebiscite front in Kashmir	206
887. वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय को भेजी गई योजनाओं पर विचार किया जाना	Consideration of Schemes sent by Commission for scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate	206—207
888. शैक्षाणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् का पुनर्गठन	Re-organisation of National council of Educational Research and Training	207—208
889. तेलंगाना क्षेत्र का विकास	Development of Telengana Region	208
890. मनीपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय	Decision to impose President's rule in Manipur	208—209
891. तेलंगाना के बारे में भार्गव समिति का प्रतिवेदन	Bhargava Committee Report on Telengana	209
892. साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots	209
894. गढ़वाल में विश्वविद्यालय की स्थापना	Opening of University in Garhwal	210
895. बिहार में नये जिले बनाना	Formation of New Districts in Bihar	210
896. देश में साम्प्रदायिक वारदातें	Communal Incidents in the country	211

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
897. दिल्ली के सायंकालीन कालेज में आनर्स पाठ्यक्रम आरम्भ करना	Introduction of Honours courses in Evening Colleges in Delhi	211—212
898. सीनियर कैम्ब्रिज प्रणाली का समाप्त किया जाना	Abolition of Senior Cambridge system	212—213
900. भ्रष्टाचार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारी	Police officials in Himachal Pradesh involved in Corruption cases	213
901. फरीदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के लिये मन्त्रियों द्वारा स्टाफ कारों का उपयोग	Use of Staff Cars by Minister at Faridabad Congress Session	213
902. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा परिभाषिक शब्दावली आयोग में अनुसंधान सहायक के लिये विभागीय परीक्षा	Departmental Examination for research Assistants in Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology	213—214
903. मन्त्रियों के कार्यालयों में प्रवेश करने के लिए संसद् सदस्यों को जारी किये गये पहिचान पत्रों की वैधता	Validity of Identity Cards issued to Members of Parliament for Entering offices of Ministeries	214—215
904. प्राथमिक शिक्षा की दोषपूर्ण पद्धति	Defective System of Primary Education	215
905. भारत द्वारा डोगलस वायुयानों की खरीद	Purchase of Doglas Planes by India	215—216
906. जवाहरलाल नेहरू टैंकर की लागत	Cost of Tanker Jawaharlal Nehru	216
907. बिहार में राजनैतिक हत्यायें	Political Murders in Bihar	216—217
908. नर बलि की घटनाओं में वृद्धि	Increase in incidents of Human Sacrifice	217
909. अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगे	Communal riots in Ahmedabad	217—218

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	Page
910. फरीदाबाद में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन पर व्यय	Expenditure on AICC Session at Faridabad	218—219
911. चण्डीगढ़ और भाखड़ा नंगल के बारे में पंचाट	Award on Chandigarh and Bhakra Nangal	219
912. निजी विमान रखने और उड़ाने वाले व्यक्तियों के लिये की गई व्यवस्था	Provision for owning and Flying Private Aircrafts	219—220
913. विदेशी जहाजों के कैप्टनों द्वारा गोआ के नाविकों की भर्ती पर प्रतिबन्ध	Ban on Recruitment of Goan Seamen by Captains of Foreign Ships	220—221
914. अजमेर में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Illegal entry of Pakistanis into Ajmer	221—222
915. श्रीनगर में दंगे	Riots in Srinagar	222
916. नेफा में चीनी प्रचार करने वाले इश्तहार	Chinese propaganda Leafiets in NEFA	222—223
917. जयंती शिपिंग कम्पनी के भुतपूर्व प्रधान द्वारा अपने हिस्से गांधी स्मारक न्यास को दान देने का प्रस्ताव	Offer for donation of the shares held by Chairman, Jayanti Shipping Company to Gandhi Memorial Trust	223
918. कुछ राज्यों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का वापिस बुलाया जाना	Recall of CRP from certain states	223—224
919. पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाना	Observance of National Solidarity day by West Bengal Government	224—225
920. केन्द्रीय आरक्षी पुलिस सेवा के लिये चयन तथा भर्ती	Selection and Recultment for Central Reserve Police Service	225—226
921. निजी थैलियां समाप्त करना	Abolition of Privy Purses	226
922. बोस इंस्टीट्यूट आफ साइंस कलकत्ता की प्रयोगशालाओं का पुनर्निर्माण	Reconstruction of Laboratories of Bose Institute of Science, Calcutta	226—227

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
923. भारत में सामाजिक सांस्कृतिक अभिकरणों को विदेशी सहायता	Foreign Aid to Social and cultural Agencies in India	227
924. बिहार में हरिजनों की हत्या	Murder of Harijans in Bihar	227
927. समुद्र द्वारा रत्नगिरि जाने तथा वहां से आने के लिये सुविधायें	Facilities for Travelling to and from Ratnagiri by Sea	227—228
928. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees	228
929. साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots	228—229
930. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकें	Text books by National Council of Educational Research and Training	229
931. आरक्षित पदों का अनारक्षित पदों में बदलना	Conversion of Reserved posts into unreserved posts	229—230
932. कोचीन, कोयम्बटूर और मंगलौर से कालीकट तक फीडर विमान सेवा का चालू किया जाना	Introduction of Feeder Air Service to Calicut from Cochin Coimbatore and Mangalore	230
933. कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण के लिये भू-अर्जन	Acquisition of land for Construction of Calicut Airport	231
934. बिहार में राष्ट्रपति का शासन	President's rule in Bihar	231
935. ब्रिटेन के पारपत्र वाले भारतीय नागरिक गिरफ्तारी	Arrest of Indian National holding British Passport	231—232
936. हल्दिया पत्तन के लिये भूमि अर्जित करना	Acquiring of land for Haldia Port	232
937. शिक्षा पद्धति का नवीकरण	Re-orientation of Educational System	232
939. केरल में पाल वाले जहाजों के मालिकों को ऋण देना	Grant of loans to Owners of Sailing Vessels in Kerala	233
940. अहमदाबाद में बम विस्फोट	Bomb explosion in Ahmedabad	233
941. पश्चिम बंगाल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति	Law and order situation in West Bengal	233—234

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
943. हिन्दी में विधेयक तैयार करना	Drafting of Bills in Hindi	234
944. बक्सर (बिहार) में पुल का निर्माण	Construction of bridge at Buxer (Bihar)	235
945. उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाने वाली घग्घर नदी पर नौका पुल की व्यवस्था	Provision of a Pantoon Bridge over River Ghaggar connecting UP and Bihar	235
946. संसद् सदस्यों के विदेशों के दौरे	Visits of Member of Parliament to Foreign countries	235—236
947. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था के प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति	Promotion of Laboratory Assistants in National institute of Oceanography	236
948. संसद् सदस्यों द्वारा दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग का सुझाव	Second States Reorganisation Commission suggested by Members of Parliament	237
949. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की नई कार्यकारी पार्षद्	New Executive Council of Banaras Hindu University	237
950. भारतीय नौवहन निगम की सेवाओं का हांगकाँग के रास्ते विस्तार करना	Expansion of Services of Shipping Corporation of India through Hong Kong	237—238
951. उत्तर भारत के छात्रों में असंतोष की भावना	Discontentment amongst students from North India	238
952. प्रधान मन्त्री के बिहार के दौरे पर व्यय	Expenditure on Prime Minister's Bihar Tour	238—239
953. साम्प्रदायिक स्थिति	Communal Situation	239
954. दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति के बारे में विवाद	Controversy about appointment of Vice Chancellor of Delhi University	239—240
955. काशी विश्वविद्यालय से मुअत्तिल किये गये और हटाये गये विद्यार्थी नेताओं की बहाली	Reinstatement of Student Leaders suspended and moved from Kashi Vishva Vidyalaya	240—241

तारांकित प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय / Subject	पृष्ठ / Pages
956.	विधायकों सम्बन्धी पांचवें ओरिएन्टेशन सैमिनार की सिफारिशें / Recommendations of 5th Orientation Seminar for Legislators	241
957.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले / Pending cases in various High courts	241
958.	अन्दमान तथा निकोबार में में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति / Appointment of Primary school Teachers in Andaman and Nicobar	242
959.	छात्र संख्या / Student population	242
960.	कुछ इन्टरनेशनल एयर-लाइन्स द्वारा रिकार्ड में दिखाये बिना किराये में रियायत देना / Offer of Off record Fare cut by some international Airlines	243—244
961.	शिक्षा मन्त्रालय द्वारा खरीदे गये 'नवीन' किस्म के कूलर / 'Naveen' Type 'Coolers' purchased by Education Ministry	244
962.	काश्मीर में भारत विरोधी नारे / Anti-national Slogans in Kashmir	244
963.	काश्मीर के लिये स्वतंत्र संविधान के बारे में शेख अब्दुल्ला की घोषणा / Sheikh Abdullah's declaration about Independent Constitution for Kashmir	245
964.	श्री बलराज मधोक पर अभियोग / Prosecution of Shri Balraj Madhok	245—246
965.	केबिल तथा तार लगाने वाली फर्मों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे / CBI raids on Cable and Wire manufacturing firms	246
966.	धनबाद जिले के निकट पाया गया पैराशूट / Parachute found near Dhanbad District	246—247
967.	महाराजा ग्वालियर की सम्पत्ति / Property of Maharaja of Gwalior	247
968.	महाराजा ग्वालियर की सम्पत्ति / Property of Maharaja of Gwalior	247—248
969.	साम्प्रदायिक दंगों में पाकिस्तान का हाथ / Pak. hand in communal riots	248
970.	अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन / All India Whips' Conference	248

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
971. नई साम्यवादी दल का हैदराबाद में सम्मेलन	Convention of New Communist Party at Hyderabad	249
972. नये तकनीकी शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं	Main Features of New Technical Education Policy	249
973. मंत्रालयों में हिन्दी आशुलिपिक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के लिये आरक्षित पद	Hindi Stenographers in Ministries and posts Reserved for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes	249—250
974. हिन्दी आशुलिपिकों की सूची	Recruitment of Hindi Stenographers	250
975. हिन्दी स्टेनोग्राफर	Hindi Stengographers	250—251
976. हिन्दी आशुलिपिक परीक्षा पास करने वाले निम्न श्रेणी के लिपिकों की सेवाओं को उपयोग में लाना	Utilizing the services of Lower Division Clerks Passing Hindi Stenographers Examination	251
977. भारत में पाकिस्तानी नागरिक	Pak Nationals in India	251—252
978. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Residential Accommodations to Employees of National Council of Educational Research and Training	252—253
979. नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	Nehru University, New Delhi	253
980. अहमदाबाद में दंगे—सेना का बुलाया जाना	Riots in Ahmedabad—Calling of Army	253—254
981. दिल्ली में साम्प्रदायिक स्थिति	Communal situation in Delhi	254
982. कोवालम समुद्री तट (केरल) का एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकास	Development of Kovalam Beach (Kerala) as a Major Tourist Resort	254—255
983. तेलंगाना संवर्ग के अधिकारियों की शिकायतें	Complaint by Officers of Telengana Cadre	255

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
984. केन्द्रीय स्कूलों द्वारा मिडिल कक्षाओं के लिये निर्धारित पुस्तकों की अनुपलब्धता	Non-availability of books prescribed by Central Schools for the Middle Classes	255—256
985. भारतीय महासागरीय निदेशालय के लिये स्थान	Site for Indian oceanic directorate	256—257
986. दिल्ली में सितम्बर, 1969 में हुए कामेक्स युवक समारोह में गड़बड़ी	Trouble at Commex Youth Festival held in Delhi in September, 1969	257
987. चम्बल और यमुना नदियों पर पुलों का निर्माण	Construction of bridges over rivers Chambal and Yamuna	257—258
988. राजस्थान में पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी	Arrest of Pak. Spy in Rajasthan	258
989. अहमदाबाद के दंगे	Ahmedabad Riots	258—259
991. शिक्षा आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Education Commission	259
992. भारत में विश्वविद्यालय	University students in India	259
993. हिन्दी जानने वाले कर्मचारी/गृह मन्त्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Hindi knowing staff use of Hindi in Home Ministry	260
994. बिहार में सहरसा महेशखुट सड़क का निर्माण	Construction of Saharsa Maheshkhut Road in Bihar	260
995. मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा (बिहार)	Mithila University Darbhanga, Bihar	260—261
996. भारत में आयोजित युवक समारोहों के लिये सहायता	Assistance to Youth Festivals Organised in India	261
997. कामेक्स 3 समारोह के प्रतिनिधियों के लिये सहायता	Assistance to Delgates of Comex III Festival	261
998. कामेक्स 3 युवक समारोह	Comex III Youth Festival	262
999. काकिनाडा पत्तन के विकास की योजना	Scheme for Development of Kakinada Port	262—263
1000. कर्मचारियों का स्थानांतरण	Transfer of Employees	263

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के उत्तरों में शुद्धि करने वाले विवरण	Statements correcting replies to Questions	263—265
अतारांकित प्रश्न संख्या 3581 दिनांक 14.8.69	Unstarred Question No. 3581 dated 14-8-69	263—264
अतारांकित प्रश्न संख्या 5160 दिनांक 28.8.69	Unstarred Question No. 5160 dated 28-8-69	264—265
अतारांकित प्रश्न संख्या 7733 दिनांक 19.4.68	Unstarred Question No. 7733 dated 19-4-68	265
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	265—269
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendra Nath Dwivedy	265—269
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	266
केन्द्रीय सरकार से कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग की नियुक्ति	Appointment of pay Commission for Central Government Employees	266—269
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	269—275
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	275
सभा का कार्य	Business of the House	275—283
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	283—284
चालीसवां प्रतिवेदन	Fortieth Report	283
जांच आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Commissions of Inquiry (Amendment) Bill Re : introduced	284—286
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा बैंक (संशोधन) विधेयक	International Monetary Fund and Bank (Amendment) Bill	286—294
पास करने का प्रस्ताव	Motion to consider	287
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	287
खण्ड 2, 3 और 1	Clause 2, 3 and 1	291—293
पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass	294

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक	Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill	294—295
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	294
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	294
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	295—303
54वां प्रतिवेदन	Fifty-fourth Report	295
विधेयक—पुरः स्थापित	Bills introduced	295
(1) भारतीय न्यासकारिता विधेयक 1969 श्री जार्ज फरनेन्डीज का	The Indian Trusteeship Bill, 1969 by Shri George Fernandes	295
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (अनुच्छेद 217 और 220 का संशोधन)श्री नारायण रेड्डी	The Constitution (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of Articles 217 and 220) by Shri M. Narayana Reddy.	296
(3) मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 2, 3 आदि का संशोधन) श्रीमती सुशीला गोपालन का	The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of Sections 2, 3 etc.) by Shrimati Suseela Gopalan	296
(4) अनाथालय तथा अन्य कार्यार्थ गृह (पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक 1969 (नई धारा 21-क का लिया जाना) श्री ओम प्रकाश त्यागी का	The Orphanages and other Charitable Homes (Supervision and control) Amendment Bill, 1969 (Insertion of new Section 21A) by Shri Om Prakash Tyagi	296—297
(5) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 2 का संशोधन) श्री एस० कुन्डू का	The working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of Section 2), by Shri Samarendra Kundu	297

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
(6) उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक 1969 (धारा 11 का संशोधन) श्री एस० कुन्दू का	The Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 1969 (Amendment of Section II) by Shri Samarendra Kundu	297—298
(7) बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 2, 3 आदि का संशोधन) श्री ओम प्रकाश त्यागी का	The Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of Sections 2, 3 etc.) by Shri Om Prakash Tyagi	298
(8) स्टेट बैंक आफ इण्डिया (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 17, 19 आदि का संशोधन) श्री मधु लिमये का	The State Bank of India (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of Sections 17, 19 etc.) by Shri Madhu Limaye	298
(9) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 252 का संशोधन और नई धारा 255-क आदि का रखा जाना) श्री मधु लिमये का	The Companies (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of Sections 252 and insertion of new Section 255A, etc.) by Shri Madhu Limaye	299
(10) जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 19, 23 आदि का संशोधन) श्री मधु लिमये का	The Life Insurance Corporation Amendment Bili, 1969 (Amendment of Sections 19,23, etc.)by Shri Madhu Limaye	299
(11) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 3, 4 आदि का संशोधन) श्री यशवन्त सिंह कुशवाहा का	The Salaries and Allowances of Ministers Amendment Bill, 1969 (Amendment of Sections 3, 4. etc.) by Shri Yashwant Singh Kuswah	299—300
(12) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (अनुच्छेद 15, 16 आदि का संशोधन) श्री एस० एम० सिद्दया का	The Constitution (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of Articles 15, 16 etc.) by Shri S. M. Siddyya	300

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
(13) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (नई धारा 24-क का रखा जाना) श्री शिव चन्द्र झा का	The Constitution (Amendment) Bill, 1969 (Insertion of new Article 244) by Shri Shiva Chandra Jha	300
(14) धर्म परिवर्तन रोक विधेयक, 1969, श्री यशवन्त सिंह कुश्वाहा का	The Prevention of Conversion Bill, 1969 by Shri Yashwant Singh Kushwah	301
(15) शहरी सम्पत्ति पर उच्चतम सीमा विधेयक, 1969 श्रीमती शारदा मुकर्जी का	The Ceiling on Urban Property Bill, 1969 by Shrimati Sharda Mukerjee	301
(16) स्टेट बैंक आफ इण्डिया (संशोधन) विधेयक 1969 —(धारा 19, 21 आदि का संशोधन) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम का	The State Bank of India (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of sections 19,21 etc.) by Shri Tennethi Viswanatham	302
(17) बिहार आणविक प्राधिकरण विधेयक, 1969 श्री शिवचन्द्र झा का	The Bihar Atomic Authority Bill, 1969 by Shri Shiva Chandra Jha	302
(18) भूतलक्षी विधान (विनियमन) विधेयक, श्री तेन्नेटि विश्वनाथम का	The Retrospective Legislation (Regulation) Bill, 1969 by Shri Tenneti Viswanatham	302—303
सरकारी उपक्रमों (करारों का अनिवार्य अनुमोदन) विधेयक, 1969	Public undertakings (Compulsory Approval of Agreements) Bill, 1969	303—318
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	303
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	303
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	303
श्री न० कु० सांघी	Shri N. K. Sanghi	303—305
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	305—306
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	303—307

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	307
श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh	307—308
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	309
श्री राजाराम	Shri Rajaram	309—311
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	311—312
श्री हिम्मत सिंहका	Shri Himatsingka	312—313
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	313
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	313—314
श्री नाथुराम अहिरवार	Shri Nathuram Ahirwar	314—315
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharti	315—316
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	316
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	317—318
श्री ए० श्रीधरन	Shri A. Sreedharan	318
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक के लिये भारतीय वायुसेना के विमानों का प्रयोग किये जाने के आरोपों के बारे में वक्तव्य	Statement re : Allegation about use of IAF Planes for Requisitioned AICC Meeting	319
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	319

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 21 नवम्बर, 1969/30 कार्तिक, 1891 (शक)
Friday, Nov. 21, 1969/Kartika 30, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री गुरुचरन सिंह (फिरोजोर पंजाब)

दिल्ली पुलिस

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*121. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967- 68 में दांडिक अपराधों तथा गैर-कानूनी गतिविधियों में पुलिस के कितने सिपाही तथा अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे ;

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और दंड दिया गया ; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय का विचार दिल्ली संघ राज्य क्षत्र में पुलिस के सिपाहियों के कार्य करने की शर्तों और आर्थिक कठिनाइयों पर खोसला आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर कोई कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) बताया गया है कि अप्रैल, 1967 के दिल्ली पुलिस आन्दोलन में अन्तर्ग्रस्त 1001 व्यक्तियों के अलावा 44 व्यक्ति 1-3-67 से 31-3-68 तक की अवधि में ऐसी गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त थे ।

(ख) 971 व्यक्तियों को अभियोजित तथा 7 को अब तक दण्ड दिया गया है ।

(ग) दिल्ली पुलिस आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन की जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के वेतनों में कुछ भत्तों की स्वीकृति देकर वृद्धि की गई है और पुलिस कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण का एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

पुलिस दल की परिचालन दक्षता को उन्नत करने के लिए दिल्ली पुलिस की विभिन्न शाखाओं का भी पुनर्गठन किया गया है और उन्हें अधिक अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी उपाय किये गये हैं।

आयोग की सिफारिशों और उन पर लिये गये निर्णयों की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 2020/69]

श्री ए० श्रीधरन : इतने बड़े विवरण को इस समय पढ़ना सम्भव नहीं है। यह पहले ही परिचालित किया जाना चाहिए था।

Shri Narendra Kumar Salve : The recommendations of the Khosla commission have made it clear that the condition of Delhi Police employes is pitiable. I would like to know the reasons why the Ministry of Home Affairs have not taken appropriate steps in time to improve their lot ? The minister has told that some of these recommendations had been implemented and that their condition was better. May I know the machinery through which the Government will find out whether Delhi Police personnel are satisfied.

Shri Vidhya Charan Shukla : While telling the past conditions of Delhi Police. I will have to narrate a long history. There were a number of reasons on account of which Delhi Police were dissatisfied. One of the reasons was that Delhi Police had no cadre of its own. Officers from the police cadres of other states were brought to serve in Delhi Police, who after serving for a short period, used to show their intention to revert to their State Police. All such factors were given due consideration by Khosla commission and accordingly they submitted their report.

It is for the Inspector General of Police to see whether the recommendations have been rightly implemented or not and whether the employees of Delhi Police are satisfied with the results achieved by the implementation of the recommendations or not. The Home Ministry also looks into it and tries to see that the recommendations of the commission are rightly implemented so that they yield good results.

श्री स० मो० बनर्जी : इस विवरण से पता चलता है कि लगभग एक हजार पुलिस कर्मचारी जिनमें सिपाही, सब-इंसपैक्टर और इंसपैक्टर सभी शामिल हैं, भूखे मर रहे हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं और उनमें से कुछ को तो बर्खास्त भी कर दिया गया हैं। उनका अपराध केवल इतना था कि उन्होंने अपनी दयनीय दशा की ओर ध्यान दिलाने के लिए गृह मन्त्री के समक्ष प्रदर्शन किया गया था। क्या सरकार उनके प्रति अपने रवैये में परिवर्तन करेगी और उन सभी पुलिस कर्मचारियों को जो अब निलम्बित हैं, वापस काम पर बुला लेगी या उन्हें सामान्य रूप से क्षमा प्रदान करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य शायद भूल गये हैं कि कार्यवाही की जाने से पूर्व दिल्ली पुलिस में क्या घटनाएं घटी थीं। यह प्रश्न न केवल गृह मन्त्री के निवास स्थान पर प्रदर्शन करने से सम्बद्ध है, अपितु इसका सम्बन्ध तो अनुशासन हीनता, नारेबाजी तथा आपत्तिजनक भाषण देने से ये घटनाएं स्वतः गम्भीर हैं। एक बार तो पुलिस महाअधिक्षक के लिए पुलिस

परेड के समय सलामी लेना भी कठिन हो गया था। कुछ पुलिस वालों ने परेड में भाग लेने से इन्कार कर दिया था, और कुछ ने उसी समय नारे लगाये थे। अनुशासन हीनता इतनी बढ़ गई थी कि यदि उनके विरुद्ध ऐसी कठोर कार्यवाही न की गई होती तो पुलिस में अनुशासन को पुनः लाना असम्भव हो जाता, जबकि पुलिस के लिए अनुशासन अनिवार्य होता है। इस अनुशासन-हीनता के महत्व को ध्यान में देखते हुए अभी हमारा यह इरादा नहीं है कि उनके मामले पर पुनः विचार किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तो बहुत ज्यादती है।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि सैकड़ों लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, किन्तु अब तक केवल 7 मुकदमों में ही निर्णय किया गया है कितने पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध में मुकदमे दो वर्ष से अधिक समय से चल रहे है मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत पुलिस कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्राप्त है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कुल 1001 कर्मचारी इस मामले से सम्बन्ध थे। उनमें से कुछ को बर्खास्त किया गया था और एक ने त्यागपत्र दे दिया था। लगभग 700 लोगों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे चलाये जा रहे हैं। मुकदमों में देरी होने का कारण यह है कि सम्बन्धित लोगों ने बड़ी अदालत से रोक का आदेश प्राप्त कर लिया था। हमारा यह प्रयास है कि न्यायिक कार्यवाही शीघ्र पूरी हो और न्यायालय का निर्णय शीघ्र हो, जिससे कि उसके अनुसार कार्यवाही की जा सके।

जहां तक आवास की सुविधाओं का सम्बन्ध है, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को मकान देने के लिए एक योजना तैयार की गई है। कर्मचारियों के लिए क्वाटर बनाने के लिए दो वर्ष पहले 50 लाख रुपये मंजूर किये गये थे। गत वर्ष तथा चालू वर्ष में इस कार्य के लिए एक-एक करोड़ रुपये नियत किये गये हैं और उनके लिए क्वार्टर बनाये जा रहे हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : कितने प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जा चुके हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसके बारे में प्रतिशतता का ब्यौरा अभी मेरे पास नहीं है। किन्तु तत्सम्बन्धी ब्यौरा मैं सभा को दे दूंगा।

Shri Madhu Limaye : Last time I had invited the attention of the House to the fact that the court where the policemen were being tried was in a Police Station and the witnesses while giving evidence felt afraid. That is why witnesses do not come before the court. May I know the action taken by Government to take the court out of the Police Station premises. Secondly, the agitation staged by policemen has been termed as illegal. But the action of firing on peaceful agitators or strikers, as happened in case of Central Government employees' strike is not regarded illegal. In this context. I would like to know whether some policemen are being tried on that account too ?

Shri Vidhya Charan Shukla : What kind of illegal action ?

Shri Madhu Limaye : Is firing legal during indira Gandhi's regime ?

Shri Vidhya Charan Shukla : As far as I know, no complaints have so far been received against the location of the court. If complaints are received...

Shri Madhu Limaye : I myself made a complaint in this respect.

Shri Vidhya Charan Shukla : No complaints were received from other witnesses.

Shri Madhu Limaye : I have asked about the action taken for locating the courts outside Police Station.

Shri Vidhya Charan Shukla : If any court is stationed in the premises of Police Station, I will find out the reasons for which it was there. If the witnesses are facing difficulty in tendering evidence. I will look into it also.

We do not behave in such a way that no body can go there to give his evidence or he should be forced to give evidence or any witness should be be put into difficulty. In cases witnesses feel any difficulties we would try to remove them.

Shri Ram Charan : Out of the persons against whom cases have been filed, about three or four hundred are Harijans who have been recruited during the last three years. They have been discharged though they have completed three years services and their services have been terminated. It is a rule in a Government service that before any action is taken by a department against any Government servant he is first suspended and then his services are terminated or he is issued dismissal orders. There are so many Harijan and non-Harijan employees against whom cases in connection with strike are under consideration but their services have been terminated or they have been dismissed. May I know their number ?

Shri Vidhya Charan Shukla : I may tell the number of these employees. The number of employees whose cases are under consideration and those who are under suspension is 744.

Shri Ram Charan : What is the number of Harijans amongst them.

Shri Vidhya Charan Shukla : We will have to find out the nnmber of Harijans.

Shri Ram Charan : The number of Harijans is more than 400.

On the one hand this Government shows sympathy with Harijans and on the other these are dealt with severely. On every third day the witness has to go to the court of law. He has neither clothes nor meal to eat and shoes to wear. The Government should feel ashamed on account of the faces that Harijans are compelled to attend the court on every third day. I can produce such cases where they have to come from a distance of about forty miles on every third day.

Shri Sheo Narain : Sir, you may ask the hon. Minister also that he should first go through the matter.

Shri Ram Charan : Why have they not been suspended ?

Shri Vidya Charan Shukla : Why don't you listen to me properly. You are standing again and again. I want to express myself fully and I may be allowed to express myself.

Mr. Speaker : All the members are standing and you are also loosing you temper.

Shri Ram Charan : The Harijans are being ill treated.

Shri Ramavtar Shastri : You should say so far every one. You should not refer to specially to Harijans. Brahmans and Chamars here.

Shri Vidhya Charan Shukla : I was saying that at procecuted I have no information with me that one of 744 persons how many are Harijans. I will collect the information

and place it on the Table of the House. The question of our non-cooperation does not arise. You yourself know how much worried we are. It is therefore not good to make allegations here in such a ways.

श्री उमानाथ : मन्त्री महोदय ने कहा है कि सरकार की इच्छा कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने तथा उनके संघों आदि को मान्यता देने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने की नहीं है। मैं सरकार का ध्यान खोसला आयोग के उस प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूँ जहां यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जहां तक हड़ताल के दिनों में पुलिस कर्मचारियों के आचरण का सम्बन्ध है कोई राजनैतिक अथवा अन्य बातों को ध्यान में नहीं रखा गया था तथा उनका आचरण, सेवा और रहन-सहन की बुरी दशा से सीधे सम्बन्धित था। इन निष्कर्षों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार सिंडीकेट के बाहर निकालने के बाद अब जब यह दावा करती है कि वह प्रगतिशील है वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी।

श्री शिव नारायण : अब आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं।

Shri Ishaq Sambhali : Please sit down**

डा० राम सुभग सिंह : यह असंसदयीय भाषा है। श्री शिव नारायण हमारे मुख्य सचेतक हैं तथा उनके संदर्भ में श्री सम्भली द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया जाना ठीक नहीं था।

Shri Ram Gopal Shalwale : What do you say to a person who has used this expression ?

An hon. Member : Can anybody say ** to anyone ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह मुख्य सचेतक हैं तो उन्हें सभा के वातावरण को खराब नहीं करना चाहिये। मुख्य सचेतक होने के नाते वह अधिक उत्तरदायी हैं।

श्री रंगा : यदि किसी माननीय सदस्य ने किसी अन्य के लिये *** शब्द का प्रयोग किया है तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह : उस शब्द को अवश्य निकाल दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उसे निकाल दिया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने दो बातों का उल्लेख किया है अर्थात् राजनैतिक दृष्टिकोण तथा दिल्ली पुलिस की सेवा की शर्तों का दिल्ली पुलिस की अनुशासनहीनता तथा उपद्रव करने की घटनाओं का खोसला आयोग के प्रतिवेदन से वास्तव में कोई सम्बन्ध नहीं है। तथ्य तो यह है कि हमने दिल्ली पुलिस की सेवा की शर्तों तथा उनकी रहन सहन की दशा की जांच करने के लिए खोसला आयोग को नियुक्त किया था तथा इसका उस दिन की दिल्ली पुलिस के उपद्रव तथा आचरण के अन्य मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उमानाथ : खोसला आयोग ने इस बात का उल्लेख किया है।

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the chair.

श्री विद्याचरण शुक्ल : आयोग ने इसका उल्लेख किया है। परन्तु हमें इन दोनों बातों को इकट्ठा नहीं मिलाना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रश्न पर पुलिस कार्यालय में अनुशासन की दृष्टि से विचार करें। इस प्रश्न पर केवल इस प्रकार विचार करना ही सम्भव होगा तथा जब इस मामले पर निर्णय किया जायेगा तो पुलिस दल में अनुशासन के प्रश्न पर ही विचार किया जायेगा और किसी प्रश्न पर नहीं।

Shri Kanwar Lal Gupta : This question relates to Delhi and you are not giving an opportunity to the members of Delhi.

Shri Randhir Singh : In Delhi Police there are 99 per cent people of Haryana. We should also be given an opportunity to speak.

Shri Shiv Charan Lal : About one thousand policemen have been suspended. They are being prosecuted. One constable named Bhoop Singh has died during this interval. A constable named Madan Lal Samria, who is Balmiki, has been suspended on the ground that he is Balmiki. May I know whether an enquiry will be made in this case ? Shall you find out why Madan Lal Samria was suspended and whether he will be reinstated ?

Shri Vidhya Charan Shukla : I am prepared to institute an enquiry provided I am given full facts of the case.

Shri Randhir Singh : Out of the Central Government employees who were on strike 19th September, whether they had intimidated or not, whether they were absent or not, 99 per cent have been reinstated. They are also central Government employees. Delhi is a union Territory. What serious offence have they done that they cannot be pardoned. They are filling lot of trouble for the last two years. Their cases have not been decided. They have been given more punishment than the offence they have committed. We should forget what they have done and they should be reinstated. Even Gandhiji used to forget the blenders. What is there that they cannot be pardoned. If they cannot be reinstated then their cases should be withdrawn and they must be put on some other jobs so that thousands of the families may be saved from starvation and may not have to face unemployment.

The Jawans of Haryana are not recruited in Delhi Police now. The hon. Home Minister had said previously that such is not the case *i.e.* their recruitment has not been stopped. The officers are prejudiced, they have stopped their recruitment and Haryana people are not being recruited. Many Jawans come for recruitment but they are not selected. May I know why Haryana people are being treated in this way ?

Shri Vidya Charan Shukla : As far as other Government employees and jawans of Delhi Police are concerned both cannot be kept in the same category as both live under different circumstances and positions and their work is also different. Therefore we have to look into their offences from different angles. I am sorry I cannot say much about this matter.

As far as the question of recruitment is concerned. We want that persons in Delhi Police should be recruited not from one or two states but from the whole of the country.

Shri Randhir Singh : Why are you shutting the doors for Haryana people. Why are you imposing a ban on them.

Shri Vidhya Charan Shukla : We are still recruiting persons from Haryana. No body has put a ban on the appointment of Jawans from Haryana nor are we putting any in future. Now as you have raised this point in the house. We will consider over this matter again and see that no misunderstanding is left in the mind of any one and no discrimination is done with the people of Haryana.

Shri S. M. Joshi : We may please be allowed to discuss this matter.

एक माननीय सदस्य : हमने इस प्रश्न पर आधा घण्टा चर्चा कर ली है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे दल से अथवा दिल्ली के किसी सदस्य को नहीं बुलाया गया है ।

श्री स० कुन्दू : क्योंकि इस मामले से हम बहुत क्षुब्ध हो रहे हैं। इसलिये क्या आप हमें इस पर चर्चा करने की अनुमति देंगे ।

श्री बलराज मधोक : दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र हैं तथा पुलिस दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत नहीं आती है । जहाँ हम कानून और व्यवस्था तथा पुलिस के बारे में प्रश्न उठा सकते हैं वह स्थान संसद् है तथा यदि दिल्ली के संसदसदस्यों को इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग इस काम के लिये कहा जाये ? यह एक ऐसा मामला है जिस पर संसद् का दिल्ली पर सीधा क्षेत्राधिकार है तथा इस लिये दिल्ली के सदस्यों को वरीयता दी जानी चाहिए । यह मेरी प्रार्थना है ।

The hon. Minister has said just now that police indulged into indiscipline. Indiscipline is a bad thing. But as Shri Randhir Singh has been told, I want to know whether there are different criteria and different standards regarding indiscipline as there are different standards in regard to other matters of Government ? Are there different standards in regard to this sort of indiscipline ? May I know whether police personnel, who are low paid employees are in the lunch, will also be reinstated on humanitarian ground just as other employees have been reinstated on humanitarian ground ?

The fault of these police personnel was that they indulged in indiscipline and raised slogans. The big leaders of the country are attacked, slapped but police does not taken any action. The instructions are issued to the police not to taken action. Shrimati Tarkeshwari Sinha was slapped in the precincts of Parliament. The police personnel were present there but they did not take any action. Was it not indiscipline ? May I know whether action will be taken against those responsible for it ?

Shri Vidya Charan Shukla : As for as discipline in para military forces is concerned. We cannot compare it with discipline in other Government employees. It is very essential to maintain discipline in para military forces as without discipline no work can be done there. The difference in both cases is quite clear.

As far as the incident of Shrimati Tarkeshwari Sinha is concerned. We have received the information that police personnel did their best to protect her.

Shri Kanwar Lal Gupta : you are telling a lie.

Shri Vidya Charan Shukla : Police cannot be blamed at all in that case.

Shri Sheo Narain : We have been beaten and you are not allowing the matter to be discussed. I myself was beaten outside the gate and you are not going us an opportunity Is it your justice. I was beaten outside the gate. Goondas were brought here. *(Interruption)*

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a matter of shame that the hon. Minister is defending the police. Instead of condemning the police he is defending it.

Shri Sheo Narain : M. Ps. are beaten and you don't allow us to ask the questions.

श्री जि० मो० विश्वास : उन्हें सभा से बाहर निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री शिव नारायण : गृह-कार्य मंत्रालय ने इस बारे में क्या किया है ?

Mr. Speaker : This question relates to Delhi Police. Irrelevent questions are being asked. This question has been answered again and again. The questions are being asked in the same form.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon Minister wants to defend the police. It is a matter of great regret. We the members from Delhi will not tolerate it. The police should be asked to work properly. You want to create disoder. If she has been attacked today tomorrow anybody else may be attacked. It is not good.

श्री रा० कृ० बिड़ला : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमने अभी माननीय मित्र श्री शिव नारायण को 'गुंडा' शब्द का प्रयोग करते हुए सुना है ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Deven Sen : May I know whether rifles and lathis were withdrawn from the police personnel before their demonstration and outside police called to take their place ? 3-4 cases filed against each policemen ?

Shri Vidhya Charan Shukla : We did withdrawn arms from some policemen against whom any action was contemplated. We called some policemen from outside to maintain law and order in Delhi As regards cases prosecutions required under the law had to be launched.

Blockade of National Highway from Bombay to Delhi Via Agra due to Rains

*122. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Highway from Delhi to Bombay via Agra remains blocked at several places due to the accumulation of water during the rainy season ; and

(b) if so, the arrangements being made by Government to remove this difficulty ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां कुछ स्थानों में ।

(ख) चौथी योजना में किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों में धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऐसे हिस्सों का स्तर ऊंचा करना, 'काजवे' डूब जाने वाले पुलों के स्थान पर ऊंचे स्तर वाले पुल बनाना और 'रीअलाइनमेंट' के रूप में उपमार्गों का निर्माण शामिल है ।

Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the hon. Minister state when all these works would be completed and the expenditure involved therein and why it could not be attended to earlier ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : Ample attention has been paid to it. It is about 832 miles long road. It is very difficult to say that water will not enter on any stretch of it. Construction of 12 submersible bridges on this road will be taken up during the Fourth Plan and necessary expenditure would be incurred. The five cause ways which block the water will also be replaced during the Fourth Plan.

Shri Yushwant Singh Kushwah : This national highway is very narrow at certain points. Will the work of widening of this national highway at these points also be undertaken ?

Shri Iqbal Singh : Wherever necessary action would be taken do widen it. At least some sort of a hard shoulder pathway will be provided by its side so that the traffic may not be blocked.

Shri D. N. Tiwary : The implementation of national highway works is entrusted to the State Governments and there is no agency of the Central Government to see that the material, execution or alignment is upto the mark, Is there any agency of central Government in respect of this or any other national nighway to ensure that proper material is supplied and the works are executed properly ?

Shri Iqbal Singh : All the works and schemes in respect of roads are first screened and approved here by the roads wings, which is the competent technical body as well as the highest body in the matter in the country. Apart from it we have got our liaison officers in each state, who see to it that the works are executed properly. If there are any complaints in this regard, we will certainly look into them.

श्री नन्द कुमार सोमानी : इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सड़कों पर वर्षा ऋतु में ही नहीं बल्कि अन्य कारणों से भी यातायात ठप्प हो जाता है। सड़क परिवहन के संबंध में मैं सरकार का ध्यान दो महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। एक तो इन सड़कों पर पुलियों का डिजाइन और स्तर का नीचा होना है और दूसरा सारे वर्ष उनकी ठीक देखभाल न की जाना है। क्या सरकार सड़क परिवहन पर भारी करारोपण को ध्यान में रखते हुए इसे उच्च प्राथमिकता देगी ताकि सड़क परिवहन की कमियों को समय पर दूर कर दिया जाये ?

श्री इकबाल सिंह : डिजाइन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि जहां कहीं भी हम नया निर्माण करते हैं, वह भारतीय सड़क कांग्रेस के नवीनतम विशिष्ट विवरण के अनुसार है। पुरानों के बारे में हम यथासंभव सुधार करते रहते हैं। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम सारे देश में एक ही दिन में सुधार कर देंगे।

श्री नि० ना० पटेल : यह अच्छी तरह मालूम है कि दिल्ली में बम्बई के लिये दो राष्ट्रीय राजपथ हैं। एक आगरा होकर और दूसरा गुजरात और महाराष्ट्र होकर अर्थात राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8, जिसकी, विशेष रूप से महाराष्ट्र वाले भाग की, हालत बहुत खराब है। इस सड़क को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री इकबाल सिंह : राष्ट्रीय राजपथ संख्या के बारे में जो दिल्ली से आगरा होकर बम्बई जाता है, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। यदि राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 के बारे में माननीय सदस्य पृथक प्रश्न की सूचना दें, तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

गोवा की विधान सभा के लिये अधिक शक्तियों का प्रयोग

+

*123. **श्री प० गोपालन** : **श्री पी० राममूर्ति** :
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री गणेश घोष** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें गोवा की विधान

सभा के लिये अधिक शक्तियों की मांग की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों और नेफा सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं की शक्तियों के विषय पर विचार व्यक्त किये गये हैं।

श्री प० गोपालन : इन संघ राज्य क्षेत्रों, जैसे गोआ, के लोगों के मन में यह भावना बढ़ती जा रही है कि उन्हें दूसरी श्रेणी के नागरिक समझा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी इन विधान मण्डलों में जनता के प्रतिनिधियों को मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया है। इन संघ राज्यक्षेत्रों के सभी वर्गों के लोगों की सर्व सम्मत मांग को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि विधान मण्डलों को अधिक शक्तियां देने के लिये इन लोगों की मांग को स्वीकार करने में क्या रुकावट है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह कहना गलत है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों को दूसरी श्रेणी के नागरिक समझा जाता है। संविधान के अंतर्गत उन्हें अन्य नागरिकों के समान ही अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों को, जो इस सभा तथा दूसरे सभा में सदस्य हैं, होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त है और इस लिए संघ राज्य क्षेत्रों के इन नागरिकों को देश के अन्य भागों के नागरिकों से किसी भी प्रकार घटिया समझने का कोई प्रश्न नहीं है।

जहां तक विधान मंडलों को अधिक शक्तियां देने का सम्बन्ध है, मैं मुख्य उत्तर में बता चुका हूँ कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और इस बारे में हम शीघ्र निर्णय करने की आशा करते हैं।

श्री प० गोपालन : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है और प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। क्या सरकार कोई निश्चित समय सीमा बता सकती है कि उस समय तक सरकार यह निर्णय कर लेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। हम शीघ्र ही निर्णय कर सकेंगे।

श्री जी० विश्वनाथन : संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभाओं के पास कोई शक्तियां नहीं हैं तथा कई बार मंत्रालय की अवहेलना की जाती है। हमें बताया गया है कि कभी-कभी मुख्य मंत्रियों की अवहेलना करके फाइलों को सीधे उपराज्यपालों को भेज दिया जाता है तथा उप-राज्यपाल छोटे तानाशाहों की तरह बर्ताव करते हैं। मैं गृह-कार्य मंत्री से जानना चाहता हूँ कि

क्या वह पांडेचेरी, गोआ तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने तथा एक समझौता सूत्र बनाने को तैयार हैं ताकि सब संघ राज्य क्षेत्रों को संतुष्ट किया जा सके।

श्री विद्या चरण शुक्ल : प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए गृह कार्य मंत्री ने संघ राज्य क्षेत्रो के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी तथा इस प्रतिवेदन के बारे में उनके विचारों की जानकारी प्राप्त कर ली गई है।

जहां तक फाइलों का सीधे उप-राज्यपाल को जाने का सम्बन्ध है कार्य संचालन के संबंध में निश्चित नियम हैं तथा उनके अनुसार ही संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी कार्य का संचालन किया जाता है। यदि किन्हीं मामलों में नियमों का उल्लंघन हुआ है और यदि उन्हें हमारी जानकारी में लाया जाता है, तो हम अवश्य उनकी जांच करेंगे।

Shri Shinkre : The Assemblies of Union Territories like that of Goa, Tripura and Manipur have been demanding for more powers and I hope the central Government will try to meet their demand. May I know whether the hon. Minister is prepared to consider the recommenation of the Administrative Reforms Commission that the small union territorries be merged with the adjoining states and the big states be made autonomous units.

Shri Vidhya Charan Shukla : It has been said by me last year also that our policy is to empower the Union Territories to carry on their administration independently as far as possible. But so far as the question of merger of union territories with adjoining states or the question of giving them the statehood is concerned, we consider the question when a specific issue is brought before us. We do not see any reason at present to consider this question in general.

Shri Prem Chand Verma : The hon. Minister has just now said that the citizens of union territorries are not considered as second rate citizens and their legislatures have the right to participate in the Presidential election. Mr. Speaker, Sir, I come from Himachal Pradesh and our legislature has no right to vote in the Presidential election and as such we have become second rate citizens. May I know whether the hon. Minister is prepared to consider the recommendations of the Administrative Reforms Commission made in this regard in their report ? May I know whether they are contemplating to give full statehood to those union territories which have been demanding it. If you have not so far taken any decision in this regard. I want to know the time by which a decision will be taken in this regard so that this long standing issue is resolved.

Shri Vidhya Charan Shukla : Mr. speaker, Sir, we generally see whether the particular union territory is financially self-sufficient or not. If that union territory becomes financially self-sufficient, only then the questions of giving the status of full statehood to that union territory can be considered. There may be many other considerations in this regard but the main consideration is the financial position of that territory and the decison is mainly based on that.

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि सरकार का विचार त्रिपुरा तथा मनीपुर में मुख्य आयुक्तों के पदों को उप-राज्यपालों के पदों में बदल कर इन क्षेत्रों का राजनीतिक तथा प्रशासनिक दर्जा बढ़ाने का है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गोआ को पूरे राज्य का दर्जा देने तथा उसे भारत के अन्य राज्यों के समान राजनीतिक तथा कानूनी अधिकार देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : मैं नहीं समझ सका कि क्या विचाराधीन नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि ...(**अन्तर्बाधायें**)

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक मैं समझ सका हूं माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या गोआ को पूरे राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है । मैंने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री ए० श्रीधरन : संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार के सौतेले पुत्र हैं । प्रजातंत्र का यह मूल सिद्धान्त है कि विधान मंडल सर्वोच्च होता है तथा इसे कार्यपालिका से पृथक किया जाना चाहिये और इसे कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र होना चाहिये । इस बात को देखते हुए मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ । क्या यह सही नहीं है कि गोआ विधान मंडल तथा गोआ के विधि विभाग का सचिव एक ही व्यक्ति है ? यदि हां, तो इन पदों को अलग अलग करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि इन दो पदों पर एक ही व्यक्ति काम कर रहा है । यदि ऐसा है तो यह प्रशासनिक व्यय में बचत करने के लिये किया गया होगा परन्तु हम इस मामले की जांच अवश्य करेंगे ।

श्री ए० श्रीधरन : यह व्यय में मितव्ययिता करने का प्रश्न नहीं । यह विधान मंडल की प्रभुसत्ता का प्रश्न है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने यह नहीं कहा है । मैंने कहा है कि हो सकता है कि ऐसा व्यय में मितव्ययिता करने के लिये किया गया हो । हम अवश्य इसकी जांच करेंगे ।

श्री प्र० के० देव : गोआ क्षेत्र को इस लिये बनाया गया है क्यों कि विगत परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना जरूरी था अन्यथा इसका कोई प्रशासनिक कारण एंव अन्य महत्व नहीं है, क्यों कि भौगोलिक दृष्टि से गोआ, दमन और दीव एक दूसरे से मिले हुए नहीं । इन सब बातों को तथा स्थानीय लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों को दो समीपवर्ती राज्यों में क्यों नहीं मिलाया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है । अगला प्रश्न ।

पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका को कार्य-पालिका से अलग करना

\+

*124. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री डा० रानेन सेन :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री कं० हाल्दर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने कार्य-पालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिये केन्द्रीय सरकार से 2 करोड़ रुपये देने के लिए अनुरोध किया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से इस प्रयोजन के लिए 1969-70 में केवल एक करोड़ रुपये के विशेष सहायता-अनुदान के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

(ख) और (ग) पांचवें वित्त आयोग से आशा की गई थी कि वह विभिन्न राज्यों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के पूर्ण मूल्यांकन के आधार पर सहायता के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करे । वित्त आयोग ने अब पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों को 1969-70 से आरम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए सहायता-अनुदान देने की सिफारिश की है ।

Shri Chandra Shekhar Singh : May I know the time by which the Central Government will give grant-in-aid asked for by the West Bengal Government for separation of Judiciary from the executive ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने कहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल अनुच्छेद 275 के अधीन अनुदान दिये जा सकते हैं तथा इस मामले पर वित्त आयोग द्वारा सामान्य रूप से विचार किया गया था, जिस ने अपनी इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें की थी जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । न्यायपालिका को कार्यपालिका से अगल करने के लिए कोई विशिष्ट अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जि० मो० बिस्वास : पश्चिम बंगाल सरकार के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि वहां संयुक्त मोर्चे की सरकार है और केन्द्रीय गृह मंत्रालय उससे सहमत नहीं होता है । राज्य सरकार के शिक्षा अथवा सिंचाई के किन्हीं अन्य विभागों को केन्द्र से जब कोई वित्तीय सहायता देने का प्रश्न होता है तो केन्द्रीय सरकार एक न एक बहाना बनाकर पश्चिम बंगाल सरकार को कोई भी वित्तीय सहायता देने से इंकार कर देती है । पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का मामला उठाया है । इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये था । परन्तु माननीय मन्त्री ने जो उत्तर दिया है वह बहुत निराशाजनक है । मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को न्यायापालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के उसके प्रयास में प्रोत्साहन देगी और यदि हां, तो सरकार को किस प्रकार शीघ्रातिशीघ्र वित्तीय सहायता दी जायेगी, जिस की राज्य सरकार द्वारा मांग की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक न्यायापालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रश्न है, यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे देश ने तथा संविधान ने स्वीकार कर लिया है । अतः हम ऐसे प्रस्तावों की क्रियान्विति को हमेशा प्रोत्साहन देते हैं । परन्तु प्रश्न केवल यह है कि क्या इस मामले के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुदान दिये जाने चाहिए । अधिकांश राज्य सरकारों ने, जिन्होंने इसे क्रियान्वित किया है, इस विशेष प्रयोजन के लिए कोई विशेष अनुदान नहीं मांगा है । वस्तुतः राज्य के आर्थिक विकास तथा उसके संसाधनों को देखते हुए केन्द्र कोई अनुदान देता है । इन विशेष पहलूओं पर वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया है तथा

उन्होंने अनुदान दिये है । परन्तु इस विशेष प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट अनुदान देने का प्रश्न नहीं है ।

डा० रानेन सेन : माननीय मन्त्री ने अभी कहा है कि कोई अनुदान देते समय राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है । इस बात को देखते हुए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का शासन नहीं है अपितु कुछ अन्य दलों का शासन है, जो कांग्रेस के विरोधी है...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस समय वे कांग्रेस के विरुद्ध नहीं है ।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, परन्तु यह विशेष कार्य अर्थात न्यायापालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण बहुत पहले हो जाना चाहिये था । वित्त आयोग द्वारा अपना निर्णय दिये जाने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था । इस बात को देखते हुए कि पश्चिम बंगाल की वित्तीय स्थिति खराब है तथा न्यायापालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कुछ धन की जरूरत है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार अपने पहले निर्णय को बदलेगी और राज्य सरकार को कुछ धन देगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ ।

डा० रानेन सेन : वित्त आयोग द्वारा निर्णय किये जाने के पश्चात् पश्चिम बंगाल सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कतिपय अनुदान दिये जाने का अनुरोध किया है । क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री यशवन्तराय चव्हाण : जी नहीं ।

Shri Jharkhande Rai : In view of fact that the demand to separate the executive from the judiciary has been voiced since the beginning of the freedom movement and there is provision in the constitution also in this regard may I know from the Home Minister that why the State Governments irrespective of the party in power are not being compelled to implement this policy.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया गया है ।

Shri Jharkhande Rai : What are the difficulties in getting this policy implemented ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री लोबो प्रभु : एक प्रसिद्ध सिद्धांत वाक्य है न्याय में विलम्ब न्याय न करने के समान है'। पुलिस का इससे पूरा सम्बन्ध हैं । बहुत से मामलों में पुलिस लोगों पर फौजदारी न्यायालयों में मुकदमा चलाती है और सभी मामलों में समन तथा वारन्ट भिजवाने की व्यवस्था करती है । पहले की मैजिस्ट्रेरी व्यवस्था में जिसका मैं भी एक सदस्य था, जिलाधीश को पुलिस पर नियंत्रण रखने का अधिकार था । दंडाधिकारियों तथा पुलिस में उसका प्रमुख स्थान होता था । किन्तु वर्तमान व्यवस्था में अतिरिक्त जिलाधीश स्पष्टतः एक न्यायिक अधिकारी है । ऐसी परिस्थितियों में इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि फौजदारी के मामलों को निपटाने में अत्यधिक विलम्ब होता है । इसी

सम्बन्ध में मैंने भी एक प्रश्न पूछा है और मैं उसके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। मैं मंत्री महोदय से एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति कार्यपालिका को न्याय-पालिका से अलग करने की है क्या वह इस बात की जांच करेंगे कि जहां पहले ही ऐसा किया जा चुका है, वहां सामान्य व्यक्ति को न्याय मिलने में जो विलम्ब होता था, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है। मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध तो केवल पश्चिम बंगाल से है।

श्री लोबो प्रभु : क्या वह इस बात की जांच करेंगे कि विलम्ब होता है ? मेरे विचार से यह एक सामान्य प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी पूछने से यह एक सामान्य प्रश्न हो जाता है।

श्री बे० कु० दासचौधरी : मेरे विचार से मंत्री महोदय ने प्रश्न को टाल दिया है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत, राज्यों के बीच करों के वितरण के लिए वित्त आयोग की कतिपय शर्तें हैं किन्तु संवैधानिक उपबन्धों के अन्तर्गत वित्त आयोग यह धन केवल विकास संबंधी कार्यों के लिए ही दे सकता है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार पिछले 20 वर्षों की लम्बी अवधि में, संविधान के अनुच्छेद 50 के इस उपबन्ध को क्रियान्वित नहीं कर पायी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाय। अब संयुक्त मोर्चे की सरकार इस योजना को क्रियान्वित कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार संयुक्त मोर्चा सरकार को कोई अनुदान देगी ताकि वह इस योजना को क्रियान्वित करने के काम को पूरा कर सके ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया जा चुका है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : बहुत से राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पहले ही अलग किया जा चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने उन्हें कोई अनुदान दिया था। यदि हां, तो पश्चिम बंगाल से यह भेद-भाव क्यों किया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी राज्य को ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

श्री समर गुह : गृह-कार्य मन्त्री ने स्वीकार किया है कि स्वतन्त्र न्यायपालिका जनता के लोकतन्त्रात्मक अधिकारों की गारन्टी है और पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार के लगभग सभी सहयोगियों ने वहां के प्रशासन और गृह-कार्य मन्त्री पर आरोप लगाया है कि पुलिस को एक विशेष दल के हितों के लिये सक्रिय रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि ऐसे सवाल उठाने के लिए क्या यह उचित स्थान है ? क्या आप ऐसे सवालों को उठाने की अनुमति देंगे जिससे किसी राज्य सरकार पर कीचड़ उछाला जाये ?

श्री बलराज मधोक : वहां कोई सरकार ही नहीं है । पूर्ण अव्यवस्था फैली हुई है ।

श्री समर गुह : इस बात को देखते हुए कि संयुक्त मोर्चा सरकार के लगभग सभी मंत्रियों और भिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने वहां के गृह मन्त्रालय पर आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिये किया जाता है क्या...

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह असंगत बात है । क्या आप इस प्रश्न को उठाने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह संगत है । माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूंछे ।

श्री समर गुह : क्योंकि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं किया गया है, इसलिये वहां प्रशासन और पुलिस का राजनीतिक दलों के पक्ष में प्रयोग किया जा रहा है । पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री कह चुके है कि वहां सरकार पूरी तरह असभ्य सरकार प्रमाणित हुई है और अव्यवस्था फैली हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि इन बातों को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की ओर विशेष ध्यान देगी जिससे कोई राजनीतिक दल, जनता के लोकतन्त्रात्मक अधिकारों को कुचलने के लिये पुलिस का प्रयोग न कर सके ? क्या सरकार पश्चिम बंगाल को इस कार्य के लिये विशेष सहायता देगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ तक मेरी जानकारी है, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और क्रमिक रूप में इसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रही है । प्रारम्भ में इसे एक या दो जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक आरोपों का सम्बन्ध है ...

श्री समर गुह : यह मेरा आरोप नहीं है । इसे मुख्य मन्त्री के साथ-साथ अन्य सभी मंत्रियों ने लगाया है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस पर हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए किन्तु मुख्य मन्त्री ने केवल अपने विचार ही प्रकट किये है । इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज उन्होंने अपने चेले को उचित रूप से पूर्वाभ्यास नहीं कराया है ।...(अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है । यदि इस समय इतना मानसिक तनाव पैदा किया जायेगा, तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार कार्य कर सकेंगे ।

श्री रंगा : क्या यहां कोई सरकार है ? क्या यहाँ कोई गृह-कार्य मन्त्री है । गृह-कार्य मन्त्री तो कभी का सदन त्याग कर चले गये हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कोयला खानों में ठेका प्रणाली का समाप्त किया जाना

*91. **श्री उमानाथ :** **श्री जनर्दनन :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री अदिचन :**
श्री गणेश घोष : **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री भगवान दास : **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में ठेका प्रणाली को समाप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा दिया गया है । **पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2021/69]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

छोटा नागपुर (बिहार) में श्रमिकों में असन्तोष

*92. **श्री ए० श्रीधरन् :** **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1969 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाला गया है कि छोटा नागपुर में (जो भारत का रूहड़ है) श्रमिक असन्तोष का शीघ्र ही विस्फोट हो सकता है और वहाँ के समूचे खनिज क्षेत्र में शान्ति और सौहार्द के भंग होने का खतरा है ;

(ख) यदि हां, तो उस के कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). मजूरी बोर्ड की शिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित कराने के लिये बिहार के इंजीनियरी उद्योगों के श्रमिकों के आंदोलन के बारे में समाचार-पत्रों में रिपोर्ट छपी है ।

(ग) एक स्वीकार्य समझौता तैयार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक त्रिपक्षीय समिति स्थापित की गई। इस समिति की अभी तक तीन बैठकें हुई हैं और इसका विचार विमर्श अभी जारी है।

Legislation to Check Incidents of Gheraoes

*93. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state whether Government are taking steps to enact legislation to check the increasing tendency of gheraoes in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : Government are considering any special legislative enactment in the matter of Gheraos. Since 'Gheraos' have evident law and order implications, involving as they may criminal offences of various kinds, they are primarily the concern of the State Governments. The State Governments have already been advised that, as pointed out by the Standing Labour Committee at its meeting in May, 1967, coercive and intimidatory tactics including 'Gheraos' (wrongful confinement), are not to be approved of for resolving industrial disputes.

कृषि विमरण अनुसंधान संस्था की स्थापना

*94. **श्री नन्द कुमार सौमानी :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि विमरण अनुसंधान संस्था स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है, जो विभिन्न किस्म की कृषि उपज के विमरण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो यह संस्था कब तथा कहां स्थापित की जायेगी और क्या इसका किसानों के साथ सीधा सम्पर्क रहेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह संस्थान नागपुर में स्थापित की जायेगी। संस्थान को मुख्यत: उत्पादकों और गैर सरकारी उपक्रमियों की सहकारी समितियों के द्वारा चलाया जायेगा।

राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन

*95. **श्री बेघर बेहेरा :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री श्रद्धाकार सूपकार : **श्री शारदानन्द :**

श्री बृज भूषण लाल : **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**

श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

श्री सूरज भान : **श्री सीताराम केसरी :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी, हां ।

(ख) आयोग की रिपोर्ट, जिसमें सिफारिशें दी गई हैं, 29 अगस्त, 1969 को लोक सभा की मेज पर दी गई थी। इन सिफारिशों पर सभी सम्बन्धित पक्षों के परामर्श से विचार किया जा रहा है । अभी तक किसी भी सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

बड़े शहरों में दूध की सप्लाई में वृद्धि

96. **श्री बसवंत** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली जैसे बड़े शहरों में दूध की सप्लाई में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये सहकारी क्षेत्र को ध्यान में रखा जायेगा ; और

(ग) इस योजना पर नगरी-वार कितना धन खर्च करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के चार महानगरों में दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार और कई राज्यों में फैले उनके देहाती दुग्ध एकत्रण क्षेत्र में दूध की उत्पादन में वृद्धि के लिये, केन्द्रीय सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहयता से अनुमानत: 95.40 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना बनाई है ।

(ख) सहकारी क्षेत्र से चारों महानगरों के देहाती दुग्ध एकत्रण क्षेत्र में दूध के उत्पादन और दूध की अधिप्राप्ति में वृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य करने की अपेक्षा की जाती है ; और

(ग) नगर-वार विनियोजन के ब्यौरे तैयार नहीं किये गये हैं ।

पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में कोयला खानों में कम मजदूरी का भुगतान

*97. **श्री सत्यनारायण सिंह** : **श्री ई० के० नायनार** :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में अधिकतर कोयला खान मजदूरों को पूरा भुगतान नहीं कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्ण भुगतान करवाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) और (ख). बिहार और पश्चिमी बंगाल के कोयला क्षेत्रों में सामान्य रूप से कम अदायगी किये जाने की

कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र सभी प्रकार की अनियमितताओं को, जिन में कम अदायगी भी शामिल हैं, पकड़ने के लिये सामान्य तथा आकस्मिक निरीक्षण कर रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार अथवा केन्द्रीय औद्योगिक संबन्ध तन्त्र के ध्यान में लाई गई विशेष शिकायतों की उचित ढंग से जाँच की जाती है और इस प्रकार की अनियमितताओं के लिये प्रबन्धकों के विरुद्ध मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जाती है।

Employment Opportunities for Rural Youth

*98. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state the action taken so far for increasing employment opportunities for the young people of villages and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : Various proposals for increasing employment opportunities under cousideration of the Government have been indicated in the Draft Fourth Five Year Plan (1969-74) Document. The Fourth Plan is likely to be finalised by the end of the year.

खाद्यान्नों की कमी

*99. **श्री जय सिंह :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री खाद्यान्नों की कमी के संबन्ध में 7 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के उपभोग के बारे में वैज्ञानिक ढंग से सर्वेक्षण न किये जाने की स्थिति में खाद्यान्नों की कमी का यथार्थ अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है ;

(ख) क्या देश में खाद्यान्नों के उपभोग का जहां तक संभव हो एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के लिये कभी कोई प्रयत्न किया गया है और यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसा सर्वेक्षण कराने का है ; और

(ग) देश में खाद्य उत्पादन का कितना लक्ष्य हमें विदेशों से आयात बन्द करने के योग्य बना सकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों की खपत की आवश्यकता के अनुमान सामान्य अवधि में प्रति व्यक्ति उपलब्धि तथा अनुमानित जनसंख्या और आय आदि में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई मांग को ध्यान में रखते हुए लगाये जाते हैं। अनुमानित उत्पादन और अनुमानित खपत की आवश्यकताओं के अन्तर से किसी विशेष वर्ष में कमी का पता चल जाता है।

(ख) जी नहीं। खाद्यान्नों की खपत जनसंख्या, जनता की भौतिक उन्नति की सीमा, उसकी खान-पान की आदतों, शहरी-करण की सीमा और अनुषंगिक तथा प्रतिपूरक खाद्यान्नों

आदि की उपलब्धि आदि अनेक बातों पर निर्भर करती है। भारत जैसे विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था वाले देश में ये बातें प्रायः लगातार बदलती रहती हैं और देश-व्यापी सर्वेक्षण से कई कठिनाइयां सामने आयेंगी और सम्भवतः निश्चित परिणाम भी प्राप्त न हो सकेंगे। परन्तु कुछ अनुसंधान संस्थाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा समय-समय पर चुनिंदा क्षेत्रों या वर्गों में सीमित प्रकार की खपत के सम्बन्ध में अध्ययन किये जाने हैं।

(ग) आशा है चौथी योजना की अवधि में देश आत्मनिर्भर हो जायेगा और यह भी निर्णय किया जा चुका है कि 1971 के बाद पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात बन्द कर दिया जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 1290 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

आकाशवाणी को एक निगम का रूप देना

*100. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री वंश नारायण सिंह : **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी को एक निगम में बदलने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य मंत्री श्री इ० कु० गुजरात ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि वे आकाशवाणी के लिये एक निगम बनाने के पक्ष में नहीं है जैसाकि 19 सितम्बर, 1969 के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित हुआ था।

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य देने के क्या कारण थे ; और

(घ) इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभागों में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्ट गुमराह करने वाली है क्योंकि मेरे शब्दों को सन्दर्भ से अलग करके बयान किया गया है।

(घ) सरकार कुछ महीनों के समय में अन्तिम निर्णय ले लेगी।

चीनी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

101. **श्री रवि राय :** **श्री रामसेवक यादव :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री रा० बरुआ : **श्री प्र० न० सोलंकी :**

श्री शिवचन्द्र झा :
श्री इसहाक सम्भाली :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री स० कुन्दू :
श्री किंकर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री देवेन सेन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की जनता की निरन्तर मांग की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस दिशा में क्या कदम उठाये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) सरकार उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी मांग से अवगत है ।

(ख) इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं की जांच हो रही है ।

खाद्यान्नों का आयात

*102. **श्री हेम बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई तिथि निश्चित कर ली है जब से कि वह विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करना बन्द कर देगी जैसा कि वे इस समय करते रहे हैं ; और

(ख) यदि हां. तो वह तिथि क्या है, और सरकार ने इस स्थिति में पहुंचने के लिए अब तक क्या विशिष्ट उपाय किये है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्यान्नों के उत्पादन में जब तक देश आत्म निर्भर नहीं हो जाता तब तक खाद्यान्नों का कुछ आयात करना आवश्यक है । खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने से आयात की मात्रा में धीरे धीरे कमी की जा रही है । वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार यह आशा की जाती है कि देश 1970-71 तक खाद्य उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकता है ।

दूध के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता के लिये अन्तर्राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना

103. **श्री धीरेश्वर कलिता** :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकासशील देशों को दूध के उत्पादन के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने के लिये

संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन का विचार एक अन्तर्राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस योजना पर कितनी धन राशि खर्च होने का अनुमान है ; और

(घ) इस योजना से भारत को कितना लाभ होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस प्रकार की योजना का भारत सरकार को कोई ज्ञान नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) भारत की प्रायोजना सम्बन्धी प्रार्थना के उत्तर में, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधिकारियों ने आने वाले पांच वर्षों में एक सुनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार 1,26,000 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध-चूर्ण तथा 42,000 मीटरी टन घी मुफ्त सप्लाई करना मंजूर कर लिया है। इन पदार्थों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 41 90 करोड़ रुपये है । इन पदार्थों की तरल दूध के रुप में परिणित करने पर लगभग 95.40 करोड रुपये की राशियां उपलब्ध होंगी । यह राशि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास की सार्वजनिक क्षेत्र डेरियों में दुग्ध प्रशंसकरण सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और दुधारू पशुओं के उन्नत प्रजनन, भरण पोषण तथा प्रबन्ध के माध्यम से चार महा-नगरों के ग्रामीण दुग्ध क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन तथा उसकी अधिप्राप्ति के लिये उपयोग में लाई जायेगी । इस व्यवस्था के फलस्वरूप, इन शहरों के दुग्ध क्षेत्रों में दूध का देशी उत्पादन बढ़ाया जायेगा जिससे आयात हुए सपरेटा दुग्ध-चूर्ण की सप्लाई समाप्त होने तक स्थानीय दुग्ध की वृद्धि द्वारा इन डेरियों के सप्लाई के स्तर को बनाये रखा जा सकेगा । यह परियोजना 1 लाख ऐसे दुधारू पशुओं (तथा उनके बछड़ों) को बचाने में भी सहायक सिद्ध होगी, जो विसूखे होते ही शहरों में ले जाकर मार दिये जाते हैं । इस परियोजना से भारत के असहाय तथा भूमिहीन ग्रामीण जनता को भी लाभ पहुँचेगा, और इन लोगों को पशु-पालन कार्यों में तथा अधिक दुग्ध उत्पादन के माध्यम से उनकी आय को बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।

दिल्ली में सुपर बाजार

*104 **श्री श्रीनिवास मिश्र** :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री पी० विश्वम्भरन् :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली तथा भारत के अन्य भागों में स्थित उन सुपर बाजारों को बन्द करने का है जिनको सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्यों को स्थिर रखने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : (क) जी नहीं, जहां तक दिल्ली और अन्य केन्द्र शासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है ; अन्य स्थानों में इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Qualifications for Posts of Programme and Transmission Executives in A. I. R.

*105. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the minimum essential qualifications for the appointment of Programme Executives and Transmission Executives in A. I. R. ; and

(b) the reasons for the differences in pay scales and status of the two posts in case the qualifications are almost identical ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A statement giving this information is enelosed. [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2022/69 ।]

(b) The requirements with regard to minimum essential qualifications for the two posts are not identical. Besides there is difference in duties and responsibilities of the two posts.

अखिल भारतीय डाक व तार पेंशनर संस्था से ज्ञापन

*106. **श्री अ० कु० गोपालन : श्री विश्वनाथ मेनन : श्री के० रमानी :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय डाक व तार पेंशनर संस्था से हाल में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या मांगें की गई है ;

(ग) क्या रुपये के मूल्य में ह्रास को दृष्टि में रखते हुए सरकार पेंशन अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार करेगी ;

(घ) यदि हां, तो कब तक ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) तथा (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रश्न किस संस्था के संबंध में है । पेंशनरों की कई ऐसी संस्थाएं है जिन्हें सरकार ने मान्यता नहीं दी है और जो डाक-तार विभाग को पेंशन, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने, पेंशन अधिनियम में संशोधन और उससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में लिखती रही हैं ।

(ग) से (ङ). जी नहीं। किसी भी मामले में देय पेंशन की राशि की गणना तत्सम्बन्धी पेंशन नियमों के अंतर्गत की जाती है, न कि पेंशन अधिनियम, 1871 के उपबन्धों के अंतर्गत। वास्तव में इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ पेंशनरों के लिए कुछ हितकर उपबन्ध भी हैं, जैसे कि उनकी पेंशन की कुर्की नहीं की जा सकती। इस समय इस अधिनियम में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

नई दिल्ली से भेजे गये मनीआर्डरों की जालसाजी

*107. **श्री ज० अहमद :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली से भेजे जाने वाले मनीआर्डरों में बड़े पैमाने पर जालसाजी की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस घांधलेबाजी में डाकघर के कुछ कर्मचारियों का भी हाथ है ;

(ग) यदि हां, तो इससे प्रभावित होने वाले लोगों को कितनी हानि होती है ; और

(घ) मनीआर्डर पद्धति में त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) बोगस मनी-आर्डर तैयार करने के उद्देश्य से केवल कुछ ही ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें ऐसे मनीआर्डर दिल्ली के कुछ डाकघरों से जारी किए गये हैं।

(ख) इस संबंध में दिल्ली के एक आर० एम० एस० सार्टर को गिरफ्तार किया गया है। विशेष पुलिस व्यवस्था अभी इस मामले की छानबीन कर रही है।

(ग) इससे जनता के किसी व्यक्ति को कोई हानि नहीं हुई है। इन मामलों में विभाग को कुल 3,635 रुपये की हानि हुई है और जिन व्यक्तियों को इन मनीआर्डरों का भुगतान किया गया, उनसे ये रकमें वसूल करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) मनीआर्डर प्रणाली में कोई त्रुटि नहीं है। ये केवल कुछ छुटपुट मामले हैं और कार्यपद्धति में संशोधन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें

108: **श्री विरेन्द्र कुमार शाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के मूल्यों के बारे में कृषि आयोग द्वारा समय-समय पर की जाने वाली सिफारिशें हमेशा ही अकाट्य आर्थिक- तर्क पर आधारित होती हैं ;

(ख) क्या इस आयोग द्वारा पहले की गई कई महत्वपूर्ण सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है ;

(ग) क्या इस बात का खतरा है कि कोई आत्मसम्मान रखने वाला व्यक्ति, जिसकी सिफारिशों की बार-बार उपेक्षा की जाती है, इस आयोग में काम करने से इंकार कर दे ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं कि भविष्य में इस आयोग की कम से कम प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार किया जाये, जब तक कि इसके विपरीत निर्णय करने के लिये ठोस आर्थिक कारण न हों ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहेब शिंदे) (क) और (ख). कृषि मूल्य आयोग की स्थापना से सम्बन्धित संकल्प की मंशा यह थी कि आयोग एक सलाहकार निकाय होगा । इसकी सिफारिशों पर पूरी तरह से विचार किया जाता है और विभिन्न सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् और आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों से सलाह करने के बाद ही निर्णय किये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

समाचार अधिकरणों के लिए नियम

*109. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सुरेन्द्र बरुआ :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री निहाल सिंह :
डा० प० मण्डल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री उमानाथ :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार अभिकरणों के लिए निगम स्थापित करने के बारे में सरकार ने इस बीच निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजन हेतु योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में कब तक घोषणा होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी नहीं । मामला विचाराधीन है ।

"अपना टेलीफोन लगाओ योजना"

*110 **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री तुलसीदास जाधव :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की "अपना टेलीफोन लगाओ" योजना को उच्च न्याया-लय ने अवैध घोषित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी नहीं, लेकिन कोल्हापुर के एक सीनियर डिविजन जज ने एक दीवानी मुकदमें के फैसले में अन्य बातों के साथ "अपना टेलीफोन लगाओ" योजना को अवैध और अमान्य घोषित कर दिया है ।

(ख) सरकार इस फैसले के विरुद्ध जिला अदालत में अपील दायर कर रही है ।

ताइवान को भारतीय कृषि प्रतिनिधि मंडल

111. **श्रीमती इलापालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने ताइवान में चावल अनुसन्धान और उत्पादन में नवीनतम प्रगति का अध्ययन करने के लिये अपने कृषि आयुक्त के नेतृत्व में अक्तूबर, 1969 के आरम्भ में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेजा था ,

(ख) यदि हाँ तो :

(1) प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन थे :

(2) ताइवान सरकार ने क्या सुविधायें प्रदान की थी ;

(3) क्या वह उद्देश्य, जिसके लिये प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था, पूरा हो गया है ;

(4) यदि प्रतिनिधिमंडल में अन्य देशों की भी यात्रा की थी, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या प्रतिनिधिमंडल वापस आ चुका है और उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) तथ्य नीचे दिये गये हैं :-

अफ्रीकी एशियाई ग्राम्य पुनर्निर्माण संगठन ने, जिसका भारत अंशदायी सदस्य है, संगठन के 1969-70 के कार्यक्रम के अन्तर्गत फिलिपाइन, जापान और ताइवान का प्रेक्षण-दौरा शुरू करने के लिए चावल की खेती से सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डल की नामजदगी के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया था । तद्नुसार कृषि विभाग के कृषि आयुक्त के नेतृत्व में दल ने जिसमें प्रमुख (कृषि) योजना आयोग, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा उड़ीसा राज्यों के कृषिनिदेशक शामिल थे, 5 से 13 अक्तूबर, 1969 तक फिलिपाइन हाँगकांग और ताइवान का दौरा किया ।

उस प्रतिनिधिमंडल ने चावल की खेती से सम्बन्धित हाल ही के विकास और उस क्षेत्र में हुए अनुसंधान का अध्ययन किया और अब वह दल वापिस आ गया है ।

इन तीनों देशों ने फार्मों, विस्तार केन्द्रों, अनुसंधान संस्थानों तथा कृषि उत्पादन में और विशेषकर चावल उत्पादन से सम्बन्धित अन्य संगठनों में जाने के लिये सामान्य सुविधायें

प्रदान की । दल की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और तैयार होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इंजीनियरिंग उद्योग में मजूरी ढांचा

*112. **श्री चंद्र शेखर सिंह :**
डा० रानेन सेन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योग के लिए मजूरी ढांचे के सम्बन्ध में 25 सितम्बर, 1969 को एक त्रिपक्षीय करार किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त करार में सर्वसम्मति से स्वीकृति मजूरी-स्तर उस मजूरी स्तर से काफी अधिक है जिसकी सिफारिश इंजीनियरिंग मजूरी बोर्ड के अध्यक्ष तथा निर्दलीय सदस्यों ने की थी ;

(ग) अन्य राज्यों के इंजीनियरिंग उद्योग में इसी प्रकार के करारों के लिये पश्चिम बंगाल करार को आधार क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए ; और

(घ) अन्य बड़े इंजीनियरिंग केन्द्रों में ऐसे करार करने के बारे में सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या-क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). राज्य श्रम मन्त्री की मध्यस्थता से पश्चिमी बंगाल के इंजीनियरी कारखानों और उन के श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने 25 सितम्बर, 1969 को समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते की शर्तें मजूरी बोर्ड के अध्यक्ष तथा स्वतंत्र सदस्यों की सिफारिशों की अपेक्षा सामान्यत: अधिक लाभकारी हैं ।

(ग) अन्य राज्यों में यह निश्चय करना सम्बन्धित पक्षों का काम है कि यह समझौता अन्य स्थानों में समझौते का आधार हो सकता है या नहीं ।

(घ) राज्य सरकारों को प्रादेशिक । राज्य आधार पर समझौते करने की सम्भावना खोजने के लिये परामर्श दिया गया है ।

केन्द्रीय मत्स्य निगम

113. **श्री वि० कु० मोइक :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री बदरूद्दुजा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मत्स्य निगम का गठन किस तारीख को किया गया था ;

(ख) इस निगम का गठन किन कारणों से किया गया था ;

(ग) इसके कार्य के संतोषजनक न होने के क्या कारण है ; और

(घ) इसके वसूली कार्य में सुधार करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एल० टी० 2023/69**]

बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को मैसूर में बसाना

*114. **श्री स० ग्र० अगड़ी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकरार का ध्यान बंगलौर से प्रकाशित होने वाले 29 सितम्बर, 1969 के "डैकन हेरल्ड" में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बर्मा से आये शरणार्थी मैसूर राज्य में शिमोगा जिले में सागर में पुनर्वास की सहायता न मिलने के कारण बहुत शोचनीय अवस्था में रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो बर्मा से स्वदेश लौटे उन शरणार्थियों की संख्या कितनी है, जिनका 1967 से राज्यवार तथा वर्षवार पुनर्वास करने का विचार था ;

(ग) बर्मा से स्वदेश लौटे शरणार्थियों के पुनर्वास पर 1967 से वर्षवार कितना धन व्यय किया गया है ; और

(घ) सागर में शरणार्थियों की देखभाल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और मैसूर राज्य के शिमोगा जिले में शरणार्थियों की संख्या कितनी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2024/69**]

खाद्य नियंत्रण आदेश

*115. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई, मद्रास और पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों के राशन वाले क्षेत्रों में खाद्य नियंत्रण आदेश में कुछ छूट देने के बारे में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राशन वाले क्षेत्रों में खाद्य नियंत्रण आदेशों में ढीलें देने का निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर चल रही स्थानीय परिस्थितियों की दृष्टि में किया जाता है। तमिल नाडु और पश्चिमी बंगाल की सरकारों के पास खाद्य नियंत्रण आदेशों में ढील

देने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने राशन वाले क्षेत्रों में मक्का और बाजरी की बिक्री क्रमश: 29 जून, 1968 और 4 दिसम्बर, 1968 से खोल दी है। उन्होंने जुलाई, 1969 से भोजनालयों में चावल परोसने और विवाहों तथा अन्य सामाजिक समारोहों में खाद्य पदार्थ परोसने हेतु मेहमानों की संख्या में वृद्धि करने सम्बन्धी ढील भी दी है।

बिहार में राजकीय कृषि फार्म

*116. **श्री कं० हाल्दर :**

श्री क० मि० मधुकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल कितने राजकीय फार्म हैं ;

(ख) उनका क्षेत्रफल कुल कितने एकड़ है तथा छोटे से छोटा फार्म कितने एकड़ का है और बड़े से बड़ा कितने का ;

(ग) वर्ष 1965 से 1968 तक इन कृषि फार्मों से बिहार सरकार को कुल कितनी वित्तीय लाभ/हानि हुई ;

(घ) क्या सरकार का विचार छोटे फार्मों को समाप्त करके उन्हें बड़े-बड़े फार्मों में परिवर्तित करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्गठन योजना का ब्योरा क्या है ; और यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और संकलित होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समस्तीपुर सेंट्रल शुगर कम्पनी लिमिटेड

*117. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर सेंट्रल शुगर कम्पनी लिमिटेड गत दो वर्षों से सरकार के प्रबन्धाधीन है ;

(ख) क्या इस मिल में पहले वर्षों की तुलना में सरकार के प्रबन्धाधीन अवधि में सुधार हुआ है तथा पर्याप्त मात्रा में गन्ने की सप्लाई न होने के कारण और अधिक सुधार नहीं हो सका है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आगामी पांच वर्षों के लिये सरकारी प्रबन्ध को जारी रखने का आदेश देगी ताकि गन्ना उत्पादकों को बड़े पैमाने पर गन्ना उगाने में सुरक्षा की भावना प्राप्त हो सके ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1967-68 और 1968-69 के लिए मिल के कार्यचालन और उसकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया गया है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार ने फिलहाल 14 दिसम्बर, 1969 से एक और वर्ष के लिए नियंत्रण की अवधि बढ़ाने का निर्णय किया है। उस अवधि के आगे केन्द्रीय नियंत्रण को चालू रखना मिल के भविष्य के कार्य चालन और उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

Rice Agreement with Thailand

*118. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the price of rice, on arrival in India, for the purchase of which an agreement has been entered into between India and Thailand ;

(b) the total quantity of rice to be purchased under the agreement ; and

(c) the number of days in which the loading will be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) It will not be in the public interest to disclose the price.

(b) Government of India has purchased 1,00,000 metric tons of rice from the Government of Thailand this year under two agreements entered into on the 2nd May, 1969 and 2nd September, 1969 respectively.

(c) The entire quantity is expected to be shipped by the middle of December, 1969.

विज्ञापनों से होने वाली आय में आकाशवाणी के कर्मचारियों का हिस्सा

*119. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों तथा कर्मचारियों ने यह मांग की है कि विज्ञापनों से होने वाली आय से उन्हें हिस्सा तथा बोनस दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मांग पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) विज्ञापनों से प्रतिवर्ष कितनी आय होने की आशा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि श्री के० के० शाह ने जब वह सूचना और प्रसारण मन्त्री थे, आश्वासन दिया था कि विज्ञापनों की आय में कर्मचारियों को कुछ दिया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1968-69 के दौरान कुल शुद्ध आय 69,40,177.66 रुपये थी । 1969-70 की अनुमानित आय लगभग 1,50,00,000 रुपये होगी ।

(घ) जी हां । मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि वाणिज्यिक सेवा के चालू होने के दौरान किये गये बहुत कठोर परिश्रम के प्रति पूर्ति की जायेगी । देरी नहीं हुई ।

(ङ) देरी नहीं हुई । उचित मामलों में मानदेय दिया गया था ।

राजस्थान में सूखा तथा अकाल की स्थिति

*120. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री नवल किशोर शर्मा : **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के अनेक भागों में विशेषकर जालौर, जैसलमेर तथा बीकानेर में भयानक सूखा तथा अकाल की स्थिति आई है और यदि हां, तो सरकार के पास उपलब्ध जानकारी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पर्याप्त चेतावनी देने के बावजूद आवश्यक सहायता कार्य नहीं किये गये और स्थिति को बिगड़ने दिया गया ;

(ग) क्या पेय जल, चारे तथा अनाज को खरीदने के लिए धन की कमी होने के कारण लोगों तथा पशुओं की बड़े पैमाने पर निकासी हुई है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी और क्या सहायता दी है और यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि इस सहायता का सही उपयोग हो ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान के सूखा तथा अकालग्रस्त क्षेत्रों, और विशेषकर जालौर जिले में किये गये सहायता कार्यों से संतुष्ट है और यदि नहीं, तो उस क्षेत्र में पर्याप्त सहायता की व्यवस्था करने के लिये और क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2025/69]

राजस्थान के मावानोली गांव के निकट अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की हत्या

*125. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री भगवान दास :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में राजस्थान में मावानोली गांव के समीप ग्रामीणों की एक भीड़ ने अनुसूचित आदिम जातियों के पांच व्यक्तियों की हत्या कर दी थी ;

(ख) यदि हां तो इस अपराध के पीछे क्या कारण थे ; और

(ग) ऐसे आक्रमणों से आदिवासियों की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ग). राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 20-9-1969 को अनुसूचित आदिम जाति के 5 व्यक्तियों की जिला झुन्झुनु के बाबाइ-का--तिबाड़ा के निकट हत्या हुई थी । इस अपराध को करने में अन्तर्ग्रस्त होने के संदेह हैं 45 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । जांच पड़ताल जारी है । उक्त क्षेत्र में पुलिस द्वारा कड़ी गश्त आरम्भ की गई है ।

(ख) राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है ।

Retirement Age of Government Employees

*126. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the judgment delivered by the full bench of the Allahabad High Court on the 29th September, 1969 that the retirement age of a Government employee in 58 years and that to retire him compulsorily at the age of 55 is illegal ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) It has not yet been possible to examine the matter in the absence of a copy of the judgement of the Allahabad High Court which is awaited from the U. P. Government.

National Language in High Courts of Hindi Speaking States

*127. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to switch over to the use of the National Lauguage in the High Courts of Hindi-speaking States ;

(b) whether the States concerned have also been cousulted in this connection ; and

(c) if so, the reaction of the States in this respect ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Under Section 7 of the Official Languages Act, 1963 the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of Hindi or the official language of the State, in addition to the English Language, in judgments ect. of the High Court. The question of enforcing this section is under consideration of the Government,

(b) Yes, Sir.

(c) Of the Hindi-speaking States, the Government of Uttar Pradesh and Rajasthan are in favour of the enforcement of Section 7 of the aforesaid Act. The Government of Haryana are of the view that English should continue to be the language of the High

Court as had already been decided in the Conferences of Chief Justices held in March, 1965 and March, 1967. The Madhya Pradesh High Court is of the opinion that time is not yet suitable to enforce the Section and the State Government are in agreement with this opinion. The views of the Government of Bihar are still awaited.

हिमालय क्षेत्र का विकास

*1.8. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से पश्चिम में जम्मू तथा काश्मीर तथा पूर्व में नेफा तक के 2400 किलो मीटर तक हिमालय क्षेत्र का पूर्ण विकास करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिये सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में उपयुक्त प्रावधान बनाये जायेंगे ।

राष्ट्रीय एकता परिषद

*129. **श्री नव कुमार सोमानी** :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता परिषद में स्वतंत्र, संयुक्त समाजवाद दल तथा भारतीय क्रान्ति दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री मोरार जी देसाई के सदस्य न रहने से तथा कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा परिषद की गतिविधियों में कोई रुची न ली जाने से परिषद में कांग्रेस के भी एक ही पक्ष का प्रतिनिधित्व रह गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार विरोधी पक्षों का प्रतिनिधित्व न करने वाले दलों तथा कांग्रेस दल के दूसरे पक्ष को भी शामिल करने के लिये परिषद को पुनर्गठित करने का है, ताकि यह परिषद प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान्, राष्ट्रीय एकता परिषद की वर्तमान सदस्यता में श्री एन० जी० रंगा (स्वतंत्र), श्री एस० एम० जोशी (एस० एस० पी०) शामिल हैं । श्री प्रकाशवीर शास्त्री, आरम्भ में जो राष्ट्रीय एकता परिषद में निर्दलीय सदस्यों में से मनोनीत किये गये थे, अब भी सदस्य बने हुए हैं हांलाकि वे अब संसद में बी० के० डी० के नेता हैं । किन्तु स्वतंत्र और एस०एस०पी० के प्रतिनिधियों ने परिषद के विचार-विमर्श में भाग लेने से अब तक इन्कार किया है ।

(ख) और (ग). श्री मौरारं जी देसाई उप प्रधान मंत्री के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद के पदेन सदस्य थे। उन्होंने जब उस पद से त्याग-पत्र दिया तो वे परिषद के पदेन सदस्य नहीं रहे। श्री निजलिंगप्पा कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य बने हुए हैं और वे श्रीनगर में जून 1968 की उसकी बैठक में उपस्थित थे।

(घ) परिषद की वर्तमान सदस्यता को उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित सभी हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है और वर्तमान में कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है।

शेख अब्दुल्ला की भारतीय नागरिकता

*130. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला भारतीय नागरिक हैं और उनके पास भारतीय पारपत्र है ;

(ख) यदि हां, तो यह पारपत्र किस कार्यालय ने जारी किया है ; और

(ग) इस पारपत्र का अन्तिम बार कब नवीनीकरण किया गया था और वह किस तारीख को तथा किस कार्यालय से जारी किया गया था ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय संघ के एक राज्य का निवासी होने के कारण शेख अब्दुल्ला वास्तव में एक भारतीय नागरिक हैं। इस समय उनके पास कोई भारतीय पारपत्र नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पालम हवाई अड्डे पर एक रूसी विमान से यात्रियों को उतारना

*131. **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री हुचे गौडा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री अजमल खां :
श्री एस० पी० रामामूर्ति :
श्री दे० अमात :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 सितम्बर 1969 को पालम हवाई अड्डे पर एक रूसी सेवा विमान से कुछ भारतीय यात्री उतार दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन यात्रियों को उतार दिये जाने के क्या कारण थे जब कि उन्होंने सीमा शुल्क को और आप्रव्रजन सम्बन्धी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली थीं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) इस मामले में जांच कर ली गई है और उससे पता चलता है कि 11 यात्रियों को जिनमें दो रूसी, दो मूलत: भारतीय परन्तु जो ब्रिटिश पासपोर्ट लिये हुए, और 7 भारतीय राष्ट्रिक थे बम्बई में मैसर्स वास्को

ट्रैवल एजेन्ट्स द्वारा बुक किया गया था जिन्होंने गलती से उनके टिकटों पर उड़ान विशेष के लिये प्राथिक अंकित करने के बजाय 'पुष्ट' अंकित कर दिया। इस कारण एयर इंडिया ने, एयरो-फ्लोट के 'हैंडिलिंग एजेन्ट" होने के नाते, विमान के आ जाने तथा स्थान की उपलब्धता की जांच करने से पहले ही, यात्रियों को 'कस्टम्स' तथा 'इम्माइग्रेशन' में से गुजर जाने की अनुमति दे दी। जब डिपार्चरलौंज' में जांच-पड़ताल की गयी तो पता लगा कि यात्रियों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक है। इससे कुछ गड़बड़ पैदा हो गयी और वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी ने, शांति भंग खतरे का अनुमान लगाते हुए केन्ट पुलिस स्टेशन को सूचना कर दी जिन्होंने फ्लाईंग स्क्वाड भेज दिया। परन्तु कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जिन यात्रियों को उस उड़ान में स्थान नहीं दिया जा सका, उनको एयरलाइन के खर्चे पर वहां ठहराया गया और अगली उड़ान में उनको स्थान दे दिया गया।

• अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगे

*132. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाया है जो अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप बेघर हो गये हैं ;

(ख) कितनी सम्पति की हानि हुई है तथा दंगे से प्रभावित लोगों की सहायता करने तथा उनके पुनर्वास की समस्या को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि पुनर्वास कार्य में रुकावट पैदा हो रही है क्योंकि कुछ राजनीतिज्ञ लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह शिविरों को न छोड़ें ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

ब्रिटेन के मंत्री मंडल स्तर के मंत्रियों का गुरु नानक देव की 500 वीं जन्म शताब्दी में शामिल होने से इन्कार करना

*133. **श्री स० कुण्डू** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने 6 दिसम्बर, 1969 को गुरु नानक देव की 500 वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष में एलबर्ट हाल में होने वाले समारोह में ब्रिटेन के मंत्रीमंडल स्तर के मंत्रियों द्वारा भाग लेने से इंकार करने पर असंतोष व्यक्त किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्यपाल ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के इन मंत्रियों पर अंग्रेजी संस्कृति की उच्चतम परम्पराओं को धूल में मिलाने का आरोप लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा दिए गए वक्तव्य से सहमत है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). आवश्यक जांच की जा रही है और उपलब्ध होने पर सम्बद्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति की बैठक

*134. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री जनार्दनन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति ने दिल्ली में अपनी हाल की बैठक में अहमदाबाद में हाल में हुए दंगों के आधार पर देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार किया था ;

(ख) यदि हां, तो देश में साम्प्रदायिक शांति तथा एकता बनाए रखने के लिए समिति द्वारा क्या ठोस निर्णय किये गये थे ; और

(ग) इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति द्वारा 16 अक्तूबर, 1969 को हुई बैठक में अभिस्वीकृत वक्तव्य की एक प्रति सदन के सभा पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2026/69**]

(ग) (एक) 3 और 4 नवम्बर, 1969 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद् का सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था ताकि साम्प्रदायिक हिंसा के रोकने के लिये समस्त राजनैतिक दलों द्वारा एक संयुक्त जन आन्दोलन के कार्यक्रम को जिसका स्थायी समिति के वक्तव्य में सुझाव दिया गया था, क्रियान्वित करने के लिये ठोस उपाय पर विचार किया जा सके और इस बारे में निर्णय किया जा सके।

(दो) सर्वदलीय सम्मेलन ने स्थायी समिति के वक्तव्य का कार्य संचालन करते हुए विस्तृत विषय के बारे में, जिस पर संयुक्त जन आन्दोलन किया जाना था, अपने विचार रखे। ये सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प में विदित हैं जिसकी प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

(तीन) वक्तव्य को स्वीकार करने के अलावा, सर्वदलीय सम्मेलन ने अभियान के तुरन्त आयोजित करने के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त को निर्धारित किये। स्वीकृत मार्गदर्शक सिद्धान्तों की एक प्रति सभा-पटल पर भी रखी जाती है।

(चार) स्वीकृत वक्तव्य और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

अहमदाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगे

*135. श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयावन :
श्री वेंगलराया नायडू :
श्री ई० के० नायनार :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री नम्बियार :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री के० रमानी :
श्री बदरुद्दुजा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री किकर सिंह :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री देवेन सेन :
श्री लीलाधर कटका :
श्री शारदा नन्द :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री राम चरण :
श्री वि० प्र० मण्डल :
श्री एस० के० सम्बन्धन :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री तुलशी दास जाधव :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री लतीफत अली खां :
श्री अदिचन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अहमदाबाद में अभूतपूर्व साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो इन दंगों में जान तथा माल की कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या प्रधान मंत्री की ओर से किसी प्रतिनिधिमंडल ने अहमदाबाद के दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि उस प्रतिनिधिमंडल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि राज्य सरकार समय पर कार्यवाही करने में असफल रही और इन दंगों के पीछे कुछ विदेशी तत्वों का हाथ था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). गृह मंत्री द्वारा 17 नवम्बर, 1969 को सदन के पटल पर रखे गये विस्तृत विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

साम्प्रदायिक दंगों में पाकिस्तान का हाथ

*136. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री जय प्रकाश नारायण का वक्तव्य पढ़ा है जिस में उन्होंने कहा बताया जाता है कि पाकिस्तान एक और पाकिस्तान बनवाने के लिए दंगे भड़का रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकी है जिस से यह सिद्ध होता है कि विभिन्न स्थानों पर हुए दंगों में पाकिस्तानी एजेन्टों का हाथ था और क्या सरकार श्री नारायण के अनुमान से सहमत है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस खतरनाक स्थिति का किस प्रकार सामना करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार ने 11 अक्तूबर, 1969 को "सिटीजन" में प्रकाशित श्री जयप्रकाश नारायण के लेख और 31 अक्तूबर 1969 के स्टेसमैन में, उनके साथ हुए साक्षातकार की एक रिपोर्ट को देखा है ।

(ख) सरकार के पास देश में साम्प्रदायिक दंगों में पाकिस्तानी एजेन्टों की साझीदारी के बारे में कोई प्रमाण नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कामेक्स युवा समारोह के दौरान रवीन्द्र रंगशाला, नई दिल्ली में विद्यार्थियों द्वारा दंगा

*137. **श्री न० रा० देवघरे :** **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री जय सिंह : **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री वि० नरसिम्हा राव : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **डा० प० मंडल :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कामेक्स युवा समारोह के दौरान 8 सितम्बर, 1969 को रवीन्द्र रंगशाला, नई दिल्ली में विद्यार्थियों के ग्रपों तथा बाहर के अन्य लोगों ने दंगा किया था और दिल्ली विश्वविद्यालय की कुछ छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयत्न किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस अप्रिय घटना के क्या कारण थे ;

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये ;

(घ) क्या मामले की कोई जांच की गई ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इन घटनाओं के लिये उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के आर० वी० राव) : (क) से (ङ). कामेक्स (भारत) जो कि एक स्वैच्छिक संघठन है और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है, के द्वारा समारोह का आयोजन किया गया।

आयोजकों द्वारा किये गये अपर्याप्त प्रबन्धों की प्रैस द्वारा प्रतिकूल आलोचना की गई है और 8 सितम्बर, 1969 की सांय को लड़कियों से कथित दुर्व्यवहार तथा छेड़-छाड़ के बारे में भी प्रैस रिपोर्ट थी। प्रैस रिपोर्ट के अतिरिक्त इस मंत्रालय को किसी भी सूत्र से कोई भी शिकायत नहीं भेजी गई। अत: कोई भी जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया।

सरकार तब तक ऐसे समारोहों के करने के पक्ष में नहीं है जब तक इनका उचित प्रकार से आयोजन नहीं किया जाता तथा जब तक अतिथेय संगठन उनका सत्कार करने में तथा कार्यक्रम का संतोषप्रद ढंग से प्रबन्ध करने के लिये पूरी तरह से तैयार न हो।

Hindi-Knowing Gazetted Officers in Central Government

*138. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Hindi-knowing gazetted officers in Central Government as in 1965 ;

(b) the number thereof in 1968-69 ; and

(c) whether Government have made any arrangement to teach them Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Yes, Sir.

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का दिल्ली नगर निगम से दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरण

*139. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को दिल्ली नगर निगम से दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरण करने के लिये कोई योजना है ; यदि हां, तो हस्तान्तरण के क्या कारण हैं ;

(ख) दिल्ली नगर निगम से दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरित किये जाने वाले स्कूलों के अध्यापकों की वरिष्ठता निश्चित करने तथा उनके वेतनक्रमों के प्रश्न का किस प्रकार समाधान किया गया है ;

(ग) क्या इस परिवर्तन से कई अध्यापक फालतू हो जायेंगे ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप अध्यापकों में बेरोजगारी किस हद तक बढ़ जायेगी ; और

(घ) दिल्ली के रोजगार दफ्तरों में कितने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के नाम दर्ज हैं तथा उन्हें रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। कारण

यह है कि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, दिल्ली नगर निगम के विधिक दायित्व में नहीं आती है, जिससे इस हस्तान्तरण का अनुरोध किया है ।

(ख) इस मामले की दिल्ली-प्रशासन जांच कर रहा है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार किसी अध्यापक की छटनी नहीं की जायगी और इस प्रकार उनमें कोई बेरोजगारी नहीं होगी ।

(घ) 31 अक्तूबर, 1969 को रोजगार कार्यालय दिल्ली के चालू रजिस्टर में 3821 अध्यापक (1068 पुरुष तथा 2753 महिलाएं) उपलब्ध थे । ज्योंही कोई आवश्यकता होती है, कुछ उम्मीदवारों के नाम रोजगार कार्यालय से मांगे जाते हैं ।

पश्चिम बंगाल में राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्या

140. **श्री बेघर बेहरा :** **श्री सीताराम केसरी :**
श्री श्रीनिवास मिश्र : **श्री वंशनारायण सिंह :**

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में गत आठ महीनों में 500 से भी अधिक राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोई पत्र भेजा है, जिसमें इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं की घटनायें बड़ी संख्या में हो रही हैं ; और

(ग) उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने इंकार किया है कि गत आठ महीनों के दौरान 500 से अधिक राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्या की गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता सम्बन्धी झा समिति का प्रतिवेदन

*141. **श्री भजहरि महतो** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के बारे में बी० एस० झा समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यह प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था ;

(ग) यह प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया जायेगा तथा/अथवा सभा पटल पर रखा जायेगा;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय से झा समिति के सदस्य-सचिव को मूल प्रतिवेदन प्रकाशित होने से पहले अपना विमति-टिप्पण प्रैस को तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को परिचालित करने की अनुमति दी है ; और

(ङ) क्या सरकार को राष्ट्रीय पुस्तकालय के सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष को अवतनिक पुस्तकालय सलाहकार नियुक्त करने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जुलाई, 1969 के तीसरे सप्ताह में ।

(ग) यह विषय विचाराधीन है और निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी नहीं ।

केन्द्रीय स्कूलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये प्रवेश का आरक्षण

*142. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में अब तक कितने केन्द्रीय स्कूल खोले गये हैं ;

(ख) इन स्कूलों में इस समय कुल कितने छात्र पढ़ते हैं ;

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने छात्र हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए स्थानों के आरक्षण की कोई विशेष व्यवस्था है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 118 किन्तु हाल ही में दिल्ली के लिए दो और केन्द्रीय स्कूलों की स्वीकृति दी गई है ।

(ख) 1-8-1969 को	71,827
(ग) 1-8-1969 को	2,399

(घ) और (ङ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2027/69**]

तूतीकोरन बन्दरगाह परियोजना का विकास कार्य

143. **श्री क० लकप्पा** :
श्री लखन लाल कपूर :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री न० सुदर्शनम :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन गहरा समुद्र बन्दरगाह का विकास कार्य कुछ समय के लिए रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस काम की पूर्ति के लिए समय सीमा निर्धारित की है ?

संसद् कार्य नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). तूतीकोरीन पत्तन परियोजना के निर्माण कार्य में कोई रुकावट नहीं आयी है। इस परियोजना के लिए प्रति वर्ष के लिए दिये गये आवंटनों के आधार पर निर्माण कार्यों में प्रगति हो रही है।

आसाम के दंगों में सेन्ट्रल इंटैलीजैंस एजेन्सी का हाथ

*144. **श्री उमानाथ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में हाल के दंगों में सेन्ट्रल इंटैलीजैंस एजेंसी का हाथ होने के कोई संकेत मिले हैं ;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली में कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए कुछ आरोपों की कोई जांच की है और

(ग) यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या हैं?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है।

Talks Regarding Collaboration in Ship-Building

*145. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the names of countries with whom talks are going on for collaboration in ship-building ; and

(b) whether any agreement has been concluded or construction work has been started in collaboration with any country ?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) and (b). The only country from which the technical collaboration in ship-building is being sought is Japan for the Cochin Shipyard Project. The Revised Project Report submitted by M/s. Mitsubishi Heavy Industries Tokyo has been recently approved by Government. It envisages the construction of a building dock for ships of 66,000 DWT and a ship-repair dock to accommodate ships upto 85,000 DWT. An official contract with M/s. Mitsubishi Heavy Industries concerning their technical collaboration, consultancy and assistance in the construction of the Shipyard is proposed to be concluded soon.

The construction of the Shipyard is expected to commence in 1970-71, although preliminary works such as acquisition of land, land and soil surveys, provision of water and electricity, diversion of road etc. have already been taken up and are in progress.

IAC Plane Chased by Pakistani Jet Plane

*146. **Shri Shri Chand Goyal** : **Shri J. Sundar Lal** :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a plane of Indian Airlines, which was on a schedule

flight in Pakistan in August, 1969, was chased by a Pakistani Jet Plane and was also fired at ;

(b) if so, whether Government have sent a protest note to Pakistan in this connection ; and

(c) the reaction of Pakistan thereto and the action proposed to be taken by Government to prevent such incidents in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Indian Airlines Fokker Friendship Aircraft VT-DUT while operating a flight on 14th August, 1969 from Delhi to Srinagar, with *en route* stoppings at Chandigarh, Amritsar and Jammu, strayed in Pakistan territory, between Chandigarh and Amritsar. Whilst in Pakistan territory, the aircraft was chased by Pakistani Air Force fighters who also fired some shots. Fortunately none of the shots hit the aircraft, which return safely to Amritsar and eventually landed there about 55 minutes behind schedule.

(b) and (c). The Government of Pakistan lodged a strong protest against the violation of their air-space. A reply was sent stating that the aircraft entered Pakistan territory by mistake in bad weather and that there was no intention to violate Pakistan air-space. It was pointed out, however, that it was unfortunate that the Pakistani fighters which intercepted the plane had resorted to firing which could have resulted a great tragedy,

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का धावन पथ

*147. श्री क० अनिरुद्धन : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के धावन पथ को मजबूत बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) त्रिवेन्द्रम में राकेट उतारने का स्टेशन स्थापित किये जाने के बाद त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे में अब तक कितना सुधार किया गया है ; और

(ग) हवाई अड्डे में सुधार करने के लिये यदि कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, तो क्या ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). वाईकाउन्टों का परिचालन कर सकने के लिए मुख्य धावन पथ को, हाल ही में बढ़ाया एवं मजबूत किया गया था। तथापि, कोवालम का एक समुद्र तटीय बिहार के रूप में विकास करने की योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए (इसके राकेट लैंडिंग स्टेशन होने के कारण नहीं), 129.50 लाख रुपये की कुल लागत से धावन पथ, टैक्सी-पथ तथा एप्रेन के विस्तार तथा मजबूत करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। परन्तु, इस प्रायोजना का चौथी योजना में सम्मिलित किया जाना उन अपरिहार्य अग्रताओं पर निर्भर करेगा जिन्हें कि कठोर वित्तीय प्रतिबन्धों को दृष्टि में रखते हुए अपमाना पड़ेगा ।

Recommendations of Lal Committee for Purchase of DC-9-40 Aircraft for Indian Airlines

*148. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of Lal Committee Shri Lal, Shri J. R. D.

Tata, Air Marshal Arjun Singh, Director General of Civil Aviation, Technical and Financial experts of Air India and Indian Airlines were of the view that DC-9-40 planes would be very useful for the Indian Airlines ;

(b) whether it is also a fact that the Board of Dirctors of the Indian Airlines decided unanimously in July, 1968 to Perchase DC 9-40 ;

(c) if so, the action taken by Government in the matter so far ; and

(d) whether it is a fact that because of the delay in taking a decision for the purchase of aircrafts, more price will have to be paid therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d). A sub-committee of the Board of Indian Airlines which included Air Chief Marshal P. C. Lal had recommended the purchase of DC-9-40 aircraft. Indian Airlines accepted the recommendations of the sub-committee and made a proposal to Government accordingly in 1968. The proposal was carefully examined, but for a variety of reasons it was decided that a further study should be made. An *ad hoc* Committee has been constituted under the chairmanship of Shri Ashok Mitra, Secretary, Ministry of Tourism and Civil Aviation to advise Government on the selection of a suitable aircraft for Indian Airlines. This Committee will consider the claims and recorded performance of various types of aircraft as well as their price range before making their recommendations in regarn to the type and number of aircraft to be purchased. The Committee's recommendations are expected to be available shortly.

Appointment of Hindi Officers through U. P. S. C.

*149. **Shri J. B. Singh** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Union Public Service Commission had held an examination for appointment to the posts of Hindi Officers in July, 1969 ;

(b) if so, the number of posts that were to be filled up by means of that examination ;

(c) whether some of these posts had been reserved for Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees ;

(d) if so, their number ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A written test was held by the Union Public Service Commission on the 19th July, 1969. Interviews have not yet been held so far.

(b) 11 posts (provisional).

(c) Yes, Sir.

(d) 2 posts.

(e) Does not arise.

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा किये गये परीक्षा संबंधी सुधार

*150. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा किये गये परीक्षा सम्बन्धी सुधारों के कार्यक्रम को लागू करने में अब तक की प्रगति का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस दिशा में की गई अग्रेतर कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : क) जी हाँ । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कार्यकरण तथा कार्यक्रमों की जांच करने के लिए, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुनरीक्षण समिति ने, परिषद् के शैक्षिक सुधारों से संबंधित कार्यक्रमों का पुनरीक्षण किया था ।

(ख) समिति का मत था कि परीक्षा सुधार के क्षेत्र में, परिषद द्वारा किया गया कार्य, माध्यमिक स्तर पर उद्देश्यात्मक परीक्षाओं के लिए पेपर सेटरों और परीक्षकों को प्रशिक्षित करने तक ही, मुख्य रूप से सीमित है । इसलिये, परीक्षा सुधार की पूरी नीति की सूक्ष्म रूप से जाँच करने की आवश्यकता है । पुनरीक्षण समिति ने सिफारिश की है कि परिषद की जिम्मेदारी अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करने इस क्षेत्र में राज्यों में परस्पर अनुभवों के '(पद-निवेचन) आदान-प्रदान तथा राज्य स्तर तथा विश्वविद्यालयों में अपने प्रतिस्थानी विशेषज्ञों से लगातार बातचीत का माध्यम स्थापित करने तक मुख्य रूप से सीमित कर देनी चाहिये । प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वास्तविक संगठन की जिम्मेदारी, राज्य स्तर संगठनों पर छोड़ देनी चाहिए तथा परिषद को इसकी जिम्मेदारी स्वयं नहीं उठानी चाहिये । इसने यह भी सिफारिश की है कि परिषद के द्वारा विकसित कार्यक्रमों का लागत लाभ अध्ययन भी करना चाहिये । समिति ने, अंकों के मानकीकरण विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं और विषयों के बीच अंकों की तुल्यता तथा आन्तरिक मूल्यांकन की तकनीक जैसे परीक्षा सुधार के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने के लिये भी प्रार्थना की है ।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद उपर्युक्त सिफारिशों की जांच कर रहा है । पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, चतुर्थ आयोजना के दौरान कार्यक्रमों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जायेगा ।

दिल्ली में बिना लाईसेंस चल रहे अनधिकृत कारखाने

601. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी दिल्ली में बिना लाइसेंस के कई अनधिकृत कारखाने चल रहे हैं जिससे निवासियों को काफी असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों की संख्या तथा उनको चलाने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं, जहाँ तक कारखाना अधिनियम, 1948 का संबंध है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

आन्ध्र प्रदेश में अनकपल्ले से टेलीफोन राजस्व

602. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैलैंडर वर्ष 1968 में तथा 1 जुलाई 1968 से 30 जून, 1969 तक अनकपल्ले से बुक कराई गई ट्रंक टेलीफोन कालों से कुल कितनी आय हुई ; और

(ख) अनकपल्ले (आन्ध्र प्रदेश) से रायपुर तथा बरास्ता रायपुर-जबलपुर, बरास्ता जबलपुर--नागपुर और बरास्ता नागपुर जैसे स्थानों के लिये अलग-अलग कुल कितनी सम्पन्न तथा असम्पन्न कालें बुक की गई ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सूचना एकत्रित करके यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जिन स्थानों को या जिन मार्गों से कालें की जाती हैं उनके अनुसार सम्पन्न और असम्पन्न कालों के आंकड़े नहीं रखे जाते । कैलैंडर वर्ष 1968 के और 1 जुलाई, 1968 से 30 जून, 1969 तक अनकपल्ले से कुल बुक की गई और सम्पन्न ट्रंक कालों के आंकड़े एकत्रित करके यथा-समय सभा-पटल पर रख दिये जाएंगे ।

गंगा नगर जिला, राजस्थान में शरणार्थियों के लिये भूमि का आवंटन

605. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में गंगा नगर जिला में कुछ ऐसे लोग हैं, जिनके पास पाकिस्तान में उनके द्वारा छोड़ी गई खेती वाली भूमि के सत्यापित दावे हैं, परन्तु उनके दावे अभी तक निपटाये नहीं गये हैं और उनको अभी तक कोई भूमि भी आवंटित नहीं की गई ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनके दावों का निपटारा करने में सरकार को कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि छतरगढ़ के भूतपूर्व पट्टा की निष्क्रान्त भूमि राजस्थान सरकार द्वारा सत्यापित दावे रखने वाले लोगों को न दी जाकर अवैध रूप से आवंटित कर दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सत्यापित दावे रखने वाले लोगों के दावों का निपटारा किये बिना ही राजस्थान सरकार को निष्क्रान्त भूमि हस्तांतरित कर देने का है ?

श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). गंगानगर जिले का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कृषि भूमि के लिए सत्यापित दावा हो और उसे भूमि अलाट न की गई हो । वहां ऐसे 47 व्यक्ति हैं जिन्हें, उनके दावों में वृद्धि के फलस्वरूप, कमी को पूरा करने के लिए भूमि अलाट की जानी है । उनके दावों का निपटारा करने में लगभग तीन मास लग जायेंगे ।

(ग) और (घ). राजस्थान सरकार का विचार है कि छतरगढ़ एक जागीर थी और, राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम के लागू होने पर, उस जागीर की भूमि का हक राज्य

सरकार को प्राप्त हो गया था और निष्क्रान्त सम्पत्ति अभिरक्षक द्वारा यह भूमि विस्थापित व्यक्तियों को अलाट नहीं की जा सकती। राज्य सरकार के विचारों की परीक्षा की जा रही है। मामले पर राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

चावल का निर्यात

606. **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में लगभग 3,00,000 टन बढ़िया चावल का निर्यात करने की सरकार की योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस चावल का निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा ;

(ग) इससे देश की आन्तरिक खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) इस निर्यात का आन्तरिक कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यदि उपलब्धि हुई तो चालू फसल वर्ष में 30,000 मीटरी टन बढ़िया बासमती चावल निर्यात करने का विचार है।

(ख) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि किन-किन देशों को चावल का निर्यात किया जाएगा।

(ग) देश में चावल के कुल अनुमानित उत्पादन की तुलना में विदेशों को निर्यात किए जाने वाले बढ़िया किस्म के चावल की मात्रा कम ही है और उससे आन्तरिक खपत पर प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

(घ) क्योंकि केवल बासमती और बढ़िया किस्म के चावल का निर्यात करने का विचार है, सामान्य रूप से चावल के आन्तरिक मूल्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ सकता है।

अभी यह बताना सम्भव नहीं कि इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी।

नागपुर में टेलैक्स सेवा

607. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में टेलैक्स सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) नागपुर में एक टेलैक्स एक्सचेंज पहले ही काम कर रहा है। यह सेवा 30 मार्च, 1965 को चालू की गई थी ।

(ख) इस एक्सचेंज की क्षमता 100 लाइनों की है और 30 सितम्बर, 1969 को टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 51 थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शीतल पेय की कीमतों में कमी

608. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली किराना व्यापारी संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह चीनी की कीमत में भारी कमी हो जाने के फलस्वरूप दिल्ली में शीतल पेय की कीमतों में कटौती करवायें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आधुनिक कृषि उपकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण

609. **श्री नरेन्द्र सिंह महोडा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ चुनीदा प्रशिक्षण संस्थाओं में आधुनिक कृषि-उपकरण की मरम्मत आदि करने के बारे में प्रशिक्षण देने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके लिये कितना धन निश्चित किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) इस विवरण जिसमें योजना की मुख्य-मुख्य बातें दी गई है संलग्न है ।

(ग) चूंकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों की जिम्मे-दारी है, योजना पर होने वाला पूरा खर्चा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाएगा ।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के आधुनिक साज-सामान के रख रखाव में प्रशिक्षण देने के लिये योजना की मुख्य-मुख्य बातों का विवरण ।

जहां तक सम्भव हो विकसित क्षेत्रों के समीप छात्रावास की सुविधाएं रखने वाली चुनी हुई कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साज-स'मान के रख रखाव में प्रशिक्षण देने के लिए योजना चालू करने का सुझाव है ताकि ग्रामीण युवक उससे लाभ उठा सकें । योजना वहां लागू की जाएगी जहां कृषि के अधुनिकीकरण में पर्याप्त प्रगति के कारण आवश्यकता अनुभव की गई हो । निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा :—

(क) कृषि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की निकटता जहां कृषि सम्बन्धित साज सामान के सभी उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे ।

(ख) कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए इस प्रकार की संस्थाओं की उद्यतता ।

(ग) पूर्ण कालिक तथा अंश कालिक स्टाफ की उपलब्धि ।

2. व्यवसाय जिनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

(क) सामान्य मिस्त्री ।

(ख) इंजिन और बिजली मिस्त्री ।

(ग) खराद मिस्त्री ।

(घ) ट्रेक्टर मिस्त्री ।

3. कार्यान्वयन

पूंजी निवेश पर अतिरिक्त व्यय को कम करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की वर्तमान सुविधाओं का पूरी हद तक लाभ उठाने का सुझाव है । सर्व प्रथम उन चुने हुए राज्यों, जहां कृषि के लिए मशीनों और बिजली उपकरणों के उपयोग में पर्याप्त प्रगति हुई है, में इस कार्यक्रम को चालू करने का प्रस्ताव है ।

4. वजीफा : चूंकि इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थियों के लिए है, प्रशिक्षण के लिए प्रवेश पाए सभी प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा दिया जाने पर विचार करना पड़ेगा ।

5. व्यय : चूंकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का वित्तीय और प्रशासकीय नियंत्रण अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, इस पर होने वाला पूरा व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा ।

गुप्त मतदान द्वारा मजदूर संघों को मान्यता देना

611. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 24 जुलाई 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संबंधित अधिनियम का नाम क्या है तथा उसकी किन धाराओं के अन्तर्गत बिहार में गुप्त मतदान द्वारा मजदूर संघों को मान्यता दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच उक्त विषय पर अन्य राज्यों से भी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है ; और

(ग) यदि हां तो क्या उसका संक्षिप्त ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) बिहार में यूनियनों की मान्यता को प्रशासित करने वाला कोई अधिनियम नहीं है। परन्तु केन्द्रीय श्रम सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर, राज्य सरकार से स्वैच्छिक आधार पर मान्यता के प्रयोजन के लिए ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधित्व के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए त्रि-पक्षीय स्वतंत्र बोर्ड स्थापित किये हैं। बोर्ड द्वारा निश्चित प्रक्रिया के अनुसार, प्रथम व्यक्तिगत पूछताछ करनी पड़ती है और जब इस प्रक्रिया से सफलता प्राप्त नहीं होती तो गोपनीयता से मत लेने की प्रणाली अपनायी जाती है।

(ख) और (ग). गोपनीय मत द्वारा यूनियनों की मान्यता को प्रशासित करने का अभी तक किसी राज्य/संघीय क्षेत्र में कोई कानून नहीं है परन्तु पश्चिम बंगाल ने "ट्रेड यूनियन (पश्चिमी बंगाल) विधेयक, 1969" के नाम से एक विधेयक पारित किया है जिसमें स्थानीय क्षेत्र के उद्योग वर्ग में अथवा किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान, जैसी भी स्थिति हो, में नियोजित पात्रता-प्राप्त श्रमिकों की सबसे बड़ी आवेदक यूनियन कौन सी है, यह जानने के लिए निर्धारित ढंग के अनुसार गुप्त मतदान से चुनाव करने की व्यवस्था की गई है। इस विधेयक पर राष्ट्रपति जी की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। केरल की सरकार भी इस मामले के बारे में कानून बनाने के बारे में विचार कर रही है।

पूर्वी पाकिस्तान से मछली का आयात

612. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** :
श्री देवेन सेन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मछली उद्योग मन्त्री द्वारा 12 सितम्बर, 1969 को पश्चिम बंगाल विधान परिषद् में दिये गये निम्नलिखित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ;

"केन्द्रीय खाद्य मन्त्री श्री जगजीवन राम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार पूर्वी पाकिस्तान से 50 लाख रुपये की मछली का आयात करने की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगी ;"

(ख) क्या मछली का आयात करने के लिए प्रबन्ध कर लिये गये हैं ; और

(ग) अब कितनी मछली का आयात किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां,

(ख) और (ग). यद्यपि भारत ने पाकिस्तान के साथ मई 1966 में व्यापार करने पर प्रतिबन्ध हटा दिया था और बाद में व्यापार चालू करने के बारे में कई प्रस्ताव भी भेजे परन्तु पाकिस्तान ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई । इस दिशा में भारत सरकार अपने प्रयत्न जारी रख रही है । इस समय मछली का कोई आयात नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह केवल तब ही किया जा सकता है जब कि पाकिस्तान मछली के निर्यात के लिये सहमत हो ।

भारत सेवक समाज की कार्य प्रणाली के बारे में जांच

613. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज की वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में जे० एल० कपूर के एक सदस्यीय आयोग का प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जायेगा ;

(ख) भारत सेवक समाज को सरकारी तथा अर्ध-सरकारी निकायों द्वारा ऋण के रूप में दी गई राशियों तथा उन ऋणों को जो उसे केन्द्रीय सरकार तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए हैं, जांच निर्देश-पदों में क्यों शामिल नहीं किया गया है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने भारत सेवक समाज को उसकी स्थापना से लेकर दिसम्बर 1969 तक अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि दी है और इन अनुदानों के फलस्वरूप सरकार को क्या लाभ हुए हैं ; और

(घ) महत्वपूर्ण निधियों को तथा कथित रूप से बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) भारत सेवक समाज के मामलों तथा लेखाओं सम्बन्धी जाँच आयोग का कार्यकाल 28-2-1970 तक बढ़ा दिया गया है । आशा है कि आयोग उस तारीख तक अपनी रिपोर्ट दे देगा ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत सेवक समाज को सीधे दी गई निधियां ऋण तथा अग्रिम जाँच आयोग के क्षेत्र में आते हैं ।

तदनुसार, जहां तक केन्द्रीय सरकार की निधियों का सम्बन्ध है, सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संस्थाओं से भारत सेवक समाज को प्राप्त हुई निधियां, ऋण तथा अग्रिम जाँच निर्देश-पदों के अन्तर्गत आएंगे ।

जहां तक राज्य सरकारों द्वारा दी गई निधियों का सम्बन्ध है, भारत सेवक समाज द्वारा

उन निधियों का हिसाब सीधे उन्हें देना है । अतः इस बात का निर्णय राज्यों सरकारों को करना है कि क्या ऐसे लेखाओं की कोई जांच की जानी चाहिए ।

(ग) व (घ). सूचना मिली है कि केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों ने भारत सेवक समाज को उसकी स्थापना से लेकर दिसम्बर, 1968 तक कुल 2,72,21,402 रु० का अनुदान मंजूर किया है ।

जांच आयोग, भारत सेवक समाज, जो जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है, इस मामले की पहले से जांच कर रहा है और उसकी रिपोर्ट मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी ।

मन्नम शूगर मिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड को दिये गये ऋण पर ब्याज

614. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मन्नम शुगर मिल्स कोआप्रेटिव लिमिटेड को दिये गये ऋण पर न चुकाये गये ब्याज को तत्काल भुगतान के बारे में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ;

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कांगापुर खान में विषैली गैस के कारण मृत्यु

615. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री कं हाल्दर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन रेले साइकल कारखाने के समीप गंगापुर में एक खान में गैस की विषाक्तता के कारण तीन व्यक्ति मर गये थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां । कन्यापुर कोयला खान में, जिसे लगभग 20 वर्ष पूर्व छोड़ दिया गया था, दुर्घटना हुई ।

(ख) 13-9-1969 को तीन ग्रामीण पुराने नीचे धसे हुए और परित्यक्त क्षेत्र में एक तंग रास्ते से अवैध ढंग से कोयला खोदने के लिए गए यह रास्ता ब्लैक डेम्प से भरपूर था जिस से तीन ग्रामीणों की मृत्य हो गई।

उर्वरकों की खपत में कमी

616. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में उर्वरकों की खपत काफी कम हो गई है ;

(ख) क्या खपत की इस कमी से खाद्यान्नों के उत्पादन लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उर्वरकों की खपत में कमी होने के क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकारों के अनुमानों के अनुसार इस वर्ष के खरीफ मौसम में पिछले खरीफ मौसम की अपेक्षा उर्वरकों की खपत अधिक हुई है। फिर भी उर्वरकों की खपत की दर निर्धारित लक्ष्य से कम रही है। सरकार इस समस्या को भली भांति समझती है और उर्वरकों की खपत को बढ़ाने के लिये उपयुक्त उपाय कर रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं होता।

कृषि आयोग की नियुक्ति

617. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने एक कृषि आयोग नियुक्त करने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग सदस्य कौन-कौन होंगे ; और उनके निर्देश-पद क्या होंगे ; और

(ग) आयोग की नियुक्ति कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) आयोग का एक अध्यक्ष और एक सदस्य-सचिव होगा। ये दोनों आयोग के पूर्ण कालिक अधिकारी होंगे। इन के अतिरिक्त 12 सदस्य और होंगे, जिन में से 5 पूर्ण-कालिक और शेष 7 केवल अंश-कालिक होंगे। आयोग के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस० टी० 2028/69]**

(ग) सदस्यों का चुनाव पूर्ण होते ही आयोग की स्थापना कर दी जायेगी। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

ट्रैक्टरों का आयात

618. **श्री तुलशीदास जाधव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1969-70 में अब तक कुल कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया तथा विभिन्न राज्यों को कितने-कितने ट्रैक्टर दिये गये ;

(ख) क्या सरकार समझती है कि किसानों की मांग को पूरा करने के लिये यह संख्या पर्याप्त थी ;

(ग) अधिक ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में कितने ट्रैक्टरों का आयात करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). 1968-69 की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 15,500 ट्रैक्टर आयात करने की स्वीकृति दी गई थी इनमें से 8,000 ट्रैक्टर देश में पहुँच चुके हैं और आशा है कि शेष 1969-70 के चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त हो जायेंगे। विभिन्न राज्यों में इन ट्रैक्टरों के वितरण को दशाने वाला एक विवरण संलग्न है। 1969-70 में ट्रैक्टरों की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए काफी अधिक संख्या में ट्रैक्टर (35,000) आयात करने का निर्णय किया गया है। ज्हों ही आयात कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, विभिन्न राज्यों को इन ट्रैक्टरों का नियतन कर दिया जाएगा। देश में ट्रैक्टरों की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह आयात पर्याप्त नहीं है। परन्तु विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उससे अधिक आयात करना संभव नहीं है।

विवरण

	राज्य का नाम	आबंटित ट्रैक्टरों की संख्या (1968-69)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1930
2.	असम	175
3.	बिहार	1445
4.	गुजरात	850
5.	हरियाणा	1010
6.	जम्मू तथा काश्मीर	165

7.	केरल	400
8.	मध्य प्रदेश	825
9.	महाराष्ट्र	1190
10.	तमिलनाडु	960
11.	मैसूर	825
12.	उड़ीसा	190
13.	पंजाब	1650
14.	राजस्थान	900
15.	उत्तर प्रदेश	2035
16.	पश्चिम बंगाल	300
17.	नागालैण्ड	12
18.	संघ राज्य क्षेत्र	280
19.	विविध आबंटन	3
20.	आरक्षित	355
	कुल	15500

चीनी मिलों के राष्ट्रीकरण के बारे में महान्यायवादी की राय

619. **श्री बेघर बेहेरा :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री जे० अहमद :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री स० कुन्दू :
श्री क० लक्कप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में महान्यायवादी की राय मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या महान्यायवादी ने अपनी राय दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) महान्यायवादी से अभी तक ऐसी कोई राय नहीं मांगी गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

डा० जाकिर हुसैन के निधन पर डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए सवेतन अवकाश

620. **श्री बेधर बेहेरा :** **श्री स० कुण्डू :**

श्री लखन लाल कपूर :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन के निधन पर शोक मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तीन दिन की सवेतन छुट्टियां दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सवेतन छुट्टियां डाक तथा तार विभाग के सभी अनुभागों में दी गयी थीं ;

(ग) क्या कटिहार (बिहार) का रेलवे डाक सेवा विभाग को इस सुविधा से वंचित रखा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । उन्हें इन छुट्टियों का लाभ मौजूदा नियमों के अंतर्गत ही दिया गया था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संसद सदस्यों के निवास स्थान पर टेलीफोन की सुविधायें

621. **श्री बलवन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने संसद सदस्यों ने अपने निवास स्थानों पर टेलीफोनों की स्थाई व्यवस्था करवाने की मांग की है ;

(ख) 31 अक्तूबर, 1969 तक संसद सदस्यों के स्थायी निवास स्थानों पर कितने टेलीफोन लगाए गए ;

(ग) टेलीफोन केन्द्रों में कितने टेलीफोनों की क्षमता अप्रयुक्त पड़ी हैं ; और

(घ) इस क्षमता के होते हुए भी टेलीफोन न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

622. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री ई० के० नायनार :**

श्री उमानाथ : **श्री प० गोपालन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला मजूरी बोर्ड की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ;

(ग) सरकार ने कौन सी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है ;

(घ) उन्हें स्वीकार न करने का क्या कारण है ; और

(ङ) क्या सरकार का उन्हें अब स्वीकार करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जैसा कि सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी- 16(5)/66, दिनांक 21 जुलाई, 1967 में उल्लेख किया गया है, यह फैसला किया गया कि निम्न मामलों से संबंधित सिफारिशें स्वीकार की जानी चाहिए :

(क) न्यूनतम मजूरी ;

(ख) मंहगाई भत्ता ;

(ग) समानी दर और उजरती दर पर काम करने वाले श्रमिकों का मजूरी विन्यास, केवल मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लीडरों के मामले में कार्यभार में कमी को छोड़कर ;

(घ) क्लर्कों, तकनीकी तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों के वेतनमान ;

(ङ) कोयला खान बोनस योजना-न्यूनतम हाजरी से सम्बन्धित वर्तमान शर्त को रखकर ;

(च) भूमितल भत्ते के अतिरिक्त रिपोर्ट के अध्याय 12 में उल्लिखित भत्ते ।

(छ) मजूरी बोर्ड द्वारा शिफारिश की गई एक प्रतिशत की वृद्धि के उपबंध को छोड़कर भूमितल भत्ता ;

(ज) बीमारी छुट्टी जमा करने के उपबंध को छोड़कर ;

(झ) सवेतन त्यौहारी छुट्टियां ;

(ञ) बिना वेतन छुट्टी ;

(ट) कुसंगरोध छुट्टी ;

(ठ) तपेदिक, कैंसर के लिए सवेतन छुट्टी तथा चोट लगने पर छुट्टी ; और

(ड) रेल भाड़ा ।

संकल्प में यह भी कहा गया कि उपदान संबन्धी सिफारिशों के बारे में यथा-समय निर्णय किया जायेगा ।

(ख) से (घ). शेष सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वे सर्व-सम्मत अथवा लगभग सर्वसम्मत नहीं थी ।

(ङ) जी नहीं ।

कोयला खान श्रमिकों को दी गई चिकित्सा सुविधायें

623. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री गणेश घोष :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षय, केन्सर तथा इसी प्रकार के अन्य रोगों से पीड़ित कोयला खान श्रमिकों को क्या सुविधाएं दी गई हैं ;

(ख) क्या वही सुविधाऐं दी गई हैं जिन की सिफारिश कोयला मजूरी बोर्ड ने की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कोयला खान मालिकों को इस पर बाध्य करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि वे वही सुविधाएं प्रदान करें जिनकी सिफारिश कोयला खान मंजूरी बोर्ड ने की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तपेदिक के अंतरंग और बहिरंग बीमारी का इलाज कोयला खान श्रम कल्याण निधि के धनबाद/आसनसोल/सियरसोल, और कातरस में स्थित अस्पतालों में किया जाता है। तपेदिक के बीमारों के इलाज के लिए निधि द्वारा विभन्न आरोग्य निवासों में पलंग भी रक्षित किये गये हैं। कैंसर के बीमारों का केन्द्रीय अस्पताल आसनसोल में इलाज किया जाता है और इस बीमारी से पीड़ित बीमारों के इलाज के लिए चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता और चिकित्सा कालेज अस्पताल, पटना में भी पलंग रक्षित किये गये हैं। कोढ़ के इलाज के लिए निधि के खर्च पर बिहार और पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे विभन्न अस्पतालों में बोर्डों की व्यवस्था कर दी गई है।

तपेदिक का घर पर इलाज करने की योजना के अन्तर्गत, तपेदिक के मरीजों को 9 महीने की अवधि तक के लिए 50 रु० प्रतिमाह विशेष खुराक भत्ता अदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त तपेदिक मरीज के उन आश्रितों को जिनका अस्पतालों में अन्तरंग मरीजों के रूप में इलाज किया जाता है, नौ महीने तक की अवधि तक 50 रु० प्रतिमाह तक निर्वाह भत्ता दिया जाता है कोढ़ से पीड़ित बीमारों को भी ऐसा ही खुराक भत्ता अदा किया जाता है।

(ख) और (ग). कोयला खान उद्योग संबंधी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि तपेदिक, कैंसर इत्यादि से पीड़ित कोयला श्रमिकों को पहले-पहल कम से कम 6 महीने की सवेतन छुट्टी मंजूर की जानी चाहिए और इस संबंध में हुये व्यय को कोयला खान कल्याण निधि की सामान्य निधि से वहन किया जाना चाहिए। लेकिन छुट्टी का वेतन देना कोयला खान निधि का कार्य नहीं है। छुट्टी के वेतन की अदायगी करना नियोजकों का कार्य है। तदनुसार इस बात को उनके ध्यान में कोयला खान संबंधी औद्योगिक समिति के 6 नवम्बर, 1969 को हुई बैठक में लाया जा चुका है।

कोयला खान श्रमिकों के लिए उपदान

624. **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री देवेन सेन :
श्री गणेष घोष :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्ति के पश्चात् कोयला खान श्रमिकों को उपदान दिया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि कोयला मंजूरी बोर्ड ने उपदान की सिफारिश की है ;

(घ) यदि हां, तो कोयला खान मालिकों द्वारा उपदान किये जाने के लिए उन्हें बाध्य करने के लिए सरकार ने क्या कदय उठाये हैं ; और

(ङ) उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). इस समय उद्योग-वार उपदान की कोई योजना विद्यमान नहीं है, लेकिन कुछ नियोजक अपने श्रमिकों को उपदान देते हैं ।

(ग) जी हां !

(घ) और (ङ). इस मामले पर कोयला खान संबंधी औद्योगिक समिति ने 6 नवम्बर, 1969 को हुई अपनी पिछली बैठक में विचार किया । उसमें यह घोषणा की गई कि सरकार ने उपदान योजना की आवश्यकता को सिद्धान्त रूप से मान लिया है । इस मामले में आगे आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

समाचार एजेंसियों आदि पर समाचार पत्र पंजीयक का प्रतिवेदन

625. **श्री भजहरि महतो :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्र-पंजीयक मान्यता प्राप्त समाचार और फीचर एजेंसियों तथा सिण्डीकेटों के कार्यकरण के बारे में अपना प्रतिवेदन देने की व्यवस्था समाप्त कर रहा है ;

(ख) क्या समाचार पत्रों की पंजीयक अपने वार्षिक प्रतिवेदन में समाचार एजेंसियों से सम्बन्धित आँकड़े तथा टिप्पणियां सम्मिलित नहीं कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार विभिन्न गैर-अखबारी तथा गैर-भारतीय स्रोतों से समाचार एजेंसियों तथा फीचर सिण्डीकेटों के राजस्व के बारे में एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगी ; और

(घ) क्या गैर-अखबारी अंशदाता पी० टी० आई०, आई० एन० एफ० ए० आदि जैसी संस्थाओं के कार्यकरण पर अपना प्रभाव डालते है ?

सूचना तथा प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) और (ख). समाचार-पत्रों के पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम, 1956 के नियम 11 के साथ पठित

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की धारा 19 (छ) के अन्तर्गत भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार को प्रति वर्ष एक रिपोर्ट देनी होती है जिसमें भारत के समाचार-पत्रों के बारे में सूचना तथा आंकडे तथा विशेषकर विभिन्न श्रेणियों के समाचार-पत्रों की खपत का रूझान तथा एक से अधिक समाचार-पत्रों के समान स्वामित्व की दिशा मे रूझान दिया हुआ होता है। समाचार एजेंसियां तथा फीचर सिण्डीकेट इस अधिनियम के क्षेत्र में नहीं आते तथा इनसे सम्बन्धित मामलों के बारे में अध्ययन करना रजिस्ट्रार से अपेक्षित नहीं है ।

तथापि स्वेच्छा आधार पर सूचना एकत्रित करके रजिस्ट्रार द्वारा समाचार एजेंसियों और फीचर सिण्डीकेटों के बारे में अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया था । 1964 के वर्ष की रिपोर्ट में इस अध्ययन का परिणाम दिया गया था परन्तु समाचार एजेंसियों तथा फीचर सिण्डीकेटों से अधिकृत डैटा न मिलने के कारण अध्ययन को बन्द करना पड़ा ।

(ग) तथा (घ). इस विषय पर सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

Average Population served by a D. M. S. Milk Booth

626. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the average population served by a Milk Booth in New Delhi area ;

(b) the average population for which one milk booth is provided in trans-Yamuna and old Delhi areas ; and

(c) if there is any disparity betbeen the two, the details of the scheme formulated for its removal ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The average quantities of milk distributed at a milk-booth is 600 to 700 bottles daily regardless of whether the booth is in New Delhi area or trans-Yamuna or Old Delhi area. Milk booth are provided on this basis of assessment of demand and supply and not on the basis of average population of the areas of location.

(c) The question of disparity does not arise. However, under a new project for increasing the supply of milk from the dairies in Bombay, Delhi, Madras and Calcutta during the next four years, it is hoped to raise the milk-availability to such an extent as to meet the demands of the entire population of Delhi, from the Delhi Milk Scheme regardless of the location of booths.

Crop Insurance Scheme

627. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken in respect of Crop Insurance Scheme ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the inordinate delay in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). No Sir, no final decision has yet been taken.

(c) The Central Government is considering introduction of a Bill to enable the State Governments, to introduce 'Crop Insurance'. The Draft Bill and Model Scheme of Crop Insurance were circulated and comments have been received from the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Mysore, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Punjab and Madhya Pradesh and Union Territories of Tripura and Himachal Pradesh.

Reaction of the L. I. C. has also been sought, The Comments from other States and L. I. C. are awaited.

Report of Labour Welfare Committee

628. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 383 on the 20th February, 1969 and state :

(a) whether Government have received the report of the Labour Welfare Committee appointed in 1966 ;

(b) if so, the main recommendations made by it and the details of the action taken thereon ; and

(c) if not, the reasons for the inordinate delay?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) **Yes.**

(b) Copies of the report of the Committee are available in the Parliament Library. Volume III of the Report contains the main recommendations of the Committee. The recommendations made by the Committee have been taken into account by the National Commission on Labour while formulating its own recommendations. The recommendations of the National Commission of Labour are being examined by Government in consultation with State Governments, Central Ministries and Organisation of Workers and Employees.

(c) Does not arise.

"Rally Round the Leaders" Advertisement

629. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an advertisement under the caption "Rally Round the Leader" was given by "A group of Young Business Executives" in many newspapers during the period of July/August last ;

(b) the total expenditure incurred on this advertisement;

(c) whether Government can assure that no foreign country, Government/semi-Government body or nationalised banks have given any funds to meet the expenditure or this advertisement ;

(d) whether a proper enquiry would be conducted in regard to this advertisement and the House apprised of the findings ; and

(e) if so, the time by which it would be done and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) to (e). The Ministry of Information and Broadcasting have no information regarding the sponsors of the advertisement or the source which financed the advertisement.

सूरतगढ़ फार्म का समाप्त किया जाना

630. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री सूरतगढ़ फार्म को समाप्त करने के बारे में 21 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 668 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में हुए लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है तथा सूरतगढ़ और जैतसर फार्मों पर लगाये गये धन को सम्मिलित रूप से क्यों हिसाब में लगाया जाता है ;

(ख) महालेखापाल से वर्ष 1967-68 के अंतिम निवेश आंकड़े किन परिस्थितियों के कारण प्राप्त नहीं हुए हैं जब कि वर्ष 1968-69 के निवेश को पूर्ण रूप से दिखाया गया है ; और

(ग) फार्म के प्रारम्भ होने से इस पर कुल कितना धन लगाया गया है, लगाये गये धन पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ है तथा भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) सन् 1968-69 में केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को हुए लाभ-हानि के हिसाब को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। कैलन्डर वर्ष 1968 के दौरान सूरतगढ़ और जैतसर फार्म एक यूनिट के रूप में कार्य कर रहे थे, अतः लगाये गये धन को सम्मिलित रूप से हिसाब में लाया गया।

(ख) लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 668 के भाग (ख) के उत्तर में पहले दिये गये 1967-68 के आंकड़े अन्तिम हैं। महालेखापाल से जिन अन्तिम आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है वे वर्ष 1968-69 के लिये हैं।

(ग) फार्म के प्रारम्भ होने से 30 जून, 1968 तक उस पर लगाया गया कुल धन 555.12 लाख रुपये था। फार्म को 30-6-1968 तक कुल लाभ 4.11 लाख रुपये का हुआ, इस में 41.51 लाख रुपये की वह राशि सम्मिलित नहीं है जो हिसाब में सूद के रूप में जमा की गई है। वार्षिक आधार पर लगाई गई पूंजी के आधारभूत वाणिज्यक लेखा में लाभ की प्रतिशतता निकाली जाती है। 30-6-1968 को समाप्त होने वाले 12 वर्षों में लगाई गई औसत पूंजी 99.5 लाख रुपये थी और दिये गये सूद को सम्मिलित करके कुल लाभ 45.62 लाख रुपये थी। यह 3.82 रुपये प्रतिशत प्रति वर्ष होता है। प्रपत्र लेखा तैयार करने की वर्तमान लेखा

पद्धति उपयुक्त मामूम नहीं पड़ती, क्योंकि इस वर्तमान पद्धति के अनुसार पूंजी पर सूद लगाई गई पूंजी में किया जाता है और लगाई गई पूंजी में हानि/लाभ घटाया/जमा किया जाता है। इस से न तो लगाई गई पूंजी का और न पूंजी पर वसूली का ठीक पता चलता है। इस लेखा पद्धित का भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है। चूंकि 1-8-69 से यह फार्म भारत के राज्य फार्म निगम लिमिटेड (सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम) ने संभाल लिया है, आगामी वर्षों के लिए लेखा पूर्णतया वाणिज्यक पद्धति पर तैयार किया जायेगा।

फार्म की कार्य पद्धति को सुधारने की दृष्टि से, जैसा कि ऊपर कहा गया है 1-8-69 से फार्म के प्रशासन के तरीके को विभागीय ढांचे से कम्पनी के ढांचे में परिवर्तित कर दिया गया है। भारत का राजकीय फार्म निगम अन्य फार्मों के साथ-साथ इस फार्य की कार्य पद्धति को भी सुधारने के लिये उपाय कर रही है।

केरल में छापामार युद्ध सम्बन्धी फिल्मों का प्रदर्शन

631. **श्री जय सिंह :**

श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा सन्चार** मंत्री 14 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3573 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से विधिवत् प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना केरल में केवल साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के कार्यकर्त्ताओं को छापामार युद्ध संबंधी जो फिल्में प्रदर्शित की गई थीं वे जब्त कर ली गई हैं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है ; यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में इस प्रकार के मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) छापामार युद्ध सम्बन्धी फिल्में जब्त नहीं की गई हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। राज्य सरकार के अनुसार, सम्बन्धित प्राधिकारियों को अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे थियेटरों के लाइसेंस धारियों को अप्रमाणित फिल्मों के प्रदर्शन के अपराध को फिर से करने के विरुद्ध चेतावनी दें।

(ख) केन्द्रीय सरकार का इस मामले में आगे कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य का ऐसा कोई मामला केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं आया है। दूसरे राज्यों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Allotment of Unused Land to Landless Agricultural Labour

632. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States in the Country where cultivable land is lying idle ;

(b) the reasons for which Government do not allot such land to the landless agricultural labourers ; and

(c) the scheme formulated by Government in this regard and the extent to which it would be implemented during the next two years ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Acoording to the information available for year 1966-67 (latest available year), the following States have sizeable unused culturable areas :

Andhra Pradesh	Punjab
Assam	Rajasthan
Bihar	Uttar Pradesh
Gujarat	West Bengal
Haryana	Andaman and Nicobar Islands
Jammu and Kashmir	Dadra and Nagar Haveli
Kerala	Delhi
Madhya Pradesh	Goa, Daman and Diu
Tamil Nadu	Himachal Pradesh
Maharashtra	Manipur
Mysore	Pondicherry
Nagaland	Tripura
Orissa	

(b) and (c). 1. It is not feasible to cultivate the entire available culturable waste land as the cost is prohibitive. To identify wastelands which can easily be reclaimed and cultivated, a survey was taken up. About 0.45 million hectares of land in blocks of 100 hectares and above were inentified as a result of the survey undertaken in 1959. Another survey to locate lands in blocks of less than 100 hectares is in progress and so far 2.2 million hectares of wasteland have been identified. The State Governments were requested to distribute this land both to increase the area of land under cultivation and to provide viable occupations to landless labourers in the interest of social justice.

2. To provide an incentive, a Centrally Sponsored Scheme of Reclaimation of Wasteland and Settlement of Landless Agricultural Labourers was taken up in the Third Five Year Plan whereby the State Governments gave financial assistance to landless labourers for starting farm operations on lands given to them and expenditure upto Rs. 750/- per family was reimbursed by the Central Government. Grant was also given for the reclaimation of wasteland upto Rs. 300/- per acre In large tracts of land, colonisation schemes were taken up, to provide facilities for taking up cultivation, houses, bullocks. water and other necessary facilities and expenditure upto Rs. 5,000/- per family was given by the Central Government. The schemes for Reclaimation of Wasteland and Individual Settlement were continued upto the end of the financial year 1968-69. This Scheme now stands transferred to the State Sector from 1-4-1969. Upto the end of the March, 1969, about 1.10 lakh families were resettled on about 2 lakh hectares of land under these schemes. Assistance amounting

to Rs. 62 millions, in the form of grant and loan, has been released to the State Governmenes so far. The State Governments, it is hoped, would continue these schemes in the Fourth Five Year Plan in the State Sector.

3. According to the information available the following States have made provision in their State Budgets for 1969-70 for continuing the scheme for resettlement of landless agricultural labourer as a part of their normal State Development Plans—

1. Bihar.
2. Madhya Pradesh.
3. Maharashtra.
4. Tamil Nadu.
5. Uttar Pradesh.

मंत्रियों के कार्यालयों तथा निवास स्थानों के बारे में ट्रंक कालों के बिल

633. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई से 15 अगस्त, 1969 के दौरान प्रधान मन्त्री, खाद्य तथा कृषि मन्त्री और औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री के कार्यालयों तथा निवास स्थानों के ट्रंक कालों के बिल कितनी-कितनी राशि के हैं ;

(ख) उक्त अवधि में इन मंत्रियों ने किन-किन स्थानों से कितनी-कितनी बार टेलीफोन किये ; और

(ग) 1967-68 में इसी अवधि में उनके टेलीफोन बिल कितनी-कितनी राशि के थे ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जैसा कि ऊपर (क) में दिया गया है।

Installation of Telephones in Villages

634. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh : **Shri Hardayal Devgun :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of villages where telephones have been installed during the last two and half years ;

(b) the details of the schemes being prepared by Government to provide telephone services in villages and small towns ;

(c) whether it is a fact that telephone facilities are very meagre in Haryana States uptil now ; and

(d) if so, the additional facilities to be provided in Haryana during the next two years ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Telephone facility in the form of public call offices has been provided in 837 villages during the last two and a half years, *i.e.*, from 1-4-1967 to 31-10-1969.

(b) Telephone facility is normally provided at a place if the scheme works out to be remunerative. In order to extend telephone facility to developed areas, the department has evolved a policy to provide the facility even on loss basis at certain categories of situations based on administrative importance of a place, population and remoteness from the general telephone network. Pilgrim Centres, Tourist Centres, Agricultural and Irrigation Project sites and Townships are also considered for providing telephone facility on loss basis. According to this policy, it is proposed to provide 2,000 Public Call Offices during the Fourth Five Year Plan in the entire country.

(c) Yes, Sir, the telephone facilities in Haryana are extremely limited as in the rest of the country. As on 30th September, 1969 there were 75 telephone exchanges and 56 long distance PCO's working in the State of Haryana with the total number of telephone sets being 14,100. The per capita number of telephone in Haryana works out to about the same as for the rest of the country excluding the 8 largest towns in the country.

(d) During the years 1969-70 and 1970-71, it is proposed to provide about 35 new long distance Public Call Offices. The existing exchanges in about 15 towns would be expanded to add a capacity of about 4,000 lines. During the Fourth Plan period, main automatic exchanges are being planned at Ambala, Hissar and Rohtak Subscriber trunk dialling facility is also being planned from Rohtak, Sonepat, Gurgaon and Ambala to Delhi.

Increase in Telephone Charges

635. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the increase effected in the telephone rent, telephone calls and deposits by Government during the last three years ;

(b) the profit earned by the Telephone Department during each of the last three years ;

(c) the reasons for the increase deposite the fact that they earned profit ; and

(d) the reasons for which the telephone users were not consulted prior to effecting the increase ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) A statement showing the charges in the telephone rental, local call charges and OYT deposits effected during the last three years is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-2029/69.]

	Rs.
(b) 1966-67	11,04,11,587
1967-68	8,50,52,965
1968-69	Not yet available.

(c) The increase in telephone tariffs has been effected mainly :

(i) to meet the rising cost of labour and material ;

(ii) to provide for depreciation, dividend payable and losses, if any, in the other branches of the Department to the extent possible ; and

(iii) to provide for research and generate resources for the development of telecommunication services.

(d) There is no statutory requirement to this effect nor is such a procedure considered feasible. The increase in tariffs is effected under Section 7 of the Indian Telegraph Act and the notifications issued under this Act are laid befare each House of the Parliament for a total period of 30 days. During this period, the Parliament can suggest any modifications as deemed fit. The rules framed under this Act are also scrutinized by the Committee on Subordinate Legislation.

The tariff increases made during the last three years are essentially based on the recommendations of the Tariff Committees appointed by the Department from time to time. The last P & T Tariffs Enquiry Committee appointed under the Chairmanship of Shri Mahavir Tyagi had also interviewed Chambers of Commerce, commercial bodies, newspapers etc. before formulating its recommendations.

देश में ट्रैक्टरों की माँग

636. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ट्रैक्टरों की माँग के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने की अविलम्बनीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने के लिये ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये क्या ठोस कार्यवाही की है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी हां। 1973-74 के लिये 90,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग). देश में ट्रैक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये ट्रैक्टरों के निर्माण में तेजी लाने हेतु भारत सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं :—

(1) चूंकि ट्रैक्टर को प्रामिक उद्योग की सूची में शामिल किया गया है, अतः सरकार ट्रैक्टर विनिर्माताओं के क्रमबद्ध निर्माण कार्यक्रम के अनुसार ट्रैक्टर के कल-पुर्जों और कच्ची सामग्री के आयात के लिये उनकी मांग को पूरा करने में समर्थ हैं।

(2) समस्त ट्रैक्टर विनिर्माताओं को उनकी अनुगुप्त धारिता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीगत माल के लिए आयात लाइसेंस मंजूर करके सहायता दी गई है।

(3) कृषि व्हील्ड ट्रैक्टर उद्योग को 7 फरवरी, 1968 से इण्डस्ट्रीज (डी० एण्ड आर) एक्ट, 1951 की लाईसेंसिंग व्यवस्था से छूट दी गई है जिससे कि मौजूदा ट्रैक्टर विनिर्माताओं को कम अश्व-शक्ति के ट्रैक्टर बनाने और अन्य इच्छुक

पक्षों को भी सस्ते ट्रैक्टर बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। ट्रैक्टरों के निर्माण की लगभग 7 नयी योजनाओं के लिये सिद्धान्त: मंजूरी दी गई है और लगभग 6 अन्य योजनायें विचाराधीन हैं।

(4) देश में मौजूदा गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में से प्रति वर्ष 12,000 क्षमता वाली एक परियोजना में कम अश्व-शक्ति (20 अश्व-शक्ति) वाले ट्रैक्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

समाचार एजेंसियों के लिये निगम

637. **श्री रवि राय :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री निहाल सिंह :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री अदिचन :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
डा० प० मण्डल :
श्री मयावन :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रा० बरुआ :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रेस आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और कुछ अन्य समाचार एजेंसियों को निगमों में बदलने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा और उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : जी, नहीं। प्रेस आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार केवल समाचार एजेन्सियों को सार्वजनिक निगमों में बदलने में सुगमता पैदा करने की इच्छुक है।

समाचार पत्र वित्त निगम बनाना

638. **श्री रवि राय :**
श्री प्रेम चन्द वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के सूचना मंत्रियों का अक्टूबर में श्रीनगर में सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिये एक समाचार-पत्र वित्त निगम बनाने का निर्णय किया है ; और

(ग) क्या वे इस परियोजना को क्रियान्वित करने जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, हां । छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिए समाचार-पत्र वित्त निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर श्रीनगर सम्मेलन में विचार हुआ था ।

(ग) प्रस्ताव का ब्यौरा अभी तय किया जा रहा है ।

Falling Standard of Programme of A. I. R., Delhi

639. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the young Producers at the Delhi Station of All India Radio have been transferred to other places ;

(b) whether it is also a fact that a Hindi Producer is physically unfit and his entire work is being done by the newly appointed Production Assistant and as a result of this the standard of the programme has gone down considerably ; and

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise,

Appointment of Announcers, etc. by A. I. R., Delhi

640. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Announcers, Production Assistants and General Assistants appointed in 1968 and 1969 by the Delhi Station of All India Radio ;

(b) whether the persons, who were appointed, were employed previously as casual artistes on contract basis for 10 to 15 days for the same work ;

(c) whether these persons were invited to participate in I. A. R. programmes in any capacity on ony occasion prior to the date of giving them the first contract of casual artistes ;

(d) if not, the reasons for which casual Contracts were awarded only to these persons ; and

(e) the academic and technical qualifications of these persons ; and the names and details of educational qualifications of those persons who were employed as casual artistes as referred to in part (a) above ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a)

Category	Calendar Years	
	1968	1969
1. Announcer	1	5
2. Production Assistant	1	4
3. General Assistant	1	1

(b) Yes, Sir. Seven of them.

(c) Yes, Sir. Two of those referred to in (b) above had participated in programmes at Delhi.

(d) Previous broadcasting experience and Programme exigencies.

(e) The information is contained in the statement enclosed. [*Placed in Library. See* No. LT-2030/69.]

Superannuated Staff of A. I. R., Delhi

641. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Producers, Assistant Producers and Programme Executives in A. I. R., Delhi, who have attained the age of 55 years ;

(b) whether Government are eware that all of them are physically unfit and are unable to perform their duties efficiently ;

(c) whether Government would enquire into the above facts by appointing a high level Committee so that programmes of Delhi Station A. I. R. could be improved ;

(d) whether Government intend to retire these persons from service or to transfer them to a place where there is iittle tension in production work ; and

(e) the names of the employees, who have attained the age of 55 years and since when they are working at Delhi Station of A.I.R. ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) 1. Producers — Two)
2. Assistant Producers — One) As on 1-11-1969
3. Programme Executives — Nil)

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

(e) 1. Shri Mohan Singh Sengar, Producer, Spoken Word, Hindi — 16-8-1960
2. Shri Chinta Mani Jain, Producer, Indian Music — 25-2-1964
3. Shri F. C. Mathur, Assistant Producer, Drama — 16-7-1969

Editing of News Items Broadcast by A. I. R.

642. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the method of collecting and compiling the news-items broadcast by A.I.R. ;

(b) whether Government have laid down any policy for the editing of these news-items ;

(c) the rules governing appointments, promotions etc. of the news-editors and whether independent advisers like Public Service Commission are invariably consulted in regard to the selection of candidates ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) All India Radio subscribes to leading news agencies. Besides, it monitors foreign broadcasts and has its own correspondnets at any places.

(b) Yes, Sir. The directions issued from time to time are that utmost objectively in the presentation of news should be observed.

(c) News Editors and other editorial staff working in the News Services Division are drawn from the Central Information Service and are governed by the Central Information Service Rules. Their appointments and promotions are made with the approval of and in consultation with the UPSC.

(d) Does not arise.

Failure of Green Revolution in U. P.

643. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a statement made by the Agriculture Minister of Uttar Pradesh to the effect that 'green revolution' there has been unsuccessful ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the reasons for which the 'green revolution' had been un-successful in Uttar Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The information has been called from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Release of High-Yielding Variety of Wheat Seed to Farmers

644. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pusa Institute, New Delhi has produced a high-yielding variety of wheat seed No. 1634 ;

(b) whether it is aiso a fact that the said seed has not been released to the farmess ;

(c) whether it is also a fact that the said seed is being made available to farmers only in black market instead of on fixed price ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Indian Agricultural Research Institute has a very large number of high-yielding varieties of wheat in various stages of experimental development. One of these varieties carries the number 1634 in Breeders' record.

(b) It is also a fact that this variety has not been released to the farmers.

(c) No, Sir.

(d) Question does not arise.

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खरीदे जाने के कारण बीकानेर में दूध की कमी

645. **डा० श्री करणी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बीकानेर डिवीजन में दूध खरीदे जाने के कारण दूध का मूल्य लगभग तिगुना हो गया है, जिस के परिणामस्वरूप वहां गरीब माताओं और बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है और जनता के सामान्य स्वास्थ्य पर भी इस का कुप्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार दूध की सप्लाई के मामले में इस क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये कोई योजना आरम्भ करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे पता चले कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध खरीदे जाने के कारण बीकानेर में दूध का मूल्य बढ़ गया है। ऐसा मालूम होता है कि उस क्षेत्र में गत दो वर्षों से निरन्तर रूप से सूखे की स्थिति रहने के कारण बड़ी संख्या में दुधारु पशु चले गये हैं जिस के कारण दूध की कमी हो गई है और उस के परिणामस्वरूप मूल्य बढ़ गया है।

1969-70 के दौरान भारत सरकार ने राजस्थान को 80 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण आवंटित किया। इस में से 20 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण राज्य सरकार के निदेशानुसार बीकानेर जिले में निशुल्क वितरण के लिये उस जिले के समाहर्ता के पास भेजा गया था।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

646. **श्री धीरेश्वर कलिता** :
डा० रानेन सेन :
श्री जनार्दनन :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि दोषी कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जाने के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि में प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस समय कम्पनियों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है ; और

(घ) बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों में भविष्य निधि की बकाया रकमों में वृद्धि हुई है ।

(ख) बकाया रकमों में हुई वृद्धि मुख्यत: कपड़ा और इंजीनियरी उद्योगों द्वारा की गई चूकों के कारण हुई ।

(ग) 30 जून 1969 को चूक करने वा गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कारण 1,396.86 रुपये की राशि बकाया में थी ;

(घ) बकाया रकम को भू-राजस्व की तरह वसूल करने के अधिकार राज्य सरकारों को दिये गये हैं । कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत नियोजकार अभियोजन चलाने के लिये राज्य सरकारों की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है । कई एक चूक करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ इस संगठन ने संबधित राज्य सरकारों के परामर्श से अभियोजन और । या वसूली कार्यवाही के रूप में कानूनी कार्यवाही शुरू कर रहा है कुछ चूक करने वाले नियोजनों के खिलाफ न्यायालयों में भी विश्वास भंग के फौजदारी मामले शुरू किये गये हैं । जहां तक उन प्रतिष्ठानों का संबंध है जं समापन की स्थिति को पहुंच गये हैं, उनके दावे समापकों के समक्ष अनिर्णीत पड़े हैं । कुछ प्रतिष्ठानों ने संगठनों से अदायगी तय करने वाली योजनाओं के अनुसार, चालू देय-रकमों के साथ साथ बकाया रकम अदा करने के समझौते भी किये हैं ।

भारत में चौथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

647. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर में भारत में चौथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समारोह में कितने देशों द्वारा भाग लिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या यह समारोह भारत में एक से अधिक केन्द्रों पर होगा ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत का चौथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह प्रतियोगिता के आधार पर होगा तथा इसमें ऐसी फिल्में होंगी जो अन्य समारोह में न दिखाई गई हों । इसको इण्टरनेशनल फैडरेशन आफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन पेरिस की मान्यता प्राप्त है। समारोह में एक प्रतियोगिता विभाग, एक गैर प्रतियोगिता विभाग तथा एक फिल्म बाजार विभाग होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्ट फिल्में पुरस्कार पाने की हकदार होंगी। समारोह के दौरान एक गोष्ठी तथा अडाक चलचित्र युग के समय से अब तक की विशिष्ट भारतीय फिल्मों को दिखाने की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) अब तक 31 देशों ने भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(घ) समारोह नई दिल्ली में 5 दिसम्बर को प्रारम्भ होगा में और 18 दिसम्बर, को समाप्त होगा। प्रोड्यूसरों के साथ विशेष प्रबन्धों के द्वारा कुछ फिल्में, जो सरकारी प्रविष्टियां नहीं हैं, समारोह के तुरन्त बाद बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में प्रदर्शित जाने की संम्भावना है।

Complaint against Post Master of Pawsara, Bulandshahar

648. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Superintendent of Post Offices of Aligarh has received complaints of irregularities against the Post Master of the village Pawsara in the District Bulandshahar in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the action taken in this regard ; and

(c) the results of the enquiry conducted, if any ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No.

(b) Nil.

(c) Does not arise.

भारतीय चलचित्र में नग्नता और चुम्बन

649. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री नं० रा० देवघरे :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री मयावन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री समर गुहा :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री शिवचरण लाल :
श्री निहाल सिंह :
श्री अदिचन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बलराज मधोक :
श्री वि० प्र० मंडल :
श्री रा० बरुआ :
श्री जि० सी० विश्वास :
श्री देवराव पाटिल :
श्री रामावतार शास्त्री :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री राम सेवक यादव : **डा० प० मण्डल :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चलचित्रों में नग्नता तथा चुम्बन के दृश्यों को प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी खोसला समिति की सिफारिश पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) और (ख). फिल्म सेंसरशिप पर खोसला समिति की समूची रिपोर्ट विचाराधीन है ।

टेलीफोन प्रयोक्ताओं की टेलीफोन शुल्क मुक्त श्रेणियां

650. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** **श्री पी० विश्वम्भरम :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन प्रयोक्ताओं की वे श्रेणियां कौन-कौन सी हैं जो टेलीफोन बिलों की अदायगी से मुक्त हैं ; और

(ख) सरकार को टेलीफोन शुल्क से मुक्त इन श्रेणियों के कारण वर्ष 1968 में आय की कितनी हानि हुई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) किसी भी उपभोक्ता को टेलीफोन बिलों का भुगतान करने से छूट नहीं दी जाती ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी भत्तों का भुगतान

651. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री समर गुह : **श्री पी० विश्वम्भरम :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल में बेरोजगार व्यक्तियों को दिये जाने वाले बेरोजगारी भत्ते में होने वाले व्यय का कुछ भाग केन्द्रीय सरकार से मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि मांगी गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी के नियमित कलाकारों द्वारा कार्य मूल्यांकन समिति की नियुक्ति की मांग

652. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री स० कुन्नू :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के नियमित कलाकारों ने वेतन मान और सेवा की शर्तें निश्चित करने के लिए कार्य मूल्यांकन समिति की नियुक्ति की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) इस समिति की नियुक्ति कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। कुछ स्टाफ आर्टिस्टों ने इस प्रकार की प्रार्थना की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Number of Transmission Executives on A. I. R.

653. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Transmission Executives in A. I. R. working as Programme Executives on an *ad hoc* basis for the past three years ;

(b) the reasons and propriety for keeping them on *ad hoc* basis for such a long time ; and

(c) the steps being taken by Government to confirm them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Forty-three.

(b) *Ad hoc* appointments had to be made for manning the vacant posts pending a final decision regarding recruitment rules for Programme Executives' posts.

(c) The question of confirming them does not arise as they are *ad hoc* promotees.

Grant of Advance Increments to Hindi Stenographers in AIR

654. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that whereas English Stenographers in A. I. R. are granted four advance increments on their passing shorthand test at a speed of 120 words p.m.,

Hindi Stenographers having the same proficiency have been denied this benefit for a long time on the pretext of obtaining clarification ;

(b) if so, the reasons for such delay ;

(c) whether such Hindi Stenographers as have passed the test at 120 words p.m. would be granted four advance increments with effect from the 28th February, 1967, as in the case of English Stenographers ;

(d) if reply to part (c) above be in the negative, the manner in which the loss to Hindi Stenographers on account of this indecision is proposed to be made good by Government ; and

(e) if Government do not remove the disparity between the English and the Hindi Stenographers, on whom the responsibility lies therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (e), Junior English Stenographers in All India Radio's Subordinate Offices have been sanctioned advance increments on their passing dictation tests at the prescribed speeds. The question of grant of similar concession to Indian Language Stenographers, including Hindi Stenographers, is under active consideration of the Government. The delay has been inevitable because the issue is of a general nature and requires consultations with other Ministries.

कोयला खानों के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी दिये जाने का तरीका

655. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री के० अनिरुद्धन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में भूमि तथा भूमि के नीचे कार्य करने वाले कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी दिये जाने के तरीका क्या हैं ;

(ख) क्या यह तरीका वही है जिसकी कोयला मजूरी बोर्ड ने सिफारिश की थी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कोयला खानों के कर्मचारियों को कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार छुट्टी देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). खान अधिनियम, 1952 में खान में भूमि के नीचे नियुक्त व्यक्तियों और अन्यों के लिए कुछ सवेतन वार्षिक छुट्टी की व्यवस्था है। कोयला उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने उससे अधिक सवेतन वार्षिक छुट्टी व कुछ अतिरिक्त लाभ, जैसे सवेतन त्यौहारी छुट्टियां, आकस्मिक छुट्टी, बीमारी छुट्टी आदि देने के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं। सरकार ने सवेतन त्यौहारी छुट्टियां और बीमारी छुट्टी (इकट्ठी करने की व्यवस्था के बिना) मंजूर करने की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने और वर्तमान सवेतन वार्षिक छुट्टी को बढ़ाने सम्बन्धी सिफारिशें, उत्पादन और मजूरी की लागत पर हानिकर प्रभाव पड़ने के कारण स्वीकार नहीं की गई।

(घ) छुट्टी सम्बन्धी स्वीकृत सिफारिशों की क्रियान्विति उसी प्रकार करवानी पड़ेगी जैसे

कि मजूरी बोर्ड की अन्य सिफारिशों की क्रियान्विति कराई जाती है—अर्थात अनुनय और परामर्श द्वारा।

केरल में मालामपुजा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-चुनाव का परिणाम प्रसारित न करना

656. **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री इ० के० नायनार :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किये जाने वाले मलयालम समाचार बुलेटिन में केरल में मालमपुजा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-चुनाव के परिणाम की घोषणा नहीं की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रादेशिक भाषा समाचार बुलेटिन में ऐसे महत्वपूर्ण प्रादेशिक समाचार की अपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) यह समाचार त्रिवेन्द्रम से मलयालम के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में 30 सितम्बर, 1969 को शाम के 6 बजकर 5 मिनट पर प्रसारित किया गया था। परन्तु यह दिल्ली के मलयालम बुलेटिन में शामिल नहीं किया गया था।

(ख) दिल्ली के मलयालम समाचार बुलेटिन में इस समाचार का न दिया जाना एक चूक थी जिसके लिए आकाशवाणी को सलाह दी गई है कि वह भविष्य में अधिक सावधान रहे।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें

657. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी खरीफ की फसल मूल्य नीति के बारे में कृषि-मूल्य आयोग की सिफारिशें आर्थिक तर्क की दृष्टि से अकाट्य हैं ;

(ख) क्या उन्होंने इन सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय किया है तथा क्या वह उन्हें लागू करने के लिए राज्य सरकारों को भी राज़ी करायेंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि मूल्य आयोग अधिप्राप्ति मूल्यों की सिफारिश करते समय निस्सन्देह उत्पादन लागत, फसल सम्भावनाएं, मौसम की स्थिति, राज्य का कमी तथा अधिशेष होना विषयक स्वरूप बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति, सरकारी वितरण तथा बफर स्टाक की आवश्यकताएं जैसे संगत तथ्यों को ध्यान में रखता है। तथापि, आयोग के विचारों से भिन्न विचारों का होना सम्भव है जिसपर विचार किया जा सकता है।

(ख) और (ग). आयोग की सिफारिशों पर मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में चर्चा की जाती है और अन्ततोगत्वा मूल्य आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जाते हैं।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा खाद्य स्थिति का मूल्यांकन

658. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परिवर्तित खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिए गत सितम्बर में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् में खाद्य स्थिति का क्या मूल्यांकन किया ;

(ग) परिषद् ने किन-किन परिवर्तनों का सुझाव दिया तथा खाद्य के उत्पादन, आयात तथा वितरण के सम्बन्ध में क्या भावी नीति अपनाई गई ; और

(घ) किन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है और किन-किन को नहीं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) देश की खाद्य स्थिति की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद् की एक बैठक सितम्बर, 1969 में हुई थी।

(ख) खाद्य स्थिति संतोषजनक पायी गयी थी।

(ग) तथा (घ). परिषद् में सामान्यत: खाद्य नियंत्रण उपायों में ढील, भण्डारण सुविधाओं में वृद्धि तथा सुधार, धान के मूल्यों में अन्तर्राज्यीय असमानता, अच्छी किस्म के चावल की सप्लाई के लिये बेहतर मूल्य, बैंक ऋणों, बासमती चावल तथा दालों का सीधा निर्यात और न कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से तथा राज्यों में उसी प्रकार की परिषदों के गठन के बारे में चर्चा हुई थी।

राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद् का कार्य क्षेत्र सलाहकार के रूप में हैं। तथापि, भारत सरकार ने बढ़िया औसत किस्म के चावल के अधिप्राप्ति मूल्य पर एक प्रीमियम निर्धारित कर दिया है। राज्य सरकारों को भी राज्य में खाद्य सलाहकार परिषदों के गठन के बारे में विचार करने के लिये सलाह दी गयी है।

कृषि स्नातक

659. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री कृषि स्नातकों के बारे में 3 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकत्रित सूचना में पाई गई असंगतियों को अब दूर कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संकलित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). यह जानकारी कृषि विश्वविद्यालयों/कालेजों और राज्य सरकारों से एकत्र की जानी है । इनमें से अधिकांश के उत्तर प्राप्त हो गये हैं और इनका मिलान किया जा रहा है । शेष संस्थाओं को स्मरण कराया जा रहा है । आशा है शीघ्र ही पूर्ण जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Incidents of Strikes, Lockouts and Gheraoes in West Bengal

660. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Strikes, Lock-outs and Gheraoes in the industrial institutions that took place in West Bengal during the last seven months ; and

(b) the number of labourers rendered unemployed and the man-hour lost during the aforesaid period as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Labour Union House Building Co-operative Society, Ujjain

662. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government has received some letters from the Labour Union House Building Co-operative Society, Ujjain and some Members of Parliament in connection with the construction of Laksmi Nagar Colony, Ujjain ;

(b) if so, the specific matters which the Government have been requested to enquire into and the details thereof ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri D. Ering) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

पश्चिमी बंगाल में 'घेराव' की घटनायें

663. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल के औद्योगिक संस्थानों तथा कोयला खानों में होने वाली 'घेराव' की घटनाओं के बारे में पता है ;

(ख) क्या सरकार ने देश में श्रमिक संघ की गतिविधियों में इस नयी प्रवृत्ति की जटिलताओं की जांच की है ;

(ग) क्या सरकार 'घेराओं' की गैर-कानूनी तथा हिंसात्मक गतिविधियां समझती हैं ;

(घ) यदि हां, क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को इन गतिविधियों को गैर-कानूनी घोषित करने को कहा है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में घेराव की गतिविधियों के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कुछ रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) से (घ). घेरावों का सम्बन्ध स्पष्टत: कानून और व्यवस्था से है जिनमें विभिन्न प्रकार के दंडनीय अपराध हो सकते हैं ; उस प्रसंग में उनका संबंध मुख्यत: राज्य सरकारों से है। जहाँ तक औद्योगिक विवादों में उनके प्रभाव का संबंध है, इस विषय पर स्थायी श्रम समिति ने अपनी मई, 1967 में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया और औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के लिए डराने धमकाने के तरीकों का, जिनमें घेराव (गलत रूप से घेरना शामिल है) अनुमोदन नहीं किया गया। राज्य सरकार को तदनुसार सलाह दी गई।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

हड़तालों के कारण जन-घण्टों की हानि

664. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानों सहित सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं में पड़तालों के फलस्वरूप जनवरी से जुलाई, 1969 के दौरान कितने जन-घंटों की हानि हुई ; और

(ख) देश में हड़ताल की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार का विचार श्रमिक संघों तथा प्रबन्धकों के परामर्श से क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केवल हड़तालों से हुई कामबन्दी के बारे में अलग रूप से कोई सूचना एकत्र नहीं की जाती। उपलब्ध सूचना जो कि अभी अपूर्ण है, के अनुसार जनवरी से जुलाई, 1969 के दौरान औद्योगिक विवादों के कारण कामबंदियों से नष्ट हुए श्रम दिनों के आंकड़े इस प्रकार हैं ;

क्षेत्र	श्रम दिन (हजार में)
सरकारी	631
गैर-सरकारी	4,290
कुल	4,921

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जो कि औद्योगिक विवादों को तय करने की व्यवस्था करने के लिये मुख्य केन्द्रीय विधान है, और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं (जिनमें द्वि-पक्षीय और त्रि-पक्षीय समझौते भी शामिल हैं), जो कि सरकार की औद्योगिक नीति का आधार बनती हैं, के अतिरिक्त कोई विशेष उपाय इस समय विचाराधीन नहीं है। परन्तु सरकार हड़तालों के सारे विषय पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रख कर विचार कर रही है।

नागालैंड में डाक और दूर संचार की सुविधायें

665. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में डाक और दूर-संचार की सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसको कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। नागालैंड में डाक और दूर संचार सुविधाओं के विस्तार के प्रश्न पर सरकार बराबर विचार करती रहती है। स्थिति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और राज्य में विकास योजनाओं में तेजी लाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ख) और (ग). (i) खोला जाना —

1969-70 के दौरान 17 नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, जिसमें से निम्नलिखित 5 स्थानों पर डाकघर खोले जा चुके हैं :

1. एटेप्योंग
2. एजुटो
3. खोनोमा
4. एग्रीकल्चरल कालोनी
5. खेर महल

निम्नलिखित 7 स्थानों पर डाकघर खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और वे शीघ्र ही खोल दिए जाएंगे।

1. चिचेमा एस० ओ०
2. टिजिट
3. मानकुलेम्बा
4. किजोचा
5. चाजूबा एस० ओ०

6. इंग्लान

7. चुकितांग

नीचे दिए गए स्थानों पर खोले जाने वाले शेष पांच डाकघरों के सम्बन्ध में कार्रवाई को 31-3-1970 के पहिले अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

1. मानलांग

2. चम्पांग

3. ओंयांग्कोंग

4. वाजूरो

5. तुली

(ii) दर्जा बढ़ाया जाना—

फुत्सेरो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने के आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं और इसका दर्जा शीघ्र ही बढ़ाया जा रहा है ।

चांकी, दीमापुर बाजार और लांगकिन के मामलों की जांच की जा रही है ।

डाक सेवाओं का तेजी से विकास करने के लिए कोहिमा में एक डाकघर अधीक्षक के पद की मंजूरी दी जा चुकी है ।

दूर संचार :

(1) निम्नलिखित विस्तार/संस्थापन कार्य चल रहे हैं और इनके निकट भविष्य में चालू होने की संभावना हैं :

(i) कोहीमा स्वचल टेलीफोन केन्द्र का 300 से 400 लाइनों में विस्तार ।

(ii) दीमापुर (मनीपुर रोड) में 200 लाइनों के करचल केन्द्र में बदली और विस्तार करके उसे 300 लाइनों का स्वचल केन्द्र बनाना ।

(iii) मोन, फैक, तुएनसांग और वोखा में से हर एक स्थान पर 50 लाइनों का एक छोटा स्वचल केन्द्र स्थापित करना ।

इन सभी निर्माण कार्यों के इस वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की आशा है ।

(2) इंफाल कोहीमा परिपथ में 8 सरणि वाहक प्रणाली स्थापित करना दिसंबर, 1970 तर इसके पूरा हो जाने की आशा है ।

(3) मोन, फेक, जुनेबोको और वीरवा में बेतार तार सुविधाएं प्रदान करना । इन प्रणालियों के लिए मंजूरी दे दी गई है और फौरन उपलब्ध होने वाले उपस्कर निर्धारित कर दिए गए हैं । पहले दो स्टेशनों के लगभग छः महीनों में चालू हो जाने की आशा है ।

(4) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोहीमा और दीमापुर तक सूक्ष्म तरंग प्रणाली का विस्तार ।

(5) दूर संचार सुविधाओं के विस्तार पर बेहतर ढंग से निगाह रखने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कोहीमा में तार उपमंडल खोलना । इसकी मंजूरी पहले से ही दे दी गई है । इसके दिसम्बर, 1969 तक स्थापित हो जाने की आशा है ।

बेरोजगारी बीमा योजना

666. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री जि० मो० बिश्वास :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगारी बीमा योजना तैयार कर ली गई है और इस समय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ होने की संभावना है ;

(घ) इस योजना की क्रियान्विति से कितनी धनराशि व्यय होगी ; और

(ङ) इसको कब तक अन्तिम रूप दिये जाने तथा लागू किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उन कर्मचारियों के बारे में जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं, बेरोजगारी बीमा योजना सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) से (घ). ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।

(ङ) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि अन्तिम निर्णय कब दिया जायगा ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन

667. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री सरजू पाण्डेय :**
डा० रानेन सेन : **श्री इन्द्रजीत गुप्त .**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन और भारतीय श्रमिक सम्मेलन में राष्ट्रीय श्रम आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था और कार्मिक संघों की मान्यता से संबंधित राष्ट्रीय श्रम आयोग की मुख्य सिफारिशों के बारे में कोई मतैक्य हुआ है, तो वह क्या है ; और

(ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार की अपनी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ ।

(ख) इन सिफारिशों पर विभिन्न विचार व्यक्त किये गये । श्रम मन्त्री राष्ट्रीय सामान्यतः श्रम आयोग द्वारा सुझाये गये कार्य के लिए औद्योगिक संबंध आयोग पक्ष में नहीं थे, लेकिन नियोजकों के प्रतिनिधियों ने इस सिफारिश का समर्थन किया । श्रमिकों के कुछ प्रतिनिधि भी कुछ संशोधन के साथ इस सिफारिश के पक्ष में थे । मान्यता के प्रश्न पर अनिवार्य मान्यता के बारे में समान्यतः सहमति थी लेकिन इस बारे में एक राय नहीं थी कि इस प्रकार की मान्यता कैसे दी जानी चाहिए ।

(ग) इस समय किए जा रहे विचार-विमर्श का कार्य पूर्ण होने पर ही विभिन्न सिफारिशों के बारे में सरकार निर्णय देगी ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि अंशदान की राशि जमा न करना

668. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री इसहाक सम्मली :
श्री भारखन्डे राय :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री ई० के० नायनार :
श्री के० एम० अब्रहम :
श्री के० रमानी :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने गत चार महीनों से अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि के अंशदान की राशि भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं करवाई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के संचालन की जिम्मेदारी केन्द्रीय न्यास बोर्ड की है, जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है और यह कार्य भारत सरकार का नहीं है । स्थानीय निकार्य कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत नहीं आते हैं परन्तु दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत 3 संस्थान आते हैं क्यों कि वे उन वर्गों के संस्थान हैं जो अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । भविष्य निधि अधिकारियों ने बताया है कि इनमें से दो संस्थान मुक्त संस्थान हैं क्यों कि उनकी भविष्य निधि की अपनी व्यवस्था है और तीसरे संस्थान ने अब तक देय समस्त राशि जमा कर दी है ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विकास कर्मचारियों का अध्ययन

669. श्री चन्द्र शेखर सिंह : श्री जनार्दनन :
श्री भोगेन्द्र झा : श्री जगेश्वर यादव :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा जिला तथा निम्न स्तरों पर किये गये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विकास कर्मचारियों के अध्ययन से समूचे कार्यक्रम में गिरावट और पतन की प्रबल प्रवृत्तियों का पता चला है ;

(ख) क्या अध्ययन से इस बात का भी पता चला कि विकास की अपेक्षा कर्मचारियों पर अधिक धन व्यय किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा अपने हाल ही के अध्ययन में की गई टिप्पणियों के प्रकाश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्य का पुर्वविलोकन करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : (क) अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न विकास विभागों, जिनमें जिला, खण्ड तथा ग्राम स्तर की पंचायती राज संस्थाएं और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, हथकरघा बोर्ड और समाज कल्याण बोर्ड आदि जैसे अन्य गैर-सरकारी अभिकरण भी शामिल हैं, के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या की गणना करना और अन्त : तथा अंतर्विभागीय समन्वय की समस्याओं का अध्ययन करना था । इसलिए कार्यक्रम विशेष के कार्यकरण का अध्ययन नहीं किया गया । तथापि, इस बात का उल्लेख किया गया है कि कुछेक उत्तर चरण 2 खण्डों में प्रगति की गति धीमी देखी गयी ।

(ख) अध्ययन से पता चला है कि कुल बजट का 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत भाग विकास की मदों पर व्यय किया जाता है । अधिकांश जिलों में कुल बजट का दो-तिहाई भाग विकास मदों पर खर्च किया गया है ।

(ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने यह अध्ययन चौथी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने के सम्बन्ध में योजना आयोग के अनुरोध पर किया था ।

लोबिया (काउ पी) की नई किस्म का विकास

670. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में दुर्गापुर स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र में लोबिया (सी० 67.7) की एक नई किस्म का विकास किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह किस्म पूसा फागूनी से अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस फार्म को प्रोत्साहन देने की स्थिति में है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान में इस किस्म के प्रयोग करने पर 1968 तथा 1969 में प्रति हैक्टेयर क्रमशः 431 किलोग्राम तथा 450 किलोग्राम के उत्पादन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

(ग) यह फार्म राजस्थान सरकार का है, अस्तु: प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर राज्य सरकार ने विचार करना होगा ।

खाद्यान्नों का आयात

671. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 की प्रथम छमाही में कितनी मात्रा में खाद्यान्न का आयात किया गया ;

(ख) खाद्यान्न का आयात किन-किन देशों से किया गया ;

(ग) आयात पर कितनी धनराशि खर्च हुई ; और

(घ) वर्ष 1969 के शेष भाग में खाद्यान्न की आयात की क्या सम्भावनाएं हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

विभिन्न देशों से जनवरी से अक्तूबर, 1969 तक आयात की गई और नवम्बर और दिसम्बर, 1969 के दौरान आयात की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा तथा अनुमानित लागत तथा भाड़ा मूल्य बताने वाला विवरण ।

मात्रा हजार मीटरी टन

मूल्य लाख रुपयों में

क्रम संख्या	देश	आयात जनवरी से जून		आयात जुलाई से अक्तूबर		नवम्बर और दिसम्बर, 1969 के दौरान खाद्यान्नों की आयात की जाने वाली प्रत्याशित मात्रा ।
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1.	अर्जनटाइना	118,8	587.0	—	—	—
2.	आस्ट्रेलिया	15.4	130.5	—	—	70.0
3.	बर्मा	110.7	1204.8	92.6	1005.6	—
4.	कनाडा	367.3	2212.1	73.2	437.6	145.8
5.	डेन्मार्क	—		20.3	116.0	—

1	2	3	4	5	6
6. ई०ई०सी०	—	—	28.3	160.6	51.6
7. थाईलैंड	11.0	119.0	59.9	553.5	40.1
8. संयुक्त अरब गणराज्य	—	—	51.8	499.8	7.8
9. अमेरिका	1394.9	8669.9	116 .9	7399.8	60.2
जोड़	2918.1	1286?.3	1495.0	10172.0	375.5

भारतीय खाद्य निगम की भाण्डागार क्षमता

672. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की भाण्डागार क्षमता अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भाण्डागार क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम के पास अपनी तथा किराये की कुल भण्डारण क्षमता उनकी चालू जरूरतों के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भण्डारण की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय न्यूनतायें दूर करने के लिए अतिरिक्त गोदाम स्थापित कर वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। जब कभी आवश्यक समझा जाता है तब अतिरिक्त गोदाम किराये पर भी लिये जाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाने वाला खर्च

673. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भारतीय खाद्य निगम बनाये रखने पर सरकार ने कुल कितनी धन राशि खर्च की है ; और

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम पर किये जाने वाले खर्चों की दृष्टि से उसका कार्य संतोषजनक है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के संचालन में सीधे कोई खर्च नहीं करती है।

फ़िर भी, पिछले तीन वर्षों में उन्होंने 17.29 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निगम को सुलभ की है और ऋण के रूप में कुल 209.00 करोड़ रुपये की चालन पूंजी भी दी है।

(ख) इस तथ्य को देखते हुए कि भारत सरकार निगम के संचालन पर सीधे कोई खर्च नहीं करती है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि यह उल्लेखनीय है कि निगम का कार्य संतोषजनक रूप से चलता रहा है।

मैसूर में भारतीय खाद्य निगम के मालगोदाम

674. **श्री एन०शिवप्पा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में भारतीय खाद्य निगम के कितने मालगोदाम हैं ;

(ख) क्या सरकार मैसूर में मालगोदामों की क्षमता को सन्तोषजनक समझती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के मैसूर के 8 केन्द्रों में इस समय अपने 59,900 मीटरी टन की क्षमता के गोदाम हैं। इसके अलावा, 6,250 मीटरी टन की क्षमता के गोदामों का निर्माण कार्य चल रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला खानों के कर्मचारियों के विरुद्ध किये गये दमनकारी उपाय

675. **श्री वि० कु० मोइक** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में वर्तमान राष्ट्रपति शासन काल के दौरान स्थानीय कोयला खान मालिकों द्वारा कितने मामलों में बिहार के कोयला क्षेत्र के श्रमिकों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध दमनकारी उपाय अपनाये गये ; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

"बसुमती" के मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच

676. श्री वि० कु० मोडक :
श्री गणेश घोष :
श्री कं० हाल्दर :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बंगला दैनिक "बसुमति" के मामलों को किस तिथि को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपा गया था ;

(ख) क्या अब तक जांच पूरी हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है ; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों को एक पत्र 29 मार्च, 1968 को भेजा गया था जिसमें फर्म के विरुद्ध मुकदमा 7 मई, 1968 को दर्ज किया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) जांच पूरी होने में कुछ समय और लगेगा ।

कोयला खान श्रमिकों को कोयला खान कल्याण मण्डल द्वारा दी गई सुविधायें

677. श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान कल्याण मंडल द्वारा कोयला खान श्रमिकों को सुविधाएं तो दी गई हैं ;

(ख) क्या कोयला खान श्रमिकों को वही सुविधायें दी जाती हैं जो कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिकों को उपलब्ध हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सभी सुविधाएं उन्हें भी उपलब्ध करने का है ; यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कोयला खान श्रम कल्याण निधि द्वारा कोयला खान श्रमिकों और उनके परिवारों के लिये निशुल्क रूप से विस्तृत चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है । इन सुविधाओं में अस्पतालों, प्रसूति और बच्चा कल्याण केन्द्रों को चलाने, तपेदिक की चिकित्सा, जिसमें घर

पर इलाज करना भी शामिल है, औषधालय सेवा, जिसमें आयुर्वेदिक दवाखानें शामिल हैं, और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सम्मिलित है। निधि ने तपेदिक, कैंसर तथा कोढ़ से पीड़ित बीमारों के लिये अन्य अस्पतालों व आरोग्य निवासों में पलंग रक्षित भी किये हैं। निधि की बस्ती बसाने की योजनायें तो हैं ही। इनके अलावा यह अपनी अनेक आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये उपदान देती है। कोयल क्षेत्रों में पानी की बहुत पहले से चली आ रही पानी सप्लाई करने की समस्याओं से मुक्ति देने के लिए यह निधि कोयला खान प्रबन्धकों तथा जल सप्लाई बोर्डों को आर्थिक सहायता देती है, ताकि पेय जल पूर्णतः उपलब्ध हो जाय। यह निधि कोयला खान श्रमिकों को शैक्षणिक और मनोरंजन की विभिन्न सुविधायें भी देती है। इस निधि के कार्यों का विवरण मंत्रालय की उस वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है जिसे प्रतिवर्ष संसद के बजट सत्र से पहले प्रस्तुत किया जाता है।

(ख) से (घ). कर्मचारी राज्य बीमा जिसमें अधिनियम, 1948, इस समय कारखानों पर लागू होता है और इसमें बीमारी, प्रसूति तथा काम करते समय चोट लगाने पर कर्मचारियों के लिये कुछ लाभों की व्यवस्था की गई है। कोयला खानों के श्रमिकों को ऐसे मामलों में अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत या कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि द्वारा कुछ ऐसे ही लाभ प्राप्त होते है। जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम पुनरीक्षण समिति ने शिफारिश की है, सभी कारखाना श्रमिकों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 को कोयला खान श्रमिकों पर लागू करने के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है।

खाद्य उत्पादन

678. **श्री बैदब्रत बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में होने वाले खाद्य उत्पादन के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) क्या इस वर्ष के खाद्य उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि की अपेक्षा यह अनुमान कम रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सन् 1969-70 के चालू वर्ष के लिए खाद्यान्नों के प्रत्याशित उत्पादन के बारे में कोई पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। सन् 1969-70 के लिये खाद्यान्न फसलों के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमान चालू कृषि वर्ष के समाप्त होने पर ही अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1970 में उपलब्ध हो सकेंगे।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर में मछली पालन का विकास

679. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में मछली पालन के विकास के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) मैसूर राज्य में प्रस्तावित जिलावार विकास का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में मंगलौर स्थित मछली पालन कालेज (फ़िशरीज कालेज) में व्यवसायिक मछियारे विद्यार्थियों को दाखिल नहीं किया गया है ; और

(घ) मंगलौर फिशरीज कालेज में कितने लड़के दाखिल किये गये हैं और उनमें परम्परागत मछियारे समुदाय के कितने लड़के हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मैसूर राज्य में मात्स्यकी के विकास के लिए 55 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है ।

(ख) योजनाओं के सन्दर्भ में यह प्लान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है । जिलावार कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा बनाये जाते हैं ।

(ग) और (घ). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्य नीति पर मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन

680. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री क० लकप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री देवराव पाटिल :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावी खाद्य नीति के बारे में 27 सितम्बर, 1969 को नई दिल्ली में हाल में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये तथा क्या सिफारिशें की गई ; और

(ख) क्या आगामी वर्ष में भी खाद्य तथा चीनी सम्बन्धी वर्तमान नीतियां जारी रहेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 27-9-69 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

27 सितम्बर, 1969 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें

1. कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित अधिप्राप्ति लक्ष्यों को सामान्यत: स्वीकार कर लिया गया। तथापि, कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बाद मानसून की अवधि में हुये परिवर्तन को देखते हुये उत्पादन में हुई कमी के लिए मामूली फेरबदल करना होगा ।

2. वर्तमान अधिप्राप्ति मूल्यों को मामूली फेरबदल के साथ बनाये रखा जाना चाहिये ।

3. बिहार, केरल, मैसूर और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारें सुपुर्दगी बोनस के भुगतान को जारी रखने के पक्ष में थीं। निर्यात करने वाले राज्यों को चावल पर देय प्रोत्साहन बोनस को समाप्त करने सम्बन्धी सुझाव को सप्लाई करने वाले राज्यों ने स्वीकार नहीं किया।

4. कृषि मूल्य आयोग की इस सिफारिश को कि उत्पादकों से सीधे खरीदारी की जाय और विचौलियों को समाप्त कर दिया जाय, सिद्धान्ततः मान लिया गया। तथापि राज्य सरकारें इस बात के लिए स्वतंत्र होंगी कि वे अपने राज्यों में अधिप्राप्ति में तेजी लाने हेतु जो सबसे उपयुक्त प्रणाली हो उसे अपनाएं।

5. कृषि मूल्य आयोग की किसानों को दिए जाने वाले मूल्य के एक भाग को अस्थगित करने को सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी।

6. 1969-70 के लिए चीनी के आंशिक विनियंत्रण की वर्तमान नीति चालू रहेगी।

(ख) सामान्यतः 1968-69 सीजन की नीतियों को 1969-70 सीजन में भी लागू रखा जा रहा है।

सामान्य निवास स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शनों के लिए संसद सदस्यों से आवेदन-पत्र

681. **श्री कं० हाल्दर :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रामेन सेन : **श्री जि० मो० विस्वास :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में संसद सदस्यों से उनके सामान्य निवास स्थान पर टेलीफोन कनेक्शन के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

(ख) कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शन के लिये अगस्त, 1969 में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में डेढ़ महीने की अवधि के बाद भी टेलीफोन कनेक्शन दिये गये ;

(घ) क्या यह सच है कि जनरल मैनेजर, टेलीफोन, कलकत्ता से शिकायतें की गई थी कि वह संसद सदस्यों के पत्रों की प्राप्ति की सूचना नहीं देते ; और

(ङ) क्या विलम्ब के लिये मन्त्री महोदय को भी शिकायतें मिली हैं ; और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 454

(ख) 26

(ग) जी हां, तीन मामलों में केवल उपलब्ध न हो सकने के कारण टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये जा सके। केवल बिछाने का काम पहले से ही जारी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) कुछ संसद सदस्यों ने जवानी शिकायतें की हैं। यथा शीघ्र टेलीफोन लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

हरिजनों के लिये आवास भूमि

682. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य तथ कृषि मन्त्री हरिजनों के लिए आवास भूमि के बारे में 24 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 795 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों तथा अन्य भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों के नाम में आवास भूमि अभिलेखन के बारे में सूचना इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस गांधी शताब्दी वर्ष में 1 एकड़ तक के भूमि के मालिक हरिजनों तथा अन्य किसानों और खेतिहर मजदूरों को आवास भूमि का अभिलेखन कराने अथवा दिखाने के लिए राज्य सरकारों को निदेश दे रही है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां उड़ीसा तथा बिहार को इस आशय की विशेष हिदायतें जारी की गयी हैं कि भूमिहीन व्यक्ति जिस भूमि पर रहते हैं उसका स्वामित्व गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान उन्हें प्रदान किया जाये। जिस भूमि पर गरीब लोगों ने अपने घर बना लिये हैं उसके स्वामित्व का निर्धारण व ध्यान किये बिना उसके अर्जन के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार एक अध्यादेश ने जारी किया है, किन्तु उस व्यक्ति के अधिकार में 0334 हैक्टर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र), गुजरात, केरल महाराष्ट्र, मैसूर, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आदि अन्य राज्यों में आबाद हुई भूमि के पट्टेदारों को उस भूमि का स्वामित्व सौंप दिया गया है, जिस पर उन्होंने अपने घर बना लिये थे। राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि इन उपबन्धों को प्राय कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) भूमि राज्य सरकारों का विषय है। अतः आबाद हुई भूमि के अनिवार्य रिकार्डिंग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को कोई निदेश नहीं दे सकती। फिर भी, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के विचारार्थ सुझाव दिये गये हैं कि आबाद हुई भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये।

Insolvency of a Co-operative Store in Ballimaran, Delhi

684. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the total loss suffered due to insolvency of a big Co-operative Store located in Mohalla Ballimaran, Delhi ; and

(b) if so, the action taken against the departmental employees for their malpractices due to which the above loss has been suffered ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri D. Ering) : (a) The Delhi State Central Co-operative Store

Ltd. located in Mohalla Ballimaran, Delhi, was taken into liquidation on 2nd September, 1969. A statutory enquiry conducted earlier revealed that the Store had incurred an estimated loss of about Rs 7.13 lakhs owing to mismanagement and other irregularities committed by the Board of Management. The question of Store incurring loss due to insolvency does not arise.

(b) The question does not arise.

Creation of 'Land Army'

685. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is any permanent scheme under his Ministry for creating 'Land Army' ;

(b) if so, the method for the distribution of fallow land ; and

(c) whether there is also any scheme to ensure that the proper remuneration would be paid to the agricultural labourers working in big farms, besides the distribution of land to them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is a provision for fixation of minimum wages for agricultural labour under the Minimum Wage Act. 1948. The State Governments are required to fix and enforce minimum wages in scheduled employments including agriculture. During the last three Plans, all the State Governments/Union Territories were the Act is applicable have fixed minimum rates of wages for employment in agriculture in the entire State/Union Territories with the exception of Maharashtra and Tamil Nadu where it has been done in parts of the States. The Government of Maharashtra had stated that the time was not ripe for extending the minimum wages to the entire State due to various difficulties in agriculture. The Government of Tamil Nadu stated that the matter was still under consideration.

Under Section 19 of the Act, the appropriate Governments are empowered to appoint Inspectors for enforcement of the Act. With the exception of a few States, such as, Madhya Pradesh, Assam, Orissa, Rajasthan, West Bengal and Delhi, where a small number of whole time Inspectors have been appointed exclusively for this purpose, in other States the authority to secure compliance with the provision of the Act has been vested with the existing staff appointed under other labour Acts, etc. The Governments of Bihar, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Orissa, Rajasthan and West Bengal have appointed special officers from Revenue and Agriculture Departments as Inspectors for the enforcement of the Act in agricultural employment exclusively.

Procurement of Rice and Coarse Grains

686. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the target in tons fixed by the Agricultural Prices Commission for procurement of rice and other coarse grains out of the production of kharif crop of 1969-70 ; and

(b) whether this procurement would be more or less than that of 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Agricultural Prices Commission recommended the procurement target of 4.5 million tonnes of rice and 1 million tonnes of kharif coarse grains for 1969-70 season.

(b) According to latest information available a quantity of 3.2 million tonnes of rice and 464 thousand tonnes of kharif coarse grains have been produced during 1968-69 season.

Loss due to Rains in States

687. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the estimate of financial loss due to excessive rains in Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan and Maharashtra this year ; and

(b) the details of assistance to be given to the State which suffered loss due to heavy floods and rains ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The required information has been called far from the States and will be placed on the Table of the Sabha as soon as received.

Filming of Prime Minister's Address in Delhi on 9-9-1969

688. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a film was produced of the address by the Prime Minister in Ramlila Ground Delhi on the 9th September, 1969 and this meeting was also televised on the night of the 9th September, 1969 ;

(b) if so, whether this action does not tantamount to the misuse of Government machinery by the Ruling Party ;

(c) if not, whether Government propose to produce films and televise the meetings which are addressed in Delhi by the prominent leaders of all the opposition parties ; and

(d) if not, the reasons for such discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No film of this meeting was produced. Nor was it televised by Delhi TV Centre. This event was, however, noticed in the news bulletin on TV on the evening of 9th September, and a TV report of this function was put out by Delhi TV Centre the next day, *i.e.*, 10th September, 1969.

(b) No, Sir.

(c) All news-worthy events are similarly noticed by radio and TV.

(d) Does not arise.

Production of Industrial Crops like Cotton and Groundnut

689. **Shri Narain Swarup Sharma** : **Shri Ranjeet Singh** :
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Om Prakash Tyagi** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of industrial crops like cotton, groundnut is not increasing in the country ;

(b) whether it is also a fact that the textile, soap, vanaspati ghee industries and other industries connected therewith are not making the desired progress as a result thereof ; and

(c) if so, the steps being taken by Governmcnt to see that the production of these crops is increased ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). There has been an upward trend in production of industrial crops like cotton, groundnut etc. although there have been fluctuations from year to year due to weather. The internal production when necessary has been augmented by resorting to imports for use in connected industries.

(c) Special programmes are being undertaken to boost up the production of commercial crops with the objectives of (i) providing raw material for industries (ii) making large quantities for exports and (iii) imports substitution.

Employment of Retired Officers of Posts and Telegraphs Department in Private Firms

690. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the particulars of those officers of his Ministry, Posts and Telegraphs Department and their Attached and Subordinate Offices who got employment in the firms and factories of 'Tatas' and 'Birlas' during the last three years and their salary and the dates of their appointment ;

(b) the number of those officers among them against whom departmental and any other enquiry was in progress ;

(c) the number of those officers among them who belonged to the telephone engineering service ; and

(d) the number of those officers who have rendered service in 'Tatas' and 'Birlas' concerns and who have beed running business in their own names or in partnerships with any of their relatives and the nature of dealings that Government have with such concerns ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

समाचार-पत्रों में सामप्रदायिक लेख

691. **श्री मयाबन :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री क० लक्प्पा :
श्री रा० बरुआ :
डा० सुशीला नैयर :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री यमुना प्रशाद मण्डल :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री जगेश्वर यादव :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि भारतीय प्रेस परिषद ने समाप्रदायिक सम्बन्धों पर समाचार देने और टिप्पणी करने के लिए समाचारपत्रों को 10 सूत्री मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करने के लिए कहा था ;

(ख) यदि हां, तो मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश समाचारपत्र उन सिद्धान्तों का पालन नहीं करते ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ समाचारपत्र ऐसे प्रचार के लिए जिम्मेदार हैं जिससे सामप्रदायिक असन्तोष बढ़ते हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) भारतीय प्रेस परिषद ने साम्प्रदायिक सम्बन्धों पर रिपोर्ट देने तथा टिप्पणी करने के लिये समाचार पत्रों को एक दस सूत्री मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करने के लिये कहा है।

(ख) ये 'मार्गदर्शी सिद्धान्त', बताते हैं कि विभिन्न सम्प्रदायों या धार्मिक या क्षेत्रीय समूहों की उचित शिकायतों को बताने के अपने वैधानिक कार्य को करते हुए, समाचारपत्रों को किन बातों से दूर रहना चाहिए ताकि साम्प्रदायिक पागलपन या क्षेत्रीय भाव न उमड़े और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिले। ये सिद्धान्त पत्रकारों को यह बताते है कि वे कुरुपता, अतिशयोक्ति, असंयत भाषा हिंसा को प्रोत्साहित करने, सम्प्रदायों या व्यक्तियों पर निकृष्ट या असत्य प्रहार करने, घटनाओं को साम्प्रदायिक रंग देने, भयप्रद समाचार तथा भड़काने वाली टिप्पणियां छापने तथा धर्मों या मतों के स्थापकों के बारे में अपमानजनक शब्द प्रयोग से अपने को दूर रखें।

(ग) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(घ) जी, हां।

देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का अध्ययन

692. **श्री मयाबन :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कहने पर सरकार ने देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का एक वैज्ञानिक मान-चित्र बनाने के लिये अध्ययन आरम्भ कर दिया है जिस से बाद में सिंचाई, फसलों के स्वरूप और अलग-अलग जिलों के लिये वसूली कार्यक्रम की योजना बनाने में सहायता मिलेगी ;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ; और

(ग) यह सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जी, नहीं। इस प्रयोजन के लिये योजना आयोग के कहने पर भारत सरकार द्वारा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी, निरन्तर रूप से सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के योजनावाद विकास के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा समस्त राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे क्षेत्र में प्रत्येक तीन वर्ष में, 6 वर्ष में या दस वर्ष में एक बार

फसलों को बिल्कुल या अधिकांश रूप से हानि पहुँचने के आधार पर अपने निरन्तर रूप से सूखा-ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों को 'क' 'ख' तथा 'ग' श्रेणियों में वर्गीकृत करें। धन के अभाव के कारण यह निर्णय किया गया कि आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र मद्रास तथा मैसूर के राज्यों में 'क' श्रेणी के क्षेत्रों को "हार्ड कोर" करने के लिये 1968-69 में निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को रोक दिया जाये इन राज्यों में चुने हुये कड़ी तह वाले क्षेत्रों की एक सूची संलग्न है। [पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2031/69] यह योजना 1-4-1969 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गई है। फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत भाग निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों आदि समस्याओं के लिये उपलब्ध किया जायेगा।

चौथी पंच वर्षीय योजना में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में मरु क्षेत्रों के विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित दूसरी योजना चालू रखी जा रही है। धन के अभाव के कारण यह निर्णय किया गया है कि केवल मार्गदर्शी परियोजनाओं को ही शुरू किया जाये और सुसम्बद्ध तथा भली प्रकार निर्धारित क्षेत्रों में चुने हुये क्षेत्र की उपयुक्तता पर निर्भर विशेष कार्यों को शुरू किया जाये। केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के अन्तर्गत हरियाणा और गुजरात राज्यों के लिये 12.44 लाख रुपये की लागत वाली लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, वनरोपण संबंधी योजनायें स्वीकृत की गई हैं। राजस्थान सरकार की योजनाओं की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

खाद्यान्नों और चीनी के बारे में नीति

693. **श्री मयाबन :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलाराया नायडू : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अच्छी खरीफ फसल होने के बावजूद खाद्यान्नों और चीनी के बारे में गत वर्ष की नीति का ही अनुसरण करते रहने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसी नीति का अनुसरण करते रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में इसकी कड़ी आलोचना हुई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खरीफ खाद्यान्नों और चीनी की पिछले मौसम की नीति को प्रायः 1969-70 के मौसम के लिए जारी रखा जा रहा है।

(ख) पर्याप्त बफर स्टाक तैयार करने और खाद्यान्नों का आयात घटाने के लिए अधिक से अधिक आन्तरिक अधिप्राप्ति करने हेतु सरकार पिछले वर्ष की नीति अपना रही है ताकि भावों में स्थिरता, सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई बनाई रखी जा सके और उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) यह नीति मुख्य मन्त्रियों के परामर्श से तय की गयी है।

छोटे किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए विशेष अभिकरण की स्थापना

694. **श्री मयाबन :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार छोटे किसानों की समास्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए एक विशेष अभिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने छोटे किसानों की समस्याओं पर विचार किया है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कृषि विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी है कि छोटे किसानों का एक वर्ग ऐसा है जो अर्थिक रूप से आत्म निर्भर नहीं हैं ;

(घ) यदि हां, तो उययुक्त अधिकरण के मुख्य कार्य क्या होगें ; और

(ड़) इससे उन किसानों को कितनी सहायता मिल सकेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

छोटे कृषकों को ऋण सुविधायें प्रदान करने संबन्धी योजना की मुख्य बातें

1. सरकार ने छोटे किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये कृषक विकास सम्बन्धी छोटी एजेन्सियां स्थापित करने की एक योजना अनुमोदित की है ।

2. छोटे कृषक जो कि निर्वाहयोग्य जीवन स्तर या उससे नीचे के स्तर पर हैं और जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव नहीं है । किन्तु छोटे कृषकों का एक और वर्ग है जो कि आज जीवन श्रम और आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है किन्तु यदि उनकी भूमि पर कुछ सुधार किये जायें और वे अधिक उत्पादनशील किस्म के बीजों और अन्य आदानों की सहायता से सघन कृषि अपनायें तो उन्हें भी ऋण उपलब्ध हो सकेंगे । इस योजना के द्वारा इसी वर्ग के सम्भावित जीवन क्षमता वाले छोटे किसानों को सहायता दी जायेगी ।

3. 20 चुने हुये मार्गदर्शी जिलों में ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव है । इन जिलों में छोटे कृषकों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया जायेगा । सर्वप्रथम उनकी ठीक ठीक आवश्यकताओं पर विचार किया जायेगा और इन अभावों की पूर्ति के लिए कदम उठाये जायेंगे । यह कार्य समय समय पर जिले के विभिन्न भागों में किया जा सकता है ।

4. प्रत्येक चुनिन्दे क्षेत्र में इस कार्य के लिये एक पृथक एजेन्सी स्थापित की जायेगी ।

छोटे कृषकों के आर्थिक लाभ के अनिवार्य कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये ये एजेन्सियां इस क्षेत्र में पहले ही कार्य कर रही संस्थाओं जैसे सहकारी ऋण संस्थाओं, जिला परिषदों और स्थानीय स्वायत संस्थाओं, कृषि उद्योग निगमों आदि की सहायता का भी उपयोग करेगी। यह आदानों, आपूर्ति सिंचाई, भूमि को समतल करना, छोटे किसानों द्वारा मशीनों और उपकरणों के उपयोग की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों और उपर्यक्त संस्थाओं की गतिविधिओं का संम्बय करेगी। सामान्यतः डेरी, कुक्कुट पालन और कृषि उद्योग विकास के अतिरिक्त यह सुधरी तकनीकों के उपयोग और वहुद्देशीय फसलों को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम भी बनायेगी। यह ऐजेन्सी छोटे कृषकों को ऋण देने के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सम्बन्धित ऋण दाता संस्थाओं को सीधे अनुदान प्रदान करेंगी। यह इस बात को भी निश्चित रुप से देखेगी कि आदानों की समुचित मात्रा इन कृषकों को उपलब्ध की जाती है। यह इस क्षेत्र की संस्थाओं और विशेषकर ऋण संस्थाओं को वित्तीय और कर्मचारियों को सहायता देगी ; किन्तु यह स्वयं ऋण नहीं देगी।

5. कृषि भूमि के विकास, सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था, भूमि को समतल करने और अधिक उत्पादनशील किस्मों और दूसरी फसलों के उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यथा सम्भव अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण सहकारी क्षेत्र द्वारा प्रदान किये जायेंगे। एक परियोजना में लगभग 50,000 छोटे कृषकों को चुना जायेगा और पांच वर्षों की अवधि में उन्हें इसके अन्दर लाया जायेगा। सहकारी संस्थाओं द्वारा पांच वर्ष की अवधि के अन्दर दिये जाने वाले कुल अल्पावधि ऋण की राशि लगभग 7.5 हजार करोड़ रुपये होगी और इसी अवधि के अन्दर छोटे किसानों को दीर्घावधि ऋण के रूप में 7.5 हजार करोड़ रुपये की समान राशि प्रदान की जायेगी।

6. अनुमोदित एजेन्सी जो कि कार्यक्रमों को समन्वित और कस्टम सेवाओं और अन्य सुविधाओं को प्रदान करेंगी उन्हें इन कार्यों को करने के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये समुचित निधि प्रदान की जायेगी। प्रत्येक एजेन्सी को इन कार्यों के लिये चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान औसतन 1.60 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रस्ताव है। कृषकों को ऋण देने में जो जोखिम है उसकी प्रतिपूर्ति भी अनुमोदित एजेन्सी को दिये जाने वाले अनुदानों में कर दिये जाने का प्रस्ताव है।

7. योजना आयोग ने चतुर्थपंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इस योजना के लिये अस्थायी रूप से 30 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है।

8. योजना का अनुमोदन ई० एफ० सी० द्वारा किया गया है। केन्द्रीय बजट में 1969-70 के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा में विस्थापित व्यक्तियों सम्बन्धी विधेयक पारित करना

695. श्री मयावन : श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा में उस राज्य के सत्तारूढ़ दल ने जानबूझ कर विस्थापित व्यक्तियों सम्बन्धी विधेयक पास नहीं होने दिया ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस दिन नगर में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, जिस दिन विधेयक पर चर्चा होनी थी ;

(ग) क्या विरोधी तथा सत्तारूड़ दोनों ही दलों का इन दंगों में हाथ था ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा इसका फैसला करने का है क्योंकि शरणार्थियों ने अपना आन्दोलन केन्द्रीय सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने पर ही समाप्त किया था ; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ड़). जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

खाद्यान्न के व्यापार में से बिचौलियों को हटाना

696. श्री चेंगलराया नायडू : श्री रा० बरुआ :
श्री मयावन : श्री नि० रं० लास्कर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार सरकारी तथा अर्ध-सरकारी एजेन्सियों द्वारा किये जा रहे खाद्यान्न के व्यापार पे बिचौलियों को हटाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) क्या प्रस्तावित योजना राज्य सरकारों को भी भेजी गयी थी यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या प्रस्तावित योजना पर 27 सितम्बर, 1969 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार किया गया था और यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) खाद्यान्न के व्यापार से बिचौलियो को पूर्णतः समाप्त करना सम्भव नहीं है । तथापि, सरकार की नीति यथा सम्भव बिचौलियों की संख्या कम करने की ही है ।

(ख) और (ग). कृषि मूल्य आयोग ने 1969-70 के लिए खरीफ के अनाजों हेतु मूल्य संबंधी नीति पर अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि खाद्यान्नों की खरीदारी सीधे

ही उत्पादकों से की जाय और बिचौलियों को समाप्त किया जाये। उक्त रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों में परिचालित की गयी है। 27-9-69 को हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में आयोग की इस सिफारिश पर चर्चा हुई थी और इसे सिद्धान्ततः मान लिया गया था। तथापि, यह निर्णय किया गया कि राज्य सरकारें इस बात के लिए स्वतंत्र होंगी कि वे अपने राज्यों में अधिप्राप्ति तेज करने हेतु जो प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त समझें, उसे अपनाएं।

उड़ीसा में तांबे के तार की चोरी

697. **श्री क० लकप्पा :** **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन लाइनों में प्रयोग में आने वाली तांबे की तारों की उड़ीसा के बहुत से भागों में चोरी की अनेक घटनाएं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में ऐसी कितनी घटनायें हुई ;

(ग) चोरी हुई तारों का अनुमानित वजन और मूल्य क्या है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी चोरी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) 1218(1968-69 के दौरान)

(ग) वजन : 50911 किलोग्राम

मूल्य : 6.12 लाख रुपये

(i) विभागीय अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखने की हिदायत दी गई है।

(ii) राज्य के मुख्य मंत्री को लिखा गया है कि वे ताँबे के तार की चोरी रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में पुलिस इंस्पेक्टर जनरल को हिदायत दें।

(iii) टेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1950 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि अपराधियों के लिए और कड़े दंड की व्यवस्था की जा सके।

(iv) कई स्थानों पर ताँबे के तार के स्थान पर तांबे से झला इस्पात का तार या ए० सी० एस० आर० तार लगाया जा रहा है।

तेल कम्पनियों में रोजगार सुरक्षा सम्बन्धी गोखले आयोग का प्रतिवेदन

698. **श्री क० लकप्पा :** **श्री मयाबन :**
डा० सुशीला नैयर : **श्री अविचन :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री रा० बरुआ :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी तेल कम्पनियों में रोजगार सुरक्षा सम्बन्धी गोखले आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये उनके मंत्रालय ने अक्तूबर, 1969 में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया था :

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये और उनके क्या परिणाम निकले ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जिन व्यक्तियों ने इस बैठक में भाग लिया उनके नामों की सूची और निष्कर्षों की एक प्रति संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 2032/69] परन्तु द्विपक्षीय विचार-विमर्शों के परिणाम की सूचना अभी मंत्रालय को भेजी जानी है ।

1 मई को सवेतन छुट्टी

699. **श्री क० लकप्पा :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के मजदूर संघों द्वारा मांग की जा रही है कि पहली मई को समूचे देश में श्रमिकों के लिए सवेतन छुट्टी घोषित की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच इस बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). पहली मई को समस्त देश में श्रमिकों के लिये सवेतन छुट्टी घोषित करने के लिये सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गांधी जी के चित्र वाले पोस्टकार्ड और अन्तर्देशीय पत्र

700. **श्री सुब्रावेलू** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्टकार्डों तथा अन्तर्देशीय पत्रों पर गांधी जी के जो चित्र छपे हैं वे गलत हैं चूंकि उनमें गांधी जी को बांये हाथ से कातते हुए दिखाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस गलती के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). अन्तर्देशीय पत्र-कार्डों, पोस्टकार्डों और एयरोग्राम पर छापा गया महात्मा गांधी का रेखा-चित्र, जिसमें उन्हें बायें हाथ से चर्खा कातते हुए दिखाया गया है, उनके चर्खा कातने के वास्तविक फोटो पर आधारित है। यह चित्र भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित महात्मा गांधी एलबम में इसी रूप में दिया गया है।

मजूरी बोर्ड की नियुक्ति

701. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री लखन लाल कपूर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि किसी भी उद्योग के लिये कोई मजूरी बोर्ड नियुक्त नहीं किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं ; और

(ग) मजूरी और अन्य शर्तों के बारे में श्रमिक विवादों के समाधान के लिये सरकार ने क्या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ग). मजूरी बोर्ड प्रणाली का राष्ट्रीय श्रम आयोग ने पुनरीक्षण किया और आयोग ने अब तक चली आ रही प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने के सुझाव अपनी सिफारिशों में दिये हैं। जब तक इन सिफारिशों पर निर्णय लिया जाता है तब तक कोई नया मजूरी बोर्ड स्थापित करने का विचार नहीं है। मजूरी के सम्बन्ध में कोई विवाद अन्य औद्योगिक विवादों की भाँति सामूहिक सौदाकारी के द्वारा तय किया जा सकता है और यदि इससे सफलता न मिले तो वह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत उपलब्ध तन्त्र से तय किया जा सकता है।

उर्वरक नियन्त्रण आदेश

702. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक की वर्तमान कमी को दूर करने और किसानों के बेहतर हित की दृष्टि से सरकार का विचार उर्वरक नियन्त्र आदेश में संशोधन करने का है ;

(ख) क्या सरकार ने एक उर्वरक नियन्त्रण प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना भी बनाई है ताकि उसकी अच्छी किस्म सुनिश्चित करने के लिये उसके रासायनिक तत्वों का विश्लेषण किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हाँ ।

(ग) लाइसेंसिंग पद्धति के स्थान पर पंजीकरण पद्धति को अपनाने के लिए हाल ही में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में संशोधन किया गया है ताकि उर्वरकों के विपणन के मामले में स्वतन्त्रता बर्ती जा सके । प्रस्ताव है कि (i) नमूने लेने तथा विश्लेषण पद्धति की एकीकृत प्रक्रिया को प्रस्तुत करने, (ii) उर्वरकों की किस्मों तथा विशिष्टयों में आधुनिकतम विकास को समाविष्ट करते हुए अनुसूची का पुनरीक्षण करने और (iii) कुछ मामलों में उर्वरकों का समीकृत विक्रय करने के लिए उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश में और संशोधन किए जायें । उर्वरक विश्लेषण के लिए संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में उर्वरक नियन्त्रण प्रयोगशाला की स्थापना का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की मांगें

703. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की कुछ मांगें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं और क्या भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके इन माँगों के बारे में अन्तिम निर्णय करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ ने न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष को 20 मांगों का एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है । इस मामले पर संघ के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के लिये केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने संघ की मांगों के बारे में एक ऐसा संक्षिप्त ज्ञापन देने के लिये कहा है जिसमें प्रत्येक मांग के मुख्य आधार बताए गये हों । अभी तक संघ से अपेक्षित ज्ञापनों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की आलोचना

704. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बहुत से मजदूर संघों तथा महासंघों द्वारा राष्ट्रीय श्रम आयोग की कुछ सिफारियों की गम्भीर आलोचना किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय श्रम सम्मेलन में इस प्रतिवेदन पर चर्चा की जायेगी ;

(ग) क्या कोई कार्यवाही करने से पूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ, जिन पर इस प्रतिवेदन का विपरीत प्रभाव पड़ता है, परामर्श किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). इस रिपोर्ट पर 12 और 13 नवम्बर, 1969 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 26 वें अधिवेशन में विचार-विमर्श किया गया।

(ग) और (घ). इस सुझाव पर यथोचित समय पर विचार किया जायेगा।

कपड़ा मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन की कार्यान्विति

705. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय सूती कपड़ा मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन को सभी कपड़ा कारखानों में कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ने इस प्रतिवेदन पर असन्तोष व्यक्त किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके दृष्टिकोण पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, जहां अधिकांश उद्योग स्थित हैं, इन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए समझौते होने की सूचना मिली है। अन्य राज्यों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) से (घ). अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार द्वारा 25 फरवरी, 1969 को बुलाई गई बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित करने से इस आधार पर इन्कार कर दिया था कि वे उनकी सिफारिशों को संतोषजनक नहीं समझती। 17-5-1969 को मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की स्वीकृति की घोषणा करने से पूर्व इस पर सम्यक विचार किया गया।

तेल कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए समय से पूर्व स्वैच्छिक सेवा निवृति की योजनाएं

706. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समय से पूर्व स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की योजनाओं को कार्यान्वित करने के तेल कम्पनियों के निर्णय से तीन तेल कम्पनियों के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है ;

(ख) क्या बम्बई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री वी० एन० गोखले के एक व्यक्ति के आयोग ने इसके विरूद्ध मत व्यक्त किया था ;

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) ऐसे अन्याय को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) श्रमिकों और उनके संगठनों ने असंतोष व्यक्त किया है ।

(ख) जी हां, कु बातों में,

(ग) गोखले आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक 15 अक्तूबर, 1967 को बुलाई गई ।

(घ) बैठक में लिए गये निष्कर्षों की एक प्रति संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2033/69] लेकिन द्विपक्षीय विचार विमर्श के परिणाम की सूचना अभी मंत्रालय को भेजी जानी है।

दालों तथा अखाद्य फसलों के नये बीजों का विकास

707. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दालों तथा अखाद्य फसलों के नये बीजों के विकास के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है : और

(ख) दालों तथा अखाद्य फसलों के अच्छे और अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास सम्बंधी अनुसन्धान-कार्य को तेज करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) दालों की अच्छी किस्मों के तथा कपास, तिलहन, पटसन तथा चारा आदि विभिन्न अखाद्य फसलों के सम्बन्ध में बहुत अच्छी प्रगति हुई है । जिसका ब्यौरा अनुबंध 1 में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2034/69]

(ख) नई किस्मों की तैयारी एक निरंतर प्रक्रिया है और गत वर्षों में विकसित हुई उन्नत किस्मों के स्थान पर और भी उन्नत किस्में लाई जा रही हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने हाल ही में दालों, कपास, तिलहनों तथा पटसन विषयक अखिल भारतीय समन्वित

परियोजना को कार्यान्वित किया है। पशु खाद्य तथा चारे की फसलों से सम्बन्धित एक समन्वित प्रायोजना को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाना है।

परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं, राज्यों के कृषि विभागों तथा कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किये गए कार्य के फलस्वरूप उन बातों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है जो कम उप्पादन के लिए उत्तरदायी हैं और उन पर काबू पाने के लिये तकनीकों का विकास करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है।

ब्यौरा अनुबंध 2 में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 2034/69]

अधिक उपज देने वाले बीजों और खाद के वितरण में त्रुटियां

70२. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री रा० को० अमीन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष डा० अशोक मित्रा द्वारा 11 सितम्बर, 1969 को दिल्ली में की गई इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि अमीर जमींदार ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किये जाने वाले अधिक उपज देने वाले बीज और खाद बड़ी मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप गरीब किसान कठिनाई में रहते हैं और नक्सलवादी इन असंतुष्ट किसानों के सिवा और कोई व्यक्ति नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). धनी जमींदारों द्वारा अधिक उपज देने वाले बीजों तथा खादों की मात्रा खरीदी जाने के पश्चात भी छोटे कृषकों के लिए बीजों व खादों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध थी। छोटे कृषकों को बीजों और खादों की सुविधायें उपलब्ध करने के लिए सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायें हैं कि उन्हें ऋण और सुगमता से उपलब्ध हों। चौथी योजना में छोटे काश्तकारों के हित के लिए सहकारी ऋण समितियों की नीतियों और पद्धतियों का नवीकरण करने का प्रयत्न किया जायेगा। ऋण समितियां सुनिश्चित करेंगी कि छोटे काश्तकारों की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाये।

Opening of Envelopes containing Rakhis before Delivery by P and T Employees

709. **Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that his Ministry have received complaints about opening of envelopes containing Rakhis before delivery by the P and T employees ;

(b) if so, whether investigations have been made in regard to the said complaints ; and

(c) whether any action has been taken against the persons found guilty ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Only two such complaints were received this year.

(b) Yes.

(c) Since the articles were unregistered ones of which no record is kept in the post office, it was not possible to fix responsibility for their loss. Instructions will, however, be issued for the exercise of greater vigilance in the handling of such articles during such festivals.

Micro-wave Link between Gwalior-Agra-Delhi

710. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether any proposal of micro-wave link between Gwalior-Agra-Delhi is under consideration of Government ;

(b) if so, whether a final decision has been taken in this regard and whether work has been started to implement the proposal ; and

(c) if so, the time by which this work is expected to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) It is proposed to instal a micro-wave link between Gwalior, Agra and Delhi forming a part of a larger project for linking Delhi and Nagpur by broad-band micro-wave system. The scheme is proposed to be taken up for execution towards the latter half of Fourth Plan period and is likely to extend into the Fifth Plan period. The scheme is in now in a preliminary stage and the project is being processed for sanction.

(c) The promotion of the proposed micro-wave link between Gwalior, Agra and Delhi is expected to be ready towards the end of the Fourth Plan period.

बिहार में कृषि योग्य बंजर तथा पड़ती भूमि का बन्दोबस्त

711. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री झारखण्डे राय :**
श्री जगेश्वर यादव : **श्री जि० मो० बिस्वास :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) बिहार में सरकार तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के कब्जे में कुल कितनी एकड़ कृषि योग्य बन्जर/पड़ती भूमि है ;

(ख) क्या सरकार की योजना गांधी शताब्दी में इस भूमि पर हरिजनों और भूमिहीन श्रमिकों को बसाने का है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही और तथा संभव सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कारखाने के स्थायी आदेशों से उपबन्ध

712. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री सी० जनार्दनन : **श्री जि० मो० बिस्वास :**
श्री रातावतार शास्त्री :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, के कारखाने के स्थायी आदेश संख्या 29 तथा 30 के उपबन्ध क्या हैं ;

(ख) क्या ये उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये खरीफ फसल के मूल्य

713. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि मूल्य आयोग द्वारा आगामी वर्ष के लिए खरीफ की फसल हेतु सिफारिश किये गये मूल्य स्वीकार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने ये मूल्य स्वीकार किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख). सरकार ने केन्द्रीय पूल के लिये खरीदारी करने हेतु खरीफ के मोटे अनाजों के मूल्यों से संबंधित आयोग की सिफारिश को मान लिया था । आयोग की धान तथा चावल के अधिप्राप्त मूल्यों में कमी संबंधी सिफारिश को राज्य सरकारों ने नहीं माना था । आन्ध्र प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, उड़ीसा तथा तमिल नाडू के लिये धान के तथा आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडू और पंजाब के लिये चावल के निर्धारित किये गये मूल्य वही हैं जिनकी आयोग ने सिफारिश की थी ।

अरबी भाषा के प्रसारण में समाचार पढ़ने वाले का नाम न होना

714. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी को विदेश-सेवा एकक के अरबी प्रसारण में समाचार पढ़ते समय समाचार पढ़ने वाले व्यक्ति द्वारा अपना नाम नहीं बोला जाता ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उसकी अनुमति अन्य प्रसारणों में दी जाती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 13 नवम्बर, 1969 से नाम बोला जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). 13 नवम्बर से चीनी तथा तिब्बती भाषा को छोड़कर अन्य विदेशी भाषाओं के प्रसारणों में समाचार पढ़ने वाले के नाम को बोला जाना शुरू कर दिया गया है ।

डोलोमाईट लाईम स्टोन क्वरी के कर्मचारी संघ को मान्यता

715. **श्री दे० अमात** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिरामितियापुर में डोलोमाइट लाइंम स्टोन क्वेरी में 27 सितम्बर, 1969 को कोई अन्तर्संघीय प्रतिद्वन्दता थी जिसके कारण कुछ मजदूरों की मृत्यु हो गई ;

(ख) यदि हां, तो मृतकों की कुल संख्या क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस मुठभेड़ का कारण कर्मचारियों के एक कर्मचारी संघ को मान्यता देने का मामला था ; और

(घ) यदि हां, तो उस कर्मचारी संघ को मान्यता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिसे विरामितिया की डोलोमाइट क्वेरी में कर्मचारियों का बहुमत प्राप्त है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) और (ख). दो यूनियनों में प्रतिद्वन्दता के कारण 27 सितम्बर, 1969 को टक्कर हो गयी । इस टक्कर में नौ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

(ग) और (घ). इनमें से एक यूनियन मान्यता-प्राप्त है । अनुशासन संहिता के अन्तर्गत इस यूनियन ने जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है मान्यता के लिए कोई औपचारिक प्रार्थना-पत्र नहीं दिया । यदि इस प्रकार का दावा प्रस्तुत किया गया, तो ऐसे मामलों में लागू प्रक्रिया के अनुसार उसकी जांच की जायगी ।

स्टेट्समेन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अखबारी कागज के कोटे का दुरुपयोग

716. श्री बदरुद्दुजा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'जूनियर स्टेट्समेन' की वर्तमान परिचलन संख्या कितनी है और इस पत्र को अखबारी कागज का कितना कोटा आवन्टित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को स्टेट्समेन (प्राईवेट) लिमिटेड के प्रबन्धकों के विरुद्ध अखबारी कागज के कोटे को उजरती काम में प्रयोग करने की शिकायत प्राप्त हुई है तथा क्या स्टेट्समेन के उजरती कार्य विभाग ने एक विदेशी उच्च आयोग का काम हाथ में लिया था तथा उस काम के लिए अखबारी कागज को इस्तेमाल किया था ;

(ग) क्या स्टेट्समेन के प्रबन्धकों ने "कोमैक्स" नाम का कोई कर्मचारी रखा था तथा इस कर्मचारी के विरुद्ध इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं ; और

(घ) क्या यह सच है कि (ख) भाग में वर्णित पुस्तिका भी मानार्थ नहीं थी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) प्रकाशक द्वारा प्रेस रजिस्ट्रार को दिये गये वार्षिक विवरण के अनुसार 1968 के दौरान 'जूनियर' स्टेट्समेन की खपत संख्या प्रति प्रकाशन दिन 12,620 प्रतियां थी। इस साप्ताहिक को अखबारी कागज का कोई कोटा अलाट नहीं किया गया है।

(ख) से (घ). एक विदेशी उच्च आयोग की पुस्तिका को छापने के लिये स्टेट्समेन के अखबारी कागज के कोटे का दुरुपयोग करने के बारे में स्टेट्समैन के प्रबन्धकों या उसके किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास पुस्तिका के बारे में कोई सूचना नहीं है।

Implementation of the Recommendations of Land Reforms Implementation Committee

717. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 4370 on the 21st August, 1969 regarding implementation of Land reforms and state :

(a) the special steps taken by States like Gujarat, Kerala, Maharashtra in view of the recommendations made by Land Reforms Implementation Committee ; and

(b) the outcome of other measures contemplated in Assam, Tamil Nadu and West Bengal and the names of other States whose reaction is very slow and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Recommendations of the Land Reforms Implementation Committee of the National Development Council were communi-

cated to the State Governments with the suggestion that State Governments should take suitable action.

In Gujarat the provisions have been strengthened to prevent ineffective purchases and a special drive has been organised for correction of record of rights to ensure complete security to tenants.

In Kerala, a Bill has recently been passed for strengthening the provisions relating to security of tenancy, further reducing the rent which the tenant has to pay to his landlord and simplifying the provisions and procedures for conferment of ownership on tenants. For completing record of rights a special legislation has also been enacted.

In Maharashtra legislation has been enacted recently to provide for restoration of tenants who had been dispossessed illegally and for conferment of rights of occupant thereon.

(b) Proposals are under consideration for further measures of land reforms in Assam.

In Tamil Nadu a special legislation has been enacted for recording of tenancies. Further measures will be taken after these records have been prepared.

In West Bengal, eviction of Bargadars and tenants of homestead lands has been stayed pending finalisation of further measures of land reforms. Provisions relating to State acquisition of surplus lands are being enforced vigorously.

Requirement of Certificate from Employment Seekers

718. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply to the given to Unstarred Question No. 4371 on the 21st August, 1969 and state :

(a) whether the requirement of income certificate alongwith certificates showing qualifications and castes from employment seekers by Employment Exchange for all sorts of posts and giving priority to low-income groups would be against the socialistic pattern of society ; and

(b) if so, how and if not, whether it is proposed to abandon the policy of socialistic pattern of society ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). This suggestion will not be practicable and is not in line with the spirit of L. I. C. Convention No. 88 ratified by Government of India. Referral of applicants to employers by Employment Exchanges, will have to conform to the requirements of the employers in regard to qualifications and skills.

Report of the Study made by the Labour Bureau in Regard to Rural Labour

719. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2565 on the 7th August, 1969 regarding protection of the interests of rural labour and state :

(a) the items studied by the Labour Bureau ;

(b) whether a copy of the report of the study made by the Labour Bureau in regard to rural labour has been received by Government ; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The items covered under the Intensive Type Studies

of Rural Labour in India undertaken by the Labour Bureau are shown in the Statement attached.

STATEMENT

Items covered in the Intensive Type Studies on Rural Labour in India carried out by the Labour Bureau :

(a) to study the nature of employment, unemployment and under-employment in the selected regions of the country ;

(b) to what extent the works projects/programmes taken up by the Government and other agencies have provided the employment opportunities in rural areas ;

(c) to assess various welfare facilities already available to rural labour households under different welfare programmes ; the extent to which these facilities are being availed of and to study the attitude of beneficiaries to such programmes so far initiated ; and

(d) to facilitate the formulation of appropriate action programmes necessary to improve conditions of employment and welfare facilities available to rural labour households.

(b) No.

(c) The data collected is being tabulated.

गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्र

720. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनसकंठा, कच्छ तथा उत्तर गुजरात जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अब तक सरकार ने क्या-क्या विशेष उपाय किये हैं ;

(ख) लोगों तथा उनके पशुओं के भरण पोषण के लिए सरकार ने क्या कार्य किये हैं ; और

(ग) किस प्रकार की सहायता मंजूर की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गुजरात सरकार द्वारा बनासकांथा, कच्छ और उत्तरी गुजरात जैसे सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में अब तक किए गए विशेष उपाय ये हैं—सहायक कार्यों का निर्माण, मुफ्त सहायता का विवरण और मुफ्त फीडिंग कार्यक्रम और प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों के लिए घास तथा मिले जुले चारे की सप्लाई 25-10-1969 को स्थिति इस प्रकार थी :—

सहायता कार्यों की संख्या	...	316
सहायता कार्यों पर लगे व्यक्तियों की संख्या		96,213
मुफ्त सहायता प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या		3,010
मुफ्त दूध फीड प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या		3,600

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रभावित गाँवों में बेलगाड़ियों तथा टेकरों द्वारा पीने का पानी भी सप्लाई किया जा रहा है। पिंजरापोल द्वारा 75,000 मवेशियों के प्रव्रजन की एक योजना शुरू

की जा रही है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक प्रति मवेशी 40 पैसे प्रति दिन की दर से राज सहायता या 40 दिन जो कम होगा, किया जायेगा। इससे इस पर 12 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर चारे की बिक्री के डिपो खोले गए हैं जहां 100 किलोग्राम का एक गठड़ 15.50 रुपये की सहायता प्राप्त दर से बेचा जाता है।

(ख) सहायता कार्यों में सड़क कार्य, भूमि संरक्षण कार्य, तालाब और अन्य लघु सिंचाई कार्य, बाड़, मशेशी केन्द्र, जल सप्लाई योजनाएं आदि शामिल हैं।

(ग) (1) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता में सूखे से प्रभावित लोगों को रोजगार सुलभ करने हेतु सहायता कार्य शामिल हैं।

(2) बूढ़े तथा कमजोर व्यक्तियों के लिए मुफ्त सहायता।

(3) बच्चों तथा दूध पिलाने वालीं और गर्भवती महिलाओं के लिये मुफ्त दूध फीडिंग।

(4) मवेशियों के लिए सहायता प्राप्त दरों पर चारे की सप्लाई और पिंजरापोल को राज सहायता चालू वित्तीय वर्ष में सूखा सहायता के लिए राज्य को 4 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायताएं। इसके अलावा, विश्व खाद्य कार्य क्रम से प्राप्त 3,127 मीटरी टन उपहार गेहूं सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में वर्क्स कार्यक्रमों के लिए खाद्य हेतु सुलभ की गई है। राज्य सरकार को सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त वितरण करने के लिए 250 मीटरी टन गेहूँ और 50 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण भी दिया गया है।

A. I. R. Station at Pauri (Garhwal District)

721. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 561 on the 14th August, 1966 and state :

(a) the time by which the All India Radio Station at Pauri of Garhwal is likely to be set up ; and

(b) whether Government propose to expedite this work ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). A scheme to set up a Radio Station at Pauri-Garhwal has been included in the Plan and implementation of this project is likely to be taken up towards the end of the Fourth Five Year Plan.

उच्च शक्ति युक्त संचारण उपकरण

722. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति युक्त संचारण उपकरण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) क्या हमारे पास उच्च शक्ति संचारण व्यवस्था न होने के कारण आकाशवाणी के मीडियम-वेव प्रसारणों में मास्को तथा पीकिंग केन्द्रों द्वारा रुकावट उत्पन्न होती है ; और

(ग) इस कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

खाद्य के विकास के लिये तटीय क्षेत्र का उपयोग

728. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि खाद्य के विकास के लिये हमारे तटीय क्षेत्र का पूरा उपयोग नहीं किया गया है जैसा कि समुद्र से घिरे जापान तथा अन्य देशों में किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) मत्स्य पालन विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को भारत के आसपास के समुद्री मत्स्य स्रोतों की जानकारी है और इन स्रोतों के उपयोग के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं ।

(ख) और (ग). क्रमबद्ध पंचवर्षीय योजनाओं में मत्स्य-पालन के विकास का परिव्यय काफी बढ़ा दिया गया है । तीसरी योजना में मत्स्यपालन का परिव्यय 28 करोड़ रुपये था । चौथी योजना में मत्स्यपालन के विकास के लिए अस्थाई रूप से 83.57 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । निम्न प्रमुख योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है :—

(1) बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मत्स्यपालन बन्दरगाहों की व्यवस्था

चौथी योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के लिये 19.6 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । मछली पकड़ने की अनेक बन्दरगाहें पूर्ण हो चुकी हैं तथा अन्य निर्माणाधीन है और बड़े पत्तनों पर कुछ बड़ी बन्दरगाहों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(2) छोटे मत्स्य-जलयानों का यांत्रीकरण

छोटी मत्स्य-नौकाओं के यांत्रीकरण के एक कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 7500 यांत्रीकृत नौकाओं का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया गया है । चौथी योजना की अवधि में 5500 नौकाओं का प्रयोग शुरू करने का प्रस्ताव है । इन नौकाओं के प्रयोग से प्रायः 'श्रिम्प' निर्यात व्यापार का तेजी से विकास हुआ है । 1965-66 में 7.08 करोड़ रुपये के मूल्य की मत्स्य तथा मत्स्य उत्पाद

(प्रमुखतया श्रिम्प) का निर्यात हुआ था। 1968-69 में इन निर्यातों का मूल्य 24.70 करोड़ रुपये था।

(3) बड़े पोतों की सहायता से तट से दूर मात्स्यकी का विस्तार।

चौथी योजना की अवधि में 300 पोतों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। देश में विभिन्न पोत-प्रांगणों में 40 मत्स्य नौकाएं निर्माणाधीन हैं और 30 पोतों का आयात करने और देश में 15 और पोतों के निर्माण की एक योजना क्रियान्वित की जा रही है। गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में मात्स्यकी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सुविधायें उपलब्ध की जा रही हैं।

(4) कार्मिकों का प्रशिक्षण

कार्मिकों को छोटी यांत्रीकृत नौकाओं के प्रचालन के सम्बन्ध में समुद्रतटीय राज्यों में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने बड़े मत्स्य-पोतों के प्रचालन के प्रशिक्षण के लिए दो यूनिटें स्थापित की हैं।

(5) खोतों का सर्वेक्षण।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्रीय संगठन को 24 आधुनिक समन्वेषी पोतों से लैस किया जा रहा है। ये पोत नयी मत्स्यकी क्षेत्रों का पता लगाने और मत्स्य उद्योग के विस्तार के लिये एक आधार तैयार करने हेतु संसाधनों की मात्रा को निश्चित करने का कार्य करेंगे।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में टेलीफोन केन्द्र

724. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा तथा चण्डीगढ़ में ऐसे टेलीफोन केन्द्र कितने हैं, जहां सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था है ; और

(ख) उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) पंजाब के 107 में से 105 एक्सचेंजों में हरियाणा के 70 में से 65 एक्सचेंजों में और चण्डीगढ़ के एकमात्र एक्सचेंज में स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था है।

(ख) स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था उत्तरोत्तर जनता की मांग पर की जाती है। इस समय कोई मांग बकाया नहीं है।

Setting up A Unit of Indian Telephone Industries Limited in Kashmir

725. **Shri Shri Chand Goyal : Shri J. Sunder Lal : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to set up a unit of Indian Telephone Industries Limited in Kashmir ;

(b) if so, the types of equipments that will be manufactured in this unit ; and

(c) the time by which the proposal would be given a final shape and the approximate expenditure likely to be incurred by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The Indian Telephone Industries Limited are setting up an Ancillary Unit in Jammu and Kashmir State.

(b) This unit will, to begin with, manufacture two types of equipment namely, textile—braided cords and moulded type alarm fuses.

(c) Land for the unit has been acquired and construction of buildings will be started shortly. In the mean time, operatives are being trained for the unit in a rented building. The approximate capital expenditure will be Rs. 6.50 lakhs.

Lock-out in Nagda Rayon Factory, Madhya Pradesh

726. **Shri Shri Chand Goyal :** **Shri J. Sunder Lal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a lock-out was declared by the mill-owners of Rayon Factory at Nagda in Madhya Pradesh in the month of August, 1969 ;

(b) if so, the causes thereof ;

(c) the number of days for which the lock-out continued ;

(d) the number of industries and the number of labourers affected by it ; and

(e) the action taken by Government to get this lock-out lifted ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (e). The matter falls in the State sphere.

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था से दुर्लभ किस्मों के बीजों की चोरी

727. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 30 किलो वियोजक या 'परिवर्तनीय' किस्मों के बीज जिनसे अधिक उपय वाले बीज अच्छे चुने जाते हैं और जो क्षेत्रीय दल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 वर्ष के परिश्रम का परिणाम थे हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था से चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाने के लिये चुरा लिये गये थे ।

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो दालों के मूल्यवान तथा दुर्लभ बीजों की चोरी के लिये जिम्मेदार पाये गये व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान् में चोरी का कोई भी मामला नहीं हुआ है । वास्तव में बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिक (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की

अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना) तथा अमरीकी कृषि विभाग के अमेरीकन वैज्ञानिक, 1966 से क्षेत्रीय दाल सुधार परियोजना पर सामूहिक रूप से कार्य करते रहे हैं, जिसमें कई अन्य देश भी भाग ले रहे हैं। यह कार्य भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरीका की सरकार के बीच तय हुये करार के अन्तर्गत किया गया है। इस परियोजना के बीजों के साझे भंडार में से एक अमरीकन वैज्ञानिक चना (चिक पी) तथा मसूर के कुछ प्रजनन भंडार को ले जा रहा था, जिसे हुसेनीवाला सीमा पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कुछ विधि औपचारिकता का पालन न करने पर रोक लिया गया था क्योंकि विधि औपचारिकता को पालन किये बिना इस प्रकार के बीज तथा पदार्थ भारत से वाहर नहीं भेजे जा सकते हैं।

(ख) तथा (ग). यह चोरी का मामला न था। अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता।

कृषि विभाग की सलाह पर सम्बन्धित अधिकारियों ने भारतीय तथा अमरीकन तकनीकी कर्मचारियों के संयुक्त संरक्षण के अन्तर्गत सम्बन्धित भंडार को नियुक्त करने का निर्णय किया है।

नया टेलीफोन लगाना

728. **मंगलाचुमाडोम** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले वर्ष में कितने अतिरिक्त टेलीफोन लगाने की योजना बनाई गई है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिये औद्योगिक एककों तथा अन्य विकास संस्थाओं के लिये कोई वरीयता निश्चित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) (क) 1970-71 के दौरान 80,000 नम्बर।

(ख) जी हां।

(ग) विभाग के नियमों और क्रिया विधियों में की गई निम्नलिखित व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ श्रेणियों के आवेदकों को अपेक्षाकृत जल्दी टेलीफोन कनेक्शन लेने की सुविधा उपलब्ध है :—

(i) जिन स्थानों पर टेलीफोन केन्द्रों की उपस्कर क्षमता ',000 लाइनों से अधिक है, वहां अपना टेलीफोन योजना चालू की गई है। ऐसे स्थानों पर उपलब्ध एलाटमेंट कोटा में से 50 या 70 प्रतिशत अपना टेलीफोन योजना के आवेदकों के लिये आरक्षित है। औद्योगिक यूनिट और अन्य लोग इस कोटे का प्रयोग कर सकते हैं।

(ii) चिकित्सकों, सार्वजनिक संस्थाओं और प्रेस आदि के साथ समान उद्योग भी "विशेष" श्रेणी के अन्तर्गत अपना टेलीफीन रजिस्टर कराने के लिए पात्र हैं। अलग-अलग स्थानों के मुताबिक नए कनेक्शनों में से 15 या 20 प्रतिशत विशेष' श्रेणी के लिए आरक्षित कर लिये जाते हैं।

(iii) जिन स्थानों पर चालू कनेक्शनों और प्रतिक्षा सूची की संख्या को मिलाकर 1500 से अधिक नम्बर होते हैं, वहां टेलीफोन सलाहकर समितियां बनाई जाती हैं। टेलीफोन सलाहकर समितियां अपना टेलीफोन योजना के अन्तर्गत बारी के बिना कनेक्शन देने की हिदायत दे सकती हैं और उनके अलावा उपलब्ध क्षमता में से 50 प्रतिशत की सीमा तक "विशेष श्रेणी" के अन्तर्गत कनेक्शन देने की सिफारिश करा सकती हैं।

(iv) जो संस्थाएं देश में उत्पादन बढ़ाने के काम में लगी हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप आगे चलकर एक वर्ष में पांच लाख रु० तक की विदेशी मुद्रा बचाई या कमाई जा सके, उन्हें (अपना टेलीफोन योजना वाले स्थानों पर केवल अपना टेलीफोन योजना के अन्तर्गत) एक स्थान पर बिना बारी अधिक से अधिक तीन टेलीफोन लेने की प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके अलावा वे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में से प्रत्येक स्थान पर एक अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन लेने के भी हकदार हैं।

नारियल अनुसन्धान केन्द्र, कायामकुलम द्वारा दिया गया अनुसन्धान कार्य

729. **श्री मंजलथुमाडोम** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल अनुसन्धान केन्द्र कायामंकुलम द्वारा किया गया अनुसन्धान कार्य केरल के नारियल उत्पादन क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ है और इसके विपरीत केरल में अनेक नारियल के वृक्ष बड़े पैमाने पर नष्ट हो रहे हैं ;

(ख) क्या नारियल वृक्षों को हो रही इस भारी नाश को रोकने के लिये तुरन्त कोई कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या नारियल के वृक्षों की इस बीमारी को रोकने के लिए अनुसन्धान कार्य के द्वारा कोई स्थायी हल निकाला गया है ताकि सैंकड़ों वृक्षों को बचाया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान संस्थान कयामकुलम द्वारा किये गये अनुसन्धान कार्यों से केरल और अन्य राज्यों में नारियल के काश्तकारों को काफी लाभ हुआ है। फिर भी यह सच है कि संस्थान अभी तक "रूट विल्ट" नामक रोग का कोई प्रभावशाली उपचार नहीं खोज सका है।

पत्तों के सड़ने के रोग, राइनोसीरोस बीटल और पत्ते खाने वाले कैटरपिल्लर के लिए संस्थान द्वारा विकसित किये हुए नियन्त्रण साधन बहुत प्रभावशाली माने गये हैं और ये केरल के कृषकों ने उन्हें अपना लिया है।

(ख) अनुसन्धान से प्राप्त हुए परिणामों को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाये गये हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में कार्य को और गतिमान किया जा रहा है।

(ग) और (घ). केरल में नारियल के वृक्षों पर प्रभाव डालने वाले गम्भीर रोग में एक रोग पत्ती सड़ने का रोग है जिसका कौंपलों पर फ़फूंद नाशक औषधी छिड़क कर नियन्त्रण किया जाता है। खाद देने और कृषिगत कामों से (विशेषकर जल निकास सुधार से) "रूट विल्ट" से प्रभावित वृक्षों की उपज को कम होने से रोकते हैं। रोगग्रस्त वृक्षों को पहचानने के लिये और अन्ततः उन के उपचार के साधन मालूम करने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में उपलब्ध सर्वोच्च विशेषज्ञों के परामर्श से संस्थान में पहले ही कार्य शुरू कर दिया है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने 'रूट विल्ट" रोग को पहले ही राष्ट्रीय महत्व की समस्या मान लिया है और चौथी योजना की अवधि में इसे उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का प्रस्ताव है। नारियल पर अनुसन्धान के लिए सारे भारत के लिए एक समन्वित परियोजना बना ली गई है और आशा है इसे शीघ्र ही चालू कर दिया जायेगा।

अधिक हानिकारक कीटों में से राइनोसीरस बीटल, पत्ती खाने वाले केटरविलर रैड पाम वीविल और कौकचाफर बीटल को कीटनाशक औषधियों के प्रयोग द्वारा नियन्त्रण में लाया जाता है और इस प्रकार प्रजीवियों से छुटकारा पाया जाता है।

इस्पात उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण

7 0. **श्री मंगलाथुमाडोम :** **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री पी० विश्वम्भरन : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री हुचे गौडा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजूरी के पुनरीक्षण के प्रश्न पर बातचीत के प्रयोजन के लिये सरकार का विचार इस्पात उद्योग में मालिकों और कर्मचारियों दोनों पक्षों की एक विचार-विमर्श व्यवस्था कायम करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के इस निर्णय पर दोनों पक्ष सहमत हो गये हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार का विचार इस व्यवस्था की कब तक स्थापना करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में लोहा और इस्पात सम्बन्धी औद्योगिक समिति ने 16 अक्तूबर 1969 को हुई अपनी बैठक में जो निष्कर्ष लिये हैं, उनकी एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2035/69] यह विदित होगा कि स्वयं सम्बोधित पक्षों द्वारा न कि सरकार द्वारा, वार्ता दल स्थापित किया जायेगा।

इंजीनियरिंग के कारखानों के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड गठित की जाने की क्रियान्विति

731. **श्री मंगलाथुमाडोम :** **श्री हुचे गौडा :**
श्री लखन लाल कपूर : **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

श्री अविचन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के छोटा नागपुर, सिंहभूम और धनबाद जिलों में इंजीनियरिंग के बड़े कारखानों के श्रमिकों ने इंजीनियरिंग मजूरी बोर्ड पंचाट की सिफारियों की शीघ्र क्रियान्विति के लिये अपने मालिकों को नोटिस दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मजूरी बोर्ड पंचाट की क्रियान्विति के लिये इन इंजीनियरिंग कारखानों के मालिकों को मनाने के लिए कोई कार्यवाही की हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (ी भागवत झा आज़ाद) : (क) इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं ।

(ख) परस्पर स्वीकार्य समझौता तैयार करने के लिए बिहार सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों और नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों की एक त्रिपक्षीय समिति गठित की । इस समिति की अब तक तीन बैठकें हुई हैं और इसका विचार-विमर्श अभी जारी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Setting of Sugar Mills

732. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of sugar mills sought to be set up by each State during the Fourth Five Year Plan period and the number of sugar mills for which permission has been given to them ;

(b) the difficulty in givin them full freedom by withdrawing licensing system for sugar mills in view of the fact that sugar mills can be set up with the help of indigenous resources ; and

(c) if so, whether it is a fact that the climate at every place is not suitable for sugarcane cultivation but the cultivation of sugarcane has to be done even in unsuitable climate as a result of licensing system and if so, whether it does not result in national loss ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statement giving the State-wise position of the number of applications received, recommended by the State Governments and the number for which letters of intent have so far been issued for the establishment of new sugar factories is attached.

(b) The withdrawal of licensing control for the setting up of the sugar mills will lead to (i) unplanned development of the sugar industry ; (ii) creation of more production capacity than required ; and (iii) abandonment of Government's policy of establishing new sugar factories mainly in the co-operative sector.

(c) The climate of each area is not quite suitable for sugarcane cultivation. This aspect is kept in view while examining applications for granting licences for new factories. As such the policy does not result in national loss.

STATEMENT

Statement showing the State-wise position of the number of applications received, recommended by the State Governments and for which letters of intent have so far been issued for the establishment of new sugar factories against the Fourth Plan (1969-74).

(Number of Applications)

	State	Received upto 31-10-1969	Recommended by the State Governments	Against which letters of intent have so far been issued
1.	Tamil Nadu	18	4	2
2.	Mysore	18	9	6
3.	Andhra Pradesh	10	7	3
4.	Kerala	1	—	—
5.	Goa	2	1	—
6.	Maharashtra	34	23	15
7.	Gujarat	7	5	5
8.	Rajasthan	1	1	—
9.	Orissa	2	—	—
10.	Uttar Pradesh	6	5	3
11.	Bihar	12	3	—
12.	Haryana	1	1	—
13.	Andaman	1	—	—
	Total	113	59	34

Agro-Industrial Corporations

733. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of progress made so far, State-wise, by the Agricultural Industries Corporations ; and

(b) the names of the Corporations which are showing good progress in the production of tractors and fertilisers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) It is difficult to make a critical appreciation of the progress made by the various State Agro-Industries Corporations, as the period for which they have been in existence is too short. However, the progress made by some of them has been quite impressive, though a few, which have been set up only recently, are yet to establish themselves on a sound commercial footing. These Corporations are mainly engaged in the supply of tractors, farm implements, pump sets and other agricultural machinery on out-right sale and hire purchase basis. Some Corporations have also taken up activities like establishment of agricultural machinery hiring centres, groundwater exploitation, land reclamation particularly in the command area of major irrigation projects, setting up of fertiliser granulation factories, maize milling plants and fruit and vegetable preservation factories. In certain States, where the co-operative sector has not extended its activity beyond supply of credit, the Corporations have already undertaken

distribution of fertilisers, pesticides and other modern inputs with noticeable impact on farming practices.

(b) No Corporation is at present engaged in the production of tractors. The Uttar Pradesh and Haryana Agro-Industries Corporations have however taken up assembly of Zetor 2011 tractors from imported SKD packs. In so far as production of fertilisers is concerned, the Maharashtra State Agro-Industries Development Corporation have embarked on a project for setting up a super-Phosphate and NPK fertiliser plant. These plants are expected to go into production by June, 1970.

Potash Fertiliser

734. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of potash fertiliser being produced in the country and the country-wise quantity thereof imported during the last three years ; and

(b) the agency through which it is imported ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The following quantities of potash fertilisers (MOP) were produced in the country during the last three years :

Year	(In tonnes)
1966-67	1,900 (approx.)
1967-68	1,400 ,,
1968-69	1,700 ,,

The country-wise imports of potash fertilisers during the last three years are given below :

(Figures in M. T.)

Year	Country	MOP	SOP	NKP
1966-67	W. Europe	48,094	10,630	—
	G. D. R.	1,08,541	5,000	—
	U. S. S. R.	13,915	—	—
	Hungary	21,454	—	—
	W. Germany	—	5,000	—
	Total	1,92,004	2,06,630	—

Year	Country	MOP	SOP	NKP
1967-68	W. Europe, G. D. R. and U.S.S.R.	89,550 1,47,469	— —	— —
	Canada	92,973	—	—
	France	27,781	—	—
	U. S. A.	67,007	—	90,592
	W. Germany	—	5,000	—
	Total	4,24,780	5,000	90,592

1968-69	G. D. R.	2,14,750	—	—
	W. Germany	38,012	3,600	—
	Canada	48,172	—	—
	U. S. A.	12,832	—	94,163
	Japan	—	—	16,000
	U. S. S. R.	20,245	—	—
	Total	3,34,011	3,600	1,10,163

(b) The fertilisers containing potash are imported by the Central Fertiliser Pool of the Ministry of Food and Agriculture and by the State Trading Corporation of India.

Acreage under Single Crop

735. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of increase in the area during the last three years, year-wise, wherein more than one crop was grown ; and

(b) whether this increase had any connection with the increase in the irrigation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Figures of area sown more than once and gross irrigated area, based on Land Utilisation Statistics, are generally received from the States with considerable timelag. The following Table gives the relevant information at the All-India level for the years 1964-65 to 1966-67 (the latest three years for which the data are available) :

Year	Thousand hectares	
	Area sown more than once	Gross irrigated area
1964-65	21,111	30,704
1965-66	19,192 (P)	31,171 (P)
1966-67	19,608 (P)	32,793 (P)

(P)—Provisional.

The years 1965-66 and 1966-67 have been characterised by droughts over large parts of the country and, as such, although the gross irrigated area has gone up, the area sown more than once has shown some decline.

Increase in Production of Oil Seeds

736. **Shri Maharaj Singh Bharati** :
Shri R. K. Birla :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the increase in production and consumption of oil-seeds and the increase in area of its cultivation during the last three years, year-wise ; and

(b) whether this increase has taken place as a result of favourable weather or any other factors ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The figures of area and production of oil-seeds and availability for consumption of edible oil-seeds from internal production during the years ending 1968-69 are indicated below :

	1966-67 Partially	1967-68 Revised	1968-69 (Final)	Percentage increase (+) or decrease (−) In 1967-68 over 1966-67	In 1968-69 over 1967-68
Area ('000 hectares)					
(a) Edible oil-seeds	13,099	13.451	12,493	(+) 2.7	(−) 7.2
(b) Non-edible oil-seeds*	1,896	2,216	2,092	(+) 16.8	(−) 5.6
(c) Total	14,995	15,667	14,585	(+) 4.5	(−) 6.9
Production '000 tonnes)					
(a) Edible oil-seeds	6,055	7,744	6,463	(+) 27.8	(−) 16.6
(b) Non-edible oil-seed*	370	559	463	(+) 51.0	(—) 17.2
(c) Total	6,425	8,303	6,926	(+) 29.2	(−) 16.6
Availability for consumption of edible oil-seeds from internal production ('000 tonnes)@@	5,498	7,003	5,839	(+) 27.3	(−) 16.7

@ -- Relates to Groundnut, Seasamum, Rapeseed and Mustard.

* —Relates to linseed and castorseed.

@@—These estimates have been worked out by sub-tracting requirements for seed and exports of oil-seeds from the total production during the year and are in the nature of rough approximations. Firm data on consumption of oil-seeds are not available.

(b) Increase in area and production during 1967-68 was due to favourable weather conditions and development programmes. Decline during 1968-69 is attributed to untimely and inadequate rains in the major growing areas.

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

737. **श्री रानेन सेन :**
श्री जनार्दनन :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री झारखण्डे राय :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या सूचना और प्रसारण तथा सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय टेलीफोन बिलों की बकाया राशि कितनी है ;

(ख) इस बकाया धन-राशि में से सरकारी ग्राहकों की ओर कितनी राशि देय है ; और

(ग) इस बकाया धन राशि को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1 मई, 1969 की 31 जनवरी, 1969 तक जारी किए गए बिलों की 5.96 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

(ख) 2.92 करोड़ रुपये।

(ग) वसूली करने के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना, पत्र व्यवहार करना और टेलीफोन काटने जैसे कदम उठाये जाते हैं।

विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा के बारे में खोसला आयोग की रिपोर्ट

738. **डा० रानेन सेन :**
श्री सूरज पाण्डेय :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अविचन :
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री झारखण्डे राय :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जनार्दनन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों के बारे में दिनांक 15 अक्तूबर, 1969 को दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय बैठक मे विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा के बारे में दी गई खोसला आयोग की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस त्रिपक्षीय बैठक द्वारा इस रिपोर्ट के बारे में क्या निर्णय लिये गये ; और

(ग) इस रिपोर्ट के बारे में सरकार के अन्तिम निर्णयों का क्या ब्यौरा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तेल कम्पनियों (परिशोधनालयों समेत) में नौकरी की सुरक्षा संबंधी गोखले (न कि खोसला) जांच आयोग की रिपोर्ट पर 15 अक्तूबर, 1969 को हुई त्रिपक्षीय समिति की बैठक में विचार किया गया।

(ख) और (ग). बैठक में लिए गए निष्कर्षों की एक प्रति संलग्न है। **पुस्तकालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल० टी० 2036/69] द्विपक्षीय विचार-विमर्श के परिणाम की सूचना अभी मंत्रालय को भेजी जानी है।

सिंचाई तथा कृषि विकास कार्य के लिए धनराशि का नियतन

739. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चौदह बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए, सिंचाई तथा अन्य कृषि विकास कार्यों के लिए और अधिक धनराशि का आबंटन करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषतः बिहार के बारे में सामान्य तौर से तथा दरभंगा जिले के बारे में विशिष्ट रूप से उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकार को कोई अधिक साधन प्राप्त नहीं हुए है। अतः किसी योजना के लिए और धन नियत करने का प्रश्न ही नहीं होता।

बिहार में सूखा

740. **श्री शिवचद्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा जिले में सामान्यता और विशेषतर मधुबनी सब-डिवीजन में सूखे तथा जल की कमी से फसलों को बहुत हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों, विशेशकर मधुबनी सब-डिवीजन के लोगों ने केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है कि मधुबनी सब-डिवीजन को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). पूछा गया ब्यौरा बिहार सरकार से मंगाया गया है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

बिहार में सूचना केन्द्र

741. **श्री शिव चन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार झागरपुर, दरभंगा जिला, बिहार में एक सूचना केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय सथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) साधनों की कमी।

दरभंगा के वेल्हावार डाकखाने का बन्द किया जाना

742. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के दरभंगा जिले में वेल्हावार डाकखाने को बन्द किये जाने के नोटिस भेज दिये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो वह डाकखाना कब से काम कर रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और एक विवरण-पत्र लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पश्चिमी बंगाल में कोयले की खानों के कर्मचारियों का काम छोड़कर जाना

743. **श्री लखन लाल कपूर** : **श्री ए० श्रीधरन** :
श्री क० लकप्पा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के श्रीपुर तथा आसनसोल क्षेत्रों में कोयले की खानों के कर्मचारी बड़ी संख्या में कोयले की खानें छोड़ कर चले गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके काम छोड़ कर तथा क्षेत्र छोड़ कर जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार तथा मालिकों ने क्या-क्या कदम उठाये हैं जिससे कर्मचारियों में पुनः विश्वास उत्पन्न हो तथा कर्मचारी अपना काम करते रहें ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में टेलीविजन पर तमिल चलचित्र दिखाया जाना

744. **श्री सुब्बाबेलू** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अभी तक टेलीविजन पर तमिल भाषा का एक भी चलचित्र नहीं दिखाया गया ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं। पुरस्कार प्राप्त करने वाली तमिल फिल्म 'आलायम' के अंशों को टेलीविजन पर दिखाया गया है। पूरी फिल्म टेलीविजन पर निकट भविष्य में दिखाई जायेगी।

(ख) सवाल नहीं उठता।

बिहार तथा राजस्थान में खाद्यान्न की कमी

745. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में लगातार सूखा, विशेषतया बिहार, राजस्थान में पड़ने के कारण उत्पन्न खाद्यान्न की कमी के संकट पर काबू पाने में सरकार समर्थ हो सकी है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जी, हां। फिलहाल देश की सामान्य खाद्य स्थिति न्यूनाधिक सुखद है हालांकि चालू वर्ष में भी राजस्थान के कुछ भागों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। तथापि, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए सरकारी प्रयत्न जारी हैं और अधिक उपज देने वाली किस्मों, बहु-फसली कार्यक्रमों को शुरू करने, उर्वरकों का अधिक प्रयोग, बड़े पैमाने पर व समन्वित ढंग से कीट-नियंत्रण उपाय, सिंचाई-सुविधाओं में सुधार, किसानो को बेहतर किस्म के बीज, कृषि ओजार और ऋण सुलभ करने और किसानों को प्रोत्साहन देने जैसे अनेक उपाय किए गये हैं।

बिहार में धान शुल्क की वसूली

746. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 में खरीफ की फसल में बिहार के सभी जिलों में धान पर शुल्क उगाहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो जिलावार कितना धान शुल्क वसूल किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि सरकार के निश्चित आदेशों के बिना कुल धान शुल्क वसूल किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। तथापि, पालामऊ जिले में किसानों पर लगी लेवी 7-1-1969 से हटा ली गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गई। देखिए संख्या एल० टी० 2037/69**]।

(ग) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं आया है।

भावनात्मक एकता के लिये समृद्ध आदिम जाति संस्कृति को प्रकार में लाना

747. **कार्तिक उरांव** ; क्या **सचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों को समृद्ध आदिम जाति संस्कृति, परम्परा तथा धर्म के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्य जनता के ज्ञान के लिए उनको प्रकाश में लाने के लिए कोई प्रयत्न किये गये हैं ताकि भावनात्मक एकता कायम की जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पुसो, रांची में डाक घर खोलना

748. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची के सिसाई पुलिस थाने से लगभग 12 मील दूर देहात में पुसो नामक स्थान पर जो कि वर्षा ऋतु में अन्य क्षेत्रों से पूर्णतया कट जाता है, जो डाकघर खोला जाना था उसे झारगांव के पोस्टमास्टर के कहने पर झारगाँव में जो सिसाई से केवल दो अथवा तीन मील की दूरी पर है स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इस क्षेत्र को संचार सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी नहीं। फिलहाल पुसो में डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए पुसो के प्रस्तावित डाकघर को झारगांव ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय चार मील की दूरी पर स्थित मासनामो के शाखा डाकघर का डाकिया सप्ताह में दो बार पुसो गांव का काम भी कर रहा है। पटना के पोस्टमास्टर जनरल से यह कहा जा रहा है कि यदि निर्धारित मानकों की पूर्ति होती हो तो पुसो में डाकघर खोलने के मामले की जांच की जाए।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के शिल्प-प्रशिक्षुओं द्वारा 'टूल डाउन' हड़ताल

749. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के शिल्प-प्रशिक्षु लगभग एक महीने से 'टूल डाउन' हड़ताल पर हैं तथा इससे उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के पदाधिकारियों तथा बिहार सरकार के श्रम आयुक्त ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

चीनी का वर्गीकरण

750. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी को क, ख, ग श्रेणियों में वर्गीकृत करने की पद्धति है ;

(ख) क्या कीमतों में श्रेणी के अनुसार परिवर्तन होता है ;

(ग) क्या सरकार तथा उपभोक्ता को अधिक कीमत देनी पड़ती है यदि वर्गीकरण ठीक प्रकार न किया जाय और निम्न श्रेणियों को उच्च श्रेणियों में अंकित किया जाय ;

(घ) ऐसे कौन से सहकारी तथा निजी कारखाने हैं जिनके विरुद्ध अधिश्रेणीकरण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ङ) क्या इन कारखानों के विरुद्ध अभियोग चलाया गया है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). सरकार क तथा ख ग्रेड की चेवी चीनी के लिए किसी लाभ की अनुमति नहीं देती है । इन तीन ग्रेडों की चीनी को उपभोक्ता तरजीह के अनुसार खुले बाजार में फायदा होता है ।

(घ) चालू वर्ष 1969 के दौरान निम्नलिखित चीनी कारखानों के विरुद्ध अधिश्रेणिकृत चीनी की सप्लाई के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । ये सभी कारखाने गैर सरकारी क्षेत्र में हैं :—

1. मैसर्स सारया शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सरदार नगर ।
2. ,, रामचन्द एण्ड सन्ज शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बाराबंकी ।
3. , राम लक्ष्मण शुगर यिल्स, मोहिउद्दीनपुर ।
4. ,, धामपुर शुमर मिल्स लिमिटेड, धामपुर ।
5. , दिवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सखौती टांडा ।
6. , किरलमपुड्डी शुगर मिल्स लिमिटेड, पीथापुरम ।
7. , भोपाल शुगर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सेहोर ।
8. ,, सद शादीलाल शुगर एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड, मंसूरपुर ।

(ङ) मैसर्स सारया शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सरदारनगर के सम्बन्ध में प्राप्त चीनी के नमूनों का श्रेणीकरण ठीक पाया गया । अतः इस कारखाने के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता । अन्य कारखानों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें विचाराधीन हैं ।

आकाशवाणी द्वारा चीनी प्रचार सामग्री का प्रसारण

751. **श्री मधु लिमये :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने अपने एक समाचार प्रसारण में चीन में रोगियों पर माओ के विचारों तथा माओं की तस्वीरों के अद्भुत आरोग्यकारी प्रभाव का प्रचार किया है ;

(ख) क्या व्यंग्य भांडा फोड़ के रूप में यह समाचार बिल्कुल बेकार गया था ; और

(ग) क्या सरकार आकाशवाणी को यह अनुदेश देगी कि चीन जैसे आक्रमक देश द्वारा प्रस्तुत की गई प्रचार सामग्री का प्रसारण न करे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) समाचार का भाव चीन के लम्बे और वाहियात दावे का पर्दाफास करना था ;

(ख) जो, नहीं ।

(ग) निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि इस प्रकार की सामग्री केवल कमेन्ट्री कार्यक्रमों में इस्तेमाल की जाए ।

भागलपुर बिहार में टेलीफोन तथा तार सम्बन्धी प्रबन्ध

752. **श्री मधु लिमये** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के भागलपुर क्षेत्र में टेलीफोन तथा तार सम्बन्धी प्रबन्धों के बारे में सरकार को रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) क्या कलकत्ता तथा पटना से बाहर टेलीफोन करना तथा तार भेजना एक महीने में लगभग 20 दिन बन्द रहता है ;

(ग) क्या भागलपुर जिला प्रेस संवाददाता संस्था ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सच नहीं है कि कलकत्ता और पटना के लिये महीने में लगभग 20 दिन लाइनें खराब रहती हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी यह ठीक है कि भागलपुर से कलकत्ता और पटना के

दूरसंचार परिपथों की कार्यकुशलता मई से अगस्त 1969 तक कुछ कम रही है। इसका मुख्य कारण इन परिपथों पर तांबे के तार की चोरी होना था। तांबे के तार के स्थान पर अल्यूमिनियम के तार लगा दिये गए हैं और अब कार्यकुशलता बढ़ गई है। अक्तूबर 1969 में यह लगभग सामान्य रही है ; भागलपुर से एक अतिरिक्त परिपथ की भी व्यवस्था की जा रही है, जो पूरा होने पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम आएगा और इससे कार्यकुशलता का स्तर और भी ऊंचा हो जाएगा।

असरगंज तथा संग्रामपुर बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

753. **श्री मधु लिमये** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दक्षिण मुंगेर जिले में असरगंज तथा संग्रामपुर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र बनाने, टेलीफोन लगाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) टेलीफोन लगाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह)। (क) असरगंज और संग्रामपुर में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी गई है। इन कार्यों के लिए प्राक्कलनों की मंजूरी भी दे दी गई है। अभी कुछ आवश्यक सामान की प्रतीक्षा है। इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जा रही है।

(ख) सामान के प्राप्त होने पर कार्य पूरा किया जाएगा। इस वित्त वर्ष के अन्त तक कार्य पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बहुत सी फसलें उगाने तथा शुष्क-कृषि क्षेत्रों में कृषि श्रमिक-सर्वेक्षण

754. **श्री मधु लिमये :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई से बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं तथा जहां शुष्क-कृषि प्रचलित है, रोजगार स्थिति की शर्तों तथा कृषि श्रमिको की कुल परिलब्धियों के बारे में नया सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार न्यूनतम मजूरी को बढ़ाने तथा इसे राज्य सरकारों के सहयोग से लागू करने के लिये कृषि श्रमिकों के मामले में न्यूनतम मजूरी कानून को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। लेकिन देश में 21 प्रदेशों में ग्रामीण श्रमिकों के बारे में गहन ढंग के अध्ययन श्रम ब्यूरो द्वारा किये जा रहे हैं और इस प्रकार की कुछ सूचना इन अध्ययनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय श्रम आयोग ने न्यूनतम मजूरी के संशोधन और उसकी क्रियान्विति के बारे में विशेष सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें अब सरकार के समक्ष हैं। इस परिस्थिति में सुझाई हो गई रूप रेखा पर और पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

हिमाचल प्रदेश के लिये कृषि विश्वविद्यालय

755. **श्री हेमराज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का तीन भागों में विभाजन किया जा रहा है तथा पंजाब के लिये लुधियाना में और और हरियाणा के लिये हिसार में अलग अलग विश्वविद्यालय बनाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में पंजाब विश्वविद्यालय के पालमपुर परिसर को हिमाचल प्रदेश के लिये कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : मौजूदा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विलयन तथा फिलहाल उसके स्थान पर दो कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) मौजूदा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विभाजन के प्रश्न पर विचार करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित समिति ने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए दो अलग कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की सिफारिश की है। सिफारिश पालमपुर परिसर को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए नहीं, अपितु मौजूदा पालमपुर परिसर में कृषि विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बन्ध कृषि महाविद्यालय, सोलन को नए कृषि विश्वविद्यालय के केन्द्रक के रूप में प्रारम्भ करने के बारे में थी। हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने अभी यह निर्णय नहीं किया है कि वे कृषि विश्वविद्यालय चाहते हैं अथवा कृषि पर विशेष जोर देते हुए एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय की सिफारिश की गई है कि जब तक हिमाचल प्रदेश अपनी अलग प्रबन्ध नहीं कर लेता तब तक पालमपुर परिसर नए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का एक संघटक बना रहेगा जिसका मुख्यालय लुधियाना में होगा।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा श्रम नीति के संबंध में सिफारिशें

756. **श्री न० कु० सोमानी**।

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रम नीति को नई दिशा देने के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो वे क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) (ख). आयोग की सिफारिशों पर सम्बन्धित पक्षों से परामर्श लेकर विचार किया जा रहा है ।

Transfer of A. I. R. Officials who have stayed in Delhi for more than 5 Years

757. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4323 dated the 21st August, 1969 and state :

(b) whether Government have since collected information in regard to parts (b) and (c) of the reply to the aforesaid question ;

(b) if so, whether it would be laid on the Table of the House as to whether all the Programme Executives, Transmission Executives, Assistant Station Engineers, Assistant Engineers, Engineering Assistants, Senior Engineering Assistants, Assistant Station Directors who have been working in Delhi for more than five years have been transferred ; and

(c) if not, the reasons for not transferring them and the time by which Government propose to transfer them and the nature of the policy being framed in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). Review of the position is under way. Transfers of personnel who have been at the same station for long periods are being ordered according to a phased programme.

Transfer of Producers of A. I. R.

758. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4331 on the 21th August, 1969 and state :

(a) the names of persons who have been transferred by now from amongst the persons mentioned in the list laid on the Table of the House ; and

(b) whether the policy laid down by Government in regard to the transfer of producers is being fully adhered to ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) None, Sir. Four persons mentioned at serial Nos. 1, 2, 6 and 18 in the list referred to have, however, since retired.

(b) Yes, Sir.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आशुलिपि शिक्षकों का तबादला

759. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 12 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4325 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की विभन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले अधिकांश आशुलिपि शिक्षकों का पत्र संख्या एफ 4(87)/69 टी० टी० ए० दिनांक 24 सितम्बर, 1969 के द्वारा सितम्बर 1969 में अन्य संस्थाओं में तबादला किया गया था

जो कि उनके निवास स्थानों से दूर है और इस प्रकार उन्हें कार्य के स्थान पर जाने और आने में असुविधा होती है ;

(ख) उन्हें निकटवर्ती औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये थे ; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने तबादले के लिये आवेदन पत्र दिये है निकटवर्ती औद्योगिक संस्थाओं में लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि उन की कार्य दक्षता में सुधार हो सके तथा वे अपने कार्य के स्थानों पर जाने की आनावश्यक असुविधा से बच सके ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल 18 आशुलिपि शिक्षकों की तुलना में 9 आशुलिपि शिक्षकों का तबादला सितम्बर, 1969 में एक संस्था से दूसरी, संस्था में (क) दो नए आशुलिपि शिक्षकों की नियुक्ति, (ख) सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में हिन्दी आशुलिपि की कक्षाओं का प्रारम्भ और (ग) प्रशासकीय आधार पर, किया गया। तथापि, यह सच नहीं है कि सभी 9 आशुलिपि शिक्षकों का तबादला उन संस्थाओं में किया गया है जो उनके निवास स्थानों से दूर है और इस प्रकार उन्हें कार्य के स्थान पर जाने और आने में असुविधा होती है।

(ख) उनका तबादला करते समय प्रशासकीय आवश्यकताओं के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारियों के निवास स्थानों को भी ध्यान में रखा जाता है। तथापि कभी कभी निवास स्थानों के निकट नियुक्तियां सार्वजनिक कार्य के हित में सम्भव नहीं होती।

(ग) उपरोक्त 9 आशुलिपि शिक्षकों में से जिनका सितम्बर, 1969 में तबादला किया गया था, केवल दो ने पुन: तबादले के लिये आवेदन पत्र दिए है। तथापि उनमें से एक ने तो ऐसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में तबादला चाहा है जो कि नियुक्ति के उसके नए स्थान की तुलना में उसके निवास स्थान से कहीं अधिक दूर स्थित है।

श्रमिकों की स्थिति और बच्चों को श्रमिकों के रूप में रखना

760. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भारतीय श्रमिकों की स्थिति में परिवर्तन तथा बच्चों को श्रमिकों के रुप में रखने के बारे में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या उस पर विचार कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क)

जी हां। आयोग की रिपोर्ट में बच्चा श्रम और श्रमिकों के कार्य तथा रहन-सहन से संबंधित सिफारिशें हैं।

(ख) इन पर संबंधित पक्षों की राय से विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम पर मुनाफाखोरी करने के आरोप

761. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री भगवान दास ;
श्री बदरुद्दुजा :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री एस० के० सम्बन्धन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारतीय खाद्य निगम पर, कलकत्ता व्यापारी संघ, जो शहर में चावल का थोक व्यापारियों का एक संघ है, द्वारा पश्चिम बंगाल में चावल व्यापार के सम्बन्ध में मुनाफा खोरी का आरोप लगाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि निगम ने 4,30,000 टन चावल के व्यापार में इस वर्ष लगभग 9.50 करोड़ रुपये का कुल लाभ कमाया ;

(ग) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। क्योंकि वर्ष 1968-69 तथा बाद की अवधि के खाते अभी तैयार नहीं हैं इसलिये अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि पश्चिमी बंगाल सहित राज्यों में चावल सम्भालने से निगम को किस हद तक लाभ होगा।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

डाक बचत बैंक खातों से कृषकों को ऋण

762. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकखानों के बचत बैंक खातों से कृषकों को ऋण देने के बारे में कोई सुझाव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत एकत्रित की गई राशियां, जिनमें डाकघर बचत बैंक में जमा की गई राशियां भी शामिल हैं, किसी विशेष प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं की जातीं, बल्कि इनका प्रयोग विकास-कार्यों के लिए होता है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

चावल के विकास के बारे में अनुसन्धान

763. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 प्रमरक चावल उत्पादक देशों और खाद्य तथा कृषि संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने सितम्बर 1969 में चावल विकास में उत्पादित उत्परिवर्तन के प्रयोग पर अनुसंधान समन्वय की नई दिल्ली में हुए पाँचवीं बैठक में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक का क्या परिणाम निकाला है ;

(ग) भारत ने इस दिशा में अब तक क्या प्रगति की है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष एकत्रित किये गये आंकड़े समन्वय समिति में भाग लेने वालों ने उपस्थित किये थे और आने वाले वर्ष के कार्यक्रम के विषय में अंतिम निर्णय किया गया था । जिन किस्मों के चावल में उत्पादन-योग्यता, बीमारी तथा महामारी से प्रतिरोध करने की शक्ति मौजूद हो तथा पकाने में अच्छे गुण हों उनके विकास पर बल देने का निर्णय किया गया । गुण पर विशेष बल दिया जायेगा क्योंकि ताइवान तथा फिलिपाइन में उगाई गई चावल की बौनी किस्मों में पकने के गुणों की कमी होने के कारण वे अधिक प्रचलित न हो सकीं ।

(ग) भारत में और खासकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में चावल के विकास में उत्पादित उत्परिवर्तन के प्रयोग में काफी प्रगति हुई है । काफी उन्नतिशील उत्परिवर्तन परिवीक्षा के अन्तर्गत हैं ।

(घ) समन्वय समिति में परामर्श की गई नीति के आधार पर उत्पादित उत्परिवर्तन सम्बन्धी कार्य फिर से गतिमान किये जायेंगे । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भाभा आण्विक अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से न्यूक्लियर अनुसन्धान प्रयोगशाला को स्थापित करने से ऐसे अनुसंधान में और अधिक सहायता मिलेगी ।

आकाशवाणी के कार्यक्रम संचालकों, सहायक केन्द्र निदेशकों और केन्द्र निदेशकों की कार्यावधि

764. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री 14 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3607 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार उन 6 कार्यक्रम संचालकों का जो कि 10 वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में है, कितनी अवधि में स्थानान्तरण करने का है ;

(ख) केन्द्र निदेशकों, सहायक केन्द्र निदेशकों, कार्यक्रम संचालकों, पारेषण संचालकों तथा इंजीनियरी कर्मचारियों की एक स्थान पर सामान्य कार्यावधि कितनी है ; और

(ग) उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में जिन 13 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है उन में से प्रत्येक की क्या क्या विशिष्ट दक्षता तथा प्रशासनिक अनुभव एवं करुणा सम्बन्धी कारण है जिन से सरकार उन्हें एक ही स्थान पर दस वर्ष से अधिक समय तक रखने को बाध्य हुई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक कार्यक्रम एक्जीयूटिव को स्थानान्तरण के आदेश पहले ही जारी कर दिये गये हैं तथा एक विशिष्ट कार्य में लगा है अतएव, उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा। अन्य व्यक्तियों के मामले विचाराधीन है।

(ख) किसी खास केन्द्र में कार्य करने की कोई निश्चित अवधि नहीं है। प्राय: जिन व्यक्तियों को एक केन्द्र पर कार्य करते हुए 5 वर्ष या इससे अधिक हो जाते हैं वे स्थानान्तरित किये जाने होते है। कठिन केन्द्रों पर कार्य की अवधि सामान्यत: दो वर्ष है।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिससे अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 2038/69]

उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन उद्योग का विकास

765. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत मत्स्य पालन विकास योजना आरम्भ की है जिसका वित्त पोषण पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के लिए कितनी धनराशि की मन्जूरी दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। उत्तर प्रदेश में मच्छली विकास के लिए कोई पैकेज कार्यक्रम नहीं है जिसे भारत सरकार धन देती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

आकाशवाणी, दिल्ली द्वारा अनाऊंसरों का चयन

766. श्री एस० एम० जोशी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा अनाऊंसरों के चयन, के बारे में 21 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4495 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर में बताई गई जांच पूरी हो चुकी है ,

(ख) कौन-कौन से पदाधिकारी चयन जो कि रद्द कर दिया गया था में विलम्ब के लिये जिम्मेदार पाये गये ; और

(ग) सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). जी, नहीं। जांच रिपोर्ट मन्त्रालय में विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम

767. श्री एस० एम० जोशी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1968 में विश्वविद्यालय कार्यक्रम, के सहायक प्रोड्यूसर के पद के लिये एक व्यक्ति का चयन किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि साक्षात्कार के लिये बुलाये गए उम्मीदवारों की आयु तथा शैक्षिक अर्हताओं की जाँच पड़ताल नहीं की गई थी और उम्मीदवारों को सीधे नियुक्ति के लिये चुन लिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब सूची के प्रथम उम्मीदवार को लिखित प्रमाण पेश करने को कहा गया तो वह महिला प्रार्थना पत्र में गलत जानकारी भरने के कारण, मुकदमा चलाये जाने से बचने के लिये नैमित्तिक ठेकों को छोड़ कर चली गई ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सूची पर जो अगला उम्मीदवार था उस के पास भी अपेक्षित अर्हता नहीं थी और उसे आयु तथा शैक्षिक अर्हता की जाँच किये बिना ही रख लिया गया था ; और

(ङ) यदि हाँ, तो चयन के बारे में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). मामले के तथ्यों पर मन्त्रालय में जांच की जा रही है तथा जांच पूरी होने पर स्थिति बता दी जायेगी।

नारियल बोर्ड की स्थापना

768. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रबड़ बोर्ड के समान नारियल बोर्ड स्थापित करने के बारे में विचार करेगी जिस से सेना रियल उत्पादकों तथा भारत में नारियल उद्योग के, विशेषतया केरल राज्य में, विकास में सहायता मिल सके ; और

(ख) क्या सरकार लंका से गोलों के भारत में आयात पर प्रतिबन्ध लगायेगी जिस से केरल राज्य में नारियल उत्पादकों को सहायता मिल सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) चालू वर्ष (अप्रैल 1969 मार्च 1970) के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा गोलों का आयात किया जा रहा है और गोलों के आयात तथा वितरण सम्बन्धी सभी मामलों पर राज्य व्यापार निगम को सहायता तथा परामर्श देने के लिये औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी मामलों के मन्त्रालय के अधीन एक समिति स्थापित की गई है। फिर भी हाल ही के वर्षों में श्रीलंका से गोलों का आयात काफी कम कर दिया गया है और 1968-69 में इन का आयात 5488 मीटरी टन रह गया है जिस का मूल्य 110 लाख रुपये है जब कि 1964-65 में 701 लाख रुपये के मूल्य के 42892 मीटरी टन गोले आयात किए गए थे। श्रीलंका से गोलों के आयात पर और आगे प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव पर उपरोक्त समिति द्वारा विचार किया जाना है।

कोचीन के लिये आकाशवाणी केन्द्र

769. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोचीन के अखिल भारतीय निर्माता संगठन के केरल राज्य बोर्ड ने संघ सरकार से अनुरोध किया है कि कोचीन में आकाशवाणी का प्रसारण केन्द्र बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को इस प्रकार की किसी प्रार्थना की जानकारी नहीं है।

(ख) कोचीन में रेडियो केन्द्र स्थापित करने की कोई प्रस्ताव नहीं है।

Consolidation of Holding in U. P.

770. **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Districts in Uttar Pradesh in which consolidation work has been completed and the names of districts in which consolidation of holdings is yet to be done ; and

(b) the time by which this work would be completed there ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Consolidation of holdings has generally been completed in the Districts of Muzafarnagar, Sultanpur, Saharanpur, Bulandshahar, Aligarh, Mathura, Moradabad, Lucknow, Hardoi, Allahabad, Itawa, Fatehpur, Bahraich and Pilibhit. In other Districts consolidation operations are in progress. It is expected that by the end of the Fourth Five Year Plan, *i.e.* 1973-74 consolidation of holdings would largely be completed in the State of Uttar Pradesh.

Issue of Milk Tokens by Delhi Milk Scheme on Recommendation of M. Ps.

771. **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of applications for Delhi Milk Scheme milk tokens as were recommended by the Members of Parliament and are pending for the last 6 months ; and

(b) the time by which the milk tokens would be issued on these applications ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). According to revised report, 13,732 applications for issue of milk tokens were received by Delhi Milk Scheme through Members of Parliament and other dignitaries, upto 3rd of November, 1969. Out of this, milk tokens and letters of authority have been issued to 13,090 applicants upto 3-11-1969. All applications of this category, received upto 31-8-1969 have been covered. The remaining applicants are also expected to be covered shortly.

Acquisition of Land under Soil Conservation Programme in U. P.

772. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land acquired by the Uttar Pradesh Government under the soil conservation programme in different districts and the names of those districts ;

(b) the terms and conditions on which the Government had given assistance to the landless Harijans and formers for agricultural work with a view to make this cultivable ; and

(c) the amount allocated by the Central Government for this work in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) According to the report received from the State Government, 9,482.89 acres were acquired in the Aligarh, Mainpuri, Azamgarh, Jaunpur and Ghazipur districts for reclamation of Saline and alkali lands locally known as Usar. The Scheme was subsequently would up because of inadequacy of surplus water for leaching of the soils.

(b) The terms and conditions were as follows :

(i) Out of the anticipated average expenditure on reclamation of Rs. 450/- per acre, Rs. 300/- per acre was to be borne by the State and the balance Rs, 150/- was to be recovered from the allottees as arrears of land revenue, on completion of reclamation after 6 years.

(ii) No land rent was to be charged for the first three years after allotment, land rent was to be charged at half the Circle rate for the next three years and full land rent was to be charged from seventh year onwards.

(iii) The work of bunding, digging by spade, land levelling, drainage and irrigation guls was to be done as State work.

(iv) Irrigation charges, including leaching and irrigation of paddy crop, for the first three years were to be borne by the State, half of the irrigation charges were to be borne by the State during the next two years and full charges were to be borne by the allottee seventh year onwards.

(c) The scheme was taken up under the State Development Plan and as such no amount was allotted by the Central Government directly.

Post Offices in U. P.

*773. **Shri Nihal Singh : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of new Post Offices opened in Uttar Pradesh within the last two years ; and

(b) the names of the districts in which telegraph services is proposed to be started in the existing post offices ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 812.

(b) Telegraph service is already available in many Post Offices but in the following districts the extension of this facility is being considered.

1. Kheri
2. Sitapur
3. Hardoi
4. Rae Bareli
5. Lucknow
6. Faizabad
7. Budaun
8. Nainital
9. Bijnore
10. Pithoragarh
11. Moradabad
12. Almora
13. Rampur
14. Bareilly
15. Pilibhit
16. Banda
17. Allahabad
18. Sultanpur
19. Fatehpur
20. Pratapgarh
21. Muzaffarnagar
22. Meerut
23. Bulandshahr
24. Bahraich
25. Gonda
26. Gorakhpur
27. Deoria
28. Azamgarh
29. Basti
30. Ballia
31. Tehri
32. Uttarkashi
33. Pauri
34. Chamoli

35. Dehradun
36. Saharanpur
37. Mainpuri
38. Hamirpur
39. Etawah
40. Fatehgarh
41. Kanpur
42. Jhansi
43. Jalaun
44. Unnao
45. Etah
46. Agra
47. Aligarh
48. Varanasi
49. Ghazipur
50. Jaunpur
51. Mirzapur
52. Shahjahanpur

Post Offices in Kangra District (H. P.)

774. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8932 on the 8th May, 1969 regarding post offices in Kangra District Himachal Pradesh and state :

(a) whether the inspection relating to the installation of telephone and telegraph office in Nilaga Nagrota Suriyan Post Office has been carried out, if so, the details thereof ;

(b) whether it is a fact that the Circle Officer of Posts and Telegraphs Department is demanding money from the people and Panchayat of the village in connection with the installation of telephone, if so, the reasons therefor ;

(c) the number of such Post Offices where the telephone facilities have been provided for public investment ; and

(d) if so, the reasons for demanding money from the residents of Nagrota ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). The proposal to provide Telegraph and Telephone facilities at Nagrota Suriyan has been examined. The scheme is unremunerative and the loss cannot be condoned according to the existing policy of the department. The facilities can be provided only on rent and guarantee basis if some interested party is willing to indemnify the loss to the department.

(c) The number of such post offices where telephone facility has been provided on public investment *i.e.* Rent Guarantee basis in Punjab Circle is *Four*.

(d) As the proposal to provide Telegraph and Telephone facilities at Nagrota Suriyan is unremunerative, some interested party has to indemnify the loss to the department to enable the department to provide these facilities.

Allotment of Land of Gram Samaj to Landless Harijans and Ex-Servicemen in Uttar Pradesh

775. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land of Gram Samaj that has since been allotted to landless Harijans and ex-Servicemen by the Uttar Pradesh Government during 1968 ;

(b) the acreage of land under the occupation of Gram Samaj in various districts of the State ; and

(c) whether it is also a fact that in several districts the land of Gram Samaj has not been allotted and given on lease to Harijans and ex-Servicemen and it has been allotted to

other people, and whether Government propose to take any action against those people who are committing such irregularities ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) At the beginning of the year 1967-68, an area of 22,80,463 acres of land was available with Gaon Sabhas of the State for letting out. Of this, an area of 27,748 acres was let out to Educational Institutions, landless agricultural labourers, etc. including Harijans and ex-servicemen. The total area allotted during the year to persons belonging to Scheduled Castes and Tribes was 8714 acres. Specific figures of allotment to Ex-servicemen are not available with the State Government of Uttar Pradesh.

(b) The area of land left with the Gaon Sabhas at the end of year 1967-68 was 22,52,715 acres. The district-wise break up is not available with the Government of U. P.

(c) It is not a fact that land of Gaon Sabhas is not being allotted to Harijans and ex-Servicemen. With amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950, prior approval of the Sub-Divisional Officer in allotment of land by Gaon Sabhas is necessary. The chances of allotment of land by Gaon Sabhas in contravention of provisions of the Act and Rules have thus been obviated altogether.

Increasing Unemployment among Educated Persons

776. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of educated and uneducated unemployed persons has increased much in 1969 in comparison to the number of unemployed persons in 1967 and 1968 ;

(b) whether it is also a fact that the number of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes, among unemployed persons is the largest ;

(c) whether it is also a fact that poor boys are not taken in local services and that no rules are observed in recruitment so as to provide equal opportunity to every one ; and

(d) whether it is also a fact that the officials responsible for the selection of persons indulge in favouritism, nepotism and bribery in making selections, particularly in District Banda (U. P.) ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). A statement is attached.

STATEMENT

I. Number of work-seekers on the Live Register of Employment Exchanges as at the end of 30th June each year.

Year	Below Matric (including illiterates)	Matriculates and above	Total
1967 (June)	17,13,253	10,02,648	27,15,901
1968 (June)	17,11,588	11,68,153	28,79,741
1969 (June)	17,31,609	14,17,309	31,48,918

II. *Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the live register.*

Year	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Others	Total number on live register at the end of the year
1967 (June)	2,95,320	57,580	23,63,001	27,15,901
1968 (June)	3,12,538	58,555	25,08,648	28,79,741
1969 (June)	3,45,689	64,015	27,39,214	31,48,918

NOTE :—1. Statistics of educated job-seekers as also of Scheduled Castes/Tribes are being collected at half yearly intervals ending 30th June and 31st December of each year.

2. Information in respect of Backward Classes other than Scheduled Castes/Tribes are not available.

(c) The issues raised are the concern of the State Governnment.

(d) We have no such information. However it is the concern of the State Government.

Funds for Famine Relief in U. P.

777. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the money given by the Centre to Uttar Pradesh for providing relief to the famine hit persons has been properly utilised ;

(b) whether the money given by the Centre in 1967 for providing relief to the drought-affected districts had been spent in District Banda also and if so, the amount spent in Banda district for this purpose ;

(c) whether it is a fact that the Banda district has been included in the list of the drought-affected districts of Bundelkhand this year (1969) and if so, the amount of money spent for providing relief to the drought-affected persons of Banda district ; and

(d) whether it is also a fact that he had received a complaint from me about the money being spent in Banda district for providing relief to the drought-affected persons and if so, whether he had conducted an enquiry in this regard and if so, the findings thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir, The State Goverment have reported that the assistance received by them from the Centre has always been properly utilised.

(b) and (c). Yes, Sir ; during the years 1966-67 to 1968-69, the actual expenditure incurred on test works and gratuitous relief in Banda District was Rs. 10,70,000 and Rs. 4,20,100 respectively. The expenditure upto October, 1969 on test work and gratuitous relief amounted to Rs. 3,57,500 and Rs. 97,100 respectively.

(d) The complaint received from the Hon'ble Member had been sent to and enquired into by the State Govesnment. It mentioned only one specific instance of alleged embezzlement of Rs. 2,090/- on test work. This specific instance was enquired into in the presence of the Hon'ble Member but no evidence could be adduced to substantiate it.

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

778. **श्री श्रीनिवास मिश्र** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ नियोजकों ने, जिसमें उड़ीसा सरकार भी शामिल है, कर्मचारी भविष्य निधि में अपने अंशदान जमा नहीं किये हैं ; और

(ख) इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : कर्मचारी भविष्य निधि को प्रशासन का संबंध न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड से है जो कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक स्वायत संगठन है और भारत सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने जो सूचना भेजी है । वह इस प्रकार है :

(क) उड़ीसा सरकार के अन्तर्गत कुछ प्रतिष्ठानों ने जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सम्मिलित हैं, भविष्य निधि के अंशदान को जमा नहीं किया है ।

(ख) जहां कहीं आवश्यक था, वहां निधि भविष्य की बकाया राशि को वसूल करने के लिए भू-राजस्व वसूली और अभियोजन कार्यवाई के रूप में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । कर्मचारियों की मजूरियों में से श्रमिकों के काटे गये अंशदान को जमा न करने के अपराध में कुछ मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास शिकायतें दर्ज कर दी गई हैं । जहां तक सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों का प्रश्न है, जिनसे उड़ीसा सरकार सम्बन्धित है, उड़ीसा सरकार को लिख दिया गया है ।

उड़ीसा सरकार के जनरल इलैक्ट्रिकल डिवीजन के कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न किया जाना

779. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने जो जरनल इलैक्ट्रिकल विभाग में कर्मचारियों का नियोजक है, कर्मचारी भविष्य निधि का अपना अंश जमा नहीं किया है, यद्यपि इन कर्मचारियों का अंश उनकी मजूरी से तब तक नियमित रूप से कटता रहा जब तक वे उपरोक्त भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आते थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों के साथ यह समझौता किया गया था कि उन्होंने इस निधि में जितनी राशि दी है उसकी दूनी राशि उन्हें दी जायेगी ।

(ग) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार के जरनल इलैक्ट्रिकल डिवीजन के कर्मचारियों को अब इस भविष्य निधि योजना की परिधि से बाहर रखा गया है और कुछ मामलों में इस आधार पर कि उड़ीसा सरकार ने अपने अंशदान की राशि जमा नहीं की है केवल कर्मचारियों के अंशदान की राशि कर्मचारियों को लौटायी जा रही है ; और

(घ) कर्मचारियों के साथ हुए समझौते का पालन करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का दायित्व न्यासिकों के केन्द्रीय बोर्ड का है, जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है और भारत सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है । भविष्य निधि के प्राधिकारियों ने निम्न सूचना भेजी है :

(क) उड़ीसा सरकार ने सामान्य विद्युत प्रभागों के श्रमिकों के सम्बन्ध में भविष्य निधि अंशदानों के दोनों ही भाग शुरू में जमा कर दिये थे ।

(ख) भविष्य निधि संगठन को ऐसे समझौते की जानकारी नहीं है ।

(ग) 1964 में यह स्पष्ट किया गया था कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 उड़ीसा सरकार के सामान्य विद्युत प्रभागों पर लागू नहीं होता । इन प्रतिष्ठानों से प्राप्त भविष्य निधि अंशदान सम्बन्धित प्राधिकारियों को वापिस कर दिये गये थे ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों का योगदान

780. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों का योगदान लेने की मांग को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) कर्मचारियों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों को सुधारने के लिए यह योजना कहां तक लाभदायक रहेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). त्रिपक्षीय बैठक में हुई सर्व सम्मति के अनुसार सरकार ने प्रबन्ध में श्रमिकों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है । बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में संयुक्त प्रबन्ध परिषद की एक योजना 1958 से चलाई जा रही है । इस प्रकार की योजना से प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझने तथा एक दूसरे के साथ सहयोग करने में सहायता मिलेगी । इससे प्रायोजना के कार्य में सुधार हो सकता है ।

नये टेलीफोन केन्द्रों के लिये इमारतें

781. **डा० सुशीला नायर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीफोन केन्द्रों के लिए ऐसी कितनी नई इमारतें बन रही हैं जिनके वर्ष 1969-70 में पूरी हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) इन केन्द्रों को चालू करने के लिए उपकरण लगाने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) उन पर कितनी राशि खर्च होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1969-70 के दौरान 39 नये टेलीफोन एक्सचेंजों की इमारतें बनाकर तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

(ख) इन सभी टेलीफोन एक्सचेंजों के उपस्कर के लिए मेसर्स इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज बंगलौर को पहले ही आर्डर दे दिया गया है । उन्होंने इनमें से 12 एक्सचेंजों के लिए पहले ही उपस्कर सप्लाई करना शुरू कर दिया है । शेष 27 एक्सचेंजों के लिए उपस्कर 1970-71 के बाद सप्लाई किये जायेंगे । इन सभी एक्सचेंजों के चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) सभी 39 एक्सचेंज परियोजनाएं लाभप्रद हैं और इन पर कुल पूंजीगत लागत लगभग 2,760 लाख रुपये होगी ।

Broadcasting of News in Pakistani Languages from A. I. R.

782. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) The Indian Languages in which News Bulletins are broadcasted by Radio Pakistan ;

(b) the minor Pakistani Languages in which news are broadcasted by All India Radio ; and

(c) whether Government have under consideration any scheme to broadcast news in those Pakistani regional languages in which they are not being broadcasted at present ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Hindi (Hindustani), Urdu, Bengali, Punjabi, Kashmiri, Gujarati and Tamil.

(b) Urdu, Bengali, Pushtu, Kashmiri, Punjabi, Dogri, Sindhi and Gojri.

(c) Yes, Sir. Introduction of broadcasts in Baluchi language is under consideration.

राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों का प्रचार

784. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए कोई सहायता दी थी ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों से विभिन्न राज्यों को वर्षवार कितना कितना धन दिया ;

(ग) क्या इस धन का पूर्ण उपयोग किया गया है और यदि नहीं तो विभिन्न राज्य सरकारों ने इस धन का उपयोग न होने के क्या कारण बताये हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' है तो क्या सरकार का विचार देश में साम्प्रदायिक दंगों की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए, विशेष रूप से राज्यों को धन देने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई थी ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते ।

(घ) आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अखबारी कागज का नियतन

785. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों अथवा समाचार पत्र-समूहों द्वारा गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष वापिस लौटाये गये अखबारी कागज के कोटे का ब्यौरा क्या है और अखबारी कागज लौटाये जाने के कारण क्या थे ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ कोटा इसलिये वापिस करना पड़ता है, क्योंकि समाचार पत्र सरकार और राजकीयकरण निगम द्वारा लापरवाही वर्ती जाने के कारण, जिसके कारण अनेक बार कोटा देने में अनावश्यक देरी होती है, समय पर अखबारी कागज का उपयोग नहीं कर सकते ; और यदि नहीं, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें समाचार पत्रों को कोटा ठीक समय पर नहीं मिला ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्यम तथा छोटे समाचार पत्रों को प्रायः अपना कोटा वापिस करना पड़ता है ; यदि हां, तो सरकार की राय में ऐसी बात प्रायः होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अखबारी कागज के वितरण पर कठोर नियंत्रण होने के बावजूद 1967-68 में 'नेशनल हेरल्ड' जैसे समाचार पत्रों द्वारा नये प्रकाशन आरम्भ किये जाने की स्थिति किस प्रकार आई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) समाचार पत्रों को अखबारी कागज, अखबारी कागज आवंटन सम्बन्ध नीति जो प्रतिवर्ष घोषित की जाती है, के अनुसार अलाट किया जाता है। नीति में समाचारपत्र द्वारा पिछले वर्ष की अप्रयुक्त मात्रा का समंजन करने की व्यवस्था है। 1967-68 के लाइसेंसिंग वर्ष के बारे में विभिन्न समाचार-पत्रों के अखबारी कागज के कोटे तथा उन द्वारा प्रयुक्त वास्तविक मात्रा के बारे में ब्यौरा अतारांकित प्रश्न संख्या 1908 के उत्तर में 31 जुलाई, 1961 को सदन को दिया जा चुका है। 1968-69 के बारे में इसी प्रकार की सूचना संकलित की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी। 1966-67 के बारे में पूछे गये ब्यौरे को एकत्र और संकलित करने में श्रम और समय लगेगा वह संभवतः निकलने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अखबारी कागज प्रयुक्त न किये जाने के उदाहरण छोटे, मध्यम और बड़ी सभी श्रेणियों के समाचार-पत्रों के बारे में देखे गये हैं।

(घ) 1967-68 में समान स्वामित्व वाली यूनिटों द्वारा निकाले गये नये समाचार-पत्रों के लिए अखबारी कागज की कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं दी गई थी। तथापि नीति के अंतर्गत इन यूनिटों को यह अनुमति दे दी गई थी कि वे यूनिट के अधिकृत कोटे के अंतर्गत नए समाचारपत्र आरम्भ कर सकते हैं। "नेशनल हैराल्ड" के प्रकाशन एसोसिएटेड जरनल्ज लिमिटेड, जो समान स्वामित्व वाली यूनिट है, ने नीति के इसी उपबन्ध के अनुसार 1967-68 में अपना दिल्ली संस्करण निकाला।

खरीफ की फसल की उपज का अनुमान

786. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष खरीफ की फसल के उत्पादन का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि कायम रखी गई है ; और

(ग) खरीफ की उपज को दृष्टि में रखने के बाद यदि खाद्यान्न के भंडार में कोई कमी हुई तो वह इतनी होगी और कमी को पूरा करने के लिये किस सीमा तक आयात करना होगा और रक्षित-भंडार की स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। अभी नहीं।

(ख) इस अवस्था में निश्चित रूप से कुछ बताना सम्भव नहीं है।

(ग) सम्भावी कमी और कितनी मात्रा में आयात करना आवश्यक होगा इसका अंदाजा लगाने का समय अभी नहीं आया है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास 1-11-1969 को खाद्यान्नों का कुल स्टाक लगभग 42.5 लाख मीटर टन था।

रेलवे में संगणाक और स्वचालित यंत्रों को लगाना

787. **श्री पी० विश्वम्भरन :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अखिल भारतीय रेल कर्मचारी फेडरेशन के प्रति-

निधियों को यह आश्वासन दिया है कि रेलवे में अब और संगणक तथा अन्य स्वचालित मन्त्रों को नहीं लगाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने रेलवे में संगणक न लगाने का अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

केरल में मछली पालन के विकास की वृहत् योजना

788. **श्री पा० विश्वम्भरन :**

श्री इ० के० नायनार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में मछली पालन के विकास के लिये राज्य सरकार से एक वृहत् योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वृहत् योजना पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) मास्टर प्लान के अनुसार राज्य में बीस वर्ष के दौरान मात्स्यकी के विकास के लिए 306 करोड़ रुपये की रकम व्यय की जायेगी । केरल सरकार के परामर्श से मास्टर प्लान का प्रारम्भिक अध्ययन किया गया है और विशेषतः सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों को अनुपूरित करने के लिये गैर सरकारी और सहकारी क्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने और ऐसे संसाधनों का मास्टर प्लान के साथ परस्पर समन्वय स्थापित रखने के विषय में राज्य सरकार को कुछ सुझाव दिये गये हैं ।

Expansion of Tele-communication Services

789. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the action being taken by Government for expansion of telecommunication services in the country ; and

(b) the details of schemes Government propose to implement in that regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The P and T Department has finalised the Fourth Five Year Plan for Rs. 466.25 crores in consultation with the Planning Commission for expansion and modernisation of telecommunication services in the country and is currently taking steps for its implementation. The Government has also secured

foreign exchange assistance of 55 million US dollars from the World Bank and the International Development Association and 40 million Canadian dollars from the Canadian International Development Association towards meeting the requirements of the Fourth Five Year Plan.

(b) The schemes provided in the Fourth Plan for development of the Telecommunication service comprise of the following main items :

1. Expansion of local telephone exchanges to the number of telephone connection from 11 lakhs to 18 lakhs.
2. Expansion of long-distance network from 10,000 speeeh channels to about 30,000 speech channels, together with associated switching and terminating equipment.
3. Expansion of the telex network from about 6,000 subscribers to 18,000 subscribers.
4. Introduction of Subscriber Trunk Dialling facilities in 29 routes in addition to the existing 20 routes. Progressive introduction of National Subscriber Dialling Service to cover about 90 stations by the end of the Plan.
5. Increasing the number of Public Call Offices from 3,000 to 5,000 and of combined Posts and Telegraphs Offices from 10,500 to about 13,000.
6. Expansion and modernisation of training and research facilities appropriate to the increasing scope and complexity of P and T's operations.

Loss of Paddy Crop by 'Phulsa' in Eastern U. P.

790. **Shri Chandrika Prasad :** **Shri Jharkhande Rai :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the paddy crop of U. P. has been destroyed by 'Phulsa' and other diseases and the eastern districts of U. P. were particularly affected ;

(b) the total acreage and value of the crop destroyed and the loss suffered particularly in the eastern districts and the action being taken by Government in this connection ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in future ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, the paddy crop of U. P. has been affected by a complex of bacterial blight (locally known as jhulsa and not phulsa), other diseases and jassidas during the kharif season. Out of 26 districts, eastern districts, namely Azamgarh, Ballia, Basti, Deoria, Gorakhpur, Jaunpur, Ghazipur, Mirzapur, Faizabad, Sultanpur, Raibareli and Allahabad were affected.

(b) It is reported that in 26 districts of Uttar Pradesh infested area was about 2,58,830 acres. The loss in yield by this complex of pests and diseases in the affected eastern districts is estimated to range between 5-20% depending on the severity of attack, stage of crop at which affected, variety and plant protection measures adopted. It is difficult to quantity the loss in terms of money at this stage.

(c) The State Government is fully aware of the problem and every effort is made to reduce the occurrence of such epidemics and resultant losses by large scale plant protection campaigns.

बीड़ी कर्मचारियों पर बोनस अधिनियम का लागू होना

791. **श्री लोबो प्रभु** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे बीड़ी संस्थानों पर, जहां बाह्य श्रमिकों सहित 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, बोनस अधिनियम के उपबन्ध लागू न होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या बाह्य कर्मचारी को बीड़ी संस्थानों द्वारा सीधे नियुक्त नहीं किया जाता है तथा भुगतान नहीं किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या बीड़ी एजेन्टों को उनके नियोजकों के रूप में मानने का सरकार का विचार है ;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार बोनस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने के लिए बीड़ी एजेन्टों को जिम्मेदार बनाने का है क्योंकि निम्नतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत वे कर्मचारियों की मजुरी के लिये जिम्मेदार हैं ; और

(ङ) दक्षिन कनारा जिले में बीड़ियों के थोक मूल्य के औसत आँकड़े क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 ऐसे प्रत्येक कारखाने और प्रत्येक अन्य प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें लेखा-वर्ष के दौरान किसी दिन 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों। अधिनियम के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग के सम्बन्ध में राज्य सरकारें "उचित सरकारें" हैं और किसी विशिष्ट कर्मचारी अथवा व्यक्ति को उसके अन्तर्गत लाने का निश्चय करने का कार्य उनका है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

खाद्यान्नों का रक्षित भंडार

792. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 24 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 637 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षित भंडार पर 9 रुपये प्रति क्विंटल के अनुमानित वार्षिक व्यय में क्रय मूल्य का ब्याज भी शामिल है ;

(ख) यद्यपि वे उसका प्रतिनिधित्व भोजन सम्बन्धी जो भी सर्वेक्षण किये गये हैं, चाहे वे सर्वथा सही न भी हों उनके अनुसार खाद्यान्न की खपत कितनी है ;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन व्यय के अन्तर सहित ये आंकड़े क्या हैं, वसूली मूल्य और उत्पादन व्यय में अन्तर होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) वसूली मूल्य पर समर्थन मूल्य के रूप में, आश्वासन फसल के बाद दो महीनों तक सीमित क्यों नहीं रखा गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां,

(ख) भोजन सम्बन्धी सर्वेक्षण सीमित क्षेत्रों में किये गये हैं और उसके अन्तर्गत कुछ कम आय वर्गों को ही लिया गया था। उनके परिणाम अखिल भारतीय उपभोक्ता प्रतिरूप के पूर्णतः प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। भोजन संबन्धी सर्वेक्षण की अन्तिम सूचना संलग्न विवरण 1 में दी जाती है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 2039/69]

(ग) गेहूँ और धान के उत्पादन व्यय की कोई अखिल भारतीय जांच नहीं की गई है। तथापि, विभिन्न समयों पर देश के कुछेक चुने हुये जिलों में फार्म प्रबन्ध के लाभालाभ के बारे में कुछ अध्ययन किये गए हैं जिस से संबन्धित जिलों में उत्पादित मुख्य फसलों के औसत उत्पादन व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। देश के चुने हुए जिलों में फार्म प्रबंध के बारे में दिये गए अध्ययन के आधार पर अनुमानित गेहूँ तथा धान के प्रति क्विंटल औसत उत्पादन व्यय संलग्न विवरण 2 में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2039/69] किसी विशेष अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में व्यय में विभिन्नता मौसम में अन्तर, भूमि के उपजाऊपन, सिंचाई सुविधाओं तथा तथा अन्य इनपुट तत्वों तथा फसल की किस्मों आदि जैसे कई तत्वों के कारण हो सकती है। उत्पादन व्यय ब्यौरा पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अधिप्राप्ति मूल्यों में जो कि कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित किये जाते हैं, उत्पादन व्यय के अलावा, किसानों को प्रोत्साहन देने की बात भी शामिल होती है।

(घ) अधिप्राप्ति में वृद्धि करने तथा किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के हित में आश्वासन को एक विशेष अवधि के लिए सीमित नहीं किया गया था।

खाद्यान्नों की जमाखोरी

793. श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वसूली मूल्य पर स्थायी गारन्टी देने से जमाखोरी को प्रोत्साहन मिला है ;

(ख) क्या खाद्यान्न नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कार्यवाही करके यह पता लगाया गया है कि किस सीमा तक जमादोरी की गई है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने खाद्यान्न नियन्त्रण, आदेश के अन्तर्गत खाद्यान्न जब्त किये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्टें दी हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार कैसे यह सुनिश्चित करती है कि खाद्यान्नों का जमाखोरी न होने पाये ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). केन्द्रीय सरकार स्वयं तथा राज्य सरकारों के माध्यम से खाद्य नियंत्रण

आदेशों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक पग उठा रही है ताकि जमाखोरी, चोर-बाजारी तथा मुनाफाखोरी आदि को रोका जा सके ।

बेकारी की समस्या

794. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 31 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 254 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न रोजगार दफ्तरों में नाम दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार की योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग को उनके आंकड़े दिए हैं ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न मदों की श्रम-क्षमता सरकार ने मालूम की है ;

(ग) क्या कृषि तथा परिवहन के क्षेत्र में की गई यन्त्रीकरण की वृद्धि से, जिसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है, उत्पन्न बेरोजगारी पर भी सरकार ने विचार किया है ; और

(घ) भूमिहीन श्रमिकों की मजूरी तथा रोजगारी की स्थिति क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या के बारे में जानकारी योजना आयोग को नियमित रूप से दी जाती है ।

(ख) और (ग). अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाए गए हैं ।

(घ) इस विषय में एकत्र की गई जानकारी का अभी विश्लेषण तैयार किया जाना है ।

मंगलौर में डाक व तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

795. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री 7 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2557 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर में कितने कर्मचारियों को सरकारी तथा किराये के क्वार्टर दिए गए हैं ;

(ख) ली वैल स्थान पर कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विभागीय क्वार्टर दिये जायेंगे ,

(ग) चूंकि 23-12-67 को ली वैल स्थान को अधिकार में लिये जाने के समय से उस पर ब्याज पड़ रहा है, निर्माण कार्य आरम्भ करने में देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या कर्मचारियों के मन में उस व्यय के सम्बन्ध में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है, जिसके लिए वे उत्तरदायी हों ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1.7 प्रतिशत ।

(ख) पहले चरण में 37 क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है, जिससे 5 प्रतिशत अतिरिक्त क्वार्टर दिए जा सकेंगे।

(ग) तथा (घ). भूमि का अधिग्रहण करते समय दीर्घकालीन आवश्यकता को दृष्टि में रखा जाता है, लेकिन कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण का काम हाथ में लेते समय उपलब्ध साधनों और विभिन्न स्थानों के लिए प्राथमिकता को दृष्टि में रखा जाता है। इस तरह भूमि के अधिग्रहण और क्वार्टरों के निर्माण के काम में हमेशा समय का अन्तर रहता है। इसलिए कर्मचारियों के विरुद्ध विलम्ब के लिए कार्रवाई करने या उसके मन में उस व्यय के सम्बन्ध में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मछली पालन के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता

796. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से मछली पालन के विकास के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). भारत में मीनक्षेत्र के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने की सम्भाव्यता बैंक के परामर्श से अभी विचाराधीन है। प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनायें सहायता के क्षेत्र तथा स्वरूप से संबंधित निर्णयों पर निर्भर करेंगी। यदि सहायता प्राप्त होती है, तो उसका बन्दरगाहों, गहरे समुद्र में मीन पकड़ने की परियोजनाओं और मीन-प्रसंस्करण के कार्यों में उपयोग होने की सम्भावना है।

पश्चिम जर्मन चलचित्र का जब्त करना

797. **श्री स० चं० सामान्त** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, पश्चिम जर्मन की सरकार द्वारा एक टेलीविजन और फिल्म यूनिट को एक चलचित्र बनाने की अनुमति दिये जाने की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत के आतिथ्या सत्कार का मजाक उड़ाया गया है तथा जो बाद में अपमानजनक चलचित्र बन गया ; और

(ख) क्या इस फिल्म को जब्त करने के लिये सरकार पश्चिम जर्मन की सरकार से बातचीत करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, नहीं। तथापि, यदि माननीय सदस्य विवरण दें तो सरकार मामले पर आगे छानबीन करना चाहेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य नीति पर कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें

798 **श्री स० चं० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी खरीफ की फसल के लिए मूल्य नीति के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ख) सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ; और

(ग) उत्पादकों के लिए क्या-क्या उपयुक्त प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) (1) आयोग द्वारा अभिस्तावित अधिप्राप्ति के लक्ष्यों को थोड़े फेर बदल के साथ सामान्यतः मान लिया गया था ।

(2) राज्य सरकारों ने अधिप्राप्ति मूल्यों में कमी करने संबंधी सिफारिशों को नहीं माना है ।

(3) ऐसी राज्य सरकारों ने जो क्रमशः सुपुर्दगी बोनस दे रही है और प्रोत्साहन बोनस को समाप्त करना नहीं माना है ।

(4) उत्पादकों से सीधी खरीदी तथा बिचौलियों को हटाने सम्बन्धी सिफारिशों को सिद्धान्तः मान लिया था । तथापि, राज्य सरकारों को अपने राज्यों में अधिप्राप्ति के विस्तार की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त अधिप्राप्ति प्रणाली अपनाने की स्वतन्त्रता होगी ।

(5) किसानों को देय मूल्य के भाग के आस्थगित भुगतान करने संबंधी सिफारिशों को नहीं माना गया ।

(ख) आयोग की सिफारिशों पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जाता है और उसके बाद ही निर्णय लिये जाते हैं ।

(ग) अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है ।

टेलीविजन पर विज्ञापनों का प्रसारण

799. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विविध-भारती कार्यक्रमों में विज्ञापन प्रसारण करने से जो लाभ-प्रद अनुभव हुए हैं, क्या उसके आधार पर टेलीविजन पर भी विज्ञापन प्रसारित किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस साधन से कितनी आय होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठते ।

Fall in Agricultural Production in Bihar due to Floods

800. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the agricultural production has gone down very much as a result of heavy floods this year in Muzaffarpur, Darbhanga, Monghyr, Bhagalpur, Purnia and Patna districts of Bihar ;

(b) if so, whether Government have tried to find out the facts about this decrease in production ;

(c) if so, the extent thereof and the quantity of foodgrains proposed to be supplied to flood stricken State of Bihar from Central quota ; and

(d) if Government do not propose to do so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). An area of 3291 square miles, covering 105 anchals with 2920 villages and a population of 27.17 lakhs in Shahabad, Patna, Monghyr, Bhagalpur, Saharsa, Purnea, Santhal Parganas, Saran, Muzaffarpur, Champaran and Darbhanga districts was under flood in Bihar. This has damaged standing Bhadai and Aghani crops in 8.14 lakh acres. It has been roughly estimated that in the aforesaid areas the cultivators have lost about 22 lakh quintals of grains especially maize. The estimated value of this loss is 17.60 crores.

(c) No specific demand has been recently received from Bihar for meeting the needs of the flood affected areas. Bihar at present is surplus in rice. Bihar's quota of wheat was raised from 30.2 thousand tonnes for March, 1969 to 40 5 thousand tonnes for April. The quota was further increased by 10,000 tonnes for May 1969. From June, 1969 to September, 1969 Bihar was being allotted at the rate of 55.3 thousand tonnes wheat per month. On the request of the State Government the quota for October was increased to 56.1 thousand tonnes. This quota is considered reasonably sufficient for meeting the overall needs of the State including the flood affected areas.

(d) Does not arise in view of (c) above.

राज्य-लाटरियां

801. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि विभिन्न राज्यों की लाटरियों के टिकट सम्बन्धित सरकारों की अनुमति लिये बिना अन्य राज्यों में बेची जा रही हैं, यद्यपि वे इन टिकटों को उनकी सहमति के बिना अन्य राज्यों में नहीं बेच सकते है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). कुछ राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई है कि अन्य राज्यों की लाटरी के टिकट उन राज्यों के भीतर बेचे जा रहे हैं यद्यपि ऐसे टिकटों की बिक्री के लिए कोई निश्चित अनुमति नहीं ली गई है ।

ऐसे मामलों में राज्य सरकारों द्वारा कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

यह सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य द्वारा चलाई गई लाटरी के टिकट दूसरे राज्य में

सम्बन्धित राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के बिना न बेचे जायें, भारतीय दंड संहिता की धारा 294(क) को संशोधित करने का विचार है, ताकि सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति के बिना टिकटों की बिक्री एक दंडनीय अपराध हो जाये ।

तकनीकी संस्थाओं में दाखिले में कमी

802. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह तकनीकी संस्थाओं में दाखिले में 30 से 40 प्रतिशत कमी करना चाहते हैं जैसा कि 24 सितम्बर, 1969 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या उन्होंने उन लोगों की दयनीय दशा की ओर पूरा ध्यान दिया है जिन्हें दाखिला नहीं दिया जायेगा ; और

(ग) क्या उन्हें विश्वास है कि दाखिले में जो यह कमी की जा रही है उसका अब से पांच वर्ष के समय के पश्चात् तकनीकी कर्मचारियों की हमारी आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यदि हां, तो उनका इस निष्कर्ष पर पहुँचने का आधार क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री वी०के०आर०वी० राव) : (क) से (ग). चौथा पंच वर्षीय योजना में तकनीकी कर्मचारियों की मांग तथा पूर्ति का विस्तारपूर्वक अध्ययन, प्रयुक्त-शक्ति अनुसंधान संस्था ने किया है । इस अध्ययन के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि 5.5 प्रतिशत आर्थिक उत्पत्ति की दर पर जैसा कि आयोजना काल के लिए दृष्टि में रखा गया है, 1974 के अंश तक एक लाख से अधिक स्नातक तथा डिप्लोमा प्राप्तकर्त्ता इंजीनियर अधिशेष होंगे । बेरोजगारी का भार कम करने के लिए, पिछले वर्ष चयन के आधार पर, जिन तकनीकी संस्थाओं में शिक्षण भी सुविधाएं पर्याप्त नहीं थीं, वहां दाखिले 30 प्रतिशत कम कर दिए गए थे। हमने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने साधनों तथा प्रयत्नों को तकनीकी शिक्षा के स्तर और गुण के सुधार की ओर भी लगाया ।

इस मामले पर ध्यानपूर्वक पुनरीक्षण करने के बाद तथा राज्य सरकारों से सलाह-मशवरा करने के बाद, चालू वर्ष में दाखिलों को उसी स्तर पर बनाये रखा गया है, जिस पर पिछले वर्ष थे ।

फिर भी दाखिले में वर्तमान कमी हमारी दीर्घकालीन तकनीकी शिक्षा की नीति का अंग नहीं है । ज्योंही आर्थिक उन्नति की दर में सुधार के संकेत उपलब्ध होंगे, पूरे दाखिले पूर्ववत किए जायेंगे । मामला सतत पुनरीक्षण के अधीन है ।

विद्रोही मिजो लोगों का चिट्टागांव में प्रवेश

803. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1969 के पहले भाग में पूर्वी पाकिस्तान में चिट्टागांव के पहाड़ी

क्षेत्र से लगभग 130 शस्त्र विद्रोही मिजो लोगों के एक गिरोह ने भारतीय प्रदेश में पुनः प्रवेश किया था ;

(ख) क्या उनको पुनः प्रवेश करने से रोकने के लिए सुरक्षा सेनाओं ने अधिक सतर्कता बरती थी ; और

(ग) विद्रोही सुरक्षा सेनाओं की सतर्कता रहने के बावजूद बच कर निकल कैसे आये ?

गृह-कार्य मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) सुरक्षा दलों ने, फिर भी, ऐसे दलों को, जो मिजो पहाड़ियों में पुनः प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं, रोकने के लिये समुचित कदम उठाये हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में हवाई अड्डे तथा हवाई पट्टियां

804. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितने हवाई अड्डे तथा हवाई पट्टियों का प्रयोग किया जाता है ;

(ख) कितने हवाई अड्डे तथा हवाई पट्टियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ग) क्या उन्हें किसी दूसरे प्रयोजन तथा फीडरलाइनें चलाने के लिये काम में लाने की कोई योजना है ;

(घ) क्या चालू हवाई अड्डों में और अधिक सुविधायें प्रदान करने की और उनका विस्तार करने की कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गुजरात राज्य में परिचालित किये जा रहे नागर विमानन विभाग के आठ हवाई अड्डे हैं, अर्थात् अहमदाबाद, भुज, काण्डला, बड़ौदा, भवनगर, पोरबन्दर, केशोद और राजकोट ।

(ख) एक (अर्थात् दिसा) ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) नागर विमानन विभाग की चौथी पंचवर्षीय योजना में केशोद पर धावन पथ का विकास एवं अहमदाबाद में टर्मिनल सुविधाओं में सुधार करने की व्यवस्था है ।

गुजरात में उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले

805. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामलों की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त उच्च न्यायालय हैं 31 दिसम्बर, 1968 को कितने मामले विचाराधीन थे ;

(घ) उनमें से कितने मामले पांच अथवा अधिक वर्षों से विचाराधीन है और उन्हें निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उच्चन्यायालय में मामलों को जल्दी निपटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) निपटान संस्थान के साथ नहीं चल सके ;

(ग) 15,755

(घ) 2,033 उन्हें निपटाने में विलम्ब के कारण संस्थापनों में वृद्धि और न्यायाधीशों की अपर्याप्तता बताये जाते हैं ।

(ङ) राज्य प्राधिकारियों को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई है :—

(i) संस्थापनों, निपटानों और निपटाये जाने वाले बकाया मुकदमों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में यथावश्यक वृद्धि की जाय ;

(ii) उच्च न्यायालय में रिक्तियां अविलम्ब भरी जायें ; और

(iii) जब कभी कोई सेवारत न्यायाधीश अन्य कर्तव्यों में लगाया जाता है और छः महीनों के भीतर उच्च न्यायालय में उसके वापस आने की संभावना न हो तो उसके स्थान में एक अतिरिक्त अथवा तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाये ताकि उच्च न्यायालय के कार्य में विलम्ब न हो ।

उच्च न्यायालय में अनिर्णित पड़े बकाया मुकदमों के प्रश्न की जांच करने तथा आगे और उपचारीय उपायों का सुझाव देने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया गया है ।

विदेशों में जाने वाली भारतीय सर्कस कम्पनियों को शर्त रहित ऋण

806. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री विश्वनाथन : **श्री नम्बियार :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार भारतीय सर्कस कम्पनियों को, जब वह विदेशों में जाती है। शर्त रहित ऋण देने के प्रश्न पर विचार करेगी ;

(ख) क्या सरकार को भारतीय सर्कस संघ से हाल ही में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार कर लिया है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) इस समय सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसमें सर्कस कम्पनियों को उनके विदेश दौरे के लिए ऋण देने की व्यवस्था हो ।

(ख) से (घ). गत कुछ समय में, संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु जुलाई 1968 में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसमें सर्कस कलाकारों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, राष्ट्रीय पुरस्कार देना तथा जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा करने की सुविधा आदि के लिए अनुरोध किया गया था । उक्त प्रस्ताव की जांच करने के लिए, संघ से कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी, जो लगातार अनुस्मारक भेजने पर भी, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

Amount Earmarked in Plan for Delhi Administration

807. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Central Government have refused to pay the heavy amounts earmarked in the Plan for the Delhi Administration ;

(b) the total amount recommended to be paid to Delhi Administration for the year 1969-70 as recommended at the meeting of the representatives of Home and Finance Ministries ;

(c) the reasons for refusing the amount ; and

(d) the action being taken by Government for making the funds available to the Delhi Administration ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. Delhi being a Union Territory without Legislature does not have any separate Consolidated Fund. The amounts provided in the Central Budget for the Administration can be operated upon by the Administration themselves subject to the powers delegated to them.

(b) The Plan outlay of Delhi for 1969-70 was originally decided upon as Rs. 23.40 crores. This outlay has recently been increased to Rs. 24.40 crores. In addition, schemes worth Rs. 69 lakhs which were not implemented last year will also be sanctioned, if the expenditure can be incurred during the current year.

(c) and (d). Do not arise.

Pahalgam Rest House

808. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the Pahalgam Rest House ; and

(b) the share of the Government of Jammu and Kashmir and that of the Central Government in that expenditure ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Rs. 49,000.

(b) Expenditure was met wholly by the State Government.

भारतीय सर्कस का राष्ट्रीयकरण

809. **श्री के० अनिरुद्धन :** **श्री ई० के० नायनार :**

श्री पी० राममूर्ति : **श्री सी ० के० चक्रपाणी :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सर्कस का राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों की लाटरियाँ

810. **श्री वासूदेवन नायर :** **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

डा० रानेन सेन : **श्री योगेन्द्र झा :**

श्री जगेश्वर यादव : **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिरिक्त संसोधन जुटाने के लिये जब तक कितने राज्य सरकारों ने लाटरियां जारी की हैं ;

(ख) इन लाटरियों से प्रत्येक राज्य सरकार ने अब तक कितना राजस्व इकटठा किया है ; और

(ग) राज्य सरकारें लाटरियों से अतिरिक्त आय किस प्रयोजन के लिये व्यय कर रही हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अब तक असम, हरियाणा, केरल, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने राज्य लाटरिया बनाई हैं ।

(ख) और (ग). असम, हरियाणा, केरल, जम्मू और काश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाव, राजस्थान, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों से प्राप्त अपेक्षित सूचना बताने वाला एक विवनण सदन के पटल पर रखा जाता है । मध्य प्रदेश और मैसूर सरकारों से सूचना प्रतीक्षित है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दीं जायगी । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2040/69]

Deterioration in Standard of Indian Hockey

811. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the standard of Indian Hockey, which was recognised in the world, is deteriorating now-a-days ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) whether Government of India propose to give new leadership to this game ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). The matter has been examined in detail by the Hockey Committee set up by the All India Council of Sports after the failure of the Indian Hockey team in the Mexico Olympics. Copies of the report are available in the Parliament Library.

(c) The matter mainly concerns the Indian Hockey Federation, who have been requested to take immediate suitable steps to implement the various recommendations of the Committee.

Indian Cricket Team

812. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the world renowned Indian Cricket Team is on the declined and there is great disappointment in the team ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). Opinion varies whether there has been any decline in the standard of Indian Cricket. Mere losing of a match does not indicate a definite fall in the standard.

(c) The Board of Control for Cricket in India has been taking steps to further raise the standard of Cricket.

मैसूर सीमेंट लिमिटेड को हवाई पट्टी के लिए भूमि का नियतन

813. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लक्कप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सीमेंट लिमिटड ने मैसूर राज्य में हवाई पट्टी बनाने हेतु भूमि के लिए आवेदन-पत्र भेजा था ।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार की अनुमति से मैसूर सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है ; और

(ग) इस कारखाने को कब और किन परिस्थितियों में मंजूरी दी गई थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इस विषय में राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु नागर विमानन के महानिदेशक को अगस्त 1969

में असोसिएटड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, शाहवाद, मैसूर, से एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने जिला गुल्बर्गा में सन्नूर गांव के पास अपनी ही जमीन पर एक हवाई पट्टी का निर्माण करने की अनुमति मांगी थी। उक्त फर्म ने प्रस्तावित हवाई पट्टी के लिये प्राईवेट एयरोड्रोम लाइसेंस जारी करने के लिये भी प्रार्थना की है। नागर विमानन विभाग उक्त स्थान का निरीक्षण करने का प्रबन्ध कर रहा है।

उत्तर प्रदेश को जनसथा तहसील में स्थित नगला मुबारकपुर गांव में हरिजनों की हत्या

814. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री जगेश्वर यादव : **श्री सरजू पाण्डेय :**
डा० रानेन सेन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 सितम्बर, 1969 को सवर्ण हिन्दुओं के एक जत्थे द्वारा उत्तर प्रदेश की जन सथा तहसील के नगला मुबारकपुर गांव के हरिजनों पर आक्रमण किये जाने के परिणामः स्वरूप पांच हरिजन मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमलावरों को सजा देने के लिए क्या कदम उठाये ;

(ग) क्या यह सच है कि देश में हरिजनों पर आक्रमण करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो हरिजनों को ऐसे आक्रमणों से बचाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 17-9-69 को अतर सिंह जाट नामक एक व्यक्ति तथा कुछ हरिजनों समेत उसके दल की मारपीट मोहन सिंह हरिजन और अन्य के साथ हुई जिसके परिणामस्वरूप घटना स्थल पर दो की, और बाद में हस्पताल में तीन की मृत्यु हो गई। सभी 32 दोषी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है और दोष-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ग) और (घ). सभी राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही हैं।

न्यायिक आयुक्त के न्यायालय का दर्जा बढ़ाना

815. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री के० अनिरुद्धन :**
श्री के० रमानी : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने न्यायिक आयुक्त के न्यायालय का दर्जा बढ़ाकर उसे उच्च न्यायालय का दर्जा दिये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किये जाने की संभावना है ; और

(म) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) न्यायिक आयुक्त के न्यायालयों में होने वाले काम की मात्रा किसी परिवर्तन को न्यायोचित नहीं ठहराती ।

जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना

816. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ जयपुर में स्थापित करने की माँग प्राप्त हुई है ।

(ख) क्या यह सच है कि भारत की बार परिषद् ने इस मांग का समर्थन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस माँग पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राजस्थान की बार ऐसोसिएशनों से जयपुर में उच्च न्यायालय के एक न्यायपीठ की स्थापना की आवश्यकता पर बल देने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुई हैं ।

(ख) भारत की बार परिषद् से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायपीठ राजस्थान राजधानी जांच समिति की सिफारिश पर 1958 में समाप्त कर दिया गया था । उस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग के लिये परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

औद्योगिक सुरक्षा बल

817. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक सुरक्षा बल इस बीच गठित किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बल को तैनात करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो राज्यों को ऐसे कौन-कौन से संस्थान है जहां पर इस बल का उपयोग किया जाएगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) चूंकि उक्त बल केवल भारत सरकार के उपक्रमों में ही तैनात किया जाता है, अतः सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बल का उपयोग केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के बचाव और सुरक्षा के लिए किया जाएगा ।

फिलिपीन्स के साथ सांस्कृतिक करार

818. **श्री वे० कु० दासचौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिपीन्स के विदेशी मन्त्री ने वर्ष 1969 के सितम्बर मास में भारत का दौरा किया था तथा क्या दोनों देशों के बीच किसी सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) करार में दोनों देशों के बीच कार्मिकों और सामग्री के विनिमय के द्वारा शिक्षा, विज्ञान, कला व संस्कृति, रेडियो और टैलीविजन तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग तथा छात्रों को छात्रवृत्ति देने आदि की व्यवस्था है ।

पाकिस्तानियों का भारत में गैर-कानूनी रूप से ठहराना

819. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 31 अक्तूबर, 1969 को रह रहे पाकिस्तानियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसे पाकिस्तानियों की संख्या कितनी है जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई है किन्तु वे अभी भारत में रह रहे हैं ;

(ग) दिल्ली, गुजरात तथा बम्बई में ऐसे पाकिस्तानियों की संख्या कितनी है ;

(घ) भारत में रह रहे ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी है जिनके वीजा की अवधि समाप्त हुए क्रमशः एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष तथा तीन वर्ष से अधिक बीते गये हैं ; और

(ङ) उनके इस प्रकार यहां ठहरने के क्या कारण हैं तथा उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

'सामान्य शिक्षा अकादमी' मैसूर पर कदाचार का आरोप

820. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री योगेन्द्र शर्मा ।

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री को मैसूर के दक्षिण कनारा जिले में स्थित

'सामान्य शिक्षा अकादमी' की कुप्रथाओं के बारे में अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ के महा मन्त्री का पत्र मिला है जिस में उस संस्था के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने की मांग की गई है ;

(ख) उस संस्था के बारे में उस पत्र में क्या आरोप लगाये गए थे ; और

(ग) उस संस्था के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) संघ ने अकादमी द्वारा अपने मैडिकल और इंजीनियरी कालेजों में अत्यधिक शिक्षा शुल्क और प्रति व्यक्ति (कैपिटेशन) फीस के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है ।

(ग) जहां तक इंजीनियरी कालेज का संबंध है, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह अकादमी से आग्रह करे कि अकादमी राज्य के सहायक-अनुदान संहिता के अधीन आ जाए और प्रतिव्यक्ति फीस लेना बन्द कर दें । राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार इस मामले में अकादमी से पत्र-व्यवहार कर रही है ।

जहां तक मेडीकल कालेज का संबंध है, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाया है ।

Non-Implementation of Decisions Regarding use of Hindi

821. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the reasons why he has rejected most of the decisions and specially decision No. 12 taken at the 3rd meeting of the Central Hindi Committee held on the 17th December, 1968 under the Chairmanship of Dr. Triguna Sen, former Minister of Education ; and

(b) whether it is also a fact that he is not implementing the orders given by Dr. Sen to issue all the administrative orders of the Ministry of Education originally in Hindi ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The decisions taken at the third meeting of the Central Hindi Committee held on 17th December, 1968 under the Chairmanship of the Prime Minister in so far as they concern the Ministry of Education and Youth Services are being implemented. No such decision No. 12 appears in the proceedings of that meeting. The former Education Minister (Dr. Triguna Sen) was a member of the Committee.

(b) No such order was issued by the former Education Minister (Dr. Triguna Sen) because Sub-Section 3 of Section 3 of the Official Languages (Amendment) Act, 1967 provides that notwithstanding anything contained in sub-section (1) both Hindi and English Language shall be used for :

(i) resolutions, general orders, rules, notifications, administrative or other reports or press communiques issued or made by the Central Government or by a Ministry, Department or office thereof by a corporation or company owned or controlled by the Central Government or by any office of such corporation or company ;

(ii) administrative and other reports and official papers laid before a House or the Houses of Parliament,

The current orders of this Ministry in regard to the above matters are in consonance with the provisions of the Act.

कर्मचारी संघों को मान्यता देना तथा वेतन आयोग का गठन

822. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को संगठित होने तथा कार्मिक संघ आन्दोलन को सुदृढ़ करने के लिए दी गई सलाह को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उनके संघों को, जिन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, मान्यता देगी ;

(ख) क्या उनके वेतन मानों आदि का पुनरीक्षण करने तथा उनकी नवीनतम मांगों पर विचार के लिए एक अन्य वेतन आयोग की नियुक्ति की जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की उन फैडरेशनों ऐसोसियेशनों यूनियनों को नई मान्यता प्रदान करने के बारे में पहले ही अनुदेश जारी कर दिये है जिनकी मान्यता 19 सितम्बर, 1968 की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल में उनके भाग लेने के कारण समाप्त कर दी गई थी।

(ख) दूसरे वेतन आयोग की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

छुट्टियों की घोषणा के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना

823. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री एस० एम० कृष्ण : **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कर्मचारियों की परिषद् ने देश में छुट्टियों की घोषणा करने के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने के बारे में हाल ही में कुछ सुझाव सरकार को प्रस्तुत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन पर सरकार का क्या निर्णय है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) ऐसे कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

राजस्थान के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोपों की न्यायिक जांच

824. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को एक संसद् सदस्य की ओर से राजस्थान के विधायकों द्वारा

श्री सुखाड़िया के विरुद्ध लगाये गए आरोपों, छोटी सदरी स्वर्ण-काण्ड तथा मीलवाड़ा सुरक्षा कोष के मामले सम्बन्धी आरोपों के सम्बन्ध ने एक स्वतन्त्र न्यायिक जांच कराने की आवश्यकता सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान श्री सुखाड़िया के इन वक्तव्यों की ओर आकर्षित किया गया है जिन में उन्होंने इन आरोपों की जांच के लिये अपनी सहमति प्रकट की है ;

(ग) मुख्य मंत्री के इन पत्रों तथा वक्तव्यों को देखते हुए क्या सरकार का विचार सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच समिति नियुक्त करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं के अनुसार बताया गया है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने माननीय सदस्य से उनके दोषरोपों को सिद्ध करने के लिए कहा है ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पहले ही छोटी सदरी स्वर्ण-काण्ड में प्रारम्भिक जाँच पड़ताल कर रहा है । मामले में न्यायिक जांच करने के प्रश्न पर विचार तभी किया जा सकता है जब कोई प्रथम दृष्ट्या मामला हो ।

बिहार के साम्प्रदायिक दंगे

825. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर/अक्तूबर, 1969 में बिहार में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में दंगों के दौरान कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए ;

(ग) इसके कारण कितनी सम्पति की हानि होने का अनुमान है ; और

(घ) देश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये है या करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

(घ) इस समस्या के समस्त पहलुओं पर 16 अक्तूबर, 1969 को राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति द्वारा तथा 3 और 4 नवम्बर को सर्वदलीय सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया । सरकार का मत है कि साम्प्रदायिक मेल-जोल तथा सदभाव के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा संयुक्त रूप से जनता में अभियान तथा शिक्षा, सद्भावना की शक्तियों

को सबल बनाने और भविष्य में साम्प्रदायिक झगड़ों को फैलने से रोकने में पर्याप्त सहायक सिद्ध होगी। केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों के साथ सहमति प्राप्त निर्णयों को कार्यरूप देने हेतु उनके द्वारा की गई कार्यवाही का पुनरीक्षण करने के लिए निरन्तर सम्पर्क बनाये रखती है।

पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त मिजो छापामारो को पकडना

826. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय के समाचार प्राप्त हुए हैं कि पकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त अनेकों मिजो छापामार पूर्व-पाकिस्तान से अपनी वापसी पर अपने पाकिस्तानी मित्रों द्वारा सप्लाई किए गये हथियारों सहित मिजो पहाड़ी जिले की सीमा के रास्ते छुप कर भारत में आ गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको गिरफ्तार करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। किन्तु सुरक्षा दल अत्यधिक सतर्कता बरतते रहे हैं।

श्रीनगर में सैनिक कर्मचारियों पर आक्रमण करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्व

827. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर में समाजविरोधी तथा राष्ट्र विरोधी तत्व सैनिक ट्रकों पर आक्रमण करते रहते है और सैनिक कर्मचारियों के साथ मारपीठ करते रहते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे तत्वों को दन्ड देने में असैनिक अधिकारी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सुरक्षा सेनाओं में, जो अनुशासन बद्ध हैं और ऐसे शरारती तत्वों को रोकने के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं इस सम्बन्ध में बड़ा रोष है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को और अधिक न बिगड़ने देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुकल) : (क) श्रीनगर में हुए कुछ प्रर्दशनों के दौरान सेना की गाड़ियों पर हमला किये जाने और पत्थर आदि के फैंके जाने से सेना कर्मचारियों के जख्मी होने की घटनायें हुई हैं।

(ख) जी नहीं जम्मू और काशमीर की सरकार इस प्रकार की घटनाओं पर गम्भीर रूप से विचार कर रही है, जांच कर रही है। और पर्याप्त समय मिलने पर दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चला रही है।

(ग) और (घ). इन घटनाओं से क्षोभ पैदा हो सकता हैं, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि इस कारण सुरक्षा सेना में कोई असंतोष है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति की सम्भावना के कम करने के लिए कार्यवाही की गई है।

भारत में पाकिस्तान तथा चीन के एजेन्ट

828. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान तथा चीन के एजेन्ट देश के विभिन्न भागों में सक्रिय हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अहमदाबाद और अन्य अनेक स्थानों पर शांति तथा व्यवस्था कायम करने के लिए, जो ऐसे एजेन्टों की गतिविधियों के कारण बिगड़ गई थी, सेना को तैनात करना पड़ा था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे तत्वों का उद्देश्य सेना का ध्यान उसके सामान्य कर्तव्यों से हटाना है ताकि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और चीन को आक्रमक कार्यवाही करने में सुविधा प्राप्त हो जाये ; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रतिरक्षा की दृष्टि से ऐसे तत्वों की समाप्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) ऐसी गतिविधि का पता लगाने तथा रोकने के लिए सरकार की सभी संबंधित एजेन्सियों द्वारा सतर्कता बरती जाती है।

प्रधान मंत्री का आसाम का दौरा

829. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने आसाम का अपना प्रस्तावित दौरा एन वक्त पर रद्द कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे के रद्द किये जाने के क्या विशिष्ट कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) राज्य सरकार की सलाह पर दौरा रद्द कर दिया गया।

खान अब्दुल गफ्फार खां की भारत यात्रा

830. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत आने का निमंत्रण देने का ध्येय क्या था ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने बादशाह खान के अहमदाबाद जाने से पूर्व उनसे देश में

साम्प्रदायिक झगड़ों के विषय में बातचीत की थी और क्या बादशाह खान ने उस कार्य के लिये जो वह कर रहें थे प्रधान मंत्री और सरकार से अनुमति ले ली थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या बादशाह खान ने सरकार को कोई सलाह दी थी और यदि हां, तो उसका ब्नौरा क्या है तथा क्या उसे सरकार ने स्वीकार किया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). 22 वर्ष बाद खान अब्दुल गफ्फार खाँ की भारत यात्रा का उद्देश्य जान-पहचान का ताजा करना, गांधी शताब्धी समारोहों में भाग लेना और अन्तर्राष्ट्रीय मेलमिलाप के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त करना था। प्रधान मंत्री को बादशाह खान से अनेक बार बात चीत करने के अवसर मिले। किन्तु सलाह न तो मांगी गई और न दी ही गई। जैसा महात्मा गाँधी के एक शिष्य और अनुयायी को शोभा देता हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां ने अपने विचारों को सार्वजनिक तथा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है।

भारतीय नागरिकों के विदेश भेजने में धोखाधड़ी

831. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नागरिकों को कनाडा या इसी प्रकार किसी अन्य देश में बसाने का वायदा करके अबोध नागरिकों से हजारों रुपये बटोरने वाले धोखेबाजों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि धोखेबाज इसी प्रकार कार्य करते हुए नागरिकों को ब्रिटेन में बसाने के लिये तब तक प्रलोभन देते रहे हैं जब तक कि उस देश की सरकार ने उस देश में प्रवेश करना अधिक कठिन नहीं बना दिया है ; और

(ग) अब तक कितने विपद-ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाया गया है तथा कनाडा में बसाने के अभियान के आरम्भ होने से अब तक कितना धन बटोरा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ध्यान में (1965 से आज तक) दो मामले आये जिनमें पारपत्र धोखेबाजों ने भारतीय नागरिकों से विभन्न राशियां इस वायदे पर बटोरी कि उनके लिए ब्रिटेन से नौकरी के वाउचर और/अथवा पारपत्र प्राप्त करेंगे ताकि वे ब्रिटेन जा सकें। इन दोनों मामलों की जाँच पड़ताल की गई और अभियुक्तों को आरोप-पत्र दिये गये और उन पर मुकदमा चलाया गया। भारतीय नागरिकों द्वारा कनाडा इत्यादि में बसाने का वायदा करने तथा अबोध भारतीय नागरिकों से हजारों रुपये धोखेबाजों द्वारा वटोरने का कोई और मामला न तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ध्यान में आया और न उसके द्वारा जांच-पड़ताल ही की गई।

गुजरात, हरियाणा, नागालैंड और पंजाब राज्य सरकारों तथा अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव, मिनीकाय व अमिनदीवी द्वीपसमूह, नेपा तथा मनीपुर संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला नहीं आया है। शेष राज्य-क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा का निर्धारण

832. **श्री स० चं० सामन्त :**
डा० प० मंडल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा हरियाणा के बीच के विवादग्रस्त क्षेत्रों की सीमा का फिर से निर्धारण करने के लिये एक नये आयोग की स्थापना के विचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या हरियाणा और पंजाब के सरकारी प्रवक्ताओं ने इस विचार पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति का कोई संकेत दिया है ; और

(ग) यदि उक्त प्रकार के आयोग के विचार पर सहमति नहीं होती तो विभिन्न दावों का निबटारा करने के लिये अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). इन विवादों की जांच पड़ताल करने के लिए किसी नये आयोग को नियुक्त करने का विचार नहीं है । सरकार का विचार इस विवाद का सर्वसम्मत हल खोजने के लिए अपने प्रयास जारी रखने का है किन्तु इनके सफल होने पर सरकार संसद के बजट अधिवेशन से पूर्व अपना निर्णय घोषित कर देगी ।

बम्बई पत्तन न्यास रेलवे कर्मचारी संघ

833. **श्री पी० विश्वम्भरन :** **श्री एस एम० कृष्ण :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये रिक्त स्थानों के आरक्षण के बारे में बंबई पत्तन न्यास रेलवे कर्मचारी संघ ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई पत्तन न्यास रेलवे में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये कुछ रिक्त स्थानों के आरक्षण की कोई व्यवस्था है ; और

(ग) यदि कोई व्यवस्था नहीं है, तो बम्बई पतन न्यास के प्राधिकारियों को इस विशेष रियायत के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). बम्बई पत्तन न्यास को बम्बई पतन न्यास रेल कर्मचारी संघ से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों ने लिये पत्तन न्यास में पदों के आरक्षण के विषय पर एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । अभ्यावेदन में पिछड़े वर्ग के लिये रिक्तयों का आरक्षण के लिये कोई प्रार्थना नहीं की गई थी । केन्द्रीय सरकार के अधीन भी पिछड़े वर्ग के लिये इस प्रकार के आरक्षण की

कोई व्यवस्था नहीं है। बम्बई पत्तन न्यास अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातिओं के लिये आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे बोर्ड की तरह एक सड़क बोर्ड बनाना

834. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री हेम राज :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रोड कांग्रेस ने सड़क विकास कार्य के लिए और अधिक धन की मांग की है और रेलवे बोर्ड की भांति पृथक बजट वाला एक सड़क बोर्ड बनाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सड़कों के लिए वर्तमान नियतन 829 करोड़ रुपये है अभी तक उसे बढ़ाकर 1150 करोड़ रुपये करना, जैसा भारतीय सड़क कांग्रेस ने सुझाव दिया है, संभव नहीं हो सका है। एक केन्द्रीय सड़क बोर्ड के गठन का भारतीय सड़क कांग्रेस का प्रस्ताव भी अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालयों के अहातों में पुलिस के प्रवेश के बारे में पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में की गई सिफारिशें

835. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालयों के अहातों में पुलिस के प्रवेश के बारे में पुलिस के महानिरीक्षकों के 1966 में हुए सम्मेलन में की गई सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उन पर प्रतिक्रिया है।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

साम्प्रदायिक दंगे

836. **श्री रा० बरुआ :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कुछ वक्तव्यों में देश में साम्प्रदायिक दंगे फैलाने के लि

जनसंघ को जिम्मेदार ठहराया है और यह आरोप भी लगाया है कि जन संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष के भाषणों के कारण समूचे देश में सितम्बर 1969 में साम्प्रदायिक दंगे हुए ;

(ख) यदि हां, तो यह बात कहां तक सत्य है ;

(ग) क्या साम्प्रदायिक दंगे फैलाने के लिए जनसंघ अथवा उसके भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). 28 सितम्बर 1969 को दिल्ली कांग्रेस की एक बैठक को संबोधित करते हुए गृह मन्त्री ने उन व्यक्तियों और राजनैतिक दलों की गतिविधियों की निन्दा की थी जो साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं और मुसलमानों के विरुद्ध उत्तेजना पूर्ण भाषण देते हैं ।

(ग) विट्ठल भाई पटेल भवन में 27 सितम्बर, 1969 को एक सार्वजनिक सभा में श्री बलराज मधोक द्वारा दिये गये भाषण के बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (क) के अधीन दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया है और कानून के अनुसार उसकी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में जांच

837. **श्री रा० बरुआ :**
श्री लि० रं० लास्कर :
श्री रवि राय :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री देवेन सेन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सोम चन्द सोलंकी :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात राज्य में हुए साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र ने आयोग को सहायता देने के लिए सहमति व्यक्त की है ; और

(ग) आयोग कब तक अपना प्रतिवेदन दे देगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय सरकार हमेशा ऐसी उचित सहायता देती है जो माँगी जाये ।

(ग) आशा है कि आयोग अपना प्रतिवेदन 28 फरवरी, 1970 तक प्रस्तुत कर देगा ।

श्रीलंका, नेपाल तथा ईरान में भारतीय होटल खोलना

838. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री मयाबन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री क० लकप्पा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका, नेपाल तथा ईरान में भारतीय होटल खोलने के लिए भारत सरकार तथा श्रीलंका, नेपाल और ईरान की सरकारों के बीच करार हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये देश होटलों से होने वाले लाभ को भारत में भेजने को सहमत हो गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ये होटल गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे अथवा सरकारी क्षेत्र में ; और

(घ) क्या घाना, सिंगापुर तथा फिजी के साथ भी इसी प्रकार की बात-चीत चल रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). सरकार द्वारा ऐसा कोई करार नहीं किया गया है । परन्तु ओबेरॉय होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कोलम्बो में पाश्चात्य शैली के एक होटल के निर्माण/परिचालन के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए को-ऑपरेटिव होलसेल एस्टैब्लिशमेंट, कोलम्बो के साथ जो कि श्रीलंका सरकार का एक सांविधिक निगम है, किये गये अपने करार के बारे में सरकार की अनुमति मांगी है । उन्हें सलाह दी गई है कि वे इस बात का निश्चय कर लें कि उन्हें की गई अदायगियों को उन्हें अपने देश में लाने (रिपेट्रिएशन) की अनुमति भी होगी ।

ओबेरॉय होटल्स प्राइवेट लिमिटेड से ज्ञात हुआ है कि उन्होंने नैपाल में सोलटी होटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ बहुत कुछ इसी आधार पर जिसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि उन्हें लाभ का अपना अंश देश में लाने की अनुमति होगी, करार किया है, तथा ईरान, घाना, सिंगापुर और फिजी के साथ भी उनकी इसी प्रकार की बात-चीत चल रही है ।

राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक के चयन पर विवाद

839. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक के पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किए गये चयन पर केन्द्रीय सरकार में विवाद हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त पद के लिए एक अयोग्य व्यक्ति का चयन करने और योग्य व्यक्तियों का अस्वीकार करने में संघ लोक सेवा आयोग ने पक्षपात किया था ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या संघ लोक सेवा आयोग से स्वतन्त्र रूप से तथा निष्पक्षभाव से कार्य करने के लिए कहा गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

विद्यार्थियों तथा दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों के बीच झगड़े

840. **श्री रा० बरुआ :**
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री क० लकप्पा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री दे० अमात :
श्री लखन लाल कपूर :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री जे० के० चौधरी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत अगस्त तथा सितम्बर के महीनों में दिल्ली विश्व विद्यालय के विद्यार्थियों और दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों के बीच अनेक झगड़े हुये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ अवसरों पर राजधानी में बिना पूर्व सूचना के बस सेवायें बन्द कर दी गई थीं और इसके फलस्वरूप लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा ;

(ग) यदि हां, तो दो पक्षों के बीच क्या मुख्य विवाद थे और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनका समाधान करने के लिए कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा उचित व्यवस्था की जायेगी ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कुछ अवसरों पर बस सेवा अस्थायी रूप से बन्द रही।

(ग) दिल्ली परिवहन उपक्रम के अनुसार मुख्य विवाद विद्यार्थियों का टिकट न लेने के कारण था। इस विवाद को निपटाने के लिये दिल्ली प्रशासन ने आवश्यक कार्यवाही कर ली है।

(घ) दिल्ली परिवहन उपक्रम सफर करने वाले जनता को असुविधा न हो इसके लिये यथासंभव उपाय कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि शहर में परिवहन सेवाएं भंग न हो।

महात्मा गांधी की हत्या की जांच

841. **श्री रा० बरुआ :**
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
डा० सुशीला नैयर :
श्री मयावन :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री देवेन सेन :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी की हत्या के षड़यन्त्र की जांच करने के लिए नियुक्त एक-सदस्यीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में किन मुख्य बातों का उल्लेख है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ; और

(घ) क्या आयोग के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). यह प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

Hindi Stenographers and Hindi Steno-Typists in Education Ministry

842. **Kumari Kamla Kumari :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Hindi Stenographers and Hindi Steno-typists in his Ministry ;

(b) the number of those out of them who have passed the Hindi Stenography Examination of the Union Public Service Commission and Directorate of Education, Delhi, and the details thereof ; and

(c) the details of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees amongst those Steno-graphers and Steno-typists who have passed the examination ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :

(a) Hindi Stenographers	3.
Hindi Steno-typists	1.

(b) Of the 3 Hindi Stenographers, 2 have qualified in the Union Public Service Commission Examination. The third Stenographer is on the Personal Staff of Minister of State and is selected at the discretion of the Minister ; he has not passed the examination conducted by the Union Public Service Commission or the Directorate of Education, Delhi. He was appointed on the basis of a departmental test held by the Ministry in June, 1966. The Hindi Steno-typist has qualified in the examination for Hindi Stenography conducted by the Directorate of Education, Delhi.

(c) None of Hindi Stenographers belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Community. The Hindi Steno-typist, however, belongs to the Scheduled Caste Community.

भारतीय विमान निगम के लिए विमानों की खरीद

843. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री अबिचन :
श्री सीताराम केसरी :
डा० रानेन सेन :
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :
श्री मधु लिमये :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान निगम के लिये विमान खरीदने के लिये निर्णय किया है **और** यदि हां, तो किस विमान को खरीदने की मन्जूरी दी गई है ;

(ख) विभिन्न प्रकार के उपलब्ध विमानों की तुलना में खरीदे जाने वाले प्रत्येक विमान का मूल्य कितना है और इनको यात्रियों को ले जाने की तुलनात्मक क्षमता और कार्य-क्षमता **क्या** होगी ;

(ग) पुराने विमानों का, जो फालतू हो जायेंगे, क्या किया जायेगा ; और

(घ) इस **सौदे** के लाभ क्या होंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). इंडियन एयर-लाइन्स के लिए एक उपयुक्त विमान के चयन के बारे में सरकार को सलाह देने के लिये **पर्यटन तथा** नागर विमानन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति गठित की गई है । यह समिति इस विषय में अपनी सिफारिशें देने से पूर्व कि किस प्रकार का विमान खरीदा जाये और कितनी संख्या में खरीदा जाये, इंडियन एयरलाइन्स को विक्रयार्थ प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के विमानों के सम्बन्ध में किये जाने वाले दावों और उनके रिकार्ड किये गये कार्य-निष्पादनों पर **विचार करेगी** ।

राज्य सरकारों का भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर अधिक नियंत्रण

844. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल की सरकार से कोई पत्र मिला है जिसमें उसने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से निपटने के लिए अधिक शक्तियों की मांग की है ;

(ख) यदि हां, मांग वस्तुतः क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो उठाये गये इस मामले पर केन्द्रीय सरकार का क्या दृष्टिकोण है और क्या केन्द्रीय सरकार भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारियों पर राज्य सरकार के अधिक नियंत्रण की अनुमति देने के लिए तैयार है ;

(घ) क्या इसका अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले को किस प्रकार सुलझाने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर राज्य सरकारों का पहले ही पर्याप्त नियंत्रण है। राज्य सरकारों के अधीन सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने और उनकी नियुक्तियों के प्रबन्ध करने के लिए ये सक्षम हैं। वे संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके केवल बर्खास्तगी, नौकरी से हटाने तथा अनिवार्य सेवा निवृत्ति को छोड़कर सभी दण्ड दे सकते हैं ।

(ङ) उपरोक्त उत्तरों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तरी भारत में एक जासूसी गिरोह के सक्रिय होने का पता लगाना जाना

845. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के गुप्तचर विभाग ने उत्तरी भारत में जासूसी के एक गिरोह का पता लगाया है और एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डे के पास एक जासूस से जो मोची के रूप में था, कुछ महत्वपूर्ण नक्शे चार्ट और एक ट्रांसमीटर बरामद किया है ;

(ख) यदि हां, तो जासूसों का यह गिरोह उत्तरी भारत में कब से सक्रिय रहा है ;

(ग) क्या इसकी गतिविधियां केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित थी अथवा सारे देश में थी ; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

त्रिचूर नगर में माओ के पोस्टर

846. श्री न० रा० देवघरे :

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 अक्तूबर, 1969 को त्रिचूर नगर की दीवारों पर माओ के पोस्टर लगे हुए पाये गये थे जिनमें लोगों को क्रान्ति करने का आह्वान दिया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे पोस्टर लगाने के लिए कौन जिम्मेदार था ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

भारतीय विमान निगम के किरायों में वृद्धि

847. श्री न० रा० देवघरे :
श्री दे० रं० लाड्कर :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मयाबन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री मुदासोली मारन :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमान निगम के विमान किराये में वृद्धि करने के कारणों का ब्योरा क्या है ;

(ख) किराये में वृद्धि से यात्रियों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(ग) किराये में वृद्धि के फलस्वरूप प्रतिवर्ष आय में कितनी वृद्धि होगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अन्य बातों के साथ टैक्सों में वृद्धि के कारण विमान इंधन व तेल के व्यय में वृद्धि, और यात्रियों एवं श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं, बीमा तथा किराया प्रभारों आदि की लागत में वृद्धि, के कारण विमान किरायों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था।

(ख) यातायात की मात्रा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

(ग) लगभग 300.00 लाख रुपये।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर औपचारिकताओं का सरलीकरण

848. श्री हिम्मत सिंहका :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री म० सुदर्शनम :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर औपचारिकताओं को सरल करने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) देश के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यातायात के प्रबन्ध के लिए पुनरीक्षत प्रक्रिया अन्य देशों की प्रक्रिया की तुलना में कैसी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हाँ। सरकार सरलीकरण की समस्या के समाधान में लगी हुई है जिसके कि दो पहलू हैं ; (i) बिमानक्षेत्र में टर्मिनलों पर अधिक सुविधाओं की व्यवस्था ; तथा (ii) सीमा शुल्क, आप्रवास और आरोग्य जैसी सीमान्त औपचारिकताओं से संबंधित कागजी कार्यवाही का सरलीकरण ।

ऊपर (i) के सम्बन्ध में, श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में एक समिति ने हाल ही में मामले पर विचार किया और भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर टर्मिनलों के आधुनिकीकरण तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में सरकार द्वारा बिचार करने के लिये महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं ।

जहां तक (ii) का सम्बन्ध है, नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में सरलीकरण के लिये एक उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति, जिसमें सीमाशुल्क, आप्रवास, स्वस्थ्य तथा नागर विमानन के प्रवर प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, सीमान्त औपचारिकताओं के विभिन्न नीति विषयक पहलुओं पर विचार करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि निर्णय व्यापक आधार पर लिये जा रहे हैं और उन्हें बिना विलम्ब किये कार्यान्वित किया जा रहा है, समय समय पर अपने अधिवेशन करती रही है ।

आई०ए०टी०ए० के एक सरलीकरण दल द्वारा दिये गये कुछ सुझाव, जिन्हें क्रियान्वित करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है, ये हैं :--

(i) विमान के निष्कीटीकरण के लिए डी०डी०वी०पी० पद्धति का चालू किया जाना जिससे कि उड़ान के दौरान विमान का निष्कीटीकरण किया जा सके ;

(ii) आने वाले यात्रियों के लिए अरणि निर्धारण (चेनलिंग) जिससे शुल्कयोग्य माल रहित यात्रियों का जल्दी से निष्कासन किया जा सके ;

(iii) आने वाले यात्रियों के लिये स्वास्थ्य एवं मूल स्थान के बारे में व्यक्तिगत घोषणा-पत्र का समाप्त अथवा सरल किया जाना ।

(iv) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा यात्रियों के सामान के लिये गेट पास जारी करने की पद्धति को समाप्त करना ।

(ग) हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यातायात को सम्भालने के सम्बन्ध में सुधार करने के लिये काफी गुंजाइश है और यह आशा की जाती है कि नयी संरचना में से, जो आयोजित एवं क्रियान्वित की जा रही हैं, यात्री सेवा के इस पहलू में काफी सुधार करना सम्भव हो जायेगा ।

कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना

849. **श्री हिम्मत सिंहका :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री ई० के० नायनार :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन में जहाज बनाने के दूसरे कारखाने के 1971 तक पूरा हो जाने की संभावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण है ;

(ग) पुनरीक्षत समय सूची के अनुसार जहाज बनाने के इस कारखाने के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि पुनरीक्षित समय सूची की पूरी तरह पालन किया जाये ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). जापान की मितशुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लि० कंपनी द्वारा तैयार की गई कोचीन शिपयार्ड की पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट सरकार ने अक्तूबर, 1969 में मंजूर करली है। इस रिपोर्ट में 66000 डी०डब्लू०टी० तक के जहाजों के लिए एक बिल्डिंग डाक और 85000 डी०डब्लू०टी० तक के जहाजों के लिये एक पोत मरम्मत डाक, निर्माण करने का विचार है। परियोजना की अनुमानित लागत 45.42 करोड़ रुपये है। पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट के प्राप्त होने से पहले ही भूमि अधिग्रहण भूमि और मिट्टी सर्वेक्षण, जल और बिजली की व्यवस्था, सड़कों को बदलना इत्यादि जैसे प्रारम्भिक कार्यों को शुरू कर दिया गया था और ये काम प्रगति पर है। मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ शिपयार्ड के निर्माण में दिये जाने वाले तकनीकी योगदान, सलाह तथा सहायता के लिये करार करने के लिये कार्यवाही शुरू करली गई है। एक परियोजना संगठन शीघ्र ही स्थापित किया जायेगा और वास्तविक निर्माण के 1970-71 में शुरू होने की संभावना है। यह बताना बहुत जल्दी होगा कि परियोजना कब पूरी होगी क्योंकि निर्माण कार्य की प्रगति वर्ष प्रति वर्ष आवंटित निधियों के आधार पर की जायेगी ।

नई दिल्ली में खुदाई करने पर भगवान शिव की एक मूर्ति का मिलना

850. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री मोहन स्वरूप : **श्री स० कुन्दू :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एण्डूजगंज, नई दिल्ली में सड़क के किनारे एक चाय के स्टाल से हाल ही में भगवान शिव की दो फुट लम्बी पुरातत्वीय दृष्टि से बहुमूल्य मूर्ति को खोद कर निकाला गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वास्तव में वह मूर्ति कैसी है तथा पुरातत्वीय दृष्टि से उसका मूल्य क्या है ; और

(ग) इस मूर्ति को कहां स्थापित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) सड़क के किनारे चाय के स्टाल से एक मीटर ऊंची भगवान शिव की मूर्ति पायी गई थी, न कि खोदी गई थी ।

(ख) मूर्ति के ललाट पर शैव सम्प्रदाय के चिह्न हैं और वह तीन पैर और चार भुजाओं वाले देवता को दर्शाती है और **त्रिपद भैरव** बताया जाता है । उसकी बनावट के अनुसार, ऐसा लगता है कि मूर्ति लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी की है ; ऐसी मूर्तियों के विदित दृष्टांत अधिकतर दक्षिण भारत में पाये जाते हैं ।

(ग) मूर्ति को प्रदर्शनार्थ राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंप दिया जाएगा ।

पर्यटक चार्टर उड़ानों की अधिकतम सीमा समाप्त करना

851. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटक चार्टर उड़ानों की अधिकतम सीमा को समाप्त करने के बारे में सरकार ने हाल ही में निर्णय किया है ;

(ख) इस निर्णय के फलस्वरूप पर्यटक यातायात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ;

(ग) उक्त निर्णय करने की तिथि से वास्तव में इन उड़ानों में प्रतिमास कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) अतिरिक्त पर्यटक यातायात के फलस्वरूप कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हां । पहले लगी हुई 50 चार्टर प्रति वर्ष की सीमा को हटा दिया गया है क्योंकि यह सीमा एक मनोवैज्ञानिक बाधा का काम करती थी ।

(ख) से (घ). क्योंकि हमारे चार्टरविनियमों को उदार बनाने का निर्णय केवल पिछले

सितम्बर में ही किया गया है इसलिए यातायात और विदेशी मुद्रा की आय में वास्तविक अथवा सम्भावित वृद्धि का अभी इस समय ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, यूरोप के बहुत से देशों तथा श्रीलंका और थाईलैंड जैसे निकटवर्ती देशों की भांति यहां भी इस विषय में काफी मात्रा में वृद्धि होने की आशा है।

गैर-सरकारी नौवहन उद्योग को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना

852. **श्री बेधर बेहेरा :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री ल० कुण्दू :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्रीमती इलापाल चौधरी।

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में समूचे गैर-सरकारी नौवहन उद्योग का नियंत्रण अपने अधिकार में लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नौवहन उद्योग को कब तक अपने अधिकार में लेने का सरकार का विचार है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें

853. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा आयोग (1964-66) के एक अध्ययन दल ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं की जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर अथवा संसद के ग्रंथालय में रखने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अध्ययन-दल की रिपोर्ट की पांच प्रतियां अक्तूबर, 1968 में संसद-पुस्तकालय में रखी गयी थीं। सिफारिशों के ब्यौरे रिपोर्ट में दिये गए हैं।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के वैज्ञानिकों के पदों का आरक्षण

854. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य संस्थाओं में वैज्ञानिकों के बारे में 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5353 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के उन विशिष्ट नियमों अथवा आदेशों का ब्यौरा क्या है जिनके अधीन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी (वैज्ञानिक तथा तकनीकी) के समस्त पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण आदेशों के क्षेत्राधिकार से मुक्त हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के नगण्य प्रतिनिधित्व को देखते हुए इन भेदभावपूर्ण नियमों/आदेशों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/2/63—एस०सी०टी०-1, दिनांक ८ नवम्बर, 1963 में निहित आदेशों के अनुसार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित करने से छूट दी गई है। कार्यालय ज्ञापन की प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2041/69**]।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऐसे मामलों में, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेशों तथा आदेशों का पालन करता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के बारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को सुविधायें

855. **श्री प्र० र० ठाकुर** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को कोई विशेष सुविधायें प्रदान करता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रति वर्ष प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है और विभिन्न कालेजों के लिए ये स्थान निश्चित किये जाते हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो विशेष उपबन्धों की क्रियान्विति किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है ;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छूट का ब्यौरा क्या हैं ।

(च) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गए सूचना बुलेटिनों में इन विद्यार्थियों के लिए छूत और अन्य सुविधाओं का उल्लेख नहीं होता है ; और

(छ) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) (ख), और (ङ) प्रत्येक कालेज/विभाग में कुल स्थानों में से अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तक स्थान और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 5 प्रतिशत तक स्थान आरक्षित है । इन स्थानों के लिये दाखिला करते समय, इस वर्ग के विद्यार्थियों के अंकों में 5 प्रतिशत की रियायत दी जाती है ताकि उन्हें दाखिले में सुविधा हो ।

(ग) सभी कालेजों और अध्यापन विभागों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्थान आरक्षित हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) और (छ). विधि संकाय के बुलेटिन में यह सूचना दी गई है और विश्वविद्यालय द्वारा इस सूचना को सभी कालेजों को उनके मार्गदर्शन के लिए भेज दिया गया है । विश्वविद्यालय द्वारा, अगले शैक्षिक सत्र के लिए बुलेटिनों को मुद्रित करते समय, अन्य संकायों में इस सूचना को शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

राज्यों में न्यायिक पदों की संख्या

856. **श्री प्र० र० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री राज्यों में न्यायिक पदों की संख्या के बारे में 11 अप्रैल, 1969 के अतारकित प्रश्न संख्या 6127 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष राज्यों के बारे में इसी अवधि की इसी प्रकार की जानकारी एकत्र की जायेगी और सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख . सूचना एकत्रित की जायेगी और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रामकृष्णपुरम में भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी की हत्या

857. **श्री क० लकप्पा** :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री लखन लाल कपूर :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1969 के प्रथम सप्ताह में रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में बहुमंजिले फ्लैटों में रहने वाले भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी की इन्हीं फ्लैटों

में रहने वाले केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के एक अधिकारी के घातक प्रहार से अचानक मृत्यु हो गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आयी । किन्तु दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि नागर विभानन विभाग के एक अधिकारी को 10 सितम्बर, 1969 को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था । अस्पताल जाते हुये मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई । तहकीकात तथा शव परीक्षा रिपोर्ट से प्रगट हुआ कि मृत्यु हृदय-गति रुकने के कारण हुई थी ।

गत सामान्य निर्वाचनों में प्रयोग में लाया गया विदेशी धन

858. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एस० एम० कृष्ण :
डा० सुशीला नैयर :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत सामान्य निर्वाचनों में विदेशी धन के प्रयोग के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरों का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में सामान्य निर्वाचनों के दौरान विदेशी धन प्राप्त करने वाले तथा राजनीतिक व्यवस्था में विघ्न डालने वाले राजनीतिक दलों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्य-वाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). गत आम चुनावों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विदेशी धन के प्रयोग के विषय में खुफिया पुलिस विभाग के प्रतिवेदन के बारे में गृह मन्त्री द्वारा 14 मई, 1969 को सदन में दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यकरण के विरुद्ध आरोप

859. **श्री क० लकप्पा :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण के विरुद्ध कुछ आरोप प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन आरोपों की जांच करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की है ;

(ग) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) समिति के निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ङ) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक सरकार को प्रस्तुत कर देगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

बंगलौर विश्वविद्यालय के विरुद्ध शिकायतें

860. **श्री क० लकप्पा :** **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों द्वारा बंगलौर विश्वविद्यालय के विरुद्ध की गई शिकायतें/लगाये गए आरोप सरकार को प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो लगाये गये आरोप किस प्रकार के हैं ;

(ग) क्या सरकार का इन आरोपों की जांच कराने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). बंगलौर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुछ शिकायतों के निवारण के लिए एक तार प्राप्त हुआ था परन्तु उसमें यह उल्लिखित नहीं था कि शिकायतें क्या क्या हैं । उपकुलपति से प्रतिवेदन भेजने के लिए कहा गया था जो अभी तक नहीं मिला है ।

(ग) और (घ). यह मामला राज्य सरकार से संबंध रखता है ।

दिल्ली पुलिस में भ्रष्ट अधिकारी

861. **श्री ए० श्रीधरण :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री क० लकप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष से अधिक समय से दिल्ली पुलिस के रवैये के बारे में दिल्ली की आम जनता में बहुत असंतोष है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इसी अवधि में कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में अंतर्ग्रस्त हैं अथवा उन्हें अंतर्ग्रस्त पाया गया है ;

(ग) कितने और कौन-कौन से अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे मामले दर्ज किये गये हैं ; और

(घ) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). 1-1-1968 से 31-10-1969 के बीच दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के 39 मामले दर्ज किये गये थे। एक विवरण संलग्न है जिसमें उन कम्पिनियों के नाम दिये गये हैं जिन के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2042/69]

जब भी भ्रष्टाचार के मामलों का पता चलता है और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होता है, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायलयों में मुकदमें चलाये जाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य पर निर्भर करते हुए जहां भी आवश्यक होता है। विभागीय कार्यवाही तथा अन्य प्रशासनिक उपाय भी किये जाते हैं।

श्री जे० बी० एक्स० डोक्रुज की मृत्यु की जांच

862. **श्री उमानाथ :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री नम्बियार : **श्री वि० कु० मोडक :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जे०बी०एक्स० डोक्रुज की मृत्यु के बारे में नियुक्त किये गये जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) उनकी मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी पाये गये और उनके लिए चिकित्सा को पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था न करने में दंडनीय लापरवाही के दोषी पाये गये व्यक्तियों को क्या दंड देने का विचार है।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). गोवा, दमन और दीव सरकार द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

Introduction of Cheap Chartered Planes to attract American Tourists

863. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of American tourists are being attracted to Italy through chartered planes at very cheap rates ;

(b) if so, whether efforts are being made in the direction of introducing cheap chartered planes to attract lakhs of American tourists to India ; and

(c) the rate of concession proposed to be offered per passenger ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) We have no information on the point.

(b) and (c). The regulations controlling the operation of non-scheduled chartered flights into India have been recently liberalised or order to attract holiday charter traffic and to widen the base of our potential markets, particularly in Europe and America. The ceiling on charter flights to India has been done away with. Tour Operators in these

countries are already promoting holiday charters to India at rates much below scheduled and promotional fares approved by International Air Transport Association (IATA).

Rural Youth Welfare Scheme

864. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state the extent of progress made so far in the Rural Youth Welfare Scheme ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : Following the recommendation made by the Conference of Representatives of Youth Organisations, Youth Services Agencies and Youth Leaders, the Government has drawn up a Scheme on the development of National Programme for Youth Services for the non-student youth, including the Rural Youth. The Scheme is still under consideration.

Students Receiving Technical Education at the end of Fourth Plan

865. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total estimated number of students in the country at the end of the Fourth Plan and the percentage of those amongst them who would be receiving technical education ; and

(b) whether it is a fact that a vast majority of students would be receiving education for becoming mere clerks and that those obtaining technical education would be in a minority ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : The estimated enrolment at various levels at the end of the Fourth Five Year Plan (1969-74) will be as follows :

Stage	Total Enrolment	Enrolment for Technical Education
	(In lakhs)	
Primary (Age-group 6-11)	683.40	Nil
Middle (Age-group 11-14)	184.60	Nil
Secondary (Age-group 14-17)	105.50	1.50 (1.4%)
University	28.16	1.56 (5.5%)

(b) It would not be correct to say that a majority of students would not be receing education to make them clerks, for general education is being designed to equip a student for various avenues of employment as well as for citizenship However, it is a fact that those receiving technical education would be in a minority. This is a unavoidable, for while facilities in general education are provided for all who seek them, facilities in technical education are broadly regulated in accordance with employment potential as ascertained from time to time.

काश्मीर में जनमत संग्रह मोर्चे द्वारा अलगाव का प्रचार

866. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनमत संग्रह मोर्चे द्वारा काश्मीर को भारत से पृथक करने के लिए किए जा रहे व्यापक प्रचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जनमत संग्रह मोर्चे को पाकिस्तान तथा कुछ अन्य देशों से आर्थिक सहायता मिल रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार इन राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने में असमर्थ रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उन गतिविधियो को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जनमत संग्रह मोर्चा जम्मू और काश्मीर राज्य के लिये आत्मनिर्णय के अधिकार की माँग करता है ।

(ख) पाकिस्तान से वित्तीय सहायता के बारे में ऐसी सूचनाओं को, जो कि सरकार को खुफिया रिपोर्टों से प्राप्त होती है, प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

(ग) और (घ). जम्मू और काश्मीर सरकार तथा भारत सरकार राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क है ।

Foreign Aid to Anand Marg

867. **Shri Shri Chand Goyal :** **Shri J. Sundar Lal :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have obtained any information from their sources that Anand Marg of Purulia district in West Bengal has received a large amount from different foreign resources ;

(b) if not, whether Government would conduct a high level enquiry to see if this organisation has received any amount from the World Health and population Crisis Committee, New York, Moral Aid Programme and International Board of Christian Trade Union ;

(c) if not, the reasons therefor :

(d) if so, whether Government have received information regarding the details of the different foreign sources from where this organisation has received financial assistance, and the details of such assistance ; and

(e) the action proposed to be taken by Government to ensure that this organisation may not get foreign money ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (e). **Facts are being ascertained.**

चंडीगढ़ का वर्तमान दर्जा बनाये रखना

868. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री ओमप्रकाश त्यागी :**

श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लोगों से इस आशय के अभ्यावेदन मिले है कि इसका वर्तमान दर्जा ही रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उपरोक्त मांग पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार ने चंडीगढ़ विवाद को सर्वसम्मत हल खोजने के लिए अपने प्रयास जारी रखे है। किसी भी हालत में, इस मामले में निर्णय संसद के बजट अधिवेशन से पहले ले लिया जाएगा ।

श्री बलराज मधोक, संसद सदस्य पर मुकदमा चलाया जाना

869. **श्री के० अनिरुद्धन :** **श्री के० रमानी :**

श्री प० गोपालन : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

श्री गणेश घोष :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि मंत्रालय ने यह सलाह दी है कि साम्प्रदायिक स्थिति में श्री बलराज मधोक की कुछ टिप्पणियों के बारे में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विधि मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई थी कि 27 सितम्बर, 1969 को विट्ठलभाई पटेल भवन, नई दिल्ली में हुई सार्वजनिक सभा में श्री बलराज मधोक द्वारा दिया गया भाषण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 (क) के अधीन प्रथम दृष्ट्या अभियोज्य है ।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण

870. **श्री के० अनिरुद्धन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण के सम्बन्ध में अर्जित की जाने वाली भूमि के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना तथा विस्तृत विवरण मंजूरी के लिए अभी तक असैनिक उड्डयन महानिदेशक के विचाराधीन है ;

(ख) यह योजना किस तारीख को प्रस्तुत की गई थी ;

(ग) मंजूरी देने में विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(घ) निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । योजना को अब अन्तिम रूप दिया जा चुका है और वह 17-9-1969 को केरल सरकार के पास भेज दी गई है ।

(ख) केरल सरकार ने प्रारम्भिक योजनाओं तथा विवरणों को अगस्त, 1968 में नागर विमानन विभाग के पास भेजा था ।

(ग) भूमि की आवश्यकताओं का अनेक बार मौके पर जाकर निर्धारण करना पड़ा और तालाबों, तेज ढालों आदि का परिहार करने के लिए नक्शों में हेरफेर करने पड़े ।

(घ) प्रायोजना की स्वीकृति प्राप्त तथा भूमि अभिग्रहण की कार्यवाहियां पूरी होते ही निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

Machinery for Compulsory Arbitration for Central Government Employees

871. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Yajna Datt Sharma : **Shri Sharda Nand :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 877 on the 25th July, 1969 and state :

(a) the outlines of the Statutory Machinery for Joint Consultation and Compulsory Arbitration for the Central Government employees ; and

(b) the time by which a Bill would be introduced in Parliament in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The outlines of proposal were stated by the Minister in the Ministry of Home Affairs on the 16th December, 1968, in the Sabha during the course of the discussion on the Essential Services Maintenance Bill, 1968. An extract of the said statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-2043/69.]

(b) The Bill would be introduced in Parliament as early as possible.

National Advisory Board for Youth Services

872. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Sharda Nand :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether any Scheme for constituting a National Advisory Board on Youth Services is under constitution ; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The proposal to set up a National Advisory Board of Youth Services is still under consideration.

Activities of People's Courts

873. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Sharda Nand :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to a summon issued by People's Court, as published in the "Organiser" dated the 20th September, 1969 ;

(b) whether the attention of Government has also been invited to the report given in the same article that no action is being taken against the activities of the said "People's Court" and the terrorists as they are "political worker" ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). Government have seen the Press report.

(c) Facts are being ascertained from the State Government.

राजकोट में चीनी मोर्टार राकेटों का पाया जाना

8 4. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री शारदा नन्द :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सूरज भान :
श्री बृजभूषण लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1969 के "आर्गेनाइजर" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजकोट (गुजरात) में किसी मुस्लिम कब्रिस्तान में स्थित एक पुराने कुएं में 15×3 इंच के 6 मोर्टार राकेट पाये गये थे जिन्हें चीन में बना बताया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो की गई जांच के क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि हथगोले जैसी शक्ल की तथा 6 इंच से 15 इंच की लम्बाई की 8 वस्तुएं राजकोट में बोहरा जाति की सीमेट्री में एक कुएं को जो कई सालों से बेकार पड़ा था गहरा करते समय पाई गई। ये वस्तुएं पुरानी तथा जंग लगी थीं तथा उनके निर्माण व मूल का पता न लग सका। वस्तुएं उपयोगी नहीं पाई गई और विस्फोटक निरीक्षक बम्बई के अनुदेशों के अनुसार नष्ट करा दी गई। आगे जांच पड़ताल की जा रही है।

Raising of Army by Communist Party in West Bengal

875. **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the news item published in the 'Organiser' (Delhi) dated the 23rd August, 1969 to the effect that Communist Party in West Bengal is engaged in raising their own army ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken so far and proposed to be taken in future by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). According to information received from the State Gevernment, the C. P. M. in West Bengal are organising a trained volunteer corps of fifty thousand persons. The situation is under watch.

Allegations against Chief Minister, Haryana

876. **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the President of India has received a memorandum in which certain allegations has been made against the Chief Minister of Haryana ;

(b) if so, the main allegations made therein and the names of the signatories of the memorandum ; and

(c) when this memorandum was given and the details of the action taken so far and of that proposed to be taken in that connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The allegations relate to alleged acts of misconduct, illegalities, favouritism, nepotism and abuse of power. A list of names appearing in the Memorandum is enclosed. [*Placed in Library. See* No. LT-2044/69.]

(c) The memorandum was received by the President on the 19th May, 1969, and has been sent to the Chief Minister of Haryana for comments which are awaited. It is not possible at this stage to anticipate future course of action.

विवेकानन्द शिला स्मारक के उद्घाटन समारोह के सम्बन्ध में आने वाले पर्यटकों के लिये प्रबन्ध

877. श्री शारदा नन्द :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री सूरजभान :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी वर्ष मार्च, अप्रैल में कन्याकुमारी में विवेकानन्द शिला स्मारक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए तथा इसके पश्चात् समूचे भारत तथा विदेशों से पर्यटक वहां जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों को इसके लिए प्रोत्साहित करने तथा उनकी यात्रा तथा उनके वहां पर ठहरने की सुविधाजनक व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कन्या कुमारी में विवेकानन्द शिला स्मारक के मार्च, 1970 तक तैयार हो जाने की आशा है और इसका उद्घाटन अंतिम रूप से 11 मार्च, 1970 को करना निश्चित किया गया है । देश के प्रत्येक भाग से काफी संख्या में पर्यटकों के इसमें भाग लेने की आशा है । अभी इस समय पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी संख्या में विदेशी पर्यटकों के आने की सम्भावना है ।

(ख) दर्शक यात्रियों की यात्रा तथा आवास व्यवस्था को आरामप्रद बनाने के लिये सुविधाओं की सुव्यवस्था करने के उद्देश्य से तमिलनाडु में एक उच्च-स्तरीय समिति की स्थापना की गई है जिसके वहां के राज्यपाल मुख्य संरक्षक तथा मुख्य मन्त्री संरक्षक होंगे ।

Participation by Government Servants in Anand Marg and other Organisations

878. Shri Sharda Nand :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the name of Organisations such as Anand Marg and others which the participation by Government servants is treated as taking part in political activities ;

(b) the details of the orders given by the Supreme Court on the Writ Petition filed in this regard ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken in future by Government in regard to Anand Marg and other Organisations as a result of it ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Under Sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, no Government servant shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organisation which takes part in politics nor shall be take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity. Under Sub-rule (3) of the aforesaid rule 5, if any question arises whether a party is a political party or any organisation takes part in politics within the meaning of this rule, the Central Government are to decide the issue. In pursuance of this rule, it has been

clarified that membership of, or participation in the activities of the Rashtriya Swayam Sewak Sangh, Jamaat-e-Islami and the movement known as Anand Marg or any of its organisations by a Government servant would attract the provisions of Sub-rule (1) of Rule 5 of the C. C. S. (Conduct) Rules, 1964. It has been furtner ciarified that Governments servants should neither participate in the activities of, nor associate themselves with, any organisation in respect of which there is the slightest reason to think that the organisation has a political aspect.

(b) The Writ Petition in question has not been finally disposed of. On the Writ Petition and a notice of motion for stay filed before it, the Supreme Court have issued orders restraining the Government from giving affect to the provisions of the instructions issued by the Ministry of Home Affairs in regard to Anand Marg or any of its organisations, until final disposal of the notice of motion for stay.

(c) Instructions have been issued in the light of the orders of the Supreme Court referred to in the reply to part (b) of the question in regard to Anand Marg or any of its organisations.

Purchase of New Planes by I. A. C.

879. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether some new aeroplanes are being purchased for the inland services of the Indian Airlines ;

(b) if so, whether a decision in this regard is likely to be taken in consultation with experts ; and

(c) whether it is a fact that negotiations for the purchase of planes from particular countries under some political pressure are also under way ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr Karan Singh) : (a) to (c). An '*ad hoc*' Committee has been constituted under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Tourism and Civil Aviation to advise Gonernment on the selection of a suitable aircraft for Indian Airlines. This Committe will consider the claims and recorded performance of various types of aircraft before making their recommendations in regard to the type and number of aircraft to be purchased.

Running at a Loss of certain Services of IAC

880. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether certain services of the Indian Airlines are running at a loss ;

(b) if so, the steps taken to bring down this loss ; and

(c) whether the rise in fare effected from 1st November, 1969, is likely to help make good this less to a certain extent ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (c). Yes, Sir.

(b) Indian Airlines have already initiated steps to intensify the sales drive by providing certain concessions like 7 days' concessional return fares, break-journey etc. Also, on some sectors it takes time for adequate traffic to built up, depending on various factors including general economic grounds.

Activities of Mischievous Elements in Banaras Hindu University

881. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether certain mischievous elements are still active in the Banaras Hindu University ;

(b) whether certain political parties have also a hand behind this ; and

(c) if so, whether it is proposed to take certain further effective measures to maintain the dignity of the University ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The University is functioning normally and no mischief has been reported either from students or from outsiders.

(b) and (c). Do not arise.

Seniority List of Clerks in Education Ministry

882. **Shri J. B. Singh** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry had brought out a list showing the seniority of Clerks as on 1st August, 1969 ;

(b) if so, whether it is also a fact that the date of appointment of certain employees who have rendered 10 to 15 years of service and have been working in the Ministry of Education from the beginning has not been indicated in the list ;

(c) if so, whether this is due to the inefficiency and inaction on the part of the administration ;

(d) whether action will be taken against the staff for showing such negligence ; and

(e) if so, the details of the action and the time by which such action will be taken against them and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) In this list, date of entry in Government Service was given in all cases, except in 24 cases where the persons had been transferred to other offices and their service records had also been sent to these offices. The requisite information about date of entry has been received in the cases of 16 out of 24 cases and efforts continue to be made to get it in respect of the remaining eight cases.

(c) to (e). The entries of the date of appointments could not be made as the service records in respect of 24 persons were not available in the Ministry at the time the list was prepared. The question of inefficiency and inaction, therefore, does not arise.

Hindi Stenography Test Conducted by Education Ministry

883. **Shri J. B. Singh** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4546 on the 22nd August, 1969 and state :

(b) the reasons for which the Hindi Stenography Examination was conducted by an English Stenographer despite the fact that there are Special Officer (Hindi), Hindi Officer, Hindi Assistant and Hindi Translator in his Ministry ;

(b) whether it is a fact that the examiner and the examinees had equal training ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether the candidate selected in this examination was posted in his personal staff ;

(e) whether it is also a fact that the examination papers were examined by the English Stenographer and not by the Special Officer (Hindi) or Hindi Officer ; and

(f) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Shri V. K. K. V. Rao) : (a) The examination was conducted by the senior most Stenographer, who had qualified in Hindi Stenography. As dictating in Shorthand for purposes of test requires some specialised knowledge, the question of entrusting the test to any other officer was not considered. The test was conducted under the personal supervision of a Class I Officer.

(b) and (c). The Stenographer, who gave the dictation was fully qualified both in English and Hindi Stenography.

(d) No, Sir. The services of the persons selected on the basis of the test were utilised by the Minister as and when required, and were also utilised in the general pool.

(e) and (f). The papers were checked by the Stenographer, who had given the dictation as this is the correct procedure. The question of getting the papers marked by Special Officer (Hindi) or Hindi Officer did not, therefore, arise.

Police Behaviour towards Witnesses and Accused Persons in Delhi

884. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shre Bal Raj Madhok : **Shri P. M. Sayeed :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Inspector General of Delhi Police has issued instructions that there should not be any misbehaviour with any witness, suspected person or accused in Police Stations and rigorous punishment would be awarded to the employee or officer who is found guilty in this regard ?

(b) if so, whether Government propose to lay a copy of this order on the Table and whether the guilty officers in Lajpat Nagar incidents would be dealt with under this order ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The Inspector General of Police, Delhi has issued instructions to Station House Officers in regard to summoning of the witnesses, suspects or accused persons during investigations. These instructions draw the attention of the members of the police in Delhi to the relevant provisions of the Criminal Procedure Code and the Punjab Police Rules and exhort the members of the police force to follow the provisions strictly. Such provisions are Sections 155 (2), 160 and 175 of the Criminal Procedure Code. Since these are routine departmental instructions it is not considered necessary to lay a copy of these orders on the Table of the House.

An enquiry was held by the S. D. M. into the death of Shri Kewal Krishan which took place at Lajpat Nagar Police Station. The enquiry revealed that Shri Kewal Krishan died due to a deliberate dive from the 2nd floor of the Police Station.

The Magistrate had observed certain procedural omissions on the part of the investigating officer. Diciplinary action was initiated against the S. H. O. but the matter was closed due to his sudden demise.

Property of Running of State Lotteries

885. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ministries of Home Affairs, Law and Finance have expressed different opinions on the propriety of lotteries being run by the States ;

(b) if so, the opinions of the three Ministries, separately ;

(c) the objective of running these lotteries and whether these lotteries which create a new class of capitalists do not damage the principles of socialism ; and

(d) whether Government would consider putting a ceiling on the maximum amount of first prize ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

After taking into consideration all aspects of the matter the Central Government informed the State Governments that they may conduct State lotteries if they so desire, subject to the condition that tickets of such a lottery will not be sold in another State without the express consent of the Government of that State.

(b) Does not arise.

(c) The lotteries are run by the States generally to mobilize savings and to find funds for financing their Development Plans etc.

(d) The matter concerns State Governments as the amount of the prizes is fixed by them.

Activities of "Plebiscite Front" in Kashmir

886. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sheikh Abdullah does not consider himself as an Indian citizen and the organisation known as 'Plebiscite Front' controlled by him does not consider Kashmir as a part of India and it is making efforts to separate it from India ;

(b) whether it is also a fact that Sheikh Abdullah has announced that his organisation would participate in the elections to Municipal Corporation in Kashmir to achieve its object ; and

(c) if so, the reaction of the Government of India to the aforesaid decision of Sheikh Abdullah and his organisation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Being the resident of a State of Indian Union Sheikh Abdullah is in fact an Indian national. The Plebiscite Front has been demanding the right of self-determination for the people of Jammu and Kashmir.

(b) The Jammu and Kashmir Government have intimated that the Plebiscite Front has plans to contest in municipal and town area elections.

(c) Government welcome people participating in the various elections held under the Constitution or State laws.

Consideration of Schemes sent by Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate

887. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commission for Scientific and Technical Terminology

and the Central Hindi Directorate have sent a number of schemes pertaining to their offices to his Ministry for their approval ;

(b) if so, the nature of the schemes and dates when the said schemes were sent to his Ministry ;

(c) the decisions taken so far by his Ministry in regard to each of the said scheme ;

(d) the time by which decision is likely to be taken on the schemes which are still under consideration ; and

(e) the reasons for delay in taking an early decision ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) to (e). The following new schemes have been sent to the Government for approval by the Commission for Scientific and Technical Terminology and the Central Hindi Directorate :

Commission for Scientific and Technical Terminology—

	Date of Receipt	Position up-to-date
1. Preparation and Translation of Encyclopaedias	29-8-1969	Under active consideration
2. Production of a Western-type Dictionary	29-8-1969	—do—
Central Hindi Directorate—		
1, Preparation and production of trilingual dictionaries with Hindi or Regional Language as the base	—	Approved on 24-10-1969
2. Dictionary of Hindi usage	21-7-1969	Under consideration
3. Revision of glossaries	17-7-1969	—do—
4. Extension programme for propagation of Hindi	11-6-1969	—do—
5. Preparation and publication of Revised and enlarged edition of Hindi-English Dictionary	19-7-1969	—do—

Each individual case is to be processed in consultation with the competant financial authorities and in some cases with the Planning Commission as well. Consequently, it is difficult to set a time limit for reaching a decision. However, every possible endevour is always made to expedite decisions.

शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् का पुनर्गठन

888. **श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री जनार्दनन :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा० नाग चौधरी की अध्यक्षता में नियुक्त समीक्षा समिति द्वारा

किये गये शैक्षाणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्तावों में भारी संशोधन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधन दिये गए हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). जी नहीं । पुनरीक्षण समिति द्वारा दी गई प्रमुख सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिये गए निर्णय एक सकंल्प में प्रकाशित किये गये हैं और एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2045/69] अन्य सिफारिशों के सम्बन्ध में जो एक प्रकार से गौण सहायक प्रकृति की है परिषद् से उनकी जाँच करने और आवश्यक निर्णय लेने के लिये कहा गया है ।

तेलंगाना क्षेत्र का विकास

889. **श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री जि० मो० विश्वास : **श्री जनार्दनन :**
श्री कं हाल्दर :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के विकास के बारे में प्रधान मंत्री की आठ सूची योजना की क्रियान्विति में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) तेलंगाना क्षेत्र के आर्थिक विकास को तेज करने के लिये और क्या प्रयास किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2046/69]

मनीपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय

890. **श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री जि० मो० विश्वास : **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री जनार्दनन : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस तथ्य के बावजूद कि विरोधी दलों के संयुक्त मोर्चे, का क्षेत्रीय विधान सभा में बहुमत था और वह एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिये तैयार था, मनीपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त निर्णय किन कारणों से किया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मनीपुर

के प्रशासक ने 24 सितम्बर, 1969 को विधान सभा स्थगित कर दी । तत्पश्चात् उन्होंने उस संघ राज्य क्षेत्र में एक स्थायी सरकार बनाने की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिये उस व्यक्ति के साथ विचार-विमर्श किया जिसे संयुक्त मोर्चे का नेता चुना गया था। उनका अंतिम मूल्यांकन यह था कि विकसति हो रही परिस्थितियों में कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है जो मनीपुर को एक स्थायी सरकार दे सके । इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने मनीपुर के विधान मंडल और मंत्रिपरिषद से सम्बंधित संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 के उपबन्धों को एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगति करते हुए 16 अक्तूबर, 1969 को एक आदेश जारी किया और मनीपुर विधान सभा भी भंग कर दी ।

तेलंगाना के बारे में भार्गव समिति का प्रतिवेदन

891. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री जनार्दनन :
श्री जि० मो० बिश्वास :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदानन्द :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना क्षेत्र की आधिक्य राशि के सम्बन्ध में जांच करने के लिए स्थापित की गई भार्गव समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, समिति द्वारा क्या मुख्य शिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). भार्गव समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है उसकी जांच की जा रही है ।

Communal Riots

892. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all efforts at National Integration have proved futile and that communal riots are taking place in the various States in the country despite such efforts ; and

(b) if so, the reaction of Government there to and the causes of such riots ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) It is unfortunate that, in spite of the efforts made by the National Integration Council communal incidents have continued to take place in the country.

(b) Three separate Commissions are currently inquiring into the causes of the communal disturbances that have taken place recently.

Opening of University in Garhwal

894. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no University in Garhwal at present, while there is an Agricultural University in the neighbouring District of Kumaon ;

(b) if so, whether Government propose to start a University there so that the students of Garhwal may not have to go out of Garhwal for their studies ;

(c) if so, the time by which it would be started ; and

(d) if not, the reason therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) There is no University in Garhwal District. An Agricultural University (U. P. Agricultural University, Pantnagar) is situated in the Nainital District.

(b) to (d). The Government of India approved in March 1969 the proposal of the State Government of Uttar Pradesh to establish a University at Nainital to cater to the educational needs of the Hill Region of the State, including Garhwal. In view of the claims and counter claims of various districts, the State Government is reconsidering as to which place in the region would be most suitable for locating the University. A Committee of experts has been set up to examine this question.

बिहार में नये जिले बनाना

895. **श्री अदिचन :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान जनता की लम्बे समय से चली आ रही बिहार के जिलों के पुनर्गठन की मांग की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है, और यदि हां; तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) बेगुसराय-बरौनी क्षेत्र में अखिल भारतीय महत्व के उद्योग समूह के विकास को ध्यान में रखते हुए क्या एक नया जिला, जिसका मुख्यालय बेगुसराय में हो, बनाने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ). बेगुसराय, मधुबनी, उत्तरी संथाल परगने, पश्चिम गया, गिरिदीह और गुमला नामक 6 नये जिले बनाने का इरादा है । उक्त जिले एक प्रावस्था कार्यक्रम, जो तैयार किया जा रहा है, के अनुसार खोले जाएंगे । नये जिलों के मुख्यालयों तथा अन्य मामलों के बारे में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

देश में साम्प्रदायिक वारदातें

896. **श्री अदिचन :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री झारखण्डे राय :
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री सीताराम केसरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 के पहले 10 महीनों में देश में कितने साम्प्रदायिक वारदात हुए ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार की घटनाओं की संख्या और सीमा से पता चलता है कि इस प्रकार की प्रवृति वर्ष 1967 और 1968 की तुलना में बढ़ रही है ;

(ग) वर्ष 1969 में कितने व्यक्ति हताहत हुए, कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुए ; और

(घ) क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक दलों तथा संगठनों को दबाने के लिए कोई विशिष्ट कार्यवाही कानूनी तथा प्रशासनिक करने के हैं जिनकी गतिविधियां प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बिगड़ती हुई स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2047/69]**

(घ) ऐसी गतिविधियों पर सावधानी से नजर रखी जाती है।

दिल्ली के सांयकलीन कालेज में आनर्स पाठ्यक्रम आरम्भ करना

897. **श्री अदिचन** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सांयकालीन कालजों में आनर्स पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस विषय में और प्रत्येक विषय के लिए कितने स्थानों की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के सान्ध्यकालीन कालेजों तथा संस्थानों से विज्ञान के विषय भी पढ़ाये जाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां। निम्नलिखित कालेजों में 1969-70 से शाम को आनर्स की कक्षाएं शुरू की गई हैं।

प्रत्येक कक्षा में दाखिल विद्यार्थियों के विषय और संख्या क्रमशः कालम 2 और 3 में दी गई है।

कालेज का नाम	पाठ्यक्रम	दाखिल विद्यार्थियों की संख्या
देशबन्धु कालेज	अंग्रेजी	16
	हिन्दी	11
हस्तिनापुन कालेज	अंग्रेजी	10
	हिन्दी	19
दिल्ली कालेज	अंग्रेजी	18
	हिन्दी	15
	राजनीतिक विज्ञान	18
	वी० काम०	38
पी० जी० डी० ए० वी० कालेज	वी० काम०	34
	हिन्दी	21
	गणित	14
दयाल सिंह कालेज	अंग्रेजी	20

(ग) और (घ). विश्वविद्यालय ने वर्तमान शिक्षा वर्ष के दौरान एक अथवा दो कालेजों में प्रयोगात्मक आधार पर शाम को बी० एस० सी० (सामान्य) वर्ग 'ए' पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय किया था। परन्तु इस निर्णय पर अमल नहीं किया जा सका क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम के लिये अपना नाम रजिस्टर कराया था, उन सभी को या तो दिन के कालेजों में अथवा डाक द्वारा पाठ्यक्रमों में खपा लिया गया था। तथापि, उन कालेजों से फिर से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाएंगे जो दिन की कक्षाओं में बी० एस० सी० (सामान्य) वर्ग 'ए' चला रहे हैं और इस पाठ्यक्रम को शाम को भी चलाने में रुचि रखते हैं।

सीनियर कैम्ब्रिज प्रणाली का समाप्त किया जाना

898. **श्री अविचल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा की समान पद्धति लागू करने के लिए सीनियर कैम्ब्रिज प्रणाली को समाप्त करने और उसके स्थान पर सभी संस्थाओं में, विशेषकर संघ राज्य क्षेत्रों में, केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पद्धति लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत में "सीनियर कैम्ब्रिज पद्धति" जैसे कोई पद्धति प्रचलित नहीं है। किन्तु कुछ पब्लिक स्कूल तथा

अन्य स्कूल, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद् नई दिल्ली, से सम्बद्ध है और परिषद् जिस परीक्षा का संचालन करती है उसका नाम भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा है। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षाओं को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारी

900. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र में उन पुलिस अधिकारियों, पुलिस इंसपैक्टरों सब इन्सपेक्टरों, हैड कांस्टेबलों तथा कांस्टेबलों की जिला-वार संख्या क्या है जो पिछले दो वर्षों के दौरान रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गये थे ;

(ख) उनमें से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध संसदसदस्यों तथा आप जनता ने केन्द्र सरकार तथा आप जनता ने केन्द्र सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के पास शिकायतें भेजी हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Use of Staff Cars by Ministers at Faridabad Congress Session

901. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2801 on the 8th August, 1969 and state :

(a) whether the information pertaining to the use of staff cars by Ministers during the Congress Session held at Faridabad has since been collected ;

(b) if so, the details thereof, and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir. The information has already been transmitted to the Department of Parliamentary Affairs for being laid on the Table of the House.

(b) Use of staff car for non-official duties on payment is provided for in the Staff Car Rules. Not all but only nine Union Ministers used the staff cars for attending the General Session of Congress held at Faridabad. These journeys were treated as private and necessary charges were recovered from the Ministers.

(c) Does not arise.

Departmental Examination for Research Assistants in Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology

902. **Shri Nihal Singh :**
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rules regarding the requirement of 50 per cent marks to

pass the Departmental examination for the Research Assistants working in the Central Hindi Directorate and in the Commission for Scientific and Technical Terminology have been framed in consultation with the Home Ministry ;

(b) whether it is also a fact that qualifying marks to pass M. A. or M.Sc. in a number of universities is 36 per cent ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the affirmative the reasons for framing such rules arbitrarily ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) According to the Recruitment Rules for the posts of Assistant Education Officers/Research Officers in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology (which were framed in consultation with the Ministry of Home Affairs and the Union Public Service Commission), these posts are filled by promotion of Research Assistants with three years' service in the grade, provided they qualify in a prescribed departmental written test. The manner, in which these tests are to be carried out. rests with the departmental authorities. The Research Assistants, eligible for promotion to these posts, are required to possess a very high proficiency in the work relating to translation, vetting and evolution of Scientific and Technical Terminology in Hindi. Therefore, they are expected to pass the prescribed test by securing a high percentage of marks. Consequently it was decided that to be eligible for promotion a candidate must secure not less than 50% of the aggregate marks.

(b) Yes Sir, although the percentage of pass marks varies from one University to another.

(c) As the test prescribed for Research Assistants is held for the purpose mentioned in (a) above, its standard cannot be compared with the pass marks prescribed by the Universities for passing M.A. or M.Sc.

मंत्रियों के कार्यालयों में प्रवेश करने के लिये संसद सदस्यों को जारी किए गये पहिचान पत्रों की वैधता

903. **श्री निहाल सिंह :**

श्री शिव चरण लाल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों को जारी किये गये पहिचान-पत्र जिनसे वे संसद् भवन में प्रवेश करते हैं, मन्त्रियों के कार्यालयों में प्रवेश करने के लिये वैध नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ससद् सदस्यों को जब वे किसी मन्त्री से उसके मन्त्रालय में मिलने जाते हैं सन्तरी द्वारा मन्त्रालयों के कार्यालयों में प्रवेष करने से रोका जाता है, और

(ग) यदि हां, तो संसद् सदस्यों के पहिचान-पत्रों को सभी मन्त्रालयों कार्यालयों में प्रवेशार्थ वैध बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). जी नहीं श्रीमान् ।

(ग) लोक सभा/राज्य सभा द्वारा संसद् सदस्यों को जारी किये गये पास रक्षा मंत्रालय को छोड़कर अन्य मन्त्रालयों के कार्यालयों में प्रवेशार्थ वैध हैं । सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले

सभी मुलाकातियों से अपने पहचान-पत्र ड्यूटी पर तैनात सन्तरी को दिखाने के लिए निवेदन किया जाता है। विशेष सुरक्षा के कारणों के लिए रक्षा मन्त्रालय के कार्यालयों में प्रवेश, रक्षा स्वागत संगठन द्वारा विशेष रूप से नियंत्रित किया जाता है। तथापि, रक्षा मुख्यालय के स्वागत अधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं कि जब संसद सदस्य मन्त्रियों अथवा विभागाध्यक्षों से मिलने के लिए उन कार्यालयों में आएं तो उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय और अविलम्ब सम्बन्धित मन्त्री अथवा अधिकारी के पास उनको पहुंचा दिया जाय।

प्राथमिक शिक्षा की दोषपूर्ण पद्धति

904. **डा० प० मंडल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष सितम्बर में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षिण परिषद् द्वारा लगाई गई एक चल प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि मुख्यत: प्राथमिक शिक्षा की नीरस और अरुचिकर पद्धति के कारण बहुत से बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी लागू होती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख). श्रव्य-दृश्य शिक्षा के सम्बन्ध में नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते समय निम्न-लिखित टिप्पणी की गई थी: "इस स्तर पर शिक्षा (प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा) रटने और पुनरावृति का रूप ले लेती है और इसी कारण बच्चों के लि नीरस और अरुचिकर हो जाती है। हमारे दश में शिक्षा को रुचिकर बनाने की समस्या पर विचार करना और भी महत्वपूर्ण है क्यों कि प्रथम कक्षा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक 100 बच्चों में से 4 बच्चे ही पांचवी कक्षा तक आते हैं ;

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अपव्यय तथा निष्क्रियता के एक अध्ययन से यह पता चलता है कि उन स्कूलों में जो कि सहपाठ्य कार्यकलाप अधिक संख्या में आयोजित करते हैं उनमें स्कूलों को छोड़ देने वालों की दर कम होती है।

यद्यपि अब तक संघीय क्षेत्रों में अपव्यय और निष्क्रियता का कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है तो भी यह टिप्पणी सामान्य रूप से संघीय क्षेत्रों के स्कूलों पर लागू होती है।

भारत द्वारा डोगलस वायुयानों की खरीद

905. **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री मधु लिमये :
श्री जनार्दन :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्लिट्ज की 2 अक्तूबर, 1969 को प्रेस रिपोर्ट को देखा है जिसमें

कहा गया है कि "अमरीकन विमान कम्पनी" ने एक भारतीय एजेन्ट, बम्बई इन्जीनियरिंग कम्पनी के श्री ज० मी० कोजारिक को 750 0 डालर भारत के द्वारा "डग्लस" विमानों की खरीद लिये पेश किये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आरोप की जांच करवाई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या विवरण है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई अथवा की जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) (क) से (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच का कार्य पूरा कर लिया है जिससे पता चलता है कि इस मामले में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध एक 'प्राइमाफेसी" केस (प्रथम दृष्टया प्रतीत मामला) बनता है । तदनुसार श्री जे० पी० कोजारेक और कैप्टेन हयुलगोल के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र (चार्ज शीट) दायर कर दिये गये हैं ।

जवाहरलाल नेहरू टैंकर की लागत

906. **डा० प० मंडल** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युगोस्लाविया द्वारा भारत के लिये निर्मित 'जवाहरलाल नेहरू' नामक विशाल टैंकर का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जायेगा, और

(ख) टैंकर की लागत क्या है और इसके चलाने पर कितना खर्च आता है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख). जवाहर लाल नेहरू लाल पोत मद्रास परिष्करण शाला के लिये पश्चिम एशिया खाड़ी से मद्रास को कच्चे माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त करने के लिये है । चूंकि मद्रास पत्तन का वाह्य बन्दरगाह था अगले वर्ष किसी समय इस तेल पोत को जगह देने के लिये तैयार होने की सम्भावना है अतः तेल पोत को एक वर्ष की अवधि के लिये समय चार्टर पर मैसर्स ब्रिटिश पेट्रोलियम लन्दन को दे दिया गया है । तेल पोत की लागत 654 लाख रुपये है और इसकी स्थायी लागत का अनुमान लगभग 28000 रु० प्रति दिन है ।

बिहार में राजनैतिक हत्यायें

907 **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विधान मंडल के सदस्य तथा "इण्टक" से सम्बद्ध कोयला खान मजदूर संघ के मंत्री श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिखाया गया है कि बिहार में पिछले कुछ महीनों में वामपंथी साम्यवादियों द्वारा बिहार की कोयला खानों में आठ राजनैतिक हत्याएें की जा चुकी हैं और इन क्षेत्रों में मजदूरों को डरा धमका कर जबरन उनका समर्थन प्राप्त करने हेतु किराये के गुण्डों, जोकि घातक हथियारों से लैस हैं, को नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन तथा कथित हत्याओं की जाँच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्टों को देखा है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से पूछ-ताछ की जा रही है ।

नर बलि की घटनाओं में वृद्धि

908. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में नरबलि की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं ; और

(ग) इस बुराई को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा दादरा और नगर हवेली को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1967 में नरबलि की कोई घटना नहीं हुई, 1968 में 3 और 1969 में एक घटना हुई । शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्रत्याशित है ।

(ग) राज्य सरकारों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निरीक्षण में तुरन्त जांच-पड़ताल सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है ताकि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों पर शीघ्र मुकदमा चलाया जा सके ।

अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगे

909. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री जय सिंह : **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को गुजरात के अहमदाबाद तथा अन्य नगरों में हाल ही में हुए दंगों की पहले से जानकारी थी ;

(ख) यदि हां, तो दंगों को रोकने के लिए समय पर निरोधात्मक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) दंगों के मुख्य कारण क्या हैं और उनके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस प्रकार के दंगों को रोकने के लिये और दंगों में पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हालांकि सरकार को गुजरात में साम्प्रदायिक तनाव के प्रचलन की सांकेतिक प्रवृत्तियों की जानकारी थी फिर भी अहमदाबाद में दंगों की संभावनाओं के बारे में उसको पहले से कोई निश्चित सूचना नहीं थी ।

(ख) 22 अप्रैल 1969 को केन्द्रीय गृह सचिव ने गुजरात के मुख्य सचिव को गुजरात में साम्प्रदायिक स्थिति की प्रवृत्ति और अत्यधिक सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा था ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) इस समस्या के समस्त पहलुओं पर 16 अक्टूबर, 1969 को राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति द्वारा तथा 3 और 4 नवम्बर को सर्वदलीय सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया । सरकार का मत है कि साम्प्रदायिक मेल-जोल तथा सद्भाव के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा संयुक्त रूप से जनता में अभियान तथा शिक्षा, सद्भावना की शक्तियों को सबल बनाने और भविष्य में साम्प्रदायिक झगड़ों को फैलने से रोकने में पर्याप्त सहायक सिद्ध होगी। केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों के साथ सहमति प्राप्त निर्णयों को कार्यरूप देने के लिए उसके द्वारा की गई कार्यवाही का पुनरीक्षण करने के लिए निरन्तर सम्पर्क बनाए रखती है ।

गुजरात में दंगों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के सम्बन्ध में किये गये उपायों के बारे में 17 नवम्बर 1969 को सभा पटल पर रखे गये एक विस्तृत विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

फरीदाबाद में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन पर व्यय

910. **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या गृह कार्य मंत्री 8 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2743 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन पर हुए सरकारी व्यय के बारे में राज्य सरकार से सूचना का पता इस बीच लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं और तथ्यों के कब तक एकत्र हो जाने की संभावना है ;

(घ) क्या वहां पर स्टाल लगाने तथा अधिकारियों को दिये गये यात्रा तथा दैनिक भत्तों पर केन्द्रीय सरकार ने कोई व्यय किया है ; और

(ङ) यदि व्यय किया गया है तो सभा को जानकारी देने के लिए हरियाणा सरकार से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख), (ग) और (ङ) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार फरीदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के सम्बन्ध में कांग्रेस के नेताओं के लिये प्रबन्ध करने में राज्य सरकार के विभागों द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया था । राज्य सरकार द्वारा 4,38719.57 रुपये की रकम प्रदर्शनी में स्टाल लगाने में खर्च की गई । प्रदर्शनी लगाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिये गये यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया है । देखिये संख्या एल० टी० 2048/69] ।

(घ) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

चण्डीगढ़ और भाखड़ा नंगल के बारे में पंचाट

911. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री जय सिंह : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री 22 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 701 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ तथा भाखड़ा नंगल परियोजनाओं के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा अपना पंचाट दिये जाने की इस समय स्थिति क्या है ;

(ख) इस समस्या के हल के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) पंजाब और हरियाणा राज्यों में वर्तमान अत्याधिक तनावपूर्ण तथा विस्फोटक स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है और केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी गई है अथवा देने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). संबंधित सरकारों के बीच समझौता न होने के कारण इन विवादों पर विवायन के लिए प्रस्ताव का अनुसरण न किया जा सका । फिर भी, सर्वसम्मत हल खोजने के लिए पंजाब तथा हरियाणा के विभिन्न लोकमत के व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श किये गये और इस दिशा में प्रयास जारी हैं । यदि वे प्रयास सफल नहीं हुए तो सरकार संसद के बजट अधिवेशन से पहले अपना निर्णय ले लेगी और उसकी घोषणा कर देगी ।

निजी विमान रखने और उड़ाने वाले व्यक्तियों के लिये की गई व्यवस्था

912. **श्री मीठा लाल मीना :** **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री पीलु मोदी : **श्री रा० की० ग्रमीन :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम : **श्री महेन्द्र माझी :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी विमान रखने और चलाने वाले लोगों के लिए यदि कोई व्यवस्था की गई है तो वह क्या है ;

(ख) क्या ऐसे लोगों के लिए सस्ते विमान उपलब्ध हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो सब से सस्ते विमान का मूल्य क्या है ; और

(घ) क्या ऐसा छोटा सिविल विमान किसी राज्य विमान निर्माण कम्पनी द्वारा बनाया जा रहा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : क) कोई भी व्यक्ति निजी रूप से विमान रख सकता है । परन्तु उसे उड़ाने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन, उचित विमानचालक लाइसेंस धारिता तथा क्षेत्र-प्रतिबंधों के विषय में एयरक्राफ्ट नियमों, 1937, की शर्तों का अनुपालन करना पड़ता है ।

(ख) जी, हां । असैनिक (सिविल) उपयोग के लिये 90 एच० पी० कांटीनेंटल इंजन द्वारा चालित एक पुष्पक नाम का दो सीटों वाला बहुत ही हल्का विमान उपलब्ध है ।

(ग) पुष्पक की वर्तमान कीमत केवल 47,500 रुपये है ।

(घ) जी, हां । इस विमान का डिजाइन व विकास हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया गया है और उसका निर्माण उनके बैंगलोर डिवीज़न द्वारा किया जा रहा है ।

विदेशी जहाजों के कैप्टनों द्वारा गोआ के नाविकों की भर्ती पर प्रतिबन्ध

913. **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री पीलू मोदी :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रा० की अमीन :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोवा में एक आदेश जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत मरमागाओ पत्तन पर चलने वाले विदेशी जहाजों के कैप्टनों द्वारा गोवा के नाविकों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह भर्ती अनेक वर्षों से की जा रही है ; और

(ग) क्या इस प्रतिबन्ध के फलस्वरूप देश नौवहन में इस मूल्यवान अनुभव से वंचित नहीं हो जायेगा और क्या तटीय लोगों के लिए भी रोजगार का एक लाभदायक साधन बन्द हो जायेगा ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). मारमागाओं में गोवा के नाविकों की भर्ती पर रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है । गोवा के स्वतन्त्र होने से पहले और उसके तुरन्त बाद गोआ के नाविक विदेशी पोत मालिकों के द्वारा सेडूलस लोगों करसों के आधार पर जो पुर्तगाल सरकार द्वारा जारी किया जाता था काम पर लगाये जाते थे, यह आधार "भारत के कंटिन्यूअस डिसचार्ज सरटिफिकेट" का समकक्ष है । तथापि अब उनकी भर्ती व्यापार पोतपरिवहन अधिनियम 1958 और उसके बाद बनाये गये नियमों के अन्तर्गत दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जाती है ।

(ग) जी नहीं । चूंकि योग्य मामलों में "पोर्तगीज" से सेडुलस लोगों करसौं के स्थान में भारतीय "कटिन्यूअस डिसचार्ज सर्टिफिकेट" उन्हें जारी किये जाते हैं अतः गोआ के नाविकों के रोजगार में बाधा नहीं पड़ती है ।

अजमेर में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

91 *. **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री निहाल सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अगस्त/सितम्बर में उर्स में शरीक होने के लिए कुछ पाकिस्तानी लोग बिना विजा तथा अन्य यात्रा दस्तावेजों के अजमेर आये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके साथ केन्द्रीय उपमंत्री श्री मुहम्मद शफी कुरेशी थे ;

(ग) क्या उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा चुनौती दिये जाने पर केन्द्रीय उपमंत्री ने यह कहकर हस्तक्षेप किया था कि वे कागज-पत्र दिल्ली छोड़ आये हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए ;

(घ) क्या उनका हस्तक्षेप नियमों के विरुद्ध था और क्या राजस्थान विधान सभा में भी इस आशय की आपत्ति की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस घटना के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ). पाकिस्तानी नागरिक पीर मीर अजीजुल्ला हक्कानी नामक एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा दो बच्चे 20 अगस्त, 1969 को भारत आए । उनके पास पाकिस्तानी पारपत्र तथा दिल्ली में 19 नवम्बर, 1969 तक ठहरने के लिए वैध भारतीय वीजा था । वे केन्द्रीय इस्पात तथा भारी इंजीनियरी उप मन्त्री के साथ 31 अगस्त, 1969 को तीर्थ यात्रा के लिए दिल्ली से अजमेर गये और 1 सितम्बर, 1969 की प्रातः अजमेर पहुँचे । वे अपना पारपत्र दिल्ली में ही छोड़ गये । अजमेर में पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की गई । एक लिखित आश्वासन पर कि दिल्ली में अपनी वापसी पर वे अपने यात्रा दस्तावेजों को उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष यथावश्यक कार्यवाही के लिये प्रस्तुत करेंगे, उन्हें दिल्ली लौटने की अनुमति दे दी गई। यह मामला राजस्थान एसेम्बली में 3 सितम्बर, 1969 को उठाया गया और तब राजस्थान के गृह मन्त्री ने इस मामले के तथ्य बताते हुए एक वक्तव्य दिया । श्री हक्कानी के यात्रा-पत्रों की जांच करने पर यह पता चला कि उनका वीजा अजमेर के लिए प्रष्ठांकित नहीं किया गया था । अतः उस पर विदेशियों के लिए अधिनियम

1946 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया। 22 अक्तूबर, 1969 को न्यायालय द्वारा उसे दोषी पाया गया तथापि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त की ओर से अधिकारियों को धोखा देने अथवा उसको दिये ग. बीजा का अनुचित लाभ उठाने का कोई दुर्भावपूर्ण इरादा नहीं था। इसके अलावा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त ने अपना अपराध कबूल किया था, उसे न्यायालय के उठने तक की कैद की सजा तथा 400 रु० जुर्माना अथवा जुर्माने की अदायगी न होने पर छः महीने की साधारण कैद की सजा दी गई। उसने जुर्माना दे दिया।

श्रीनगर में दंगे

915. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री वेंगलराया नायडू :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 अक्तूबर, 1969 को जम्मू तथा काश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर में दंगे हुये थे और केन्द्रीय सम्पत्ति पर हमले किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह दंगे सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दलों द्वारा आयोजित किये गए थे ;

(घ) क्या अहमदाबाद में जो कुछ हुआ उसके विरोध के रूप में इस राज्य में ये दंगे साम्प्रदायिक दंगों का रूप लेने वाले थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस आन्दोलन को ठीक समय पर कुचलने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). जम्मू और काश्मीर सरकार ने बताया है कि 7 अक्तूबर को श्रीनगर में विस्थापित व्यक्ति स्थायी बन्दोबस्त विधेयक के प्रति विरोध व्यक्त करने के लिये जिस पर राज्य विधान सभा में विचार-विमर्श हो रहा था जनमत संग्रह के कहने पर हड़ताल की गई और केन्द्रीय सरकार की किसी सम्पत्ति पर आक्रमण नहीं किया गया किन्तु कुछ शरारतियों ने राज्य सरकार के भवनों पर, जिसके एक भाग में केन्द्रीय सरकार का कार्यालय स्थित था, पत्थर फेंके। स्थिति पर कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये गये थे।

नेफा में चीनी प्रचार करने वाले इश्तहार

916. **श्री मंगलाथुमाडोम :** **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा में तिरोप के निकट बुरिडेहंग वासियों में भारी संख्या चीनी इश्तहार जिनमें माओत्से-तुंग की फोटो थी, बांटे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इन इश्तहारों में क्या-क्या लिखा था ; और

(ग) इन इश्तहारों को बांटने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). नेफा प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 27 सितम्बर, 1969 को तिरप जिले के बोरडुमसा क्षेत्र में कुछ चीनी इश्तहार पाये गये जो सम्भवत: आकाश से गिराये गये थे। पुस्तिकाओं में से एक प्रकार की पुस्तिका में च्यांग-काई-शेक के चित्र थे। दूसरी ओर खुरूश्चेव और माउत्से-तुंग के चित्र थे तथा कहा गया था कि माओ के विचार रूसियों के विचारों से भिन्न नहीं हैं। तीसरी प्रकार की पुस्तिका में साम्यवादी राज का मजाक उड़ाता हुआ एक व्यंग चित्र था। इन इश्तहारों को बांटता कोई व्यक्ति नहीं पाया गया।

जयंती शिपिंग कम्पनी के भूतपूर्व प्रधान द्वारा अपने हिस्से गांधी स्मारक न्यास को दान देने का प्रस्ताव

917. **श्री मंगलाथुमाडोम :** **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री श्रीनिवास मिश्र : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयंती शिपिंग कम्पनी के भूतपूर्व प्रधान ने उस कम्पनी में 2.12 करोड़ रुपये के अपने हिस्से को गांधी स्मारक न्यास को दान देने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस राशि का गांधी स्मारक न्यास को हस्तान्तरित करने के लिये कोई व्यवस्था की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 2 अगस्त, 1969 के ब्लिट्ज़ में प्रकाशित एक पत्र था जो जयन्ती शिपिंग कम्पनी के भूतपूर्व अध्यक्ष, डा० तेजा द्वारा लिखा गया माना जाता है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी सर्वदा यह इच्छा रही है कि जयन्ती के अपने शेयरों को हमेशा के लिये गांधी स्मारक न्यास को दान दे दें।

(ख) गांधी स्मारक न्यास को धन हस्तान्तरण के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार को डा० तेजा से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि उनके जयन्ती शिपिंग कम्पनी में पूरे शेयर बम्बई हाई कोर्ट के आदेश के अधीन कुर्क कर लिये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुछ राज्यों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का वापिस बुलाया जाना

918. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या, जिनमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस स्थित है तथा हर ऐसे राज्य में उसकी विद्यमानता की अवधि ;

(ख) हर राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के हर दस्ते की कर्मचारी संख्या ; और

(ग) कुछ राज्यों द्वारा आपत्ति उठाने के कारण या केन्द्रीय सरकार का वहां से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वापिस बुलाने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). देश के विभिन्न भागों में जहां केन्द्रीय पुलिस दल की सहायता राज्य विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए माँगी जा सकती है, केन्द्रीय पुलिस दल के दस्तों के पहुंचने में सुविधा के लिए दो से चार बटालियनों के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दस्ते उन सुविधाजनक स्थानों पर रखे गये हैं अथवा उन्हें रखने का विचार है जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिसमें प्रत्येक केन्द्र की प्राधिकृत संख्या दिखाई गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2049/69]

विद्यमानता की अवधि के बारे में, भिन्न-भिन्न संख्याओं वाले दस्ते आंतरिक सुरक्षा और विधि तथा व्यवस्था कर्त्तव्यों के लिए भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए समय-समय पर भेजे जाते हैं और तब वापिस बुलाये जाते हैं जब राज्य सरकार, जहां कहीं उन्होंने सेवाएं मांगी हो, उन्हें छोड़ती है।

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दस्ते देश में सुविधाजनक केन्द्रों पर स्थापित हैं ताकि राज्य सरकारें किसी आपत काल में उन्हें बुला सकें। यहां कोई राज्य केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की टुकड़ियों को वापिस बुलाने को कहता है, राज्य सरकार को सूचित किया जाता है कि ये टुकड़ियां उनको तब से उपलब्ध न समझी जायं कुछ राज्यों से ऐसी टुकड़ियों को वापिस बुलाने का प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाना

919. **श्री मंगलाथुमाडोम** :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री नारायण स्वरुप शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री विरेन्द्र कुमार शाह :
श्री रघुवीर सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने 2 अक्तूबर, 1969 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के परिपत्र की उपेक्षा की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने उक्त परिपत्र में लिखित कुछ शब्दों पर व्याख्या की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमन्।

केन्द्रीय सरकार ने 2 अक्तूबर, 1969 को राष्ट्रीय एकता की प्रतिज्ञा हेतु प्रबन्ध करने

के लिए 1 जुलाई, 1969 के अपने पत्र में सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया था जिसमें गांधी शताब्दी को ध्यान में रखकर इस वर्ष इसकी महत्ता पर बल दिया गया था, किन्तु प्रतिज्ञा की शब्द रचना गत वर्षों की भांति ही थी ।

इसी बीच प्रधान मंत्री ने 18 सितम्बर, 1969 के अपने पत्र में सुझाव दिया था कि गांधी शताब्दी वर्ष को महत्व देने के लिए बड़ी सार्वजनिक सभाओं में जनता द्वारा गाँधी जी के आदर्शों में निष्टा प्रकट करने की प्रतिज्ञा की जाय । यद्यपि प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार प्रतिज्ञा का पाट राष्ट्रीय एकता की प्रतिज्ञा से कुछ भिन्न था और उसमें भिन्न तथा उच्च मान्यताएं निरूपति थी तथापि दोनों का उद्देश्य एक सी भावनाएं व्यक्त करना था ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने उचित स्थानीय गांधी शताब्दी समितियों के माध्यम से (राज्यपाल राज्य स्तर पर जिनके अध्यक्ष हैं) राज्य तथा जिला स्तरों पर ली जाने वाली प्रधान मंत्री के पत्र में दी गई प्रतिज्ञा के लिए प्रबन्ध करते समय अन्ततः हमारे पत्र के अनुसार राष्ट्रीय एकता की प्रतिज्ञा के अभियान का प्रबन्ध करवाने के लिए कोई प्रथक कार्यवाही न करने का निश्चय किया ।

उन्होंने केन्द्रीय सरकार के परिपत्र की न तो अवहेलना की और न परिपत्र की शब्दावली पर ही कोई आपत्ति उठाई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय आरक्षी पुलिस सेवा के लिये चयन तथा भर्ती

920. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस के लिए अभ्यार्थियों के चयन और भर्ती का तरीका क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय आरक्षी पुलिस के लिए सभी राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है ;

(ग) यदि हाँ, तो सभी वर्गों में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व कितना है ; और

(घ) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस के लिए सम्बंधित राज्यों में ही व्यक्तियों की भर्ती न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां समस्त देश से :

(i) सीधी खुली भर्ती अथवा रोजगार कार्यालय तथा सैनिक भर्ती कार्यालय द्वारा ;

(ii) सेना तथा राज्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा ; तथा

(iii) सेवा निवृत अथवा सेवा मुक्त सेना तथा पुलिस कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति द्वारा की जाती है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसा कि उसका नाम है, एक केन्द्रीय बल है और उस

पर अखिल भारतीय सेवा का दायित्व है। अतः बल में भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है।

निजी थैलियां समाप्त करना

921. श्री जे० अहमद :
श्री बेघर बेहेरा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री अदिचन :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ई० के नायनार :
श्री रामसेवक यादव :
श्री पी विश्वम्भरन :
डा० पं० मंडल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नरेशों की निजी थैलियां समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निणर्य लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन्हें कब से क्रियान्वित किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). इस विषय पर कुछ प्रस्ताव पहले ही सूत्रबद्ध किये गये हैं। किन्तु नरेशों के साथ विचार-विमर्श अभी पूरा नहीं हुआ है। आशा की जाती है कि यह प्रक्रिया, यदि संभव हुआ तो इस वर्ष के अन्त तक पूरी हो जायगी और उसके बाद शीघ्र निर्णयों को अन्तिम रूप दे दिया जायगा।

बोस इंस्टीट्यूट आफ साइंस, कलकत्ता की प्रयोगशालाओं का पुनर्निर्माण

922. श्री जे० अहमद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री चपला कान्त भट्टाचार्य :
श्री स० कुन्दु :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोस इंडस्टीट्यूट आफ साइंस, कलकत्ता की प्रयोगशाला के हाल मे आग लगने के कारण नष्ट हो गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने इस संस्था को राष्ट्रीय संस्था घोषित किया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संस्था की पहले वाली स्थिति लाने के लिये सरकार की कोई योजनाएं हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) बोस संस्थान से प्राप्त समाचार के अनुसार 20 सितम्बर, 1969 को रसायन शाला के फाइटो-रसायन एकक को आग द्वारा काफी क्षति पहुँची।

(ख) जी नहीं, तथापि इस संस्थान को केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान मिल रहा है।

(ग) प्रयोगशाला के पुनर्निमाण हेतु सहायता के लिये संस्थान से अभी तक कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। प्रयोगशाला बीमाकृत थी और बीमा कम्पनी हानि का अनुमान लगा रही है।

भारत में सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभिकरणों को विदेशी सहायता

923. **श्री रामचरण :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अभिकरण सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं/समितियों/संगठनों के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर देश में काम रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी अभिकरणों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इन अभिकरणों के लिये विदेशी मिशन/मुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धन की व्यवस्था कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो हमारे देश के लिये इन अभिकरणो की उपयोगिता क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

बिहार में हरिजनों की हत्या

924. **श्री राम चरण :**

श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में कुछ हरिजनों की हत्या कर दी गई है।

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये हैं और विवाद के कारण क्या थे और आपस में एक दूसरे से लड़ने वाले पक्षों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

समुद्र द्वारा रत्नगिरि जाने तथा वहाँ से आने के लिये सुविधायें

927. **श्री मोहन स्वरूप :** **श्री नाथपाई :**

श्री लखन लाल कपूर :

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में समुद्र द्वारा रत्नगिरि जाने तथा वहां से समुद्र द्वारा आने वाले लाखों लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं देने का सरकार का विचार है,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मार्ग पर यातायात विश्व के यात्री यातायात से अधिक है, और

(ग) इन सुविधाओं के विकास को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस भाग में निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का है ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) रत्नगिरि पत्तन के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार की एक परियोजना है। इस परियोजना के पूरा होने पर रत्नगिरि में यात्री यातायात के आने-जाने की सुविधाओं में सुधार होने की संभावना है।

(ख) रत्नगिरि पत्तन में कोनकन तटीय नौ सेवा चलती है और तीन अन्य पोतों में भी यही सेवा चलती है। इन पोतों का 1968-69 का यात्री यातायात नीचे दिया जा रहा है :

पत्तन का नाम	यात्रियों की संख्या
(1) पनाजी	1,27.164
(2) मालवन	51,248
(3) दमोल	48,924
और (4) रत्नगिरि	45,378

(ग) जी नहीं।

Central Government Employees

928. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 887 on 25th July 1969 and state :

(a) whether information regarding Central Government employees expected and awaited from the Governments of Union Territories has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons for such inordinate delay ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Upto 30-6-1968, there was no case in which an employee of the Union Territories, benefitted from Home Ministry's O. M. No. 9/45/60-Estt. (D) dated 20th, April, 1961.

साम्प्रदायिक दंगे

929. **श्री गणेश घोष :** **श्री ज्योतिर्मय वसु :**
श्री वदरुद्दजा : **श्री क० हाल्दर :**
श्री भगवान दास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पिछले तीन वर्षों में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों में प्रत्येक राज्य में कितनी जानें गई ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में कितने मूल्य की संपत्ति का ह्रास हुआ ;

(घ) क्या सरकार इन दंगों की विस्तृत सार्वजनिक जांच कराना वांछनीय समझती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण संलग्न हैं। [**पुस्तकालय में रखा। गया देखिये** संख्या एल० टी०—2050/69]

(घ) और (ङ). 1967 के कुछ उपद्रवों की, जांच आयोग द्वारा साम्प्रदायिक उपद्रवों की और हाल के इंदौर तथा गुजरात के दंगों की सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्ति आयोगों द्वारा जांच पहले ही की जा रही हैं।

Text-Books by National Council of Educational Research and Training

930. **Skri Molahu Prashad :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Council of Educational Research and Training prepares various types of text-books ; and

(b) if so, the number of books prepared in Hindi in the year 1968-69 and the purpose of getting these text-books published by this body.

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The National Council of Educational Research and Training prepares standard text-books and other materials for the school stage. The text-books are offered to the State Governments and Union Territories for adoption and adaptation. The number of books published by the Council in Hindi during the year 1968-69 was 30. A list showing their titles is attached. [*Placed in Library. See* LT—No. 2051/69. The text-books have been adopted by the Kendriya Vidyalaya Sangathan and the Delhi Administration. Some books have also been accepted by State Governments and other Union Territories for use as text-materials, reference books, etc.

Conversion of Reserved Posts into Unreserved Posts

931. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that approval of the Home Ministry is essential for converting the reserved posts into unreserved posts, as provided for in the Home Ministry's Office Memorandum No. 8/1/68-Establishment (S. C. T.), dated the 28th January, 1969 ;

(b) if so, the number of cases sent to the Home Ministry for their approval under the said rule and the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) **Yes, Sir.**

(b) The details of the cases are given below :

Organisation	Designation of post	Sch. Caste	Sch. Tribe	Whether referred to Home Ministry or not
Ministry (Main)	(i) Stenographers Grade II of C. S. S. S.	1	—	Yes
	(ii) Lower Division Clerks	1	1	,,
Civil Aviation Department	(iii) Lady House keeping Officer	1	—	,,
India Meteorological Deptt.	(iv) Scientific Assistant	16	5	,,
	(v) Senior Observer	22	4	,,
	(vi) Meteorologist Grade II (Recruitment)	2	1	,,
	(vii) Meteorologist Grade II (Confirmation)	—	1	,,

(c) Does not arise.

कोचीन, कोयम्बतूर और मंगलौर से कालीकट तक फीडर विमान सेवा का चालू किया जाना

932. श्री प० गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री के० रमानी :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने, कोचीन, कोयम्बतूर और मंगलौर से कालीकट तक एक फीडर विमान सेवा चलाने के सम्बन्ध में इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष को लिखा था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जब कालीकट में हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हो जायेगा तो कारपोरेशन उसे भी विमान सेवा द्वारा जोड़ लेगी ।

कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण के लिये भू-अर्जन

933. **श्री पी० गोपालन :** **श्री विश्व नाथ मेनन :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण आरम्भ करने के लिये भूमि का अर्जन करने हेतु अपेक्षित धन को अभी तक मंजूरी नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). वित्तीय मंजूरी देने के लिये भूमि अभिग्र ण प्राक्कलनों का संवेक्षण किया जा रहा है ।

बिहार में राष्ट्रपति का शासन

934. **श्री वि० प्र० मंडल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राष्ट्रपति का शासन कब तक जारी रखा जायेगा ;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कांग्रेस दल बिहार में सरकार बनाने की इच्छुक नहीं है, क्या अन्य राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिये निमन्त्रित किये जाने की कोई सम्भावना है ; और

(ग) यदि बिहार में लोक प्रिय सरकार का बनना सम्भव नहीं है तो विधान सभा को भंग न करके निलम्बित क्यों किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). बिहार के राज्यपाल स्थायी सरकार की सम्भावना का निरन्तर रूप से पता लगा रहे हैं और वह उपयुक्त समय पर राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार विमर्श करेंगे । अत: विधान सभा को भंग नहीं किया गया है ।

ब्रिटेन के पारपत्र वाले भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी

935. **श्री मोहन स्वरूप :** **श्री हुचे गौडा :**
श्री स० कुन्दू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 सितम्बर, 1969 को सांताक्रुज हवाई अड्डे पर ब्रिटेन के पारपत्र वाले एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी गिरफ्तारी के क्या कारण थे ;

(ग) क्या उसके पास से कोई दस्तावेज पाये गये थे ; और

(घ) इस मामले का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि 23 सितम्बर, 1969 को या उसके आस-पास सांताक्रुज हवाई अड्डे पर ब्रिटेन के पारपत्र वाले किसी भारतीय नागरिक को बम्बई पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

हल्दिया पत्तन के लिये भूमि अर्जित करना

936. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन के लिए आवश्यक सारी भूमि निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अर्जित कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पहले अधिसूचित की गई भूमि अर्जित नहीं की जा रही ; और

(घ) भूमि अर्जन के कितने मामले अभी अनिर्णीत पड़ हैं ?

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल की सरकार ने हल्दिया परियोजना के लिये 17.52 व० मील भूमि के अधिग्रहण के लिये भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत 1959 में अधिसूचना जारी की। अधिग्रहण कार्यवाही 1963 में प्रारम्भ की गई। परियोजना के लिये 14 वर्ग मील भूमि जो अन्तिमरूप से अधिग्रहण करना निश्चय कर लिया गया है, में से कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को 8 व० मी० भूमि प्राप्त हो चुकी है। शेष भूमि का अधिग्रहण सिविल नियमों और कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा जारी किये गये निषेधाज्ञा के कारण रुका पड़ा है।

शिक्षा पद्धती का नवीकरण

937. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री लखन लाल कपूर :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोजगार करने की योग्यता, कार्य का अनुभव और काम करने की कुशलता तथा काम करने की रुचि पैदा करने के लिये, जिससे कि नौकरी की तलाश करने के बजाय स्वयं ही रोजगार पैदा करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का नवीकरण करने के लिये, जिसका सुझाव शिक्षा मंत्री ने 1 सितम्बर, 1969 को मदुरै विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण करते समय दिया था, क्या कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : कुछ चुने हुए क्षेत्रों में साभिप्राय प्रयोग करने के लिये, प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने का विचार है। इस योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

केरल में पाल वाल जहाजों के मालिकों को ऋण देना

939. श्री ई० के० नायनार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री विश्वनाथन मेनन :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने पाल वाले जहाजों के मालिकों अपने वर्तमान जहाजों का यंत्रीकरण करने तथा अनुमोदित आधुनिक वैज्ञानिक डिजाइन के नये यंत्रीकृत पाल जहाजों का निर्माण करने के लिये ऋण देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). केरल सरकार ने पाल जहाजों के स्वामी द्वारा यांत्रिक पाल जहाज के निर्माण के लिये 2.03 लाख रुपये का ऋण देने के लिये प्रार्थना की थी और यह भारत सरकार ने फरवरी 1969 मंजूर किया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

Bomb Explosions in Ahmedabad

940. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of bomb explosions took place in Ahmedabad in October, 1969 after the communal riots had ended therewith shows that bombs are manufactured there ;

(b) if so, the names of persons involved in these bomb explosions ; and

(c) the names of persons who were arrested and the action taken against them in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to information received from the State Government two explosions—one on October 17, 1969 and the other on October 21, 1969—took place in Ahmedabad.

(b) and (c). Cases were registered in respect of the incidents and 24 and 28 persons respectively were arrested in those cases. The cases are under investigation. The names of the persons arrested are being ascertained from the State Government.

Law and Order Situation in West Bengal

941. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shrimati Ila Pal Chaudhuri :
Shri Samar Guha :
Shri C. K. Bhattacharyya :
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fast deteriorating law and order situation in West Bengal and the resolution adopted by the Bangla Congress,

a constituent of the ruling United Front, in October, 1969 in which concern has been expressed over it ; and

(b) if so, the measures taken by the Central Government to protect life and property in the state ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The developments are being carefully watched.

Drafting of Bills in Hindi

943. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it was decided during the Law Minister's Conference held at Jaipur in October last that all the Bills be drafted in Hindi in future ;

(b) whether the Central Government would also get their Bills drafted in Hindi ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Conference of Law and Language Ministers of Hindi speaking States held at Jaipur on the 13th and 14th October, 1969 recommended *inter-alia* that the Hindi Speaking States may take steps to ensure that the Bills introduced in the State Legislatures are drafted originally in Hindi and that they are not translations of the English drafts thereof.

(b) Steps are being taken to provide adequate administrative arrangements to facilitate the enforcement of Section 5(2) of the Official Languages Act soon. The question of making a provision under law for the introduction of the original text of Bills in Hindi also will be considered after experience has been gained of the working of the aforesaid Section.

(c) A statement listing out the difficulties is attached.

STATEMENT

1. There is paucity of requisite technical personnel for drafting of Bills in Hindi.

2. Adequate Hindi printing capacity is not available presently. Steps are being taken to augment it.

3. Hindi translation of all Central Acts and Rules is not available. A bulk of these publications is still to be rendered into Hindi and given authoritative character. This work is also in progress. It would be anomalous if the amending Bill is introduced in Hindi of an Act of which no authorised-translation in Hindi has been published.

4. Adequate stock of legal expressions in Hindi to convey complex ideas in the form of Bills is not available in a finalized form. Therefore, if subsequently the Official Language (Legislative) Commission adopt a different word or expression to convey a particular meaning, it would require amendment to the Hindi version of the Acts on each such occassion. Necessary work in this regard is in progress.

5. As Hindi drafting is not yet in vouge, in spite of the care of the Draftsmen in preparing the Hindi version of any Bill, the meaning that may be assigned by the Court in interpreting a particular provision in the Bill may be different from the one assigned by the Court to the corresponding provision in the English version. In such a situation it may well nigh be impossible to resolve the conflict, unless it is provided by law that the text in a particular language will be the authoritative version.

Construction of Bridge at Buxar (Bihar)

944. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Yash Pal Singh :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the reasons for the delay in the construction of the proposed bridge over Ganges near Buxar in Bihar ;

(b) the progress made so far in this regard ; and

(c) the time by which it is likely to be constructed and the estimated expenditure likely to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). The revised estimates amounting to Rs. 221 lakhs have recently been sanctioned. Contractors have however been selected and it is learnt from the State Government that a letter of intent for award of the work has been issued. According to present estimates the work is likely to be completed in a period of three years.

Provision of a Pontoon Bridge Over River Ghaggar Connecting Uttar Pradesh and Bihar

945. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri V. K. R. V. Rao had given an assurance at Ballia to provide a pontoon bridge over Ghaggar river between Manjhi and Bakulhan connecting Uttar Pradesh and Bihar ; and

(b) if so, the steps being taken in this regard and the progress made so far.

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). No, Sir. As the proposed bridge lies on a State road, a proposal for transferring on loan, the pontoons from Dohrighat to Manjhi after completion of permanent road bridge at Dohrighat was made by the Government of India to the State Government, after a representation from local people to the then Minister Transport and Shipping was received. The proposal is still under consideration of the State Government.

Visits of Members of Parliament to Foreign Countries

946. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the Members of Parliament who went on foreign tours during 1st April, 1967 to 31st March, 1968, 1st April, 1968 to 31st March, 1969 and 1st April, 1969 to 31st October, 1969 and the number of visits in each case during each year ;

(b) the following information in regard to each visit by each Member of Parliament :

(1) the name of the country, institution or individual on whose invitation the visit was made ;

(2) whether the Members of Parliament went for sight seeing or in connection with some matter related to industry or trade ;

(3) the name of the particular meeting, conference union etc., for which each of

these Members of Parliament was sent by the Government of India or State Government as a representative ;

(4) whether the visit was in connection with medical treatment ; or

(5) the other purpose for which the foreign tours were undertaken ;

(c) who bore the expenses towards air fare conveyance in foreign countries, hotel accommodation and contingencies on each foreign tour and the manner in which the expenditure was shared by the hosts, the Members of the Parliament, the Centre and the State Governments ; and

(d) the amount of foreign exchange sanctioned to each Member for each foreign tour and the value of foreign goods brought by each Member on his return ?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri K. Raghuramaiah) : (a) to (d). There are as many as 757 Members of Parliament in both the Houses. The Members frequently go abroad on official, demi-official and private visits and as such it will not be possible to collect the information asked for.

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था के प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति

947. **श्री पी० सी० एल्थोस :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री भगवान दास :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था के कितने प्रयोगशाला सहायक 1963 से काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने लोगों की पदोन्नति की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि निदेशक को 'पूल' अधिकारियों में विशेष रियायतें दी गई हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि सहयकों को स्वत: पदोन्नति देने का कोई उपबन्ध नहीं है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान उपबन्धों में संशोधन करने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 14 वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों में से केवल एक ही 1963 से काम कर रहा है ।

(ख) जी, कोई नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों की नियुक्ति खुले विज्ञापनों द्वारा की जाती है तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की संघठित प्रवरण समितियों द्वारा कार्यविधि में दिये गये नियमों और विनियमों तथा उपविधियों के अनुसार चयन किया जाता है ।

(ङ) और (च). ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वैज्ञानिक तकनीकी पदों का चयन विज्ञापनों के द्वारा किया जाता है तथा संघठन में काम करने वाले पदधारी इन पद/पदों के लिये आवेदन देने में स्वतंत्र हैं ।

संसद सदस्यों द्वारा दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग का सुझाव

948. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से छोटे राज्यों के निर्माण की आवश्यकता का पता लगाने के लिये दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार को संसद सदस्यों से ऐसे आयोग की स्थापना का देने वाला कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) इस मामले में सरकार की नीति 8 अगस्त, 1969 को इस सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 2790 के उत्तर में स्पष्ट कर दी गई है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की नई कार्यकारी परिषद्

949. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की नई कार्यकारी परिषद की नियुक्ति सितम्बर, 1969 में की गई थी ; और

(ख) इस परिषद में नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) समिति में नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. पंडित हृदयनाथ कुंजरू
2. न्यायमूर्ति श्री जी० डी० खोसला
3. श्री आर० डी० भंडारे, संसद सदस्य
4. श्री के० जी० सैयदेन
5. डा० एम० एस० गोरे
6. डा० आत्मा राम
7. डा० के० एन० उदूपा
8. डा० एस० एस० सलूजा।

भारतीय नौवहन निगम की सेवाओं का हांगकांग के रास्ते विस्तार करना

950. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भारतीय नौवहन निगम द्वारा हांगकांग के रास्ते अपनी सेवाओं का विस्तार करने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया): (क) और (ख). मई, 1968 से शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने अमरीका के प्रशान्त महासागर के तटों को भारत से अपनी सेवा के भाग के तौर पर नियमित मासिक काल की व्यवस्था कर हांगकांग होकर अपनी सेवाओं का विस्तार किया है । वापसी की समुद्री यात्रा पर भी सेवा में इस क्षेत्र में चलने वाले जहाज हांगकांग भारत सेक्टर के बीच जाते हैं । कारपोरेशन जल्दी ही भारत से ग्रेट लक पत्तनों/कनाडा को एक नई मासिक सेवा प्रारम्भ करने वाला है और अन्य बातों के सहित हांगकांग होकर इस सेवा को चलाने का इरादा है ।

Discontentment Amongst Students from North India

951. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that discontentment is noticed mostly amongst the students from North India ;

(b) if so, whether the reason for this is the grant of more aid by Education Ministry, University Grants Commission and Planning Commission to Southern States and their Universities as compared to the Universities in North India (except Central Universities) as a result of which students from South compete in large numbers in All India competitions ;

(c) if so, whether there is any proposal to grant financial aid to the Universities in South and North India on the basis of number of students there ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). There is no scheme to give financial aid to universities solely on the basis of number of students. Grants from the University Grants Commission are determined on the basis of the stated needs of the universities and having regard to the enrolment in various disciplines, their academic justification and other relevant factors.

प्रधान मन्त्री के बिहार के दौरे पर व्यय

952. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1969 में प्रधान मन्त्री के बिहार के दौरे पर बिहार सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई अथवा दी गई ;

(ख) क्या रांची में छोटे-छोटे बालकों और बालिकाओं को उनके जाने के मार्ग पर अनिवार्य रूप से पंक्तियों में खड़े होने के लिये बाध्य किया गया था तथा इस अवसर पर स्कूलों और कालेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी ; और

(ग) क्या सरकार दौरों पर इस अपव्यय को तुरन्त रोकेगी और अति प्रतिष्ठित

व्यक्तियों का स्वागत करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए स्कूलों के बच्चों और कालेजों के विद्यार्थियों को प्रयोग करने की इस प्रथा को तुरन्त बन्द करेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

साम्प्रदायिक स्थिति

953. **श्री मधु लिमये** : **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री मयावान : **श्री मणीभाई जे० पटेल** :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उनके इस वक्तव्य की ओर, कि केन्द्रीय सरकार ने बिगड़ती हुई साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में राज्यों को एक सामान्य चेतावनी और विशेषतया गुजरात राज्य को एक विशेष चेतावनी जारी की है, दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस चेतावनी का ब्यौरा क्या है और उस समय सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक सुझाव दिये गये थे ;

(ग) क्या केन्द्र के पास ऐसा साक्ष्य मौजूद है कि गुजरात सरकार ने जाने बूझ कर अथवा लापरवाही के कारण उस चेतावनी की उपेक्षा की , और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी चेतावनी की राज्य सरकारों द्वारा उपेक्षा किये जाने को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय गृह सचिव ने 22 अप्रैल 1969 को गुजरात के मुख्य सचिव को गुजरात में साम्प्रदायिक तनाव के प्रचलन की प्रदर्शक प्रवृत्तियों तथा अत्यन्त सतर्कता की आवश्यकता की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए पत्र लिखा था । गृह मन्त्री ने भी 7 जुलाई, 1969 को देश में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को लिखा था और उनसे अनुरोध किया था कि वर्ग तनावों से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की समितियां स्थापित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति के बारे में विवाद

954. **श्री मधु लिमये** : **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री वी० नरसिम्हा राव : **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री रा० बरुआ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति के बारे में कोई विवाद रहा है;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ;

(ग) क्या डा० के एन० राज उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हिन्दी माध्यम का विरोध करना और अंग्रेजी जारी रखना चाहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रश्न पर सरकार की क्या नीति है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के आर० वी० राव) : (क) और (ख). डा० राज के, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त होने से पूर्व, कुछ संसद सदस्यों ने प्रेस को एक बयान जारी किया था जिसमें उनके विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए थे और यह जोर दिया गया था कि उन्हें इस पद पर नियुक्त न किया जाए। इसके विरोध में कुछ अध्यापकों द्वारा एक जवाबी बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने डा० राज के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध अपना आरोप प्रकट किया था। जो भी हो, शैक्षिक जगत में डा० राज की प्रतिष्ठा और ख्याति तथा अन्य संबंधित तथ्यों पर विचार करने के बाद, विश्वविद्यालय के अधिनियम और संविधियों के उपबन्धों के अनुसार ही डा० राज की नियुक्ति की गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

काशी विश्वविद्यालय से मुअत्तिल किये गये और हटाये गये विद्यार्थी नेताओं की बहाली

955. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा तथा युवक सवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काशी विश्वविद्यालय से मुअत्तिल किये गये और हटाये गये विद्धार्थी नेताओं की बहाली के बारे में सरकार प्रधान मन्त्री को एक संसद सदस्य से कोई पत्र प्राप्त हुआ है,

(ख) क्या यह सच है कि गजेन्द्र गडकर समिति का यह निष्कर्ष है कि उनके विरुद्ध उन्हें अपना आचरण स्पष्ट करने का अवसर दिये बिना कार्रवाही की गई ;

(ग) क्या यह प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है,

(घ) क्या इस स्पष्ट अन्याय को देखते हुए विद्यार्थियों को बहाल किया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति ने टिप्पणी की है कि यह अच्छा होता यदि दो विद्यार्थियों (श्री मजूमदार और श्री रविशंकर सिंह) को निष्कासित करने से पहले, कुलपति उनके पिछले आचरण को स्पष्ट करने और यह कारण बताने के लिये अवसर देते कि उन्हें क्यों न निष्कासित कर दिया जाय। अन्य विद्यार्थी (श्री सिन्हा) के सम्बन्ध में समिति ने कहा है कि प्राकृतिक न्याय के आधार पर उन्हें यह बताना ठीक था कि उनके विरुद्ध कौन सा अतिरिक्त आरोप था, और उन्हें अपना बचाव करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था।

(घ) और (ङ). विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने, निष्कासित विद्यार्थियों के

मामलों का पुनरीक्षण करने के लिये, कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। इसी बीच, निष्कासित पांच विद्यार्थियों को भूतपूर्व विद्यार्थियों के रूप में अगली परीक्षा में बैठने की स्थायी तौर से अनुमति दे दी गई है।

विधायकों सम्बन्धी पांचवे ओरिएन्टेशन सेमिनार की सिफारिशें

956. **श्री इसहाक सम्मली :** **श्री जनार्दनन :**

श्री चन्द्रशेखर सिंह : **श्री जि० मो० बिश्वास :**

श्री कं हाल्दर : **श्री हेमराज :**

क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल में हुए विधायकों सम्बन्धी पांचवें ओरियेन्टेशन सेमिनार ने यह सुझाव दिया है कि विधायक स्वायत्तशासी तथा अधिनियमित निकायों के दिन प्रति दिन के कार्यों में हस्तक्षेप न करें और इसके बजाय उनको केवल मोटे तौर पर नीतियां तथा सिद्धान्तों को बनाने का कार्य करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद् कार्य तथा नौवहन परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान से जिसने इस सेमिनार का आयोजन किया था, इसकी कार्रवाई भेजने के लिए प्रार्थना की गई है कार्रवाई की प्रतिक्षा की जा रही है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनिर्णित मामले

957. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**

श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में सुनवाई के पश्चात न्याय निर्णयन के लिए कितने मामले 6 महीने से अधिक समय से तथा कितने मामले साल भर से अधिक समय से अनिर्णित पड़े हैं ; और

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मैसूर, पटना उड़ीसा, बम्बई और जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालयों में तर्क-वितर्क सुने जाने के बाद छः महीने से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हुए कोई मामले नहीं हैं। अन्य उच्च न्यायालयों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

अन्दमान तथा निकोबार में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति

958. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री नम्बियार : **श्री गणेश घोष :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के पद केवल स्थानीय उम्मीदवार और निवासियों के लिये आरक्षित हैं ।

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्दमान तथा निकोबार स्थित शिक्षा अधिकारी प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के पद के लिए ऐसे व्यक्तियों को इंटरव्यू करने से इंकार कर देते हैं, जो स्थानीय उम्मीदवार और निवासी नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में अन्दमान और निकोबार प्रशासन के अन्तर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां मुख्यतः स्थानीय तौर पर की जाएं । यदि उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो केवल प्रशासन ही, भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद मुख्य भूमि से उम्मीदवारों को नियुक्त कर सकता है ।

छात्र संख्या

959. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री बदरुद्दुजा :**
श्री गणेश घोष : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री कं० हाल्दर :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 को राज्यवार छात्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में उनसे भोजन अध्ययन, मनोरंजन तथा खेल कूद सम्बन्धी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या स्कूल स्तर से लेकर प्रत्येक स्तर पर व्यवसाय के बारे में परामर्श देने की कोई व्यवस्था है ;

(घ) क्या सरकार ने विद्यार्थियों के लिए व्यवसाय के चयन के सम्बन्ध में कोई पुस्तक प्रकाशित की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के आर० वी० राव) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2047/69**]

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ इन्टरनेशनल एयरलाइन्स द्वारा रिकार्ड में दिखाये बिना किराये में रियायत देना

960. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री गणेश घोष : **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री भगवान दास :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अधिकतर इन्टरनेशनल एयरलाइन्स बिना रिकार्ड में दिखाये किराये में 50 प्रतिशत तक रियायत देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच की है कि वे ये सब रियायतें कैसे देती हैं और फिर भी लाभ कमाते हैं ;

(ग) विमान किरायों को कौन निश्चित करता है ;

(घ) क्या यह सच है कि पूर्व तथा यूरोप के बीच प्रति व्यक्ति मील हवाई जहाज का किराया यूरोप तथा अमेरिका के बीच के किरायों की तुलना में काफी अधिक है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को सामान्यतया इस बात की जानकारी है कि कई एयरलाइनें कुछ एक अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर अधिकृत विमान किरायों से कम किराये लेती हैं, जिससे कि काफी मात्रा में यातायात इन एयरलाइनों की तरफ चला जाता है, और परिणामतः एयर इंडिया का अहित एवं विदेशी मुद्रा की हानि होती है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन विनियमों के भंग होने के साथ साथ विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के विरुद्ध अपराध भी होता है। इस कारण से होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि को रोकने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) एयरलाइनों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के किराये आई० ए० टी० ए० (अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन) तंत्र के माध्यम से तय किये जाते हैं।

(घ) और (ङ). भारत/यूरोप और यूरोप/अमरीका खण्डों पर किफायती श्रेणी के सामान्य किरायों की तुलनात्मक प्रति मील दरें इस प्रकार हैं :—

बम्बई/लंदन : 7.86 सेंट) इसकी (रोम/न्यूयार्क : 6.74 सेंट
बम्बई/रोम : 8.20 सेंट) तुलना में (लंदन/न्यूयार्क : 6.08 सेंट

न्यूनतम प्रोत्साही किराये प्रति मील इस प्रकार हैं :

बम्बई/लंदन : 3.73 सेंट) इसकी (रोम/न्यूयार्क : 2.59 सेंट
बम्बई/रोम : 3.90 सेंट) तुलना में (लंदन/न्यूयार्क : 2.53 सेंट

यद्यपि यू०एस०ए०/यूरोप खण्डों पर किराये कम हैं, ये तुलनात्मक आंकड़े सही स्थिति नहीं दर्शाते हैं क्योंकि एयरलाइनें किराये प्रति मील के किन्हीं मानक अथवा अवरोही दरों से निश्चित नहीं करती हैं। आई०ए०टी०ए० द्वारा जिन बातों पर विचार करके दरें निश्चित की जाती हैं,

वे हैं–"डाइरेक्ट" और "इंडाइरेक्ट" दोनों प्रकार के परिचालनों का आर्थिक पक्ष, यातायात का स्वरूप, आर्थिक/बाजार परिस्थितियां और अनुसूचित परिचालनों की प्रतियोगिता ।

'Naveen' Type Coolers purchased by Education Ministry

961. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the number of 'Naveen' type coolers purchased by his Ministry during the years 1967 and 1968 ;

(b) the cost of each cooler purchased and the total expenditure incurred ;

(c) the names of the officials responsible for making the said purchase ;

(d) whether he proposes to appoint a Committee to enquire (i) whether 'Naveen' cooler Manufacturing Company was not paid more than the market price, (ii) whether the fixed Government Commission was deducted and the same machine was fitted into the cooler for which Government paid, and (iii) whether the payment was made on the basis of its outer body only ; and

(e) if so, when ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (e). 183 'Naveen' room coolers were purchased by the Ministry during the year 1968. No purchase was made in 1967. The cost of a small cooler was Rs. 540/- and the cost of a big cooler was Rs. 1.790/. These rates were inclusive of the cost of stand and installation charges. The total expenditure incurred was Rs. 3,14,406/-.

2. The Administration Division of the Ministry was responsible for the purchase and the purchase was approved from the lowest tenderer and after inviting quotations and with due financial concurrence. Payment was made after the CPWD had certified that the supply conform to the specifications laid down. As several official dealt with the processing of the case for purchase which involved invitation of tenders, security of tenders received, consultation with the financial authorities, it is difficult to state the names of the officials, who could be held responsible for making the said purchase.

As the purchase was done according to the procedure, and in view of the CPWD's certificate as mentioned above and also in view of the fact that the purchase was made on the lowest tender basis, the question of appointment of a Committee does not arise.

Anti-National Slogans in Kashmir

962. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students of S. P. College in Srinagar had raised anti-national slogans such as "Pakistan Zindabad", "Indian dogs go back", etc. etc. in their college compound on the 15th October ; and

(b) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Government of Jammu and Kashmir have intimated that anti-national slogans were raised on the occasion and that a number of persons were taken into custody.

Sheikh Abdullah's Declaration about Independent Constitution for Kashmir

963. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sheikh Abdullah made a declaration for an independent Constitution for Kashmir, in a Press Conference held in ashmir in October, 1969 ;

(b) whether Government have since received an authenticated copy of the declared Constitution through their own sources ;

(c) whether Government consider this act as anti-national ; and

(d) the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Government have seen reports about Sheikh Abdullah releasing a broad outline of the internal constitutional structure for Jammu and Kashmir State as adopted by the Steering Committee of the Jammu and Kashmir State People's Convention.

(c) and (d). Oovernment do not consider any action necessary.

श्री बलराज मधोक पर अभियोग

964. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्री ने कांग्रेस की एक बैठक में यह घोषणा की थी कि जनता के विभिन्न वर्गों में वैमनस्य पैदा करने के आरोप में प्रो० बलराज मधोक पर अभियोग चलाया जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की पहल की थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन के न्यायिक सचिव ने भी यह राय व्यक्त की थी कि प्रो० बलराज मधोक पर नई दिल्ली में दिये गये उनके भाषण के लिए अभियोग नहीं चलाया जा सकता ; और

(घ) यदि हां, तो पुलिस जांच कार्यवाही से पहले, जैसा कि पंजाब पुलिस नियम के अन्तर्गत अपेक्षित है, उनके विरुद्ध मामला दर्ज करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 28 सितम्बर, 1969 को दिल्ली कांग्रेस की एक बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने उन व्यक्तियों और राजनैतिक दलों की गतिविधियों की सामान्यरूप से आलोचना की थी जो साम्प्रदायिकता का प्रचार करते है और मुसलमानों के विरुद्ध उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हैं । श्री मधोक के प्रचार का उल्लेख किया गया ।

(ख) और (ग). विट्ठलभाई पटेल भवन नई दिल्ली में 27 सितम्बर, 1969 को एक सार्वजनिक सभा में श्री बलराज मधोक द्वारा दिये गये भाषण के पाठ की जाँच दिल्ली प्रशासन के

कहने पर भारत सरकार द्वारा की गई। केन्द्रीय सरकार के विचार में भारतीय दंड संहिता की धारा 153(क) और 505 के अधीन प्रथम दृष्ट्या अभियोज्य प्रतीत होता है। दिल्ली प्रशासन को सलाह दी गई थी।

(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 153(क) और 505 के अन्तर्गत अपराध अब प्रज्ञेय अपराध होने के कारण दिल्ली पुलिस ने भाषण के बारे में एक मामला दर्ज किया और कानून के अनुसार इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

केबिल तथा तार बनाने वाली फर्मों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

9 5. **श्री वंश नारायण सिंह :**

श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत तीन महीनों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जिन-जिन के बिल तथा तार निर्माताओं के कार्यालयों तथा कारखानों पर छापे मारे गये हैं उनके नाम तथा पते क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक फर्म से बरामद किये गये रिकार्डों तथा दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक फर्म अथवा कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य निदेशकों के नाम क्या हैं ;

(घ) उन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या शिकायत थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2053/69**]।

(ख) से (घ). आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के उपबन्धों का तथाकथित उल्लंघन करने के लिये एक मामला दर्ज किया गया है। चूंकि मामले में जांच-पड़ताल अभी जारी है अतः इस अवस्था में कोई ब्योरे देना वांछनीय नहीं है।

(ङ) कम्पनियों पर आयातीत कच्चे माल, अर्थात् तांबा, पोलीथिलीन, टिटानियम डाइ-ओक्साइड इत्यादि को वास्तविक उपभोक्ताओं के आयात लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुये अवैध रूप से बेचने के आरोप थे।

धनबाद जिले के निकट पाया गया पैराशूट

966. **श्री पी० विश्वम्भरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री धनबाद जिले में पाये गये पैराशूट के बारे में 8 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2811 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार से इस बीच तथ्यों का पता लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) बिहार

सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 जुलाई, 1969 को जिला धनबाद के सीतलपुर के वन क्षेत्र में एक पैराशूट एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। बैटरी सहित एक उपकरण वाला एक झाग का संदूक इसके साथ जुड़ा हुआ पाया गया। के०एम०टी० समर्थक तथा माओ-विरोधी प्रचार सामग्री वाले चीनी भाषा में कुछ पर्चे भी पाये गये थे।

अब तक की गई पूछताछ के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपकरण, फारमूसा द्वारा के०एम०टी० प्रचार साहित्य तथा कुछ अन्य वस्तुओं को चीन की मुख्य भूमि में बिखेरने के लिए काम में लाया गया था और संयोग से हवा की लहरों में फंस जाने से भारत को बह कर आ गया मालूम पड़ता है।

Property of Maharaja of Gwalior

967. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that the area of land in actual possession of the Maharaja of Gwalior at present is much more than the area mentioned in the inventory ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) the steps taken by Government in regard to the recovery of land in excess of that mentioned in the inventory ;

(d) the area and value of land mentioned in the inventory ;

(e) the area and value of land in excess of that mentioned in the inventory ; and

(f) the manner in which he acquired that excess land ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (f). On a reference made by the State Government, it was clarified that unless there are any special circumstances to justify a contrary inference, where there is divergence between a descriptive list and a plan or a map, the list is accepted as the basic document.

Property of Maharaja of Gwalior

968. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Maharaja of Gwalior is not the owner of shops in front of Gaurakhi Temple in Bara, Gwalior but still he has let out those shops and is collecting rent from them ;

(b) if so, the reaction of Government thereto and the details of action taken ;

(c) whether it is also a fact that the girls of Jagraraja Higher Secondary School used to pass through the gate near Gaurakhi Temple but now the Maharaja has ordered not to allow them to pass that way ;

(d) if so, the reaction of Government thereto ; and

(e) whether the Maharaja had included the said property in the inventory submitted by him to the Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). According to the information furnished by the Government of

Madhya Pradesh the Maharaja of Gwalior has claimed proprietory rights over the shops in question. The State Government are examining the claim.

(c) The State Government have intimated that this is a fact.

साम्प्रदायिक दंगों में पाकिस्तान का हाथ

969. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने पाकिस्तान पर भारत में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया है ; और

(ख) क्या पाकिस्तान के उच्चायोग ने गुजरात के दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिये अपना एक अधिकारी भेजने की अनुमती मांगी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्च आयुक्त ने 23 सितम्बर, 1969 को अहमदाबाद के दंगों पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय को एक नोट दिया और घटना स्थल पर स्थिति की जांच करने के लिए उप उच्च आयुक्त अथवा पाकिस्तान मिशन के काउंसलर के लिए आज्ञा मांगी। यह आज्ञा नहीं दी गई। पाकिस्तान उच्च आयुक्त के नोट का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान अपने उद्देश्यों के लिए स्थिति का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

970. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** :
श्री रवि राय :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री हेम बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री पी० विश्वम्भरण :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ओंचन्द गोयल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि गत सितम्बर, में अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की मद्रास में एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैय्या) : (क) जी हां, सातवां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन 21 सितम्बर से 23 सितम्बर, 1969 तक मद्रास में किया गया था।

(ख) सम्मेलन द्वारा गृहीत की गई सिफारिशों की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 2054/69]।

नये साम्यवादी दल का हैदराबाद में सम्मेलन

971. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादी नेता दिसम्बर में हैदराबाद में नये साम्यवादी दल के एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं ;

(ख) क्या इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर उनको सशस्त्र गतिविधियों को अधिक व्यापक बनाना है ; और

(ग) क्या सरकार राष्ट्र के हित में ऐसे सम्मेलन के आयोजित किये जाने की अनुमति दे सकती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

नई तकनीकी शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं

972. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री रान सेवक यादव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई तकनीकी शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ख) इसमें बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के बारे में क्या व्यवस्था है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). तकनीकी शिक्षा को पंचवर्षीय आयोजना का मुख्य उद्देश्य किस्म और स्तर को सुधारना है । इस प्रयोजन के लिए, संकाय विकास, पाठ्यचर्चा का पुनर्गठन, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रमों का विविधिकरण सहित अनुदेश सामग्री को तैयार करने के लिए आयोजना में व्यवस्था की गई है । पालिटेकिनक शिक्षों के समग्र प्रश्न की जाँच करने तथा लम्बी अवधि के आधार पर अर्थात तकनीशिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इसे पुनर्गठित करने का विचार है ।

लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए इंजीनियर स्नातकों और डिप्लोमा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रस्ताव है ।

Hinni Stenographers in Ministries and Posts Reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes

973. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Hindi Stenographers in each Ministry and subordinate offices of the Central Government separately ;

(b) the number of Stenographers amongst them belonging to the Scheduled Castes and Sheduled Tribes respectively ;

(c) whether the quota of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been adhered to ;

(d) if not, whether Government propose to hold separate examination for the posts of Hindi Stenographers for the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes with a view to complete t! at quota ;

(e) if so, the time by which such examination would be held and if not, the reasons therefor ; and

(f) if no reservation has been made in these posts, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (f). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Recruitment of Hindi Stenographers

974. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri J. B. Singh :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are consisdering the question of conducting examinations for the recruitment of Hindi Stenographers, as is done in the case of English stenographers through U. P. S. C. ;

(b) if so, the outline thereof and the time by which this would be implemented ; and

(c) if not, the reasons therefor and the manner in which the educated young men, who belong to Hindi speaking regions and do not know English, would be absorbed in this Service ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c): The Hindi Salahkar Samiti in their sixth meeting held on the 28th June, 1969 recommended that just as examinations are held every year by the Union Public Service Commission for recruitment of English stenographers, in the same way examinations should be conducted every year for Hindi stenographers. The recommendation is under consideration.

Hindi Stenographers

975. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased ta state :

(a) the number of those Lower Division Clerks of each Ministry of Central Government and their attached offices who have passed the Hindi stenographers, examination conducted by the Training Centres for Hindi stenography and typewriting ;

(b) the details of the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees, separately, who have passed the examination ;

(c) whether Government intend to prepare a separate seniority-wise list of the Lower Division Clerks who have passed the examination, and to fill the vacancies of Hindi Stenographers according to seniority ;

(d) if not, the purpose of imparting training ; and

(e) the details of the procedure followed by Government for the recruitment of Hindi s enographers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). There were 42 Lower Division Clerks in March, 1969 who successfully completed the Hindi shorthand course from the Secretariat Training School of whom 4 belong to Scheduled Caste.

(c) No. Sir.

(d) The training in Hindi stenography is imparted to ensure progressive use of Hindi for the various official purposes of the Union.

(e) In view of the large number of trained personnel already available or who will be trained in Hindi stenography and Hindi typing, Ministries/Departments were advised in March, 1968 that no ex-cadre posts of Hindi stenographers should be created thereafter and that the requirements for Hindi work should be met from amongst the Grade II stenographers/Lower Division Clerks trained in Hindi stenograpy/Hindi typing.

Utilizing the Services of Lower Division Clerks Passing Hindi Stenographers Examination

976. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Lower Division Clerks in this Ministry who had passed Hindi Stenographers Examination conducted by the Training Centres for Hindi Stenography upto January, 1969 ;

(b) the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees who passed the said Examination ;

(c) the number of successful emplopees who have been appointed as Hindi Stenotypists and Hindi Stenographers and the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees among those appointed ;

(d) whether it is also a fact that those employees are not actually doing the work of Hindi Stenographers ; and

(e) if so, the reasons for not utilising their services ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Three.

(b) One (Scheduled Caste)

(c) One L. D. C. has been appointed as Steno-typist (Hindi) in the Ministry and one L. D. C. has been appointed to the post of bilingual Stenographer in the Ministry of Law. The L. D. C. appointed as Steno-typist in this Ministry belongs to Scheduled Caste Community.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Pak Nationals in India

977. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Shri Chand Goyal :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2828 on the 8th August, 1969 and state :

(a) the dates on which the eight Pak nationals who were secretly living in Sagar and Dewas Districts of Madhya Pradesh were registered ;

(b) the number of times they got their visas extended and the period of each such extension ; and

(c) the names thereof and the steps proposed to be taken by Government to deport them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

978. **श्री पी० एंथनी रेड्डी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कितने मकानों का अर्जन कर्मचारियों को श्रेणीवार आवंटन किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मकानों के आवंटन में वरिष्ठता के नियम का पालन नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी मकानदारों से ये मकान किराये पर लेने में कुर्सी क्षेत्रफल (प्लिन्थ एरिया) का कोई मापदण्ड नहीं अपनाया गया है और कुछ मामलों में मकान मालिक सामान्य रूप से उनके द्वारा लिये जाने वाले किराये से भी अधिक किराया ले रहे हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि जब कोई कर्मचारी मकान छोड़ता है, तो वह अन्य कर्मचारी को नहीं दिया जाता बल्कि मकान मालिक को वापस सौंप दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और मकानों के आवंटन की इस योजना का लाभ प्राप्त करने में कम वेतन वाले कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का कोई कर्मचारी परिषद् के कैम्पस के बाहर किन्तु कैम्पस की 8 किलोमिटर की दूरी के अन्दर रहने के लिए अपनी रिहायश किराए पर लेना चाहता है तो परिषद् कर्मचारी के आवेदन पर, उसके द्वारा सुझाए गए मकान के मालिक के साथ करार करती है और कर्मचारी के वेतन को अधिक से अधिक 25 प्रतिशत की सीमा तक अपने संसाधनों से किराया पूरा करती है। इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत 91 गैरसरकारी रिहायशी मकान किराए पर ले लिए गए हैं। श्रेणीवार वितरण का एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2055/69**] इस व्यवस्था के अन्तर्गत वरिष्ठता अथवा आवंटन के नियमों का प्रश्न नहीं उठता है। प्रत्येक मामले में रिहायश के क्षेत्र को, भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत हक की अधिकतम सीमा तक सीमित कर दिया जाता है और परिषद् द्वारा दी जाने वाली राशि को मकान किराया भत्ते के रूप में स्वीकृत राशि की अधिकतम सीमा तक सीमित रखा जाता है। यदि कोई कर्मचारी मकान खाली करता है और

कोई दूसरा कर्मचारी इसे लेना चाहता है, तो बाद का कर्मचारी मकान मालिक और परिषद् से सम्पर्क कर सकता है और अपने पक्ष में हस्ताक्षरित नया पट्टा ले सकता है।

(ङ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के उपयुक्त मकान इस क्षेत्र में किराए पर अभी उपलब्ध नहीं है। कुछ चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कैम्पस में निर्माण किए गए हैं और उनका आवंटन किया जा रहा है। किराए पर अतिरिक्त मकान लेने के उपायों की भी जांच की जा रही है।

नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

979. **श्री बलराज मधोक :**

श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली, में नेहरू विश्वविद्यालय में काम आरम्भ हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब तक जामिया मिलिया इस्लामिया, भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान तथा भारतीय तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली को इससे सम्बद्ध नहीं किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इन सभी संस्थानों को नेहरू विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने में क्या कठिनाई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय अधिनियम में केवल उच्च अध्ययन की संस्थाओं को सम्बंधित करने अथवा मान्यता देने की व्यवस्था है। इस प्रकार के सम्बद्धन की कोई व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालय से कुछ संस्थाओं को सम्बंधित करने का प्रश्न, विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

अहमदाबाद में दंगे—सेना का बुलाया जाना

980. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1969 में अहमदाबाद में दंगों को दबाने के लिए सेना बुलानी पड़ी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बहुत सी बटैलियन भी तैनात की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो अहमदाबाद में क्या स्थिति है तथा वहां इस समय कितनी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस मौजूद है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्।

(ग) अहमदाबाद में स्थिति नियंत्रणाधीन है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की दो बटालियनें राज्य सरकार को उपलब्ध हैं।

दिल्ली में साम्प्रदायिक स्थिति

981. **श्री बलराज मधोक :**

श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्य कार्यकारी परिषद् ने गृह मंत्री को एक पत्र लिखकर साम्प्रदायिक तथा पाकिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा दिल्ली में उत्तेजना फैलाने की घटनाओं की ओर उनका ध्यान दिलाया है और साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने में उनका सहयोग माँगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पत्र पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उनके पत्र में उल्लिखत विशेष घटना की जांच-पड़ताल की गयी थी किन्तु ऐसे तत्वों को पहचानना सम्भव नहीं हुआ। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि साम्प्रदायिक मेल-जोल में कोई गड़बड़ न हो, दिल्ली में कड़ी सतर्कता बरती जाती है।

कोवालम समुद्र तट (केरल) का एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकास

982. **डा० रानेन सेन :** **श्री जनार्दनन :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा केरल में कोवालम समुद्र तट (बीच) को एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने संबंधी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(घ) योजना का कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है ; और

(ङ) योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) वास्तुविद् (आर्कीटेक्ट) द्वारा हाल में प्रस्तुत की गई योजनाओं तथा प्राक्कलनों को अभी अन्तिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

(ख) प्रायोजना की मुख्य मुख्य बातें हैं—100 कमरों वाले एक होटल, 20 कुटीरों, तथा कैफेटीरिया व दुकानों सहित एक समुद्रतटीय केन्द्र का निर्माण और मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था।

(ग) 90 लाख रुपये, जिसका व्यय पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा आपस में विभाजित किया जायेगा ।

(घ) व्यय वित्त समिति से अभिव्यापक रूप से अनुमति प्राप्त हो जाने के शीघ्र बाद इस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा सकेगा ।

(ङ) इस योजना के चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पूरा हो जाने की आशा है ।

तेलंगाना संवर्ग के अधिकारियों की शिकायतें

983. **डा० रानेन सेन :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश बनाये जाने के बाद से अब तक नियुक्तियों और पदोन्नतियों के बारे में तेलंगाना संवर्ग के अधिकारियों द्वारा की गई शिकायतों की जाँच की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा मार्च, 1969 में जारी किये गये एक परिपत्र के उत्तर में राज्य सरकार के 879 राजपत्रित अधिकारियों और 2,60 अराजपत्रित कर्मचारियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । ये अभ्यावेदन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय राज्य सलाहकार समिति को उनके विचारार्थ तथा सलाह के लिए भेजे गए । 15 नवम्बर, 1969 तक राजपत्रित अधिकारियों के 500 तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के 862 अभ्यावेदनों पर निर्णय राज्य सरकार को भेज दिये गए हैं । शेष अभ्यावेदनों के शीघ्र निपटाये जाने की आशा है ।

केन्द्रीय स्कूलों द्वारा मिडिल कक्षाओं के लिए निर्धारित पुस्तकों की अनुपलब्धता

984. **डा० रानेन सेन :**
श्री आ० ना० मुल्ला :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्कूलों द्वारा मिडल कक्षाओं के लिए विशेषतया आठवीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तकें बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुस्तकें शिक्षा सत्र के आरम्भ होने के कई महीने बाद उपलब्ध करायी जाती हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि पाठ्यक्रम कुछ तो पुस्तकों की अनुपलब्धता तथा कुछ अध्यापकों के उदासीन रवैये के कारण पूरा नहीं हो पाता ; और

(ङ) क्या स्कूलों के प्रधान तथा प्रधानाचार्य विशेषतया नई दिल्ली के एण्डूजगंज स्कूल के प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित नहीं करते कि कक्षाओं में पढ़ाई अनुसूची पाठ्यचर्या के अनुसार चल रही है जिससे कि पाठ्यक्रम ठीक समय पर पूरा हो जाय ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) निम्नलिखित 9 पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त सभी दूसरी पाठ्यपुस्तकें 1969-70 के शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में उपलब्ध की गई थीं :—

(i) श्रेणी II के लिए हिन्दी की 2 पाठ्यपुस्तकें

(ii) श्रेणी VI के लिए हिन्दी की 1 पाठ्यपुस्तक

(iii) श्रेणी 8 के लिये विज्ञान की 3 पाठ्यपुस्तकों का हिन्दी संस्करण

(iv) श्रेणी 8 के लिये गणित की 2 पाठ्यपुस्तकों का हिन्दी संस्करण

(v) श्रेणी 9 के लिए सामाजिक अध्ययन की एक पाठ्यपुस्तक का हिन्दी संस्करण ।

(घ) श्रेणी 7 के गणित के विषय के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ऐसी कोई सूचना नहीं है कि 1968-69 के सत्र में किसी भी केन्द्रीय विद्यालय ने किसी भी श्रेणी में किसी भी पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया। श्रेणी गणित के पाठ्क्रम को, मुख्यतः, इसलिए नहीं पूरा किया गया क्योंकि निर्धारित पाठ्यक्रम उस श्रेणी की एक औसत के बच्चे के लिये बहुत अधिक पाया गया तथा इसका कारण न ही तो अध्यापकों की उदासीन वृत्ति थी और न ही पाठ्यपुस्तकों का न उपलब्ध होना था ।

(ङ) किन्तु उपरोक्त अपवाद को छोड़ कर स्कूलों के प्रधानों तथा प्रधानाचार्यों ने, जिनमें केन्द्रीय विद्यालय, एण्डूजगंज भी सम्मिलित है, यह निश्चित कर लेते हैं कि पढ़ाई अनुसूची के अनुसार होती है तथा पाठ्य विवरण और पाठ्यक्रम समय में ही पूरे किए जाते हैं ।

भारतीय महासागरीय निदेशालय के लिए स्थान

985. **श्री सि० के० चक्रपाणि** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय महासागरीय निदेशालय के स्थान के लिये, जिसे अब गोआ में लाया गया है, कोचीन के स्थान को नामंजूर किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस योजना पर अधिक सुधारों तथा और अच्छे अनुसंधान कार्यक्रमों के लिये अब तक कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ग) क्या कोचीन बन्दरगाह को इस अनुसंधान के लिये इस्तेमाल करना सम्भव नहीं है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का भारतीय महासागर जीवाणु केन्द्र अभी कोचीन में ही कार्य कर रहा है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, जिन्हें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय द्वारा स्वीकार कर लिया था, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोआ में स्थापित किया गया है।

(ख) 5609 लाख रुपये।

(ग) राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान द्वारा भारतीय समुद्रविज्ञानीय अध्ययन के लिये, भारतीय तट के अन्य बन्दरगाहों के समान कोचीन बन्दरगाह का पहले से ही उपयोग किया जा रहा है।

Trouble at Comex Youth Festival Held in Delhi in September, 1969

986. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the reasons for the resentment among the student leaders of Delhi on account of some trouble that had taken place at the Comex Youth Festival held in Delhi in the first week of September ;

(b) whe her he is aware of the complaints made by the student leaders in the momorandum submitted by them to him ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to prevent the recurrence of similar incidents in such functions ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Government are not aware of any such resentment.

(b) No memorandum has been received.

(c) Government are not in favour of such visits unless these are properly organised and the host organisation is also well equipped to receive them and arrange the programmes on a satisfactory basis.

Construction of Bridges Over Rivers Chambal and Yamuna

987. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) the time by which the bridges being constructed over the rivers Chambal and Yamuna between Etawah and Bhind connecting with Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are likely to be completed and opened for traffic ; and

(b) whether Government of India are urging upon the Government of Uttar Pradesh to put pressure on the contractors to expedite the work in respect of the said bridges and complete the work within a stipulated period ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) The Yamuna and Chambal bridges are likely to be opened for traffic on 1-12-1970 and 1-2-1972 respectively.

(b) Chief Engineers of the State Goverments concerned have been requested to accelerate the progress of the work.

Arrest of Pak Spy in Rajasthan

988. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Police arrested a hotel proprietor Sal Mohommed on the 13th September, 1969 in Jaisalmer on the charge of spying for Pakistan ; and

(b) whether some more centres of Pakistani spies in India have been unearthed after the arrest of Pakistani Spy Sal Mohammed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Information is awaited from the Rajasthan Government.

अहमदाबाद के दंगे

990. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

डा० सुशीला नैयर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों में अहमदाबाद में तथा गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के अन्य स्थानों पर हुए दंगों में कुल कितने व्यक्ति मारे गये अथवा गम्भीर रूप से घायल हुए ;

(ख) क्या इन राज्यों मे विधि तथा व्यवस्था के भंग हो जाने के कारण कई स्थानों पर कई बार सेना को बुलाना पड़ा था ;

(ग) क्या सेना की टुकड़ियां केन्द्रीय सरकार की सहमति से अथवा राज्य सरकार के कहने पर तैनात की गई थी ; और

(घ) क्या भारत सरकार ने इन राज्यों में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिए सैनिक अधिकारियों की सहयता के लिए बार बार सेना को इस्तेमाल करने की पेचदीगियों की जाँच कर ली है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) गत दो वर्षों में गुजरात में सामप्रदायिक घटनाओं में मृत या घायल व्यक्तियों की संख्या के बारे में 17 नवम्बर, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये विस्तृत विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार में प्राप्त सूचना के अनुसार गत दो महीनों में साम्प्रदायिक घटनाओं में राज्य में न तो कोई व्यक्ति मारा गया और न घायल हुआ।

(ख) और (ग). गत दो महीनों में महाराष्ट्र में सेना नहीं बुलाई गई। गुजरात सरकार द्वारा हाल के दंगों में सेना की सहयता ली गई थी। भारत सरकार को गुजरात सरकार द्वारा सूचित किया जाता रहा था।

(घ) हांलांकि सरकार यह समझती है कि विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये सिविल प्राधिकारियों की सहयता हेतु बार बार सेना का प्रयोग वांछनीय नहीं है फिर भी खतरनाक

सामप्रदायिक दंगों को कुचलने के लिए सभी साधनों का प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है ।

शिक्षा आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

991. **श्री यमुना प्रसाद मंडल ।**

डा० सुशीला नैयर :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की है, और जो 29 जून, 1966 को सरकार को प्रस्तुत किया गया था, इस बीच सरकार द्वारा पूरी तरह लागू किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसी सिफारिशें कितनी हैं, जिनको अब तक लागू किया जा चुका है और कितनी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). सभा पटल पर विवरण रखा गया है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 2056/69]

University Students in India

992. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the total number of University students in the country ;

(b) whether it is a fact that the standard of education in the country has fallen considerably which would encourage indiscipline ;

(c) if so, whether Government propose to take any concrete steps to raise the standard of education ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The estimated enrolment at the university stage (including enrolment of intermediate classes under the Board of High School and Intermediate Education, U. P.) during 1968-69 was 24.77 lakhs.

(b) It will not be correct to say categorically that the standard of education in the country has fallen. The Education Commission, which examined the problem recently, has stated that the overall situation "is a mixed picture of light and shade, of improvement as well as deterioration, and rise in standards in some areas accompanied by a comparative decline in others". (Page 40 of the Report). It may also be stated that student indiscipline arises from a complex of social, cultural, economic, educational and political factors and that it cannot be attributed to a fall in standards only.

(c) and (d). Subject to the limitation of funds, the Government of India and the University Grants Commission are taking a number of steps for raising standards at the university stage. These includes : Setting up of Centres of Advanced Study ; Appointment of Review Committees ; Organisation of Summer Institutes ; Examination Reforms ; Revision of Salary Scales of Teachers ; Award of Scholarships and Fellowships ; Provision of amenities for Students and Teachers, etc.

हिन्दी जानने वाले कर्मचारी/गृह मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

993. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में कुल कितने एकक तथा सेक्शन हैं ;

(ख) उन सेक्शनों अथवा एककों के नाम जिनके क्रमशः 50 प्रतिशत और 80 प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान है ;

(ग) उन सेक्शनों तथा एककों में, जिनमें 50 से 80 प्रतिशत तक हिन्दी जानने वाले कर्मचारी हैं ; कब तक हिन्दी में टिप्पण और अलेख कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ; और

(घ) ऐसा करने में विद्यमान बाधाओं को दूर करने के लिए कौन से पग उठाने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (विद्या चरण शुक्ल) : (क) मंत्रालय (मुख्य) में 99

(ख) अपेक्षित सूचना के दो विवरण संलग्न हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2057/69]

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी टिप्पण और अलेखकों में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए स्वतन्त्र हैं और किसी अनुभाग में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों के प्रतिशत से इसका सम्बन्ध नहीं है । किन्तु बदल धीरे धीरे होगा और यह बताना सम्भव नहीं हैं कि किस तारीख तक ऐसे अनुभाग में, जिनमें कर्मचारी 50 से 80 प्रतिशत तक हिन्दी जानते हैं, हिन्दी में टिप्पण और अलेखकों को तैयार किया जाना आरम्भ हो जायेगा ।

(घ) सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुगम बनाने हेतु जिन प्रारम्भिक उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है वे हैं ; हिन्दी टाईपराईटरों की व्यवस्था, अनुवाद कर्मचारियों को बढ़ाना, पुस्तकों, नियमपुस्तकों, संहिताओं विनियमों, प्रपत्रों, अधिनियमों इत्यादि का हिन्दी अनुवाद केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को हिन्दी की शिक्षा देना जो हिन्दी नहीं जानते तथा हिन्दी टाईपिंग व हिन्दी आशुलिपि की शिक्षा देना ।

Construction of Saharsa-Maheshkhut Road in Bihar

994. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the extent of progress in regard to Saharsa Maheshkhut road in Bihar ;

(b) whether it is a fact that the people of the District Saharsa experience a good deal of difficulties in the absence of the said road and it causes much inconvenience to Government also ; and

(c) if so, the time by which Government propose to construct the said road ?

The Deputy Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is available.

Mithila University Darbhanga, Bihar

995. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the progress made regarding the setting up of Mithila University ;

(b) whether Government have since received the recommendations of the State Government in this regard ; and

(c) if so, the time by which Government propose to set up Mithila University keeping in view the population and the backwardness of North Bihar ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). The comments of the State Government on the Report of the Committee appointed by the University Grants Commission are still awaited.

भारत में आयोजित युवक समारोहों के लिये सहायता

996. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवकों में सद्भावना तथा सहयोग की भावना पैदा करने के लिए विदेशों के युवकों तथा विद्यार्थियों के सहयोग से भारत में आयोजित किसी भी युवक समारोहों के लिए धन आदि की सहायता देने की भारत सरकार की नीति है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय युवक विनिमय कार्यक्रम एक वांछनीय कार्य है और प्रत्येक प्रार्थना पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा । किन्तु इस समय ऐसे समारोहों को वित्तीय सहायता देने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है ।

कॉमेक्स 3 समारोह के प्रतिनिधियों के लिये सहायता

997. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कामेक्स 3 के प्रतिनिधि विदेशों से आये थे और उनको भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाने के लिए वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं दी गई थीं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनको दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). 22 अगस्त, 1969 को कामेक्स 3 में इंगलैंड के लगभग 500 युवकों का एक दल भारत पहुंचा । वे विभिन्न राष्ट्रमण्डलीय तथा दूसरे देशों से सम्बंधित थे तथा इंगलैंड में पढ़ रहे थे काम कर रहे थे । यह मंत्रालय कामेक्स भारत के, जो कि कामेक्स 3 के भ्रमण के लिए उत्तरदायी था, घाटे को पूरा करने के लिए सहमत नहीं हुआ । फिर भी विशेष मामले के तौर पर कामेक्स भारत को शिक्षा मन्त्री विवेकाधीन निधि से 5,000 रुपये का अनुदान दिया गया । कामेक्स 3 ने देश के कुछ विश्वविद्यालयों का भ्रमण भी अपनी इच्छा पर किया ।

कॉमेक्स 3 युवक समारोह

998. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युवक समारोह (कामेक्स 3) राष्ट्रमण्डलीय युवक समारोह के नाम से विख्यात है,

(ख) उन राष्ट्रमण्डलीय देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने प्रतिनिधित्व इसके लिए भेजे थे ;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य अफ्रीकी देशों से कोई प्रतिनिधि इसमें नहीं आया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इंगलैंड और इसके आयोजकों की जातिभेद की नीति के कारण ऐसा हुआ है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). जहां तक पता है कॉमेक्स यू० के० एक गैर-सरकारी संगठन है और कामेक्स 3 उसका तीसरा दल था जिसमें ब्रिटेन के लगभग 500 युवक युवतियां थीं। वे विभिन्न राष्ट्रमण्डलीय देशों और अफ्रीकी देशों सहित विभिन्न अन्य देशों से थे ब्रिटेन में पढ़ रहे/काम कर रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि किसी भी राष्ट्रमण्डलीय देश ने कामेक्स दल में शामिल होने के लिये अपने किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजा था। कॉमेक्स भारत ने एक समारोह आयोजित किया जिसमें कॉमेक्स 3 ने भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ साथ भाग लिया।

कॉमेक्स इन्डिया द्वारा इस मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत में स्थित राष्ट्रमण्डल मिशनों के माध्यम से राष्ट्रमण्डलीय देशों को निमन्त्रण उनके द्वारा भेजा गया था। किन्तु कोई उत्तर नहीं आया। इसके परिणामस्वरूप जातीय भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

काकिनाडा के पत्तन के विकास की योजना

999. **श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने काकिनाडा पत्तन के विकास के लिए 251 लाख रुपये की लागत की योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल की जायेगी, तो इस योजना के लिए वर्ष 1969-70 के लिये कितना धन नियत किया जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी; हां।

(ख) से (घ). केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के अन्तर्गत लघु पत्तनों के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Transfer of Employees

1000. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have issued an Office Memorandum or Circulars according to which the employees in various Ministries and Offices who had been working for three or five years continuously in one section or division should be transferred to some other section or division in the interest of clean administration, efficiency and to give chances to others to gain experience in all kinds of work ;

(b) if so, the number and date thereof and the extent to which his Ministry has implemented the decision :

(c) if not, whether his Ministry propose to issue any such circular ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) One of the conclusions reached at a meeting of O and M Officers of different Ministries on 30th August, 1957 was that Assistants and dealing hands in the Secretariat should be shifted from their sections or at least from their seats once in three years so that the persons in various grades acquire as varied and wide experience of their duties as possible. This along with other such conclusions, was circulated to all Ministers and Attached Offices through the then Director's demi-official letter No. 11/3/57-O and M dated 6th September, 1957.

(b) The need for rotation of staff is kept in view, and subject to administrative exigencies, such transfers are made to the extent possible.

(c) and (d). No fresh instructions on this subject appear necessary. In the questionaire for half-yearly inspection of sections, inspecting officers are specifically required to report whether, in the interest of quality control, the principle of rotation has been kept in mind.

प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण

STATEMENTS CORRECTING REPLIES TO QUESTIONS

अतारांकित प्रश्न संख्या 3581 दिनांक 14.8.1969

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : 14.8.1969 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3581 के भाग (क) के उत्तर में यह कहा गया था :

"जी नहीं। सिन्धी समाचार बुलेटिन बम्बई और जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, भुज और अहमदाबाद से प्रसारित किये जाते हैं।"

सही स्थिति यह है कि यद्यपि सिन्धी के समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली की समाचार डिविजन से प्रसारित होते हैं : ये आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित/रिले नहीं किये जाते हैं। निम्न उत्तर सही है :

"जी नहीं। बम्बई तथा जयपुर के अतिरिक्त भुज और अहमदाबाद से भी सिन्धी समाचार बुलेटिन रिले किये जाते हैं।"

अतारांकित प्रश्न संख्या 5160 दिनांक 28.8.69

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : लोक सभा में दिनांक 28 अगस्त, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5160 में निम्न-लिखित बातों के सम्बन्ध में जानकारी पूछी गयी थी :

(क) वित्तीय वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में मध्य प्रदेश को रूस तथा अन्य देशों से आयातित ट्रैक्टरों में से कितने ट्रैक्टर दिये गये ;

(ख) वित्तीय वर्ष 1969-70 में मध्य प्रदेश को कितने ट्रैक्टर दिये जाने का विचार है ; और

(ग) राज्य में कृषि विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितने ट्रैक्टरों की मांग की है तथा इन ट्रैक्टरों को उनको सप्लाई करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में निम्नलिखित जानकारी दी गई थी :

(क) वित्तीय वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 के अन्तर्गत रूस तथा अन्य देशों से आयात किये गये ट्रैक्टरों में से 775 ट्रैक्टर मध्य प्रदेश को नियतन किये गये। ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	संख्या
जैटर–2011	400
डी० टी०–14 बी	300
वाइलरस	75
	775

(ख) और (ग). इस वर्ष राज्य सरकार ने 2,400 ट्रैक्टरों की मांग की है। उन्होंने चतुर्थ पंच वर्षीय योजना की अपनी आवश्यकता 8,500 बताई है। निःसन्देह राज्य सरकार की ट्रैक्टरों की आवश्यकता कुछ सीमा तक देशी उत्पादन द्वारा पूरी की जायेगी। सरकार अतिरिक्त ट्रैक्टरों के आयात के लिये भी विचार कर रही है जो कि विदेशी मुद्रा के विनिमय की तंग स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाकी आवश्यकता को कम से कम कुछ अंश तक पूरी करेगी।

परन्तु प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दी गई जानकारी केवल वर्ष 1968 69 के लिये है। रूस तथा अन्य देशों से आयात किये गये इन ट्रैक्टरों में से 1967-68 तथा 1968-69 के

वित्तीय वर्षों की अवधि में मध्य प्रदेश को कितने ट्रैक्टर दिए गए, इस बारे में सही-सही जानकारी निम्न प्रकार है :—

1967-68 की अवधि में, रूस तथा चैकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टर आयात किये गये थे। रूसी ट्रैक्टर गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एजेन्टों के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर वितरित किये गये थे, न कि अलग-अलग राज्यों के आधार पर। इन एजेन्टों ने मध्य प्रदेश सहित विभिन्न ऐजेन्टों की आवश्यकतायें पूरी की। जहां तक चैकोस्लोवाकिया से आयात किये गये ट्रैक्टरों का सम्बन्ध है, ये ट्रैक्टर 1967-68 की अवधि में राज्य को अलाट किये गए थे।

1968-69 की अवधि में, विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित ट्रैक्टर मध्य प्रदेश सरकार को अलाट किए गये थे।

	संख्या
जैटर–2011	400
जैटर–14–बी	300
वाइलरस	75
	775

भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 7733 **दिनांक** 19.4.1968

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : 19 अप्रैल, 1968 को लोक सभा में श्री भरत सिंह चौहान, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 7733 के उत्तर में शिक्षा मंत्रालय के राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) ने उस समय यह बयान किया था कि कुछ किले, जिनमें जम्मू व काश्मीर का हरिपर्वत-किला तथा केरल का तेल्लिचेरी का किला भी शामिल हैं, सैनिक अधिकार में थे। तहकीकात करने पर यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि हरिपर्वत किला और तेल्लिचेरी का किला सैनिक अधिकार में नहीं हैं।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की नियुक्ति

श्री सुरेन्दनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व

के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :

"केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए एक और वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में सरकार का तथाकथित निर्णय ।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम चाहते हैं कि वह इह बारे में वक्तव्य दें ।

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के ढांचे और सेवा की अन्य शर्तों को समीक्षा करने के लिये एक वेतन आयोग की नियुक्ति के प्रश्न पर सरकार कुछ समय में विचार करती रही है । सरकार ने, सिद्धान्त रूप में, निर्णय किया है कि इस निमित्त एक आयोग नियुक्त किया जाय । आयोग के गठन, कार्य का विस्तार तथा निर्देश पदों जैसी बातों पर तत्परता से विचार किया जा रहा है और इन बातों के निश्चित होते ही आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी जायगी, सम्भव हो सका तो संसद के इसी सत्र में यह घोषणा कर दी जायगी ।

पिछले वेतन आयोग ने, अर्थात् द्वितीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1959 में दी थी । उसके बाद, राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, अगस्त 1969 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में, उक्त आयोग के निर्देश पदों में उल्लिखित, सरकारी औद्योगिक कर्मचारियों सम्बन्धी वेतन नीति के बारे में अपने दृष्टिकोण निम्नलिखित सिफारिश में व्यक्त किया है :

"हम महसूस करते हैं कि पिछले वेतन आयोग बिठाने के बाद परिस्थितियां इतनी बदल गयी है कि सरकारी औद्योगिक कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तों की समीक्षा के लिए एक अन्य वेतन आयोग की नियुक्ति आवश्यक हो गयी है और हम सिफारिश करते हैं कि वेतन आयोग की अविलम्ब नियुक्ति की जाय ।"

यह सिफारिश केन्द्रीय सरकार के लगभग 21 लाख औद्योगिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रत्यक्षत: लागू होती है, और इन कर्मचारियों की संख्या का केन्द्रीय सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या के प्रति अनुपात 84 प्रतिशत से भी अधिक है । एसी स्थिति में, इस समस्या की कुछ विभागों को लेकर केवल आंशिक रूप में अथवा सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्गों के बारे में जांच कराने की बजाय, सरकार का विचार है कि नये वेतन आयोग को जिन प्रश्नों की जांच का काम सौंपा जाय, वे, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समग्ररूप के सम्बन्ध में हो ।

पहले ही कहा जा चुका है कि नये आयोग के कार्य का विस्तार और निर्देश-पद को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । फिर भी इतना तो अभी ही कहा जा सकता है कि नये आयोग से आशा की जायगी कि वह 1959 में पिछले आयोग की रिपोर्ट की परवर्ती सभी संगत परिस्थितियों का विचार तो करे ही, परन्तु साथ ही योजना सम्बन्धी आवश्यकताओं का, और इसके तथा अन्य आरिहार्य कारणों से साधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का, और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर संभावित प्रतिक्रिया जैसी महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखें । इन सभी मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने दस वर्ष के

पश्चात् भी दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है और अब जबकि सरकार ने आवश्यकता पर आधारित मंजूरी की मांग को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है, क्या नये वेतन आयोग के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कोई समय-सीमा निर्धारित की जायेगी और क्या उसकी सिफारिशों को क्रियान्विति के लिए भी समय-सीमा निर्धारित की जायेगी ? क्या आवश्यकता पर आधारित मजूरी के आधार पर वेतनमानों के निर्धारण के प्रश्न पर भी वेतन आयोग विचार करेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मजूरी सम्बंधी गजेन्द्रगडकर आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी को रुपयों में निर्धारित मानना व्यवहार्य नहीं है। उसमें यह भी कहा गया है कि आयोग सरकार का भुगतान क्षमता का अनुमान लगाने की भी स्थिति में नहीं है। अतः उस आयोग ने ये दोनों प्रश्नों वेतन आयोग के विचारार्थ छोड़ दिये हैं।

वेतन आयोग के निर्देश-पद अभी विचाराधीन हैं। हम चाहते हैं कि वेतन आयोग ऐसे मामलों पर विचार करे।

ऐसे मामलों में हमारी सहानुभूति मजदूरों के साथ है, परन्तु यह प्रश्न बहुत जटिल है। दूसरे वेतन आयोग द्वारा इस मामले पर विचार किया गया था, परन्तु उसने इसे न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया था। अतः हम चाहते है कि नया वेतन आयोग इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि पिछले वेतन आयोगों की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। जहां तक मैं जानती हूँ, इनमें से अधिकांश को स्वीकार कर लिया गया था और पारिवारिक पेंशन के रूप में तो सरकार ने सम्बन्धित सिफारिश से भी अधिक लाभ मजदूरों को दिया था।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये सरकार कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी और क्या वह कर्मचारियों को कोई अन्तरीय सहायता देने को तैयार है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : समय-सीमा निर्धारित करना हमारे लिए बहुत कठिन है।

Shri S. M. Joshi (Poona) : I want to know whether the hon. Prime Minister is prepared to give assurance that before finalising the letter of reference of the Pay Commission representatives of the employees and workers would be consulted and that the recommendation of the Pay Commission regarding need based wage will be treated like on award of the arbitration ?

Shrimati Indira Gandhi : I cannot give such a categorical assurance. (*Interruptions*)

Shri George Fernandez (Bombay South) : Yore are following the old policy.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कर्मचारियों का एक मुख्य मांग वेतन आयोग की नियुक्ति की

थी, पहले सरकार इसकी स्थापना के लिए सहमत नहीं थी परन्तु अब सहमत हो गई हैं। जहांतक सम्भव होगा इसकी सिफारिशों को स्वीकार किया जायेगा।

जहांतक अन्तरिम सहायता का प्रश्न है...(अन्तर्बाधा)

Shri S. M. Joshi : The question was of arbitration and not of Pay Commission. I want to know whether the recommendations of the proposed Pay Commission will be binding upon the government for implementation ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम मध्यस्थता के प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहे। हम इस समय प्रस्तावित वेतन आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न अन्तरिम सहायता के बारे में पूछा गया था।

Shri S. M. Joshi : Last year the employees had resorted to strike because their demand for the need-based minimum wage was not accepted by Government and that issue was not referred to arbitration.

Now I want to know whether the Government is prepared to devide the terms of reference of the proposed Pay Commission his consultation with the representating of the employees and that the recommendations of the said Commission will be considred binding on them ?

Shrimati Indira Gandhi : We will give consideration so far as the frist part of the question is considered. Recommendation's of the Commision cannot be treated like an award of arbitration, but we will accept them as far as possible. The question of interim relief has been lift for the Commission.

श्री स० कुन्डू (बालासोर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : देश में अन्तरिम सहायता के बारे में उत्सुकता से उनकी घोषणा की प्रतीक्षा की जा रही है। इसका वेतन आयोग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : वेतन आयोग की घोषणा के समय को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने प्रचार मात्र के लिए ही ऐसा किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन के कई मामलों पर कुछ स्पष्ट सिफारिशें की थीं जो अभी तक सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं की गईं। आयोग की स्थापना आरम्भ में एक वर्ष के लिए हुई। चार वर्ष से अधिक समय हो गया है और अब तो कहा नहीं जा सकता की आयोग कब तक अपना कार्य समाप्त कर पाएगा। संगठन और पद्धति प्रभाग नामक निकाय भी विगत दस वर्ष से कार्यरत है। दोनों संगठनों ने सरकारी कर्मचारियों के कर्त्तव्यों एवं उनके द्वारा अधिक कार्य सम्पादन के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनकी

सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दो वेतन आयोग नियुक्त हुए थे जिनकी कुछ सिफारिशें स्वीकार करली गई थी। तब भी तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कार्य-क्षमता नहीं बढ़ पाई।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य अपना प्रश्न करें।

श्री एन० शिवप्पा : प्रधान मंत्री को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि जब वेतन आयोग के विचारार्थ विषय निश्चित हो जाते है तब उनमें कार्य के लिए प्रोत्साहनों को उचित स्थान मिले जिससे कि देश के प्रशासन में सुधार हो सके। राष्ट्रीय विघटन की पृष्ठभूमि में राज्य एवं केन्द्र के कर्मचारियों की उपलब्धियों में असमानता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो राज्यों को कुछ सहायता दी जा सकती है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वेतन आयोग की स्थापना करते समय हम इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगें। पिछले आयोग ने दो वर्ष के लगभग समय लिया था। हम आशा रखेगें कि नया आयोग कम समय ले। द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें मुख्यतः स्वीकार करली गई थी। उन सिफारिशों के बारे में सदन में विवरण दे दिया गया था।

श्री रंगा : राज्य सरकारों के कर्मचारियों के बारे में क्या हुआ ?

श्री डलराज मधोक : क्या राज्य सरकारों के कर्मचारियों को केन्द्र के समान उपलब्धियां दी जा सकेंगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सभी मामले वेतन आयोग के विचारार्थ रखने चाहिए।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रय सहकारी विकास निगम (पहला संशोधन) नियम

खाद्य तथा कृषि और श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : राष्ट्रपति सहकारी विकास अधिनियम, 1962, की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (पहला संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2344 (अंग्रेजी संस्करण) और दिनांक 8 नवम्बर 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2596 (हिन्दी संस्करण) प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1997/69]

भारतीय औद्योगिक संस्था, कानपुर के प्रमाणित लेखे

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं औद्योगिकीय संस्थायें अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी

संस्था, कानपुर, के वर्ष 1967-68 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा परिक्षा प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1918/69]

चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) (तीसरा और चौथा संशोधन) नियम

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचर विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : मैं श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(एक) चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) तीसरा संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 30 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2062 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) चौथा संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2257 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) वृत्त-चित्रों तथा समाचार-चित्रों के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यक संबंधी समिति की एक और सिफारिश पर लिये गये निर्णयों के चौथे विवरण की एक प्रति । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1999 और 2000/69]

लौह धातु खान (दूसरा संशोधन) विनियम और कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना

संसद-कार्य, और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया) : मैं श्री भागवत झा आजाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत लौह धातु खान (दूसरा संशोधन) विनियम, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 27 सितम्बर 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2293 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2294 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 16 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1928 में प्रकाशित हुई थी [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी० 2001 और 2002/69]

सालारजंग संग्रहालय अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह) : मैं श्री भक्त दर्शन की ओर से निम्नखिति पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, 1961 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(एक) सालारजंग संग्रहालय (दूसरा संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2246 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2249 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सालारगंज संग्रहालय (तीसरा संशोधन) नियम,- 1969, जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2247 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2250 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विक्टोरिया स्मारक, कलकत्ता, के न्यासधारियों की कार्यकारी समिति के वर्ष 1967-68 वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2003 और 2004/69]

मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन

संसद-कार्य, और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा ( ) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :-

(एक) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई, वर्ष के 1968 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1968 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) वणिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वणिक नौवहन (मछली पकड़ने के जहाज के कप्तान और उसके सहायकों के लिए परीक्षा) संशोधन नियम, 1969, की एक प्रति, जो दिनांक 16 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1929 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) चौथी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के नौ विवरण । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2005,200 और 2007/69]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एरिंग) : मैं अन्ना साहिब शिंदे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(एक) कृष्य भूमि (खाद्य फसलों का उपयोग) संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 8 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2030 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) जी० एस० आर० 2541 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र से प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) जी० एस० आर० 2542 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 नवम्बर 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 29 जुलाई 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1835 में एक संशोधन किया गया है ।

(चार) जी० एस० आर० 2543 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1835 में संशोधन किया गया गया था ।

(2) उपर्युक्त (1) (एक) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

(3) खाद्य निगम अधिनियम 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 18 अगस्त, 1969 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1978 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1979 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुये थे ।

(4) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962, की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2241 में प्रकाशित हुए थे ।

(5) पशुओं पर परीक्षणों के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी समिति (प्रशासन) नियम 1965, के नियम 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत पशुओं पर परिक्षकों के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण संबंधी समिति, बम्बई, के वर्ष 1967-68 के लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन :

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत मैसूर राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर, के 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(7) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उसके लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन [ग्रन्थालय में रखा गई। देखिए संख्या एल० टी० 2008 से 2013/69]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951, की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) तीसरा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1985 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1969 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) तीसरा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1995 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 1996 में प्रकाशित हुए थे।

(5) जी०एस०आर० 2176, जो दिनांक 13 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968, की अनुसूची 3 में एक संशोधन किया गया था।

(6) भारतीय वन सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2227 में प्रकाशित हुए थे।

(7) भारतीय वन सेवा (प्रारम्भिक भर्ती) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2228 में प्रकाशित हुए थे।

(8) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीनों की अन्तिम परीक्षा) दूसरा संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2231 में प्रकाशित हुए थे।

(9) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) चौथा संशोधन विनियम,

1969, जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2327 में प्रकाशित हुए थे ।

(10) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 2328 में प्रकाशित हुए थे ।

(11) भारतीय वन सेवा (पदालि) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 25 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2440 में प्रकाशित हुए थे ।

(12) भारतीय वन सेवा (वरीयता का विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 2474 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 2014/69] ।

भारतीय टेलीग्राफ (चौदहवां संशोधन) नियम

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय टेलीग्राफ (चौदहवां) संशोधन नियम, 1969, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 21 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2162 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2163 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2015/69] ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वार्षिक लेखे

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : 12. मैं श्री स० चु० ज़मीर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) काश्तकारों, बटाईदारों और इसी प्रकार के वर्गों के कृषि श्रमिकों के जीवन और कार्य की अवस्थाओं के सुधार से सम्बन्धित सिफारिश (संख्या 132), जो जून, 1968 में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 52वें अधिवेशन में ग्रहीत की गई थी, पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का एक विवरण ।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1966-67 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2016 और 2017/69] ।

कांडला पत्तन न्यास और मरमगाओ पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

मैं पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :

(एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1967-68 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) मरमगाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1967-68 के वार्षिक लेख और उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2018/69]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी 18 नवम्बर, 1969 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति व्यक्त की है कि वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) विधेयक, 1969 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उसमें उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया है :—

श्री एम० आनन्दम

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा

श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी

श्री सी० डी० पांडे

श्री टी० चेंगलरायन

श्री सुन्दर मणि पटेल

श्रीमती सरला भदोरिया

श्री कल्याण राय

श्री तिल्लई विल्ललन

सभा कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : सभा में सोमवार, 24 नवम्बर, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1967

(आगे विचार करना तथा पास करना)

(2) वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1969, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(3) मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(4) शपथ विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(5) भारतीय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1968 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(6) चाय (संशोधन) विधेयक, 1969
(विचार तथा पास करना)

(7) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968
(विचार तथा पास करना)

(8) अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(9) पैट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 1969
(विचार तथा पास करना)

(10) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा विधेयक, 1969, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(11) देश में तोड़ फोड़ तथा हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर बुधवार, 26 नवम्बर, 1969 को 4.30 बजे म०प० पर आगे चर्चा।

(12) 3 अक्तूबर, 1969, को जारी की गई अधिसूचना के, जिसमें भारत के खाद्य निगम में सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है, अनुमोदन के लिये संकल्प पर गुरुवार, 27 नवम्बर, 1969 को 5 बजे म०प० चर्चा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to know some thing in respect of the proceedings of the next week.

The Bill relating to Assam involving constitutional amendment has been assented to by the President. When would the Government come forward with a substantial bill relating to Hill sub-State of Assam ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : प्रारूप पर सम्बन्धित दोनों पक्षों से

विचार-विमर्श किया गया है क्योंकि हम विधेयक दोनों पक्षों की सहमति से ही लाना चाहते हैं। कुछ मदों पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि विधेयक इस सत्र में रखा जा सकेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Suder) : The matter relating to non-submission of Income Tax returns by Shri Jagjivan Ram for 10 years is a very serious matter and a discussion on it shoud not be postponed.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले का कार्य मंत्रणा समिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतएव आप इसे न उठाएं।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is for the Business Advisory Committee to allot time to different matters. There is a great desire in the House to discuss the matter next week.

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में संयोजित रूप से अव्यवस्था फैला रहे है। आप सभी बैठ जायें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : सदन की शान्ति भंग करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वे एक-एक करके अपनी बातें रख सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यदि वे सभी मामले जिनपर हम यहां चर्चा की मांग करें कार्य मंत्रणा समिति को सौंपे जाते हैं तो यह हमारी स्वीकृत नीति के विपरीत होगा। उस समिति को केवल समय नियत करना होता है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या श्री जगजीवन राम की आयकर विवरणियों के बारे में अगले सप्ताह चर्चा की जा सकेगी ?

श्री कंवर लाल गुप्त : यह सदन की सर्व सम्मत मांग है। इसे आपको स्वीकार करना चाहिए।

श्री उमानाथ : दूसरा प्रश्न है कि क्या साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार करने के लिए समय दिया गया है।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : मैं चाहता हूँ कि प्रधान मन्त्री के आचरण पर इस सभा में चर्चा की जाए क्योंकि उन्होंने सदस्यों एवं मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए प्रभावित करने के लिए सरकारी शासन तंत्र का उपयोग किया। उत्तर प्रदेश के मंत्री डा० सीता राम को मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने के लिये टेलीफोन द्वारा कहा गया। कांग्रेस की बैठक के लिए सदस्यों को लाने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय के यानों का उपयोग किया गया। प्रधान मंत्री के इस प्रकार के आचरण पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हर किसी का इस प्रकार चिल्लाना उचित नहीं। सदस्य अपनी बातें एक-एक करके रखें।

जहां तक मन्त्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का प्रश्न है मैं बता देना चाहता हूँ कि उस बारे में सारयुक्त लिखित प्रस्ताव मिलने पर ही विचार किया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह केवल अगले सप्ताह की कार्यवाही की घोषणा मात्र है।

अध्यक्ष महोदय : मैं डा० राम सुभग सिंह के प्रस्ताव का उल्लेख कर रहा था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री सी० बी० गुप्त बहुमत खो चुके हैं, उन्हें त्याग-पत्र देना चाहिए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : श्रीमती इन्दिरा गांधी को त्यागपत्र देना चाहिये क्योंकि वे यहां बहुमत खो चुकी हैं।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : We invited your attention in writing to calling attention notice on two or three questions.

अध्यक्ष महोदय : मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता।

Shri Ramavtar Shastri : The entire engineering labour in Jamshedpur is on strike.

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

Shri Ramavtar Shastri :**

श्री उमानाथ (पुडुकोटै) : गुजरात की साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में प्रश्न केवल जान व माल की हानि का ही नहीं अपितु भविष्य के संरक्षण का भी है। सरकार को इस मामले पर अगले सप्ताह समय देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : दल के नेता के समक्ष सब कुछ रखा जाता है। कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के नेता हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस कमेटी की तो बैठक ही नहीं हुई।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह बातें कल रात ही ज्ञात हुईं। इसीलिए कमेटी में नहीं रखी जा सकीं। मुझे पता चला है प्रतिरक्षा मन्त्री ने 10 वायुयानों के काँग्रेस की बैठक के लिए प्रयोग की अनुमति दी।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट आने पर दो बातों पर विचार किया जाता है। एक तो यह की किसी विषय के लिए नियत किया गया समय पर्याप्त है या नहीं तथा दूसरे विषयों को दी गई अग्रता ठीक है या नहीं। इसके द्वारा हमें सरकार को उन विषयों की सूचना देने का अवसर मिलता है जिसे हम अगले सप्ताह उठाना चाहते हैं। यहां दो बातें महत्व पूर्ण हैं ; एक जमशेदपुर में 50,000 कार्य-कर्त्ताओं की हड़ताल और दूसरे प्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री का आचरण। तीसरी बात श्री जगजीवन राम द्वारा आय कर विवरण देने में

**कार्यवाही—वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

अनियमितता । चौथी अहमदाबाद की स्थिति । जैसे आप हमसे व्यवस्था में रहने की आशा करते हैं वैसे ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सरकार को उचित रूप में आचरण करने को कहें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं जमशेदपुर में 67 उद्योगों में नियोजित 50,000 व्यक्तियों की हड़ताल पर श्रम मंत्री को वक्तव्य देने के लिए आपसे कहना चाहता हूं ।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The motions regarding sugar prices and communal riots have not been included in the list of business for the next week. I want to know whether these could be taken of next week.

अध्यक्ष महोदय : यह सब आपकी समिति प्रतिवेदन है। श्री बैनर्जी आप तो कार्य मंत्रणा समिति में थे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अहमदाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा करने के लिए हमने पांच घण्टे का समय निर्धारित किया था । हम इस बात से सहमत थे कि यह मामला बहुत गंभीर है और माननीय मंत्री जी ने सरकार की ओर से प्रस्ताव पेश करने का निर्णय किया था और यह भी कहा गया था कि हम सब को समय दिया जायेगा । दूसरे, आप मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार करें। श्रम मंत्री महोदय जमशेदपुर की स्थिति पर आगामी सप्ताह तक वक्तव्य दें । 40,000 व्यक्तियों ने वहां हड़ताल की हुई है। डा० राम सुभग सिंह ने उत्तर प्रदेश की घटनाओं के सम्बन्ध में बताते हुए कहा है कि वहाँ सरकार का बहुमत नहीं रहा है । अतः विधान सभा बुलाई जानी चाहिए ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : दक्षिण पंथी साम्यवादी दल के दो सदस्यों को कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर अपना वक्तव्य देने की अनुमति दी गई है । अतः मुझे भी इस सम्बन्ध में कुछ कहने की अनुमति दी जाये । मैं कार्य-मंत्रणा समिति के बारे में मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहती हूँ । अध्यक्ष जी विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति देने में इस प्रकार से भेद-भाव नहीं किया जा सकता । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दिया हुआ आरक्षण जनवरी में समाप्त हो जायेगा । इन जातियों के लिये इन आरक्षणों को जारी रखने का विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा समय रहते पारित किया जाना है। यह संविधान (संशोधन) विधेयक है और इसलिए इस विधेयक को तत्काल प्रस्तुत किया जाना चाहिए । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को रियायत देने वाले इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बहस में भाग लेने का हम सबको अवसर मिलना चाहिए । (**व्यवधान**)

Shri Shiva Chandra Jha (Madubani) : We should also be allowed to express our views. Northern Bihar is in the grip of draught and about 75 percent of the crop has been destroyed by water pests. I request the hon. Food and Agriculture Minister to make a statement in this regard ; and the area should be declared "famine striken area."

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। यदि सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जायेगी तो विवश होकर मुझे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी । अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes Past Fourteen of the Clock)

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
Shri M. B. Rana *in the Chair*]

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Reply has not been given to our request made in the Business Advisory Committee that opportunity should be given to us for the discussion on the Communal situation in the country and communal riots of Ahmedabad. We have come to know that Mr. C. B. Gupta has lost his majority in the U. P. Assembly.

सभापति महोदय : इस समय सदन में यह मामला नहीं है ।

Shri S. M. Banerjee : I want the hon. Home Minister to ascertain the facts from the Governor of Uttar Pradesh as to whether Mr. C. B. Gupta has a majority or not.

श्री शिव नारायण : प्रथम तो प्रधान मंत्री को जिनकी सरकार का अब यहां बहुमत नहीं रहा है, दूसरों को त्याग पत्र देने की सलाह देने से पूर्व स्वयं त्याग पत्र देना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : जब ऐसी ही घटना पश्चिम बंगाल में घटी थी तो उन्होंने वहां विधान सभा ी बैठक बुलाने की मांग की थी । सरकार को दो नीतियाँ नहीं अपनानी चाहिए । अतः श्री सी० बी० गुप्त को त्यागपत्र देना चाहिए ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : There are news in some news papers regarding the allegations made by the Congress President against the Prime Minister regarding collection of crores of rupees for the party fund but the money was not deposited with the party organisation by her. This is a serious allegation and there should be debate on this point in the House. We also want to know the nature of the favours shown to some business concerns which contributed huge amounts for the congress party fund. A Judicial Commission should be appointed to investigate into this matter.

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है, और इनके ऐसा करने से मामला स्वतः सदन में आ जायेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपना प्रस्ताव पहले से ही पेश कर चुका हूँ, और सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए ।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : At least two tbings should be included in the list of business of the House for the next week. All India Radio is being misused by the party in power and their Government. Due importance is not attached to the news bulletins released by the other political parties as compared to those of the Government and party supporting it by the All India Radio. Calling attention notice and other motions

have been moved for discussion on this point. I want this matter to be brought before the House and the misuse of All India Radio should be stopped forthwith by all means.

Shri Kanwar Lal Gupta : If the misusing of the All India Radio by Government is not stopped, we shall have to start agitation against this and burn Radio Licences and defy prohibitary orders under section 144.

सभापति महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त जैसे वरिष्ठ माननीय सदस्य के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती ।

Shri Shiva Chandra Jha : There were disastrous and unprecedented floods some time in Bihar which destroyed crops. Nearly about 75 percent of crops are distroyed due to water-pests which contaminate seeds and the northern Bihar, particularly Darbhanga, Saharsa and Purnia districts have been seriously affected by draught conditions. I would request the hon. Minister for Food and Agriculture to declare these districts as scarcity areas in case he does not intend to declare them famine stricken areas.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : It is an admitted fact that Government has agreed for a debate very soon on the Communal disturbances in Ahmedabad and Gujarat. But according to the established convention such matters were brought in the Lok Sabha for discussion first and then in the Rajya Sabha. But this is a weekness of Government that instead of bringing this matter in this House it has been taken up in the Rajya Sabha first. I would therefore like that this matter should come in this House immediately for discussion.

Secondly, C. B. Gupta Ministry in the U. P. Assembly has lost majority. There is every possibility of the Law and order situation being disturbed, deteriorated and lost in the state. Therefore the hon. Minister for Home Affairs should give a statement in this matter, he should convene Assembly there and the Govcrnment headed by Shri C. B. Gupta should be advised to resign. A care taker Government should be formed in U. P. after taking resignation from the existing Government.

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी यहां कहा है उसका कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिए मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य ऐसे सुझाव दें जो कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित हों ।

श्री शिव नारायण : सरकार के मुख्य सचेतक ने सदन के समक्ष कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं । विपक्ष के मुख्य सचेतक की हैसियत से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस ओर से जो मांग की गई है उसे सरकार स्वीकार करे ।

आकाशवाणी के कार्य की जांच की जानी चाहिए क्यों कि वहां कुछ इने गिने लोगों को ही वार्ता के लिए बुलाया जाता है जिन्हें भत्ते आदि दिए जाते हैं । अत: इस पक्षपात के लिए मैं सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्री पर आरोप लगाता हूं । इस सरकार पर मेरा दूसरा आरोप यह है कि यह अब अल्प संख्यक सरकार है क्यों कि कांग्रेस के टिकट तथा चिह्न के आधार पर ही इस सरकार का निर्वाचन हुआ था, परन्तु अब क्योंकि प्रधान मंत्री को कांग्रेस से निकाल दिया गया है इसलिए वह अब कांग्रेस की सदस्या नहीं हैं और अब उन्हें यह संसद भंग कर देनी चाहिए और स्वत: त्याग पत्र देकर फ़िर से चुनाव कराने चाहियें तभी उन्हें श्री सी० बी० गुप्ता को ऐसी सलाह देने का अधिकार होगा । श्री सी० बी० गुप्ता को उत्तर प्रदेश में बहुमत प्राप्त है ।

हम सरकार के विरोधी नहीं हैं । हम तो यही चाहते हैं कि सरकार दस-सूत्री कार्यक्रम तथा समाजवादी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें । उस स्थिति में हम सरकार का समर्थन करेंगे ।

Shri Hardayal Deuguo (East Delhi) : The Chief Minister of West Bengal has stated that there was no civilised Government functioning there and the communist party and the other parties of the colition front in the Government have stated that the Government and the Home Minister were committing political murders The position is very serious. When even the Chief Minister and his party are going to agitation against the Government and therefore this matter should be looked into. There should be discussion on the Communal riots in Jagdalpur and also on the report of the Raghubardayal Commission on communal riots.

श्री ज्योतिमय बसु डायमण्ड हार्बर : श्रम मंत्री महोदय टाटानगर की स्थिति पर एक वक्तव्य दें, क्यों कि वहां मध्य और बड़े 67 उद्योगों में लगभग 50,000 श्रमिकों ने हड़ताल कर रखी है । यह बहुत गम्भीर मामला है । वहां की हाल की स्थिति तथा श्रमिकों की मांगों को पूजीपतियों तथा एकाधिकार वादियों से स्वीकार कराने के बारे में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में सरकार सदन में एक विवरण प्रस्तुत करे ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पता चला है कि विशिष्ट व्यक्तियों के रेल-यात्रा के लिए लगभग 400 आरक्षित स्थानों को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सदस्यों की वापसी के लिए तीन दिन तक रोके रखा गया जिसके परिणाम स्वरूप संसद सदस्यों, विशिष्ट यात्रियों तथा अधिकारियों के लिए इन स्थानों का आरक्षण नहीं किया गया । इस मामले पर सदन में विचार होना चाहिए और रेलवे मंत्री सदन में यह बात स्पष्ट करें कि तीन दिन के लिए यह आरक्षण क्यों बन्द किया गया ।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : श्री सी० बी० गुप्ता की उत्तर प्रदेश की सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों को लाने वाली बसों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और इसीलिए उन्हें रेल गाड़ी से आना पड़ा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : उन प्रतिनिधियों को दिल्ली में बिना भाड़े की बसों में लाया जा रहा था.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री रघु रमैया : मैंने अगले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य सूची अखबारों में पढ़ी है । माननीय सदस्यों ने बहु मूल्य सुझाव दिए हैं, जिन पर विचार किया जायेगा । यह बात तो अब सब मान गये हैं कि दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में इतनी सख्या में सदस्यों ने भाग लिया जिसका अनुमान भी नहीं लगाया गया था और इस भीड़ से रेलवे अधिकारी भी चकित रह गए थे **(व्यवधान)**

श्री शिव नारायण : कांग्रेस दल के कार्य पर यहां चर्चा क्यों की जा रही है ?

**सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not recorded.

श्री समर गुह : हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब कांग्रेस के दोनों गुट लड़कर स्वयं समाप्त हो जाएंगे और एक शुद्ध भारतीय समाजवादी दल का जन्म होगा। संसद सदस्यों को रेलवे का आरक्षण नहीं करने दिया गया क्यों कि राजनीतिक संगठन ने समस्त स्थानों का आरक्षण कर लिया था। मंत्री महोदय ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि ऐसा क्यों किया गया था ?

डा० राम सुभग सिंह : सारे देश में लगभग 10,000 रेल गाड़ियां चल रही हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लगभग 722 सदस्य हैं यह आवश्यक नहीं है कि सारे स्थान अल्पमत सरकार द्वारा उनके लिए रोके जाएं।

Shri Prakash Vir Shastri : (Hapur) : On a point of Order, Sir. This is Parliament. The hon. Members should raise questions only concerning the Government matters, and Government should give reply in a similar manner. The question raised by Shri Samar Guha was in connection with Ministry of Railways and he stood to clarify the position of A. I. C. C. which is not in consonance with the dignity of Parliament.

श्री रघु रमैया : परन्तु मैं तो अन्य बात कह रहा हूं। डा० राम सुभग सिंह ने प्रधान मंत्री पर एक बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना और अविश्वासनीय आरोप लगाया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को त्याग पत्र देने के लिए टेलीफोन का दुरुपयोग किया है। परन्तु डा० राम सुभग सिंह जी को यह पता होना चाहिए कि ऐसे आरोप नितान्त क्षुद्र और नगण्य होते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि डा० जाकिर हुसैन के चुनाव के दौरान उन पर भी ऐसे निराधार आरोप लगाए गए थे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : 10 नवम्बर से वायु सेना के कितने विमान किस कार्य हेतु, और किन-किन व्यक्तियों को लेकर कहां कहां गये थे ? सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए। मैं चुनौती देकर कहती हूँ कि ये विमान अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर लेने के अभियान के सिलसिले में तीन बार बिहार गए थे। (व्यवधान) इस मामले की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए।

Shri Shashi Bhushan (Khargaon) : It is unfortunate to note that the report of the C. B. I. conducted into the affairs of many a previous ministers has not been laid on the table of the House so far. I request that the inquiry of the C. B. I. which has since been completed against any Ministers should be brought before the House.

Shri Kanwar Lal Gupta : This Parliament has become battle field for the two factions of the ruling Congress party. *(Interruptions)*. This should be stopped.

सभापति महोदय : अब मैं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुनूंगा।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चालीसवां प्रतिवेदन

श्री रघु रमैया : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 40वें प्रतिवेदन से, जो कि 19 नवम्बर, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 40 वें प्रतिवेदन से, जो कि 19 नवम्बर 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक

COMMISSION OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : मेरा बहुत दीर्घ अनुभव है। सामान्यरूप में किसी विधेयक को प्रस्तुत करते समय उसका विरोध नहीं किया जाता, अन्यथा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक प्रस्तुत ही नहीं हो सकेंगे।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : इस विधेयक से संविधान के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन होता है और इसलिए प्रत्येक सदस्य को ऐसे विधेयक प्रस्तुत होने की अवस्था में ही उसका विरोध करने का अधिकार है। मैं इस विधेयक के लाभ अथवा गुणों की चर्चा न करके इसकी केवल त्रुटियों का ही उल्लेख करूंगा। इस विधेयक के खण्ड 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी आयोग के अनुदेश के अनुसार कोई जानकारी देता है तो आयोग का वह अनुदेश भारतीय दण्ड संहिता के खण्ड 176 के अन्तर्गत वैधानिक रूप में उस व्यक्ति पर लागू होगा। अतः यह उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का विरोधी है। अनुच्छेद 20 के खण्ड 3 के अनुसार किसी अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध मौखिक या लिखित रूप में अभिसाक्ष्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि इस कण्डिका को स्वीकार किया गया तो एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का अपहरण हो जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 20 के खण्ड 3 का उल्लंघन हो जायेगा। श्री बसु की टिप्पणी के अनुसार इसे अवैध माना जायेगा।

खण्ड 6 ए का समावेश किया गया है कि इस अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी सामग्री के निर्माण की गोपनीयता बताने को आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। एक ओर तो किसी व्यक्ति को बचाने के लिए इस प्रकार का संरक्षण दिया जाता है जबकि दूसरी ओर उसके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।

खण्ड 9 के सन्दर्भ में यह उपबन्ध है कि मूल अधिनियम के अनुच्छेद 10 के पश्चात् एक नए अनुच्छेद 10 ए की अवधारणा की गई है। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप में कोई वक्तव्य देता है या प्रकाशित करता है अथवा कोई ऐसा कार्य करता

है। जिससे कि आयोग अथवा उसके किसी सदस्य की मान मर्यादा को हानि पहुंचें तो उस व्यक्ति को दो वर्ष तक कारावास का दण्ड या जुर्माना या दोनों ही दण्ड दिए जा सकते हैं। परन्तु, खेद की बात तो यह है कि न्यायालय अधिनियम का मान भंग करने की सजा की अवधी भी केवल 6 मास है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस प्रकार के अभियुक्त को केवल 6 मास का साधारण कारावास का ही दण्ड देता है। परन्तु आयोग को दो वर्ष तक कारावास का दण्ड देने के अधिकार देने का यह तात्पर्य होगा कि यह आयोग देश के सर्वोच्च न्यायांग, सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालयों से भी ऊंचा हो जाएगा। यह या तो एक बड़ी अनियमितता होगी या यह अन्य उपबन्धों का उल्लंघन करेगा और उन्हें निर्मूल बनादेगा। इसलिए सतर्क विधायकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि अधिनियमों में इस प्रकार के उपबन्धों की अवधारणा न होने दें। इसलिए मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के समय ही इसका विरोध करता हूँ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I rise to oppose this Bill, this is a 'Money Bill'. In the statement of objects and reasons of this Bill it has been stated that about one lakh rupees will be spent every year on this Commission and that expenditure would be met from the Consolidated Funds. But according to the provisions of Article 117 (1) of the Constitution Money Bill requires the recommendation of the President for being introduced. But this has not been done in this case. Therefore this Bill cannot be introduced. Secondly, this Bill violates certain constitutional provisions clause (9) or this Bill violates the fundamental right granted under Article 20 of the constitution provision of clause 9 of this Bill suppress the right of freedom of speech. No body can speak, write and give any statement in against this Commission, the wording of the Bill is contradictory I, therefore, oppose this Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसमें केवल दो मामले उठाए गए हैं। एक यह कि विधेयक का खण्ड 4 अनुच्छेद 20 का प्रतिवाद करता है। श्री श्रीचन्द गोयल प्रसिद्ध वकील हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने संविधान को समझने में कुछ गलती की है। क्योंकि यह अनुच्छेद न्यायालयों के लिए है। यदि कोई व्यक्ति किसी अभियोग में अपराधी ठहराया जाता है, तो वह अपने विरोध में कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। परन्तु यह जांच आयोग न्यायालय नहीं है और यही एक आधार भूत अन्तर है, और इसीलिए अनुच्छेद 20 यहां बिल्कुल भी लागू नहीं होता। उन्होंने उस मौखिक, लिखित वक्तव्य अथवा प्रकाशित वक्तव्य से जांच आयोग की प्रतिष्ठा को पहुंचने वाली हानि सम्बंधी उपबन्ध पर भी आपत्ति उठाई है। वास्तव में उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। परन्तु वह किसी खण्ड को उसके गुणों के आधार पर उसका विरोध उस समय भी कर सकते हैं जब उस खण्ड पर चर्चा की जायेगी। मैं नहीं समझता कि यह संवैधानिक आपत्ति के अन्तर्गत आती है।

एक अन्य आपत्ति यह है कि चूंकि यह वित्तीय विधेयक है इसलिए इस पर राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य हैं परन्तु यह सुझाव तो बहुत ही गलत है और अटपटा है, क्योंकि अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक की परिभाषा बहुत साफ शब्दों में दी गई है। यह भी कहा गया है कि इस विधेयक में कुछ वित्तीय विवरण तथा ज्ञापन की भी अपेक्षा है। यदि वित्तीय विवरण की अपेक्षा वाले प्रत्येक विधेयक को वित्तीय विधेयक माना जाए तो इस सदन में संवैधानिक तथा वैधानिक अराजकता फैल जायेगी। अत, ये समस्त आपत्तियाँ निराधार तथा उथली है और अमान्य हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"जाँच आयोग अधिनियम, 195 , में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूँ :

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि तथा बैंक (संशोधन) विधेयक—जारी

INTERNATIONAL MONETARY FUND AND BANK (AMENDMENT) BILL—(*Contd.*)

सभापति महोदय : हम अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि तथा बैंक (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेंगे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मंत्री महोदय के उत्तर देने से पूर्व मैं कुछ इस विधेयक पर बोलना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : आप इसके तृतीय वाचन के समय बोल सकते हैं। इस समय मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी : तृतीय वाचन तो कुछ भिन्न होगा। यदि समय का पालन कठोरता से किया जा रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर देने के पश्चात मैं आप को दो या तीन मिनट का समय दूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं अनुचित कार्यवाही करने में विश्वास नहीं रखता। अतः मैं नहीं बोलूंगा।

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या बोलने का अवसर मंत्री महोदय के सहमत होने पर दिया गया है ? इस सदन की कार्यवाही मेरी समझ में नहीं आती। अतः मैं कार्यवाही में भाग लेना नहीं चाहता।

श्री प्र० चं० सेठी : सम्भवतः सभापति जी ने मुझ से कहा था और हो सकता है, इसी कारण आपने पूछा है।

(इसके पश्चात श्री ही० ना० मुकर्जी सदन से उठकर चले गए)

(Shri H. N. Mukherjee then left the House)

श्री प्र० चं० सेठी : जो माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोले हैं, वे साधारणतः मेरी बात से सहमत थे। परन्तु फिर भी विदेशी सहायता तथा व्यापार के बारे में अनेक प्रश्न उठाए गये हैं। मैं अब इन मामलों को संक्षेप में लूंगा। मैं उन सदस्यों के सुझाव से सहमत हूँ जिन्होंने यह कहा है कि हमें अपना आर्थिक विकास से यथा सम्भव अपने ही प्रयत्नों से करना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए हमें अपने ही संसाधनों को विकसित करना चाहिए और जहां तक हो सके, हमें अपने निर्यात की बहुत वृद्धि करनी चाहिए और हमें अपने ही संसाधनों को प्रयोग में लाना चाहिए। हमें अपनी नीतियों का पालन इस प्रकार करना चाहिए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था शक्तिशाली बने। वास्तव में सरकार इन सब दिशाओं में प्रयत्नशील है।

जहां तक विदेशी सहायता पर निर्भर रहने का प्रश्न है मैं यही कहूंगा कि हमारा लक्ष्य अति शीघ्र आत्मनिर्भर बनने का है। पूर्व योजना की अवधि में जितनी विदेशी सहायता का प्रयोग किया था, अब चौथी योजना की अवधि में घटकर उससे आधी रह गई है। इस योजना के दौरान हम इस स्थिति से हट कर दूर चले जायेंगे, जिस में हम खाद्य रूपी सहायता प्राप्त करते रहे हैं। विदेशी सहायता पर निर्भर रहने के उद्देश्य को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने और फिर इस को बिल्कुल समाप्त करने के लिए हमें अपने निर्यात में वृद्धि करनी पड़ेगी और निर्यात करने वाले उत्पादनों को अधिक प्रतियोगी और कुशल बनाने पड़ेंगे और इस के साथ ही हमें अपने आन्तरिक उत्पादन में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। इन मामलों पर हम निरन्तर ध्यान दे रहे हैं।

चौथी योजना के दौरान हम अपने माल के निर्यात में 7 प्रतिशत की वृद्धि कर लेगें। और यदि हम इतनी प्रगति कर पायें तो हमारे ऊपर ऋण की अदायगी का भार होते हुए भी विदेशी सहायता में निस्सन्देह कमी आजाएगी और इस योजना में हम इस स्थिति में भी आजाएंगें जब कि हमें खाद्य के आयात पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 1968-69 में हमारे निर्यात में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह स्तर पहले से कहीं अधिक हो गया। बीच के समय में हमारे निर्यात में कुछ कमी हुई, परन्तु गैर-परम्परागत माल का निर्यात काफी अच्छा हुआ। 1968-69 में इंजीनियरी माल के निर्यात में शतप्रतिशत की वृद्धि हुई और चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों में तो निर्यात और 24 प्रतिशत बढ़ गया है।

चाय तथा पटसन का निर्यात जैसा कि कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया था, 1968-69 में कुछ कम रहा, परन्तु चालू वित्तीय वर्ष में इसके निर्यात की अच्छी आशा है। परन्तु चाय के निर्यात में तो विश्व भर में इसका प्रभाव पड़ा है क्योंकि सारे संसार में चाय के उत्पादन की प्रगति को देखते हुए इस की मांग कम रही है। इस स्थिति का सामना करने के लिए हम लंका के साथ सुव्यवस्थित संयुक्त बिक्री के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं तथा इसे पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, क्योंकि लंका दूसरा मुख्य देश है जो भारत के साथ चाय का निर्यात करता है। हम निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से जागरूक है और इस दिशा में प्रयत्न भी कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हमें अपने स्वदेशी उत्पादनों की सहायता देने के उद्देश्य तथा घरेलु उपयोग एवं निर्यात के लिए भी वस्तुओं के आयात करने की भी बहुत आवश्यकता है। हमें ऋण

का भुगतान भी करना है। इसलिए हमें कुछ और अधिक समय तक विदेशी सहायता की आवश्यकता है।

अनेक मामलों में हमारे उत्पादनों में वृद्धि हमारे अपने संसाधनों के उपयोग से भी हुई है और अपनी योजनाओं के लिए ली गई विदेशी सहायता से भी हुई है। योजनाओं की अवधि के दौरान बिजली पैदा करने की अधिष्ठापित क्षमता 23 लाख किलो वाट से बढ़कर 145 लाख किलो वाट हो गई है। जिन गांवों में बिजली दी गई है उनकी संख्या 4300 से बढ़कर 62000 हो गई है। कच्चे तेल का उत्पादन भी 2.5 लाख टन से बढ़कर 70 लाख हो गया है। परिवहन क्षमता भी काफी सीमा तक बढ़ गई है। इन सब क्षेत्रों में हमने प्रगति की है फिर भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें अपने ही प्रयत्नों से और अधिक प्रगति करनी चाहिये। जहां हमारे उत्पादों के गुण-प्रकार में सुधार हुआ है, हमें और सुधार करने के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब हम अपने विकास की आरम्भिक अवस्था की अपेक्षा अपने उत्पादनों के विस्तार के लिए विदेशी सहायता पर कम निर्भर हैं।

यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि कोई वित्तीय संस्था नहीं है जैसा कि मैंने कल बताया इस का मुख्य उद्देश्य तो विदेशी मुद्रा में स्थिरता तथा इसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखना है। और बहुपक्षीय भुगतान की पद्धति में सहायता करना है और इस प्रकार से व्यापार का बिस्तार तथा संतुलित रूप से इसकी प्रगति करने में सुविधा देना है। इस निधि का प्रयोग सदस्य देशों की अल्पकालिक कठिनाइयों को दूर करने में सहायता देना है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के द्वारा जुटाये गए धन का विकासशील देशों के आर्थिक विकास हेतु, दीर्घकालिक निधि नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार की निधियों को जुटाने के लिए अन्य विश्व एजेंसियां हैं।

मांग की गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की वार्षिक बैठकों में शामिल होने के लिए वहां प्रधान मन्त्री अथवा वित्त मंत्री को जाना चाहिए था और रिजर्व बैंक के गवर्नर को वहां भेजना परम्पराओं और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के संविधान के प्रतिकूल है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है। वास्तव में अनेक देशों के केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों ने हाल के कई वर्षों में अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि वहां अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों के बोर्ड में प्रधान मन्त्री या वित्त मन्त्री ही जायें। रिजर्व बैंक के गवर्नर अथवा किसी अन्य व्यक्ति को भी वहां भेजा जा सकता है। अतः माननीय सदस्य का यह आरोप नितान्त निराधार है कि प्रधान मंत्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया और राज्य मंत्री ने क्यों किया है। इसका अभिप्राय राज्य मन्त्री को अपमानित करना है।

पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ हो रहे हमारे द्विपक्षीय व्यापार के प्रबन्ध के सम्बन्ध में मामला उठाया गया है। परन्तु, उन देशों के साथ जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था करना कठिन है। इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार प्रबन्ध ही उपयुक्त पाया गया है। पूर्वी यूरोपीय देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सदस्य नहीं हैं और इसलिए इन देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बनाए रखने के उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए केवल द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था का आधार ही

ठीक समझा गया है। रूस सरीखे इन देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध बनाए रखना हमारे लिए हानिदायक नहीं है। परन्तु, इसके विपरीत इन देशों के साथ अनेक व्यापारिक करारों से हम उन कठिनाइयों को बहुत कुछ दूर कर सकने में सफल हुए हैं जो दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों में हमारे सामने आई थी। अतः माननीय सदस्य ने जो यह आरोप लगाया है वह भी गलत है।

माननीय सदस्य ने यह मामला भी उठाया है कि धन निकालने के विशेष अधिकार सम्बन्धी योजना को अभी तक इसलिए लागू नहीं किया गया है क्योंकि केवल 61 देशों ने इस योजना पर हस्ताक्षर किये जो कि बहुत कम है। परन्तु यह बात भी या तो गलत है और या जो सूचना उन्हें मिली है वह अपर्याप्त है। वास्तव में 71 देशों ने तो हस्ताक्षर पहले ही कर दिए हैं और धन निकालने के विशेष अधिकार अब एक प्रकार से कार्यान्वित हो गए हैं और धन निकालने के विशेष अधिकारों को सफल बनाने हेतु भारत के लिए अब विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रही है।

वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने की जो मांग की गई है उसके सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने पहले से ही विचार कर लिया है और अपने सदस्यों को कुछेक मुख्य वस्तुओं के समीकरण भण्डारों की व्यवस्था करने के लिए एक नई सम्भाव्यता स्थापित करने का निर्णय किया है परन्तु ऐसे भण्डार केवल कॉफी और कहवा के ही आरम्भ किये गये है। अतः इस क्षेत्र को और विस्तृत करने की गुंजाइश है और यह कार्य उन सभी वस्तुओं का विस्तार करने के लिए किया जायेगा जिन्हें विकासशील देश अपने मूल्यों को स्थिर करने में लगे हुए हैं।

इस बात की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय घाटे की अर्थ व्यवस्था को नियंत्रण में लाना चाहिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने इस बात पर पहले ही ध्यान दिया हुआ है। इस बात पर भी असन्तोष किया गया कि धन निकालने के विशेष अधिकारों के आवंटन में विकासशील देशों का भाग बहुत कम है। परन्तु इन अधिकारों का वितरण भाग लेने वाले सदस्य देशों के कोटे को दृष्टि में रख कर किया गया है। इस निधि में भारत का जो कोटा है वह 7500 लाख डालर है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में जितना कोटा होगा उसी के अनुपात में धन निकालने का विशेष अधिकार भी होगा। परन्तु इसका यह तो तात्पर्य नहीं है कि भारत या कोई अन्य विकासशील देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि में और अधिक भाग अथवा और अधिक कोटा लेने के लिये प्रयास नहीं कर रहे हैं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : हमारा विचार तो यह था कि इस आधार में परिवर्तन करना चाहिये। हम तो यही चाहते हैं कि कोई ऐसा आधार हो जिससे विकासशील देशों को अधिक धन मिले और विभिन्न देशों के भुगतान की स्थिति का सन्तुलन बना रहे।

श्री प्र० चं० सेठी : वास्तविकता यह हैं कि हम इसी बात के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में संघर्ष करते रहे हैं और हम वहां यही कार्य भी कर भी रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में विकासशील देशों का कोटा काफी कम है और हमने अनुभव किया है कि इस सपेक्ष कोटे में सुधार होना चाहिये और इसकी मांग भी की है। इन निधियों की रचना से लेकर आज तक विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में नामांकित देश की हैसियत से हमारे देश का एक

विशिष्ट स्थान रहा है यह केवल इस कारण से है कि हमें जो यह कोटा मिल रहा है। जापान की अपेक्षा हमारा कोटा 100 लाख डालर अधिक है। पंचवर्षीय पुनरीक्षण को दृष्टि में रखते हुए जो बहुत शीघ्र होने वाला है, सम्भवत जापान और कैनेडा को हमारे देश से अधिक कोटा मिल जाए और इस बात की सम्भावना है कि हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के नामांकित निदेशक की हैसियत को खो बैठे।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने यही प्रयत्न किया है कि भारत तथा अन्य विकासशील देशों के मामले पर विचार उनको मिल रहे साधारण कोटे के आधार पर न किया जाये और हमारा तर्क तो यही रहा है कि भारत को विशेष कोटा मिलने पर विचार होना चाहिये ताकि संसार भर के इन निकायों के बर्तमान स्वरूप और ढांचे बदलने ना पायें। परन्तु यदि ऐसा हो भी गया और भारत एक निर्वाचित सदस्य के रूप में हो गया तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इससे स्वरूप ही बदलेगा तत्व या सार नहीं। इससे हमें लाभ भी हो सकता है क्योंकि नामांकित सदस्य की हैसियत में हम अन्य देशों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। कहा गया है कि धन निकालने के विशेष अधिकारों के बारे में 1½ प्रतिशत देय कर बहुत अधिक है जबकि धन निकालने के विशेष अधिकारों के आवंटन पर कोई कर नहीं है जब तक कि उसका उपयोग ना हो जाए। पर यदि हम धन निकालने के विशेष अधिकारों पर परिवर्त्य मुद्रा लेंगे तो हमें 1½ प्रतिशत कर देना ही पड़ेगा जो बहुत अधिक नहीं है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : यह तो प्रशासनिक लागत है। मेरा प्रश्न था कि आवंटन गलत है। धनवान देश कम कर दे रहे हैं और निर्धन देशों को अधिक कर देना पड़ रहा है। मन्त्री महोदय इस बात की जांच करें।

श्री प्र० चं० सेठी : सब देशों को जो इस धन को प्रयोग करते हैं, 1½ प्रतिशत कर देना पड़ता है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : धनी देशों को इस धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री प्र० चं सेठी : यह एक भिन्न मामला है मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि 1½ प्रतिशत कर अधिक नहीं है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि इस धन का प्रयोग केवल विकासशील देश ही करें। मैं यह बताना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिरता में हाल ही में जो गड़बड़ी हुई उसका कारण ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमरीका जैसे विकसित देशों की भुगतान के सन्तुलन की कठिनइयां हैं। धन निकालने के विशेष अधिकारों का प्रयोग विकसित देश भी कर सकते हैं। और यह सोचना गलत है कि धन निकालने के विशेष अधिकार केवल विकसित देशों के लिए मानों अनुपूरक वित्त के माध्यम में है। धन निकालने का विशेष अधिकार ऋण संबंधी सहायता के रूप में नहीं है। परन्तु यह तो सम्मिलित होने वाले देश के सुरक्षित निधि में बिना शर्त की वृद्धि है और इसी लिए यह देय नहीं है। जब कोई सदस्य अपने धन निकालने के विशेष अधिकारों का प्रयोग करके उसके ऊपर परिवर्त्य मुद्रा लेता है और वह धन 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो वह धन देय नहीं है, अन्यथा इससे अधिक धन का भुगतान करना

पड़ेगा । इसलिए यह कहना गलत है कि धन निकालने का विशेष अधिकार एक प्रकार की ऋण सम्बन्धी सहायता के रूप में है । इसलिये तो इस धन को 'पेपर गोल्ड' कहा जाता है ।

एक और मामला उठाया गया है कि सरकार रिजर्व बैंक को महत्व एवं मान नहीं दे रही है । यह आरोप गलत है । रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर की नियुक्ति सरकार करती है । कानून में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि उप-गवर्नर की नियुक्ति करने से पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर की सलाह लेनी चाहिए ।

डा० हजारी को डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने से पहले प्रधान मन्त्री ने गवर्नर से सलाह ली थी और गवर्नर महोदय इसके लिये सहमत हो गए थे । डिप्टी गवर्नर का वेतन और भत्ता रिजर्व बैंक का निदेशक बोर्ड उसी अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से निर्धारित करता है । माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है वह उनके पास पता नहीं कहां से आई ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : प्रधान मन्त्री ने श्री मोहन कुमार मंगलम को इंडियन एयर-लाइन्स का अध्यक्ष तथा डा० हजारी को डिप्पी गवर्नर नियुक्त करके पक्षपात किया है । जो व्यक्ति वहां पर 20-30 वर्ष से सेवा कर रहे हैं उन्हें डिप्टी गवर्नर मनोनीत नहीं किया जाता है । चाहे कुछ भी हो इस व्यक्ति को डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त करना न्यायसंगत नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा बैंक अधिनियम, 1945 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खंड 2 (धारा 2 में संशोधन)

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ ।

मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय आंकड़ों की ओर ध्यान दें । स्टर्लिंग तथा डालर में परिवर्तनीय आरक्षित सोना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का हमारा कोटा कुल 500 करोड़ रुपये के बराबर है । नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में 503 करोड़ रुपये का अन्तर है । अतः वर्तमान आंकड़ों के अनुसार परिसमापन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । इस समय हम धन निकालने के विशेष अधिकार से 9 करोड़ रुपये निकाल रहे है । यदि हम विदेशी मुद्रा में देय राशि को वापस नहीं कर सकेंगे तो यह जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि समझी जायेगी । अतः हम जो करने जा रहे हैं उस से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बिना सोचे समझे अन्य देशों का अनुकरण करने की बजाय अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए ।

आज हमारे रुपये का मूल्य बहुत गिर गया है । रुपये के सरकारी तथा गैर-सरकारी मूल्यों में भी काफी अन्तर हो गया है । उदाहरणार्थ आज बाजार में एक डालर 12 रुपये में

मिलता है जबकि उसका सरकारी मूल्य केवल 7.8 रुपये है। इसका मुख्य कारण रुपये का अवमूल्यन तथा रुपये के मूल्य का ह्रास है। अतः आज हमें यह सोचना है कि हम किस प्रकार अपनी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति को मजबूत करें। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में सोने का मूल्य इसके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से दुगुना है जबकि दूसरी ओर चांदी का मूल्य चांदी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से आधा है। इसका परिणाम यह होता है कि भारत से चोरी छिपे चांदी विदेशों को ले जाई जाती है और सोना चोरी छिपे अन्य देशों से भारत में लाया जाता है। अतः हम सोने के आयात के बदले चांदी के निर्यात को नियमित कर सकते हैं। इस से रुपये के सरकारी और गैर-सरकारी मूल्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं रह जायेगा।

विश्व के अनेक देशों में, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में, भारतीय लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वे भारत में धन भेजना चाहते हैं किन्तु हमारे देश के नियम इतने कड़े हैं कि वे लोग नियमित ढंग से धन न भेजकर चोरी छिपे अन्य तारीकों से धन भारत भेजते हैं जिसके कारण सरकार को राजस्व में हानि उठानी पड़ती है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को इस से सम्बन्धित नियमों और कानून में समुचित परिवर्तन करने चाहिएं जिससे विदेशों में रहने वाले भारतीय सामान्य तथा नियमित रूप से भारत में धन भेज सकें।

अब मैं अपने संशोधन के बारे में कुछ कहूँगा। अब तक की व्यवस्था के अनुसार हम भारत को संचित निधि से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में धन का भुगतान करते थे। किन्तु अब इस सम्बन्ध में कानून भी बनाया जा रहा है। मैंने अपने संशोधन में कहा है कि by law in this behalf (इस सम्बन्ध में कानून द्वारा) निकाल दिये जायें। यदि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहे तो वह सभा को अपने विचारों से अवगत करायें।

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य ने सोने के आयात और चांदी के निर्यात के बारे में टिप्पणी की। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इस प्रश्न के सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर विचार किया है। अन्ततः हम इस परिणाम पर पहुँचे कि यह एक बहुमूल्य धातु है, हमें इससे भी अपनी मुद्रा की स्थिरता बनाये रख सकते हैं। अतः चांदी का निर्यात करना वांछनीय नहीं समझा गया। हम इस समूचे प्रश्न पर फिर से विचार करेंगे।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन का सम्बन्ध है इन शब्दों को निकालने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार के विधान में इनका प्रयोग होता है। एशियाई विकास अधिनियम, 1966 में भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न पर अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने भी विचार किया था। हम इस प्रथा का अनेक वर्षों से अनुसरण कर रहे हैं। अतः मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य अपने इस संशोधन पर जोर नहीं देंगे।

श्री लोबो प्रभु : मैं समझता हूँ कि इन शब्दों को रखने का कोई अर्थ नहीं है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment No. 1 was put and Negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खंड 3

श्री लोबो प्रभु : मैं खंड 3 पर अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

यह खंड रिजर्व बैंक को धन के उपयोग, धन प्राप्त करने आदि की पूरी शक्ति प्रदान करता है। खंड 2 में कहा गया है कि कानून द्वारा धन निकाला जायगा किन्तु खंड 3 में रिजर्व बैंक को पूरी शक्ति दी जा रही है। मैं खंड 3 को पूरी तरह समाप्त करने के लिये नहीं कहता हूँ। किन्तु रिजर्व बैंक को इतने असीमित अधिकार नहीं दिये जाने चाहिएं। रिजर्व बैंक को केवल 10 या 25 करोड़ रुपये तक का अधिकार दिया जाना चाहिए और उससे अधिक के लिये उसे सरकार की सहमति लेनी चाहिए। अतः मेरा अनुरोध है कि सभा यह संशोधन स्वीकार कर ले।

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य के संशोधन में रिजर्व बैंक के अधिकारों को सीमित करने की बात कही गई है। वास्तव में रिजर्व बैंक के असीमित अधिकार देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से भारत अपने कोटे में केवल 70 प्रतिशत: धन निकाल सकता है। सरकार द्वारा धन नियतन के बाद ही रिजर्व बैंक इस निधि से धन निकाल सकता है। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में अपने कोटे के अनुसार ही नियतन करती है। सरकार चाहती है कि वह धन निकालने के अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करे और सरकार की ओर से यह कार्य रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक को धन निकालने का विशेष अधिकार तब मिलता जब कि 70 प्रतिशत से अधिक धन खर्च हो जाता है। इसके लिये हमें व्यवस्था करनी पड़ती है क्योंकि योजना के अन्तर्गत ऐसा करना आवश्यक है। अतः मैं समझता हूं कि इसमें रिजर्व बैंक को असीमित अधिकार देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

यह प्रश्न उस समय पैदा हो सकता है जब कि भारतीय रुपया परिवर्तनीय होता है और कोई अन्य देश धन निकालने के अपने विशेष अधिकार से उसे प्राप्त करना चाहता है जैसे कि हम इस समय डालर के लिये कह रहे हैं। हम इस समय अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं और समय पड़ने पर हमें अपना उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ेगा। इसके लिये धारा 4 के 25 वें अनुच्छेद में सीमाएं और शर्तें निर्धारित की गई हैं इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में सीमाएं निश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह अपने संशोधन पर जोर न दें।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The Amendment was, by leave withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं श्री के० एस० रामस्वामी की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

"कि मंत्रीयों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक में यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि कोई मंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसके द्वारा अथवा किसी मंत्री की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के द्वारा सरकारी आवास अपने पास रखने की अवधि में वृद्धि की जाये । इस समय कोई मंत्री अपना पद छोड़ने के बाद अपने सरकारी आवास में 15 दिन तक रह सकता है और इस विधेयक में इस अवधि को बढ़ाकर

एक महीना करने की व्यवस्था है। यदि किसी मंत्री की मृत्यु हो जाये तो उसका परिवार 2 महीने तक बिना किराये के तथा एक महीना और सामान्य किराया देकर सरकारी आवास में रह सके, ऐसी व्यवस्था भी इस विधेयक में की जा रही है। यह इस लिये किया जा रहा है ताकि मरने वाले मंत्री का परिवार अपने आवास की कोई दूसरी उचित व्यवस्था कर सके। मैं समझता हूँ कि सभा सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन करेगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

54 वां प्रतिवेदन

श्री द० रा० परमार (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 54वें प्रतिवेदन से, जो कि 19 नवम्बर, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 54 वें प्रतिवेदन से, जो कि 19 नवम्बर, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

भारतीय न्यासकारिता विधेयक
THE INDIAN TRUSTEESHIP BILL

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, I beg to move :

"That leave be regranted to introduce Bill to provide for the creation of trust corporations and for matters connected therewith."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यास निगमों की स्थापना और तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

Shri George Fernandes : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 217 तथा 220 का संशोधन)

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक

MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT) BILL

(धारा 2, 3 आदि का संशोधन)

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, 1961, में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, 1961, में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूँ ।

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक

THE ORPHANAGES AND OTHER CHARITABLE HOMES (SUPERVISION AND CONTROL) AMENDMENT BILL

(नई धारा 21-क का रखा जाना)

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I Sir, beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend to Orphanages and other Charitable Homes (Supervision and Control) Act, 1960,"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1960 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध (संशोधन) विधेयक

THE WORKING JOURNALISTS (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL

(धारा 2 का संशोधन)

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध 1955, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध 1955, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री स० कुन्दू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक

THE INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

(धारा 11 का संशोधन)

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री स० कुन्दू : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक

THE CHILD MARRIAGE RESTRAINT (AMENDMANT) BILL

(धारा 2, 3 आदि का संशोधन)

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

स्टेट बैंक आफ इन्डिया (संशोधन) विधेयक

THE STATE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL

(धारा 17, 19 आदि का संशोधन)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the State Bank of India Act, 1955."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1955, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

THE COMPANIES (AMENDMENT) BILL

(धारा 252 का संशोधन तथा नई धारा 255-क आदि का रखा जाना)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the companies Act, 1956."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि कम्पनी अधिनियम, 1956, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक

THE LIFE INSURANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL

(धारा 19, 23 आदि का संशोधन)

Shri Madhu Limaye (Mondhyr) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Life Insurance Corporation Act, 1956."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL

(धारा 3, 4 आदि का संशोधन)

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Salaries and Allowances of Mmisters Act, 1952."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Yashwant Singh Kushwah : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 15, 16 आदि का संशोधन)

श्री सिद्दय्या (चामराजनगर) : "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पश करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री सिद्दय्या : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(नये अनुच्छेद 24-क का रखा जाना)

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) ; Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Shiv Chandra Jha : I introduce the Bill.

धर्म परिवर्तन रोक विधेयक

THE PREVENTION OF CONVERSION BILL

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to restrict the conversion of religion of minors."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अवयस्कों के धर्म परिवर्तन को रोकने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Yashwant Singh Kushwah : I introduce the Bill.

शहरी सम्पत्ति पर उच्चतम सीमा विधेयक

THE CEILING ON URBAN PROPERTY BILL

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरी) : श्रीमन, मैं रामेश्वर राव की ओर से प्रस्ताव करती हूँ :

"कि शहरी सम्पत्ति पर उच्चतम सीमा निर्धारण करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शहरी सम्पत्ति पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। चूंकि इस विधेयक का संविधान के अनुच्छेद 31-क से विरोध है और यह असंवैधानिक है इसलिए इसे पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के लिए अनुमति दे चुकी हैं। अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता ?

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करती हूँ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया (संशोधन)

STATE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL

(धारा 19, 21 आदि का संशोधन)

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1955, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1955, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

बिहार आणविक प्राधिकरण विधेयक

THE BIHAR ATOMIC AUTHORITY BILL

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the formation of an Authority for the purpose of setting up an atomic plant in Bihar and for matters connected there with".

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिहार में एक आणविक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक प्राधिकारण के गठन तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

Shri Shiv Chandra Jha : I introduce the Bill.

भूतलक्षी विधान (विनियमन) विधेयक

THE RETROSPECTIVE LEGISLATION (REGULATION) BILL

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भूतलक्षी प्रभाव वाले विधान को विनियमित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूतलक्षी प्रभाव वाले विधान को विनियमित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ

सरकारी उपक्रम (करारों का अनिवार्य अनुमोदन) विधेयक

THE PUBLIC UNDERTAKINGS (COMPULSORY APPROVAL OF AGREEMENTS) BILL

सभापति महोदय : श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी अब अपना भाषण शुरू करें।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : श्रीमान्, गत सत्र में मैंने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये थे। तब से अब तक इससे सम्बन्धित कई घटनाएं घट चुकी हैं। 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने हुए वित्तीय वर्ष के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का जो प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है उससे मालूम होता है कि उक्त उपक्रम को इस वर्ष 40 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इससे पहले वर्ष उसे 38 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन की हानि भी 13 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हो गई है। इस प्रकार सरकारी उपक्रमों में जिनमें 3000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है, लगभग 30 करोड़ रुपये की हानि होती है। सरकारी उपक्रमों में घाटा नहीं होना चाहिए बल्कि उनमें लाभ होना चाहिए जिससे उस लाभ को पुनः पूंजी विनियोजन के रूप में लगाया जा सके। यदि इन उपक्रमों में लगी पूंजी से केवल 10 प्रतिशत का लाभ भी हो तो 360 करोड़ रुपये का लाभ देश को होगा। इन उपक्रमों में भारी कराधान से प्राप्त राशि को लगाया जा रहा है और इस प्रकार सार्वजनिक धन को बर्बाद किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप जन साधारण पर विपत्ति ढह रही है। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने भी इस बात का अनुभव किया था कि सरकारी उपक्रमों को सहायता आदि के रूप में असीमित राशि नहीं दी जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इनमें जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। यही नहीं, बल्कि ऐसे कुछ अधिकारियों को तो पदोन्नति देकर एक राज्य से दूसरे राज्य के उपक्रम में भेज दिया गया। होना तो यह चाहिए कि जो व्यक्ति हानि आदि के लिए जिम्मेदार हो उससे ही उस हानि को पूरा किया जाये। यदि उसके वेतन से हानि के पूरा होने की संभवना न हो तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसा होने पर ही अधिकारी गलत कार्य या करार आदि न करेंगे।

अब मैं सरकारी उपक्रम सम्बन्धी रिपोर्ट से कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर की गलती के कारण ट्राम्बे उर्वरक कारखाने का एक करार एक अमरीका की फर्म के

साथ गलत ढंग से किया गया। ठेका ऐसी फर्म को दिया गया जिसे न अनुभव प्राप्त था और जिसकी उक्त ठेके को पूरा करने की क्षमता भी नहीं थी। उक्त फर्म निर्धारित समय में काम पूरा न कर सकी और इसी कारण से ट्राम्बे उर्वरक कारखाने को 9.63 लाख का घाटा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि उक्त करार में दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध नहीं था। एक अन्य मामला यह है। मैसर्स कैमिको की ओर निगम का 8 20,000 डालर की राशि का दावा था। निगम ने उस दावे को वापिस क्यों लिया ? सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने इस सम्बन्ध में यह टिप्पणी की है कि इस मामले जांच की जाये और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये। किन्तु अब तक उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। करारों में गलतियां होने के कारण इसी प्रकार से अन्य कई मामलों में भी हानि हुई है। मशीनरी आदि सप्लाई करने वालों को दंडित नहीं किया जा सका। कुछ मामलों में माल निर्धारित समय पर नहीं दिया गया। कुछ खराब मशीनें सप्लाई की गई। ये सब दोषपूर्ण करारों के कारण हुआ। निगम ने गैस और नाफ्था की सप्लाई के लिए जो करार दो गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों के साथ किया था वह भी दोषपूर्ण था।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने पोवेल डफरिन टेक्नीकल सर्विसेज लिमिटेड के साथ करार किया। इस मामले में भी कोई टेंडर नहीं मांगे गये थे।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को उसके द्वारा किये गये एक करार में त्रुटि के कारण हानि उठानी पड़ी थी। तत्कालीन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार उस त्रुटि की जांच करेगी। परन्तु इस बारे में अभी तक सभा को कोई सूचना नहीं दी गई है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि सरकार को एक स्थायी अभिकरण बनाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये जो विदेशी फर्मों के साथ करार करने के मामले में सरकारी उपक्रमों को परामर्श दे।

मेरे विधेयक का अभिप्राय भी कुछ इसी तरह का है। मंत्री महोदय को इसे समझने की कोशिश करनी चाहिये। मैं तो इस विधेयक द्वारा उनके हाथ मजबूत करना चाहता हूँ। इस सभा को मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि यह राष्ट्रीय हित में है। हो सकता है कि करारों में त्रुटि न हो। परन्तु एक केन्द्रीय प्राधिकारी को--चाहे वह संयुक्त सचिव के दर्जे का हो--सभी करारों के अन्तिम प्रारूप भेजने में क्या हानि है ? वह उन करारों की जांच करेगा और उन्हें ठीक रूप देगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। इस तरह की आन्तरिक जांच बहुत आवश्यक है। इस तरह की जांच से त्रुटियां रहने की संभावना कम हो जाती है।

माननीय मंत्री को इस विधेयक को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह त्रुटिपूर्ण करारों से होने वाली हानि से देश को बचाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री न० कु० सांधी : माननीय सदस्य श्री कोठारी द्वारा यह विधेयक लाये जाने पर मुझे बड़ा आश्चर्य है। वह नियंत्रणों को हटाने के लिये आन्दोलन करते रहे हैं और विलम्ब की निन्दा करते रहे हैं। परन्तु उनके इस विधेयक से विलम्ब को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

इस विधेयक से त्रुटिपूर्ण करारों से होने वाली हानि कम नहीं होगी। इतनी सारी औपचारिकताओं तथा उप-समितियों द्वारा विचार के बाद करारों को अन्तिम रूप दिया जाता है। प्रस्तावित व्यवस्था से करारों को अन्तिम रूप देने में और अधिक विलम्ब होगा। हमें ऐसी बहुत सी परियोजनाओं का पता है जो पिछले इस वर्ष से अटकी पड़ी है क्योंकि उन्हें एक के बाद दूसरी समिति को जाँच के लिये सौंपा जाता रहा है। छोटी कार परियोजना ऐसा ही एक उदाहरण है। विदेशियों के साथ सहयोग करार बहुत सी बातों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिये कोका कोला एक विश्व-विख्यात पेय है और यह स्वाभाविक है कि वे लोग अपनी शर्तों पर ही करार करने के लिये तैयार होंगे। इसके विपरीत पेप्सी कोला इतना विख्यात पेय नहीं है और वे लोग हमारी शर्तों के अनुसार समझौता करने के लिये राजी हो जायेंगे यदि ऐसी चीजें विधि मंत्रालय को स्वीकृति के लिये भेजी जायेंगी तो उन्हें सारी पृष्ठ भूमि का पता न होने के कारण कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी।

श्री कोठारी ने अभी कहा है कि हिन्दुस्तान स्टील ने 40 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। परन्तु इसके लिये कौन दोषी है ? सरकार द्वारा समय-समय पर इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति न दिये जाने के कारण ही उसे इतना अधिक घाटा हुआ है। कोई विलम्बकारी व्यवस्था करने की बजाय हमें इन उद्योगों के कर्णधार व्यक्तियों को अधिक स्वविवेक प्रदान करना चाहिये। अपना कर्त्तव्य पालन न करने पर हम अवश्य ही दण्ड दे सकते हैं।

संविधान (संशोधन) अधिनियमों तथा अन्य अधिनियमों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित किया गया है। इसलिये यह जरूरी नहीं है कि कानून विभाग द्वारा स्वीकृत प्रारूप कानून की कसौटी पर खरा उतरे। इसलिये मेरी राय में इस विधेयक की कतई आवश्यकता नहीं है और इसपर चर्चा करके सभा का समय बर्बाद न किया जाये।

श्री नन्द कुमार सोमानी : उद्योगों के प्रबन्ध के अपने सीमित अनुभव के आधार पर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह सुझाव औद्योगिक प्रबन्ध के सुस्थापित तथा आजमूदा सिद्धान्तों के पूर्णतया विरुद्ध है। जहां तक इन सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, मैं सरकारी अथवा गैर-सरकारी उपक्रमों के बीच कोई अन्तर नहीं समझता हूं। जब हम निदेशक बोर्ड को पूर्ण जिम्मेदारी सौंप देते हैं तो हमें उनके हाथों में बेड़ी डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। उन्हें लाभकारी विचार-विमर्श और और समय पर निर्णय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। हां, उन्हें अपने लक्ष्य का आभास जरूर करा दिया जाना चाहिये

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

समाजवादी देशों में भी अब यह महसूस किया जाने लगा है कि कम्पनियों को लाभ पर चलाने के लिये पारितोषिक तथा अन्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त अधिकारियों को मौके के अनुसार निर्णय करने के लिये अधिक स्वविवेक प्रदान करना होगा और कम्पनी को चलाने वाले अधिकारियों पर ही जिम्मेदारी डालनी होगी।

अक्तूबर 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संगठनात्मक

ढांचे की विस्तार से जांच की थी और इस बारे में एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है जिसमें सिफारिश दी गई है कि सरकारी क्षेत्र का उपक्रम एक संविहित निगम होना चाहिये और अधिकारियों तथा निदेशकों को पर्याप्त अधिकार तथा जिम्मेदारी प्रदान की जानी चाहिये ताकि उन्हें किसी निर्णय आदि के बारे में बार-बार दिल्ली के चक्कर न काटने पड़ें।

कम्पनियों को चलाने में प्लांट स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिये। प्लांट अधिकारियों को मौके के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। सरकारी उपक्रमों के कार्य-कुशल न तथा अर्थ व्यवस्था के हित में हमारा दृष्टिकोण सदैव यही रहा है कि वित्तीय सलाहकार को अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहियें। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि उसे सीधे वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट नही देनी होती है, उसे अपना कार्य इस तरह करना होगा जैसे कि वह प्लांट स्तर पर निदेशक मण्डल के अन्तर्गत हो। जब संगठन संबंधी ये सब समस्याएं हल हो जायेंगी और उद्योग के स्थानीय प्रबन्धकों को यह जिम्मेदारी तथा अधिकार दे दिया जायेगा तो इस तरह के सुझाव का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा। 1967-68 में श्री कोठारी ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सरकारी उपक्रमों के वित्तीय प्रबन्ध के बारे में रिपोर्ट तैयार की थी। जहां तक मैं समझ पाया हूँ उनकी रिपोर्ट का आशय यह था कि कारखाने को वित्तीय कार्यकारी तथा नीति बनाने सम्बन्धी शक्तियाँ देनी चाहिये। इस विधेयक का परिणाम क्या होगा। मेरी राय में कोई भी सरकारी उपक्रम बिना सोचे-समझे विदेशी सहयोग करार नहीं करेगा। मैं तो विदेशी सहयोग का हिमायती ही नहीं हूँ जब तक कि वह अत्यन्त आवश्यक न हो। जहां तक यह विधेयक स्थानीय प्रबन्धकों के इस अधिकार को कम करना चाहता है ताकि वे अपने शेष जीवन में कतई कोई गलती न करें, मैं इसका समर्थन करने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं मालिकपन को पसन्द नहीं करता। सभी निर्णयों का जहां तक संभव हो विकेन्द्रीयकरण करना पड़ेगा। इस दृष्टि मैं इसका विरोध करता हूँ।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : All these public sector undertakings with huge sums in invested in them came into being with them sole objective of running them and for four thing the national interests.

The private Sector entrepreneurs have profit-making as their main objective. The society and the nation are of secondary importance to them. Improving the standard of living of the people, making them things available at cheaper rates and attaining maximum production in the shortest possible time was the motivating spirit behind the decision of establishing public sector enterprises. But it is very regrettable to note that all our hopes have been belied The public sector undertakings have all along been showing losses and have not cared to improve their performance. The previous speakers have rightly stressed that more initiative and responsibility should be given to the local management and the officers at the plant level. But they shall also have to see that the huge amounts that we have invested there are safe. In the private sector people are making profits but the public sector is incurring heavy losses. If we want to bring about socialism and take our economy out of the present morass, we shall have to run them in such a way that they are able to give us the maximum possible return officialdom is mainly to blame for their surtaining heavy losses. Those officers have no faith in socialism.. The private sector entrepreneurs leave no stones unturned to see that their concerns give sufficient ruturns. The management of our public sector undertakings should make an all out effort to make those undertakings a success.

I support the Bill of Shri Kothari since because the present procedure of the public sector undertakings betrays certain lacune. In my opinion nepotism thrives in the public sector. For example, in the case of Hindustan Zinc Limited, Udaipur, it was decided after negotiating on foreign collaboration that only 30—35 officers would suffice. But today their number has swelled to 100. This is the result of the autonomy enjoyed by them.

I am not against giving a free hand to the local officers but there should be some machinery to keep a strick watch on their dealings especially when financial powers are being given to them, in order that our public sector undertaking do not incur heavy losses in future.

If the stock in the public undertakings is subjected to scrutiny, many discrepancies would come to light. They are over-staffed and this is one of the causes or higher cost of production. Our national character is not so high that we can leave everything to our officers. I agree with Shri Kothari that there should be some central machinery to make a through scruting of the foreign collaboration contracts and others before they are finally entered into. This is pointed in the context of pubic sector undertaking having been subjected to public criticism.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : यह बात सही है कि सरकारी क्षेत्र के सभी कारखाने लाभ में नहीं चल रहे हैं परन्तु इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि हमारे पास उन्हें चलाने के लिये प्रशिक्षित अधिकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनमें बहुत हस्तक्षेप किया जाता है जो नहीं किया जाना चाहिये। कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है तथा कई बार निहित स्वार्थ के कारण। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ कारखानों में आवश्यकता से अधिक मजदूर रखे गये थे। ये ऐसी चीजें हैं जिनके कारण सरकारी क्षेत्र के कारखानों में हानि होती है।

यह ऐसा जटिल मामला है जिसमें मैं समझती हूँ कि इस विधेयक को पारित करने से कोई सुधार नहीं हो सकता। तीसरे उनमें लेखा परीक्षा की वाणिज्यिक प्रणाली न होने से हानि हो रही है। जब यह प्रणाली गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में अच्छी तरह से काम कर सकती है तो मैं नहीं समझती कि वह सरकारी क्षेत्र में अच्छी तरह से काम क्यों नहीं कर सकती।

मैं यह भी स्पष्ट तौर पर कह देना चाहती हूँ कि करार और समझौते के कारण ही हानि नहीं होगी।

इन सब बातों को देखते हुए मैं समझती हूँ कि इस समय यह विधेयक लाना आवश्यक नहीं है।

श्री जयपाल सिंह (खुन्टी) : मैं भारत के औद्योगिक क्षेत्र से आया हूँ। सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े कारखाने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। मैं जानता हूँ कि वे अच्छी तरह नहीं चल रहे हैं परन्तु मैं माननीय मित्र श्री बोहरा की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वहाँ काम करने वाले अधिकारी समाजवादी ख्याल के नहीं है। अब समय आ गया है कि हमें महसूस करना चाहिये कि वे हमारे देशवासी तथा सहयोगी है और वे अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं। हम उन्हें ऐसे स्थानों पर नियुक्त करते है जहां वे काम करने के योग्य नहीं होते हैं।

दूसरी बात यह है कि नये-नये मंत्रियों के कारण भी ऐसे कारखानों को नुक्सान पहुंचता है। वे मंत्री उनमें अपने व्यक्ति खपाना चाहते हैं। श्री के० डी० मालवीय ने हैवी इंजीनियरिंग

कारपोरेशन में अवैतनिक रूप से काम किया परन्तु निगम को 3,000 रुपये महीने उनके मालियों, चपड़ासियों तथा अन्य व्यक्तियों आदि पर व्यय करना पड़ा।

कई बार कमीशन पर कार्य कराने से भी सरकारी क्षेत्र के कारखानों को हानि होती है। कुलजियाना निगम को अमरीका से क्रय करने पर कमीशन के रूप में काम करने को कहा गया। तब उन्होंने अत्यधिक मूल्यवान वस्तुयें खरीदी क्योंकि जितना अधिक मूल्य था उतना अधिक ही उन्हें कमीशन मिलना था।

मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समितियों का सदस्य रह चुका हूँ और जानता हूँ कि वहां कई बार यह कहा जाता है कि इन उपक्रमों को वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाये। परन्तु बाद में उनमें राजनीति घुस आती है जिससे सारा काम खराब हो जाता है। मुझे रांची में भूमि अर्जन का काम करना पड़ा। तब मुझे पंडित नेहरू ने यह आश्वासन दिया था कि प्रति माह 500 रुपये वेतन वाले पदों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु लेबर समिति तथा अन्य समितियों को प्रतिवेदन देखने से पता चलेगा कि उस आश्वासन को कहाँ तक पूरा किया गया है। यहां हम देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद की बात करते हैं परन्तु वास्तव में कुछ और ही हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि केवल आदिवासियों को ही नौकरी दी जाये परन्तु जिन लोगों से भूमि ली जाये उन्हें नौकरी अवश्य मिलनी चाहिये।

हमें अपने ऊपर तथा अपने कर्मचारियों पर विश्वास रखना चाहिये। जैसाकि श्रीमती शारदा मुकर्जी ने कहा है हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि केन्द्रीय अधिकारी वहां काम करने वाले अधिकारियों से अधिक बुद्धिमान हैं। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तब उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति रखा जा सकता है। केन्द्रीय संचिवालय में भी अधिकारी बाहर से ही लाये जाते हैं। वास्तव में उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है क्योंकि वह कार्य स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं। वे फाइलों के ढेर देखते रहते हैं और चीजों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मुझे कुछ ऐसे मामलों का पता है जिनमें लोगों को छः महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। ऐसी चीजें हो रही है। इन्हें देखते हुए मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें।

हमें समाजवाद के बारे से बहुत बातें नहीं करनी चाहियें। समाजवाद विभिन्न तरीकों से लाया गया है। अमरीका जैसे पूंजीवादी देशों में भी समाजवाद है। ग्रेट ब्रिटेन में भी समाजवाद है तथा स्विटजरलैंड में भी। रूस में समाजवाद एक किस्म का है तथा चीन में दूसरी किस्म का।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। मैंने यह नहीं कहा था कि अधिकारी देशभक्त नहीं हैं। उनमें कुछ गद्दार भी हो सकते हैं जो प्रायः सभी श्रेणीयों में होते हैं।

श्री जयपालसिंह : इस सभा में भी बहुत गद्दार हैं। अतः मैं न केवल केन्द्रीय सरकार को बल्कि राज्य सरकारों से भी प्रार्थना करूंगा। हर एक निदेशक बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति राजनीतिक दबाव से की जाती है जो अच्छी चीज नहीं है। इसलिये उन पदों पर उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये जो उनके योग्य हों।

अतः मैं श्री कोठारी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने विधेयक को वापिस ले लें।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : In clause 6 of the Public undertakings (compulsory Approval of Agreements) Bill, 1969 says that the person who is responsible for the agreement should either be fined or punished. Now the point is that who can be held responsible for the agreement. I feel that in Government of India there is no law for fixing the responsibility. In order to fix the responsibility we will have to make an amendment in the constitution.

The second point is that there is a gener.l feeling that the public Sector undertakings are running at a loss. But we should see how for this criticism is correct. The Government should take the public into confidence and tell them the achievements as also the failures of the public sector undertakings. The failure, cannot be comeuflaged for a long time. The facts are relentless and they must come to light someday. If we suppress the facts, the next generations will not pardon us We should try honestly to remove those short comings. I will give you now one instance, S. T. C. had entered into an agreement with Messrs Oval Industries. This has been mentioned in para No. 50 of P. U. C. report No. 5. There is a big scandal involved in it. Similarly Indian Drugs Pharmaceuticals had entered into an agreement with Techn. Experts, Moscow and there was a loss. On account of an agreement I. D. P. L. Rishikesh has also wasted a sum of Rs. 25 crores. The machinery supplied by Russia was useless. The persons responsible for their agreement should be punished. According to para 5.12 of 43rd report of 4th Lok Sabha Fertiliser corporation of India had entered into an agreement with Bikaner Gypsum Limited. The agreement could not materialise because it was defective. There is also a mention of an agreement signed between N. M. D. C. and Zafran Consulting Institute. The hon. Minister should see as to what were the defects, in the agreements so that the same may not be repeated in future.

The issue regarding Ashoka Hotel was raised here by Shri Madhu Limaye since there were some defects in the Agreement as a result of which there was a loss of Rs. 4 lakhs. Such defects provide opportunities to the people to criticise the Public Sector undertakings and we can avoid such critcism only by eliminating there discrepancies.

No useful purpose will be served if the Central Government were to examine and approve the laws concerning such agreements. For this purpose the Corporations themselves should be provided with expert legal advisers who could draft flamless agreements at initial stage. However, the Government should fix responsibility in case of such agreements.

The practice of appointing old and retired legal advisers in these undertakings should also be done away with. The terms and conditions of recruitment in these undertakings should be at par with those in Government Offices. This would enable these concerns to have young blood who would like to work hard with a view to getting credit for that and also for good career as a result thereof. The old and retired people, on the other hand, generally do not have any such incentives in view.

However, I respect the sentiments of Shri Kothari that all the malpractices in these Uudertakings should be stopped, but it will not be fruitful to do it through Government. He should, therefore, withdraw his Bill.

*श्री राजा राम (सलेम) : मेरे माननीय मित्र श्री कोठारी द्वारा प्रस्तुत सरकारी उपक्रम (करारों का अनिवार्य अनुमोदन) विधेयक, 1969 का द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल की ओर से मैं समर्थन करता हूँ । इसे अपना पूर्ण समर्थन देने से पूर्व मैं इस विधेयक की कुछ कमियों को भी स्पष्ट करना चाहूँगा ।

*मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित :

*Summarised translation of the English translation of the speech delivered in Tamil.

श्री कोठारी ने बताया है कि सरकारी उपक्रमों में 3,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है तथा उनसे प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है और इससे कुछ लाभ होने की सम्भावना भी नहीं दिखाई देती। मूल रूप से तैयार किये गये करारों के दोषों और कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही उन्होंने यह विधेयक पेश किया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसे दोष इन क़रारों में न रहें जिनसे कि देश को हानि होती है।

इन सरकारी उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचारी प्रभाव से हम सब परिचित हैं, राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए कोई मापदंड नहीं रखा गया है। जो कुछ केन्द्र सरकार लिख भेजती है वही वहां हो जाता है। जिन लोगों के लिये ये उपक्रम स्थापित हुए हैं उनकी कुछ सुनाई नहीं होती। लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित राज्य सरकारों के इन उपक्रमों में कोई अंश नहीं होते। स्थानीय सरकारों और स्थानीय लोगों का इनमें कोई भाग नहीं होता।

श्री कोठारी ने आवश्यकता प्रकट की है कि क़रारों के मसौदों की जांच करने के लिये कोई केन्द्रीय एजेन्सी होनी चाहिये। कुछ सदस्यों ने इससे अनावश्यक विलम्ब होने की शंका व्यक्त की है परन्तु इन उपक्रमों के बारे में अपने अनुभव के आधार मुझे इस दलील में बल दिखाई नही देता।

1967 के चुनाव के बाद, विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों का शासन हो जाने के बाद और यहां तक कि संसद् में भी शासक दल के टुकड़े हो जाने के बाद स्थिति में भारी परिवर्तन हुआ है। इस स्थिति में भी, जिन लोगों के लाभ के लिये ये उपक्रम बनाये गये हैं उनका या उनके प्रतिनिधियों का उसमें कोई दखल नहीं है। क्या यह निन्दनीय बात नहीं है ? अभी हाल ही में हमारे लोकतंत्र के राष्ट्रपति श्री वि० वि० गिरि ने मद्रास में मद्रास तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन किया परन्तु इस समारोह में राज्य सरकार के मंत्रियों को आमंत्रित नहीं किया गया। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी उपक्रमों का कार्य कैसा चल रहा है। इन उपक्रमों का सारा प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के हाथ में हैं। वे इन में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं चाहते। वे तो केवल केन्द्रीय मंत्रियों और उच्चाधिकारियों की परवाह करते हैं। ये उपक्रम भी एक प्रकार के रजवाड़े से हैं तथा यहां के अधिकारी-राजकुमार ही यहां का सब प्रबन्ध सम्भाले हुए हैं। वे महाराजाओं से भी ऐश्वर्य पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें से अनेकों को तो 20-20 कारों की सुविधा प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आप इन उपक्रमों में कोटे के अतिरिक्त अन्य किस बात की आशा कर सकते हैं। गैर-सरकारी उपक्रमों को तो घाटा नहीं होता।

प्रश्न यह है कि सरकारी उपक्रमों को घाटा क्यों होता है ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? दोषी अधिकारी को जिम्मेवार ठहरा कर उसे दण्ड क्यों नहीं दिया जाता ? देश के सामान्य निर्धन लोग तो इस विषय में कुछ नहीं जानते। विदेशी सरकारों से ऋण लिये जाते हैं, मूल्यवान संयंत्र खरीदे जाते हैं तथा फिर यह सब कुछ विदेशों में प्रशिक्षित इन अधिकारियों के हवाले कर दिया जाता है। परन्तु इन्हें इनकी त्रुटियों के लिये दोषी नहीं ठहराया जाता। श्री जयपाल सिंह इन अधिकारियों को देशभक्त भारतीय कहते हैं। क्या देश को लूटना ही देशभक्ति है ? होना तो यह चाहिये कि हर दोषी व्यक्ति को उपयुक्त दंड दिया जाये। किसी दोषी अधिकारी

को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये चाहे वह किसी संसत्सदस्य का मित्र या सम्बन्धी ही क्यों न हो। मगर न जाने यह दुष्प्रक्रिया कब समाप्त होगी।

हम किसी भी देश से संयंत्र और मशीनरी खरीदने के लिये दौड़ पड़ते हैं, चाहे उसका मूल्य कितना ही अधिक क्यों न हो। परन्तु जब यहां प्रचलित मूल्यों से तुलना की जाती है तो सरकार का यहीं उत्तर होता है "क्या करें, केवल यही देश हमें यह सामग्री दे रहे हैं।" इसी कारण देश में आर्थिक गड़बड़ी हो रही है।

मैं इसका दृढ़ता से समर्थन करता हूँ कि इन करारों की जांच करने तथा स्वीकृति देने के लिये किसी केन्द्रीय प्राधिकरण की व्यवस्था होनी चाहिये परन्तु इन करारों को अविलम्ब स्वीकृति दी जानी चाहिये। सम्बन्धित अधिकारियों को अनावश्यक भागदौड़ में समय नष्ट नहीं करना चाहिये। श्री कोठारी अपने विधेयक में एक संशोधन भी करें कि प्रत्येक क़रार का मसौदा पेश किये जाने के एक या दो दिन के भीतर ही इसकी जाँच कर लेनी चाहिये तथा इस पर स्वीकृति दे दी जानी चाहिये। इस कार्य में कोई विलंब नहीं किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) ; श्रीमन् जैसे कहावत है कि "गरीब की जोरू और सब की भाभी", उसी प्रकार जब कभी भी हमारी अर्थव्यवस्था में कोई गड़बड़ होती है हम सरकारी उपक्रमों की आलोचना करने लगते हैं।

यह सब जानते हैं कि जिन देशों की सारी अर्थव्यवस्था सरकारी उपक्रमों पर आधारित है तथा जहां सारी उत्पादन व्यवस्था का केन्द्रीयकरण भी किया गया है, वहां भी वर्षों के अनुभव के पश्चात् यही निष्कर्ष निकाला गया है कि उद्यमों का अधिकाधिक विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिये तथा सरकारी उपक्रमों को एक ही केन्द्र से नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिये।

मैं श्री कोठारी से पूरी तरह सहमत हूँ कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित सभी करारों की बड़े ध्यान से जांच की जानी चाहिये परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि दोषों के कारण कितने क़रार अब तक सरकारी उपक्रम समिति अथवा लोक लेखा समिति के सामने पेश किये गये हैं। इनकी संख्या अधिकाधिक बीस होगी। परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र की क्या हालत है ? उनके हजारों ऐसे मामले हैं जहां करारों में दोष है। मगर क्या उनकी जाँच भी इस सभा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई ?

कुछ सरकारी उपक्रमों में काम बड़ा अच्छा हो रहा है। आल इण्डिया के बारे में प्राक्कलन समिति में हमने जांच की थी। हां ट्राम्बे फर्टिलाइजर्स के बारे में हमें कुछ त्रुटियां मिली थीं, परन्तु ये त्रुटियां प्रक्रिया में दोष के कारण नहीं थी। इस सन्दर्भ में वित्त मंत्रालय से सलाह न लेने पर सरकार दोषी अधिकारियों को दंड दे सकती है।

फिर कोई भी सरकारी उपक्रम वित्त तथा मंत्रालयों से सलाह लिये बिना विदेशों से करार नहीं कर सकता यदि कहीं किसी मामले में ऐसा नहीं हुआ तो यह एक गम्भीर भूल है तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

श्री सोमानी सरकारी क्षेत्र में विश्वास नहीं रखते परन्तु फिर भी उन्होंने कहा है कि सरकारी उपक्रमों को अधिकाधिक स्वायत्ता दी जानी चाहिए। इन्हें केवल एक ही केन्द्र से नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह केन्द्र इस यूनिट के उत्पादन कार्यक्रमों तथा उससे सम्बन्धित कठिनाईयों को नहीं समझता। यह तभी सम्भव हो सकता था जब सरकारी उपक्रमों में केवल 20 करोड़ रुपया लगा हुआ था परन्तु आज तो यह लागत 4,000 करोड़ रुपये है तथा यह उद्योग सारे देश में फैला हुआ है। अतः इन एककों को अधिकाधिक स्वायत्त-शाली बनाया जाना चाहिये।

मैं यह मानता हूं कि कुछ करारों में कुछ कमियां तथा दोष रहे हैं, जिनसे देश को हानि हुई है। परन्तु मैं इस प्रस्तावित समाधान से सहमत नहीं हूँ। यदि कुछ अधिकारी भूल करते हैं तो सरकार को अधिक सावधान होना चाहिए तथा उन दोषी अधिकारियों को दंड दिया जाना चाहिए। उससे स्थिति ठीक हो जायेगी। मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बहुत विश्वास रखता हूँ।

श्री हिम्मतसिंहका (गोडा) : इस विधेयक में निहित सिद्धान्त का तो मैं समर्थन करता हूँ परन्तु श्री कोठारी ने एक गलत बात पर जोर दिया है। अनेक ऐसे उद्योग हैं जोकि केवल सरकारी उपक्रमों में ही पनप सकते हैं क्योंकि भारी धनराशि व्यय होने के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र उन्हें नहीं स्थापित कर सकता। अतः सरकारी उपक्रमों का होना अत्यावश्यक है तथा इनकी स्थापना, उनके आयोजन तथा उन्हें आरम्भ करते समय विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि कोई बड़ी गलती न हो तथा इतनी बड़ी धनराशि की लागत का कुछ लाभ हो। दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड कथा भारी इंजीनियरिंग निगम जैसे बड़े कारखाने घाटे में चल रहे हैं। अतः इन उद्योगों को आरम्भ करते समय किसी भी भूल के प्रति सतर्कता बरती जानी चाहिये।

एक उदाहरण देता हूँ। जब तांबा परियोजना आरम्भ की गई तो सरकार के सामने 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति का प्रस्ताव रखा गया था, परन्तु अब 80 करोड़ रुपये लगाने के बाद भी खानों से एक औंस भी तांबा नहीं निकल पाया है। जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है रूस तथा अन्य देशों से काफी मशीनरी खरीदी गई है और वह बेकार पड़ी है।

अतः किसी भी परियोजना के बारे में विचार करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें अत्याधिक धनराशि न डूबे जैसा कि सरकार द्वारा चलाये गये अनेक उद्योगों में हुआ है। उद्योगों को चालू करने के बाद भी काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

करारों की जाँच के बारे में उन्हें धनराशि के अनुसार श्रेणी-बद्ध करके किसी अन्य से उनकी जाँच कराने से उपक्रमों के कार्य में कठिनाईयाँ उत्पन्न होंगी। आवश्यकता तो इस बात की है कि सरकार द्वारा चालू किये गए उपक्रमों में योग्य लोग भर्ती किये जायें ताकि उनके निर्णय की जाँच करने के मौके ही कम आयें।

इसी लिये मैंने कहा है कि बड़े उद्योगों को आरम्भ करते समय समुचित सावधानी नहीं बरतने से देश को भारी क्षति होती है। अतः आरम्भ में ही पूरी तरह सावधान रहना श्रेष्ठकर है।

दूसरी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि किसी भी उपक्रम को गतिशील करने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। अधिक समय लगने से खर्च बढ़ जाता है और फलस्वरूप लाभ की बजाय हानि होती है।

इस प्रकार यदि सरकारी उपक्रम ठीक से चलेंगे लाभ कमाकर देंगे तो देश को सहायता मिलेगी तथा घाटे के बजट के कारण विवश होकर लगाये जाने वाले करों से मुक्ति मिलेगी। अतः उद्योगों को आरम्भ करते समय हर सावधानी बरती जानी चाहिये तथा वहाँ आरम्भ से ही योग्य और कुशल अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहियें। मुझे आशा है कि सरकार इस दृष्टि से इस विधेयक पर विचार करेगी।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The demand made by Shri S. S. Kothari in this Bill carries enough weight. No doubt it would check the autonomy of these autonomous bodies, but if malpractices corruption etc. is found in these bodies, there is no harm in exercising a bit of control or supervision on them by the Central Government. It is valid in the case of all sorts of autonomous bodies, otherwise these undertakings would become like independent kingdoms. So, it is very necessary to eliminate their malpractices, loop-holes and corruption and there should be some supervision on them.

Although we are heading towards socialism in the country but the results we achieved from these Public Undertakings presents a different picture. I am in favour of nationalising all the big industries. Besides that it is also very necessary that they do not suffer from losses. They have dumped 4,000 crores of rupees in these undertakings. Had they distributed this amount to the poor people, Harijans, Farmers and Adivasis, they might have got better returns, where each of their undertaking is showing deficit, what to speak of any profit. Our hard earned money should not be wasted like this.

Recently, I investigated into the affairs of Life Insurance Corporation and found that it is nothing but a centre of corruption. Poor people have no says there. Only rich people have their own way and get the maximum benefit. Poor farmers do not get money, for purchasing essential agricultural equipment like tractors, pumping sets etc. The poor people do not get money for purchasing rickshaws etc.

On seeing the working of Life Insurance Corporation we come to the conclusion that India cannot prosper in this way. If we want to build house in Delhi, we get thousands of rupees as loan but in villages if a Harijan wants to secure rupees two hundred, he will not get. Why this discrimination is made ? When a large amount can be spent in cities on speculation then why money is not given for welfare works in villages, for production, irrigation, electricity, roads and for the upliftment of villagers. I hope now there will be some change in these conditions, because our Finance Minister is very progressive.

There is corruption in the Transport Department. This department is earning a lot but you cannot check ticketless travelling in the trains and buses. Even bogus tickets are printed. *(Interruptions)*

I am emphasing that corruption should be checked. The Chairman of Life Insurance Corporation is an I. C. S. person. How a person who has been in the administrative service through out his life can be expected to do useful work in Life Insurance Corporation. All the I. C. S. and I. P. S. persons have been appointed on such posts where they cannot work efficiently. I mean to say that in all such crucial posts appointments should be made from the Private Sector. If they do not have persons of good talents, they should take them from outside. They can take experts of Birlas. It is necessary to curb large scale corruption and I agree with the contents of the Bill which has been introduced for the purpose.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I thank Shri Kothari for moving this Bill because it has given us a chance to think over the irregularities being indulged in the Public Sector

Units. It appears that its object is to remove those irregularities. But it is not sufficient, if this is the only object of the Bill. We will have to think about some basic things. The basic thing is that there is Congress rule in our country whose economic policy is mixed economic policy. It means that Capitalism and Public Sector, both should continue. But for the last 22 years their basic policy has been to promote Capitalism in India.

As long this policy will remain, they will not be able to set things right in Public Undertakings and all sort of irregularities will continue. I request that Government should not merely profess Socialism, because this will not be sufficient, and it will not serve the purpose. They should Practice Socialism and should make changes in the economic policy and should abandon the paths of development of Capitalism. Only then the Congress can rebuild their country and can effect economic development.

Today Public Sector industries are being set up in the country with the help of socialist countries. If we will be able to run them successfully, our country will become self-sufficient in economic matters. We will stretch our hands before others and there will be saving in our foreign exchange. We will able to take the country towards Socialism in the true sense. Therefore, there is necessity to make changes in the bosic policy.

I would like to say something about some Public Sector Units. Suratgarh Farm has been set up with the help of the Soviet Union. It has shown us a new path and proved as to how can we make deserts fertile. But unfortunately, efforts are made by some people who like Capitalism to attack those Public Undertakings or Farms which are run with the help of the socialist countries.

Shri Masani made, Public Accounts Committee, an instrument to attack Soviet Union, which should not have been done.

There is Antibiotics Factory in Hardwar which was set up with the help of Russia. It is a big factory and could make us self-sufficient in medicines. But Shri Ashok Mehta tried to malign it. He should have made efforts to promote it with the help of Soviet Union.

There is Heavy Engineering Corporation in Ranchi which is being run with the help of Soviet Union, Czeehoslovakia and other socialist countries. The position is that when the workers and employees ask for wages they are told by the government that they do not have money to pay. Everywhere there is one Chairman in all the Public Undertakings but there is one post of Deputy Chairman also in the Heavy Engineering Corporation. Mr. Jogota helps in creating riots. He did not like the decision taken in the Heavy Engineering Consultative Committee to settle the Muslim Employees. He secretly excited the Jan Sangh people and as a result the supporters of Jan Sangh who possess quarters, locked them. What is the necessity of Shri Jogota, the Deputy-Chairman ? It is ruinious to spend money like this There are about 1,500 to 2,000 officers. You can compare their wage Bill to that of workers and then you will come to know who are responsible for losses.

It cannot be tolerated that money should be wasted where the factories are being set up with the help of socialist countries. This also cannot be tolerated that the communal elements should be given a chance to break peace and stop production. Government s ould make arrangements to settle the Muslim Employees there. The decision of the Engineering Wage Board should be enforced forthwith. In Jamshedpur, Singhbhum and Haldia more than 50 thousand engineering workers are campaigning to get it enforced. In Public Sector Undertakings and Bokaro Steel Plant, the contractors are exploting the workers. They will have to change the basic policy of the Government Swatantra Party and Jan Sangh, people are trying to undermine their task. It will be harmful to the country. So they will have to be aware of them.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I support the Bill moved by Shri Kothari, All the hon. Members have said that we have suffered losses in the factories which are running in Public Sector.

The hon. Members know that 3,500 to 4,000 crores of rupees have been invested in these factories. Expenditure to the tune of 100 and 200 crores of rupees have been incurred on the establishing a single factory. Big machines have been installed in them, but the production is not according to our targets.

I want to say one thing more in Bhilai and Heavy Electricals Company, Bhopal, there are feelings of provincialism and regionalism. The Managing Director gives employment to those persons who belong to his region. The local persons are employed as casual labour only and none is appointed as an officer. Discrimination is done in this respect. There is discrimination in the matter of promotions also. A person with only four years of experience is given promotion while a person working hard for the last ten years is not given such encouragement, and as a result thereof frustration is created among them. In Bhilai, one Mr. Ahuja was appointed six years ago on Rs. 400/- but today he is getting Rs. 2,200/-. The persons of equal qualifications who used to get Rs. 300/- ten years ago are not getting even Rs 500/- today. The discontentment among the workers spreads because credit and promotion are not given to the deserving candidates.

Actually, this Bill invites the attention of the Government and the Public to the factors due to which we are incurring losses in the Public Sector Units in which Rs. 4.000/- crores have been invested. This matter should be gone into in depth.

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
Shri M. B. Rana *in the Chair*]

The management is responsible for the losses in the factories and there should be strict control on them. After all, why the Private Sector Units do not run in losses and why there are losses only in Public Sector Units ? Public Sector Units should be given full autonomy. But its results are not good. The management make appointments of officers and workers according to their wishes. They make agreements of their own choice and purchase material which they like, and in this way they do a lot of bungling.

In the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, machinery worth lakhs of rupees have not yet been put to use. What will happen to that ? A lot of amount has been spent on them. In this age of Science when there every minute advancement is made, those machines lying for many years become out of date and new machines come to be used. To curb losses in industries, it is necessary to keep control over the managers. We will have to see in our industries the drawbacks. This should also be kept in view that as far as possible the persons of the same State should be employed in the factories where they are situated.

The Managing Director of N. B. C. C. belongs to Uttar Pradesh. He has ousted many engineers on the plea that the undertaking is running in loss and has called many persons from Uttar Pradesh on deputation. It is not justified.

The time has come when we should see why the undertakings are running in losses even after 20 years. The officers who are responsible for all this should not be given so much lift that they should act according to their whims and misuse the public money and thus the undertaking should suffer losses.

It is my sugguestion that the Government should form a Consultative Committee in this respect, which should submit a report to the Government every month. Full investigations should be made in respect of the new deals and full control should be kept on behalf of the Government.

Shri Maharaj Sihgh Bharati (Meerut) : If there is a loss in any Public Sector, it is not due to its being in Public Sector. In Private Sector takes 10 tons of crude oil from the Assam Crude Oil, extracts one ton wax from it and sells it for rupees one thousand. But when the Public Sector takes the same crude oil it neither extracts wax from it nor

mobil oil. Today if Public Sector is not able to earn full benefit, it is all due to the unwise policy makers and workers.

If there can be increase of ten per cent in the production capacity of Hindustan Insecticides, then why the same scheme is not followed in the case of Bhilai or some other undertaking. If Durgapur Steel Plant is set up with the help of undertakings of England and its necessary equipments are not purchased from them and as a result of shortage of equipment there is under-production, it is all due to the mistakes committed by employees and our leaders. The gas production in Assam is given to the Assam Electricity Board at negligible price and the electricity produced from that very gas is given to the Namrup Public Sector Factory on such high rates as are never changed from any other factory of India.

Thus, if the Fertilizer wing of Namrup Factory thus in loss it is not the fault of the Public Sector. Electricity is given to Birla for Aluminium Factory in U. P. at the rate of 2 Naya Paise. While in Public Seetor, in Udaipur, the electricity is supplied to Zinc Smelter Plant at the rate of 9 Naya Paise. Even then we say that Public Sector is incurring losses. It is all due to the fault of our leaders and officers.

Heaps of iron scrap collects in Bhilai Steel Plant but that is not given to the small factory owners who want to purchase it. They auction it and the wholesalers of Calcutta take it away. Afterwards the small factory owners purchase it from them. These small factory owners are ready to pay 15% more if they are also given a small quantity at the rate of auction. Who is responsible for the losses ? Today the slag of your Steel Mills is going waste. They are unable to sell it. And who is responsible for all this ? Public Sector has been ruined by those officers and leaders who do not believe in Public Sector. Public Sector in itself is good.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : यह विधेयक और अधिक नियंत्रण करने, कार्य के केन्द्रीयकरण तथा उद्योग आरम्भ करने के लिये करार करने से सम्बन्ति है। जब हमारा देश विकासशील है तो हमारे लिए यह स्वाभाविक है कि हम किसी को भी आमंत्रित करें और सहयोग आदि द्वारा करार करें। जब मैं संयुक्त राष्ट्र गया था तब मुझे सरकारी उपक्रमों के होने वाली हानि की समस्या पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला था।

अधिकांश सदस्यों ने सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में कहा। वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी जानकारी तथा प्रबन्ध कुशलता की दृष्टि से गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के बीच थोड़ा अन्तर है। अगर ये तीन तत्व सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में मिलते हैं तो हम क्यों झगड़ें ? मुख्य बात यह है कि क्या हमें विभिन्न उपक्रमों को स्वायत्तता देनी चाहिए अथवा उन पर हमारा नियंत्रण और हस्तक्षेप होना चाहिए। क्या आप करार करते समय भी हस्तक्षेप और केन्द्रीयकरण करना चाहेंगे ? हम स्वायत्त निकायों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं, इसी समय यदि हम सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की सीमाएं निश्चित करने और उन पर रोक लगाने के विषय पर भी चर्चा आरम्भ कर देंगे तो दोनों का आपस में ताल-मेल कैसे रहेगा ?

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : उनके नित्य के प्रबन्ध के संबन्ध में न कह कर, मैं करोड़ों रुपयों के करारों की चर्चा कर रहा हूँ। उन्हें वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के लिए अन्तिम रूप में भेजा जाना चाहिये।

श्री रा० ढो० भण्डारे : मैं सरकारी क्षेत्र के कार्यों अथवा उसके प्रबन्ध के सम्बन्ध में

नही कर रहा हूँ मेरा एक साधारण-सा प्रश्न है कि क्या करार करने पर भी केन्द्रीय नियंत्रण होना चाहिये ?

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : सब से महत्वपूर्ण समय यही होता है ।

श्री रा० ढो० भण्डारे : केन्द्रीयकरण किस सीमा तक होना चाहिये ? विषय यहीं सीमित हो जाता है कि क्या करार करने की स्वतंत्रता पर केन्द्र का नियंत्रण होना चाहिये अथवा क्या वह इसमें हस्तक्षेप कर सकता है ?

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : उन्हें पूरी स्वतन्त्रता दीजिये । केवल स्वीकृति के लिए सभी करार सरकार के पास भेजें जायें ।

श्री रा० ढो० भण्डारे : मेरा दृढ़ विचार है कि यह हस्तक्षेप ही होगा और स्तर पर करार की कोई जांच अथवा उसका अध्ययन भी सम्भव नहीं है । इसलिए यह विधेयक लाना इस समय बिल्कुल भी उचित नहीं है, विकासशील देश की परिस्थितियों के अनुकूल न होने के कारण मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूँ ।

कुछ सदस्य हरिजनों की समस्याओं से लाभ उठाने को तत्पर हैं; समय-असमय वे हरिजनों और पिछड़ी जातियों की बात बीच में ले आते हैं । वे उन्हें मानों पशु समझते हैं कि जहां चाहा ढकेल दिया । ईश्वर के लिए प्रत्येक विषय में हरिजनों को न लाइये ।

***श्री नम्बियार** (तिरूचिरापल्लि) : सभापति महोदय, दक्षिण क्षेत्र की भाषाओं के अंग्रेजी और हिन्दी में साथ साथ अनुवाद करने की सदन में व्यवस्था हो गई है । इसलिये इस अवसर का लाभ उठाकर मैं तमिल भाषा में बोलूगा ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी द्वारा पुरःस्थापित सरकारी उपक्रम (करारों की अनिवार्य स्वीकृति) विधेयक, 1969 पर सदन में इसके पक्ष और विपक्ष में विचार प्रस्तुत किये गये हैं । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किसी व्यक्ति के साथ अथवा देश या विदेश के किसी सरकारी या अर्ध सरकारी निकाय के साथ जब भी 10 लाख रुपये अथवा उससे अधिक की राशि का करार किया जाये तो वित्त अथवा विधि मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा उसकी जांच की जानी चाहिये । इस प्रकार के करारों से कई बार जो भारी हानि उठानी पड़ती है उससे इस सतर्कता के कारण बेचा जा सकता है । कुछ सदस्यों ने उपरोक्त विचार व्यक्त किये हैं जबकि अन्य सदस्यों का विचार था कि इस प्रकार की जांच से राष्ट्रीय महत्व के परियोजना कार्यों में अत्यधिक विलम्ब हो जाया करेगा । हैदराबाद में, रामचन्द्र पुरम के स्थान पर बिजली के भारी संयंत्र को देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था । विदेशी सहयोग सहित इसके लिये 2 करोड़ रुपये का करार किया गया था । इसकी स्थापना स्विच गियरों के उत्पादन के लिये की गई थी । प्रारम्भ के तीन वर्षों में ही 95 लाख रुपये की हानि हो गई है । इस प्रकार के कुप्रबन्ध से राष्ट्र को धन के साथ-साथ संयत्रों की भी भारी हानि उठानी पड़ेगी । इसलिये यह बात तर्कपूर्ण है कि किसी

*मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित ।

*Summarised translation of English translation of speech delivered in Tamil.

केन्द्रीय अधिकारी द्वारा करार के प्रारूप की जांच अवश्य की जानी चाहिए। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस रूप में विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। हमें बड़े सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में इस विधेयक पर विचार करना चाहिये।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : सभापति महोदय: मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों से पूरी तरह सहमत हूँ। किन्तु मेरा विचार है कि इसे क्रियान्वित करने के लिये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। यह प्रश्न उठाया गया है कि सरकारी उपक्रमों की गतिविधियों पर सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिये। मेरा भी विचार है कि सरकारी उपक्रमों का काम ठीक नहीं चल रहा है। इसका मुख्य कारण सरकार का अनुत्तरदायी पूर्ण दृष्टि कोण है।

फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड की अनियमितताओं की ओर मैंने कई बार सदन का ध्यान आकर्षित किया है सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी उसके प्रबन्ध और करार के सम्बन्ध में आलोचना की है।

सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में अलोचना किये जाने के बाद पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री दा० रा० चव्हाण जब वहां गये तो उन्होंने फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड के प्रबन्ध की प्रशंसा की। जहां इस प्रकार के मंत्री होंगें वहां सरकारी उपक्रम रसातल में ही पहुँच जायेंगे। श्री दा० रा० चव्हाण ने वहां जा कर खूब मौज उड़ाई, ऐश की। यदि सभापति महोदय जांच करायें तो मैं इस अरोप को सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ।

पेट्रोलियम तथा रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : कुछ समय पूर्व मैं दौरे पर गया था और उस समय मैंने फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड को देखा था। एक नया उत्पादन प्रारम्भ करने की खुशी में प्रबन्धकों ने एक समारोह का आयोजन किया था। मैंने अपने भाषण में प्रबन्ध के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। बाद में समाचारपत्रों के संवाददाताओं के पूछने पर मैंने कोचीन उर्वरक परियोजना के सम्बन्ध में कहा था कि उसके प्रबन्ध कार्य से मैं पूर्णत: संतुष्ट हूं।

श्री ए० श्रीधरन : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने जिसकी निंदा की थी मंत्री महोदय ने उसी प्रतिष्ठान के प्रबन्ध-निदेशक की प्रशंसा की है।

श्री क० लकप्पा : हमने सदन में उस प्रतिष्ठान की निंदा की थी। मन्त्री महोदय को उनके पद से हटाया क्यों नहीं जाता ?

श्री दा० रा० चव्हाण : उनके प्रबन्ध को देख कर मैंने प्रशंसा की थी। मेरा अब भी यही विचार है। प्रबन्धकों ने मेरा आदर किया, इस बात को लेकर कोई अन्य अर्थ निकालना बिल्कुल अनुचित है। मैं आरोप का खन्डन करता हूं।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का प्रयोग किये जाने के आरोप के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : ALLEGATION ABOUT USE OF IAF PLANES FOR REQUISITIONED AICC MEETING

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सभापति महोदय, सदन के मध्याह्न भोजन के लिए उठने से पूर्व श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, संसद सदस्य, ने कहा था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक में सदस्यों को लाने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय के दस विमानों का उपयोग किया गया था। मुझे पता चला है कि डा० रामसुभग सिंह ने भी ऐसा ही कहा है। मैंने स्थिति की जांच की है और मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक में कांग्रेस के सदस्यों को लाने के लिए अथवा उससे सम्बद्ध किसी कार्य के लिये भारतीय वायुसेना के किसी भी विमान का प्रयोग नहीं किया गया।

तथ्यों की जांच किये बिना ऐसे वक्तव्य देना माननीय सदस्यों को शोभा नहीं देता।

सभापति महोदय : सभा सोमवार 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 24 नवम्बर, 1969/3 अग्रहायण, 1891 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, November 24, 1969/Agrahayana 3, 1891 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers 20, Darya Ganj, Delhi-6.